Join The Official Private Channel

Get free access to all Newspapers Mentioned below

Uploading starts from 5am.
you can check specific uploading time for each of them through this Channel below

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard
+All Editorial PDFs

Click below to

Join

संपादकीय

“ किसी दूसरे के व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे मन की शांति को खत्म कर दे. - ओशो

चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और रणनीतिक-आर्थिक सहयोग की संभावनाओं के संकेत देता है, लेकिन सीमा पर शांति व विश्वास को कायम करने की चुनौती के मद्देनजर भारत के लिए जरूरी है कि वह सतर्कता के साथ आगे बढ़े।

संबंधों की दिशा

ऐसे समय में जब अमेरिका की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में हलचल मचाई हुई है और दूसरे शीतयुद्ध की आशंकाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय राजनीति खेमों में बंटी दिख रही है, तब ऐसे माहौल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों की दिशा को समझने का अवसर तो देता ही है, साथ ही यह वैश्विक भू-राजनीति के बदलते समीकरणों को भी दर्शाता है। दरअसल, सीमा विवादों, पाकिस्तान की स्थिति और एशिया में सर्वोच्चता को लेकर दोनों देशों में चल रही प्रतिस्पर्धा के बावजूद अमेरिकी टैरिफ ने भारत और चीन, दोनों पर अपने रिश्तों को व्यावहारिक ढंग से पुनर्संयोजित करने के लिए दबाव बनाया है। अगर दोनों देश नजदीक आते हैं, तो चीन को भारत के विशाल बाजार का फायदा उठाने का मौका मिलेगा, वहीं भारत को दुर्लभ खनिजों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिनके लिए फिलहाल वह ज्यादातर आयात पर ही निर्भर है। सीमा विवाद और गलवान की कड़वी स्मृतियों को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन रूस-भारत-चीन त्रिकोण अमेरिका के खिलाफ एक ध्रुव बन सके, इसके लिए जरूरी है कि भारत और चीन के संबंधों में नरमी आए। वर्तमान वैश्विक हालात में यह तय है कि चीन को भी भारत की जरूरत है। इसकी पुष्टि चीनी विदेश मंत्री की भारत की ताजा यात्रा से भी होती है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक बयानों में सख्ती से परहेज किया और सहयोग की भाषा अपनाई। दूसरी ओर, भारत ने सीमा पर शांति बनाए रखने और सीमा विवाद के निष्पक्ष और परस्पर स्वीकार्य समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के रिश्ते दशकों से कुछ पेचीदा ही रहे हैं। हालांकि, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद से रिश्तों में कुछ नरमी आनी शुरू हुई। यह तथ्य है कि चीन भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में है, लेकिन चीन के साथ अब तक का अनुभव

बताता है कि उस पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते। यही वजह है कि चीन के विदेश मंत्री की यात्रा का नई दिल्ली ने स्वागत तो किया, लेकिन इसे संबंधों में किसी बड़े मोड़ के रूप में पेश करने से परहेज ही किया। इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में शामिल होने का चीन का आमंत्रण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वीकार किया जाना द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अपनी रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को बीजिंग और वाशिंगटन के बीच संतुलित करने की चुनौती भारत के सामने निश्चित ही होगी।

आखिर चीन पर कितना भरोसा कर सकते हैं

अमेरिका की टैरिफ नीति ने अनजाने में भारत और चीन, दोनों को पुनः जुड़ाव को परखने का अवसर दिया है। यह संबंध स्थिर रूप ले पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष बुनियादी विवाद सुलझाने और उकसावे से बचने की कितनी इच्छाशक्ति रखते हैं।

भारत और चीन, जिनके द्विपक्षीय संबंध 2020 के गलवान टकराव के बाद से तनावपूर्ण बने हुए थे, अब धीरे-धीरे एक सतर्क 'थॉ' यानी पिघलाव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों से पैदा हुई आर्थिक और भू-राजनीतिक उथल-पुथल है।

ट्रंप ने कई देशों के खिलाफ टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान को लुभाने के नए प्रयास किए हैं, जिससे नई दिल्ली और बीजिंग, दोनों की रणनीतिक गणना प्रभावित हुई है। भारत को 27 अगस्त से 50 फीसदी टैरिफ झेलना पड़ सकता है। चीन को भी टैरिफ का सामना करना पड़ा है, लेकिन ट्रंप ने उस पर अपेक्षाकृत नरमी बरती है, क्योंकि चीन ने अमेरिका पर अपनी पकड़ दिखाते हुए दुर्लभ खनिज के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जो अमेरिकी उद्योग के लिए अत्यावश्यक हैं। ट्रंप का चीन को 90 दिन की टैरिफ मोहलत देने का मतलब है कि बीजिंग से लंबे आर्थिक युद्ध के परिणाम अमेरिका के लिए भी भारी पड़ सकते हैं।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो
एमपी-आईडीएसए

इस असामान्य वैश्विक स्थिति में चीन ने भारत के प्रति समर्थन जताने की कोशिश की है, खासकर रूस से तेल आयात करने के भारत के संप्रभु अधिकार पर। चीनी अधिकारियों और मीडिया ने ट्रंप को 'धौंस जमाने वाला' कहकर पेश किया और खुद को भारत की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाला साझेदार बताया। ये कदम चाहे परिस्थितिजन्य हों, लेकिन इन्होंने भारत और चीन को कुछ क्षेत्रों में संवाद पुनः शुरू करने का कूटनीतिक अवसर जरूर दिया है।

दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष उड़ानें सितंबर 2025 तक फिर शुरू होने की संभावना है, जिससे कोविड-19 और गलवान टकराव के बाद रुकी आवाजाही बहाल होगी। भारत ने पांच साल बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा देना फिर शुरू किया है और कैलाश-मानसरोवर यात्रा भी भारतीय श्रद्धालुओं के लिए बहाल हो गई है, जो आपसी विश्वास बहाल करने का प्रतीकात्मक कदम है। व्यापार में भी हलचल दिखने लगी है; जुलाई में भारत से पहली बार डीजल की खेप चीन भेजी गई। ये सारे कदम अक्तूबर 2024

के सीमा समझौते के बाद आए हैं, जिसमें एलएसी पर भारतीय ग्रामीणों को फिर से चराई और गश्त की अनुमति मिली थी।

भारत और चीन, दोनों समझते हैं कि अमेरिकी संरक्षणवाद, खासकर ऐसे राष्ट्रपति के नेतृत्व में जो लेन-देन आधारित कूटनीति अपनाते हैं, उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत के लिए यह संकट तब आया है, जब वह अपनी अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र से विनिर्माण क्षेत्र की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए चीन की मशीनरी, पूंजी और प्रशिक्षित श्रमिकों की जरूरत है। चीन के लिए भारत के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक ढाल का काम कर सकता है और नई दिल्ली को पूरी तरह वाशिंगटन के रणनीतिक घेरे में जाने से रोक सकता है। यह तात्कालिक हितों का मेल है, कोई गहरा रणनीतिक गठबंधन नहीं, लेकिन दोनों पक्षों के लिए तनाव कम करने का कारण जरूर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा, जहां वह इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, सात साल में पहला होगा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पिछले दस महीनों में पहली द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इस तरह की मुलाकात के दृश्यात्मक संदेश निश्चित रूप से ध्यान खींचेंगे, खासकर वाशिंगटन में, जहां ट्रंप प्रशासन ने पहले से ही संकेत दे दिए हैं कि वह संबंधों को संकीर्ण लेन-देन वाले नजरिये से देख रहा है।

इसके बावजूद, मौजूदा 'थॉ' विरोधाभासों से मुक्त नहीं है। चीन पाकिस्तान के साथ अपने गहरे सैन्य और परमाणु सहयोग को बनाए हुए है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा चीनी हथियारों का इस्तेमाल भारत के संज्ञान में है। यारलुंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र) पर चीन का विशाल बांध निर्माण और अक्साई चिन से होकर गुजरने वाली नई रेललाइन भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है। शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर बीजिंग ने जम्मू-कश्मीर में हुए हमलों की निंदा वाले बयानों को रोक दिया, पर बलूचिस्तान हिंसा को प्रमुखता से रखा-इसे पाकिस्तान समर्थक रुख माना गया। इन कदमों से स्पष्ट है कि चीन का मौजूदा रुख सामरिक अवसरवाद पर आधारित है, जिसे भारत-अमेरिका के बीच हालिया तनाव ने बढ़ावा दिया है। द्विपक्षीय विवादों पर इसकी मूलभूत स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत ने भी संतुलित प्रतिक्रिया दी है-रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी दोहराई है, ग्लोबल साउथ के नेताओं से संवाद किया है और अमेरिका तथा चीन, दोनों के साथ बातचीत के लिए खुलापन दिखाया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर चीन को जवाब भी दिया है।

नई दिल्ली के लिए चुनौती यह है कि वह मौजूदा जुड़ाव से ठोस लाभ निकाले, बिना अपने मूल हितों से समझौता किए। उड़ानों, वीजा और यात्राओं की बहाली से माहौल जरूर सुधरता है, लेकिन असली परीक्षा सीमा प्रबंधन, जल संसाधनों की सुरक्षा और व्यापार व निवेश प्रवाह को संतुलित व टिकाऊ बनाए रखने में होगी। भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिए चीन की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल है।

इंडो-पैसिफिक के व्यापक संदर्भ में, भारत और चीन के बीच सीमित पिघलाव भी मौजूदा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप की नीति-जिसमें भारत को टैरिफ नीति में चीन से ज्यादा कठोरता का सामना करना पड़ा-नई दिल्ली को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक साझेदारियां खोजने को प्रेरित कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत रणनीतिक रूप से चीन के साथ खड़ा होगा, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा और कुछ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मुद्दों पर व्यावहारिक सहयोग संभव है। अमेरिका के लिए यह चेतावनी है कि अत्यधिक दबाव डालने वाली आर्थिक नीतियां रणनीतिक संबंधों को कमजोर कर सकती हैं। चीन के लिए यह मौका है कि वह देख सके कि क्या भारत के साथ सीमित सहयोग, विवादों के बावजूद, टिकाऊ रह सकता है।

अंततः, मौजूदा गर्माहट को स्थायी मेल-मिलाप के बजाय सामरिक जरूरत के रूप में देखना चाहिए। दोनों देश बदली परिस्थितियों में सहयोग की सीमाओं को परख रहे हैं। अविश्वास के मूल कारण-सीमा विवाद, चीन-पाकिस्तान संबंध और क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा-यथावत हैं। बदला है, तो सिर्फ रणनीतिक वातावरण, जिसमें अमेरिकी नीति ने अनजाने में भारत और चीन, दोनों को पुनः जुड़ाव को परखने का अवसर दिया है। यह संबंध स्थिर रूप ले पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष बुनियादी विवाद सुलझाने और उकसावे से बचने की कितनी इच्छाशक्ति रखते हैं। तब तक, यह 'थॉ' नाजुक ही रहेगा।

जीवन धारा

दलाई लामा

बीती बातों को भूलने तथा दूसरों का कल्याण चाहने से हमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिलती है और हम नकारात्मक विचारों से ऊपर उठकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।

क्षमा व पश्चाताप से हल्का हो जाता है मन का बोझ

क्षमा करुणापूर्ण व्यवहार का आवश्यक अंग है। लेकिन, इसे समझने में कई बार भूल हो जाती है। क्षमा का अर्थ गलती को भूल जाना नहीं होता। अगर व्यक्ति अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को भूल जाए, तो फिर क्षमा करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहेगा! मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने साथ हुए दुर्व्यवहार से निपटने के लिए कोई ऐसा रास्ता तलाशना चाहिए, जिससे हमें मानसिक शांति मिले। साथ ही हमारे भीतर प्रतिशोध जैसी विध्वंसात्मक प्रवृत्ति विकसित न होने पाए। एक जरूरी बात यह है कि जो हो गया, उसे स्वीकार करना चाहिए। यह व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर, यह मानना बहुत जरूरी है कि बीता हुआ कल हमारे नियंत्रण से परे है। मगर अतीत में हुए दुर्व्यवहार पर हमारी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से हमारे नियंत्रण में होती है।

कर्ता और कर्म के अंतर को ध्यान रखना जरूरी है। कई बार इसमें बहुत कठिनाई होती है। यदि हम या हमारा कोई संबंधी किसी अपराध का शिकार हो जाए, तो ऐसे में अपराधी से घृणा न करना मुश्किल होता है। फिर हम थोड़ा विचार करें, तो पाएंगे कि अपने कर्मों के संदर्भ में हम किसी कुकृत्य और उसके कर्ता के बीच लगभग प्रतिदिन भेद करते हैं। क्रोध या चिड़चिड़ाहट के क्षणों में हम अपने प्रियजनों के साथ रूखा या गुस्से का बर्ताव करते हैं। बाद में हमें पश्चाताप या दुख होता है, लेकिन हम पीछे मुड़कर अपनी उस प्रतिक्रिया पर विचार करते हैं, तो हम आसानी से स्वयं में और अपने किए काम में अंतर देख पाते हैं। हम स्वयं को क्षमा भी कर देते हैं और कई बार वचन देते हैं कि हम गलती को फिर नहीं दोहराएंगे। यदि हम स्वयं को क्षमा कर सकते हैं, तो दूसरों को भी कर सकते हैं। हालांकि, यह सच है कि कई बार व्यक्ति स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाता। यह स्थिति बाधक बन जाती है। ऐसे लोगों को करुणा और अपने प्रति क्षमाशील होने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसी से दूसरों के प्रति करुणा और क्षमाशीलता का आधार तैयार होता है। एक और सच बात जो ध्यान रखने लायक है कि दूसरों को क्षमा कर देने से हमें स्वयं भी बोझ से मुक्ति मिलती है। यदि हम अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर विचार करते हैं, तो हमारे भीतर क्रोध और वैमनस्य का भाव जाग उठता है। लेकिन उन दुखद स्मृतियों और बुरे विचारों को मन में रखने से लाभ नहीं होता और न ही इससे अपराध के निवारण का रास्ता बनता है। इसका हम पर सकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता, बल्कि इससे मानसिक शांति भंग होती है, नींद खराब हो जाती है और आगे चलकर शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी ओर, यदि हम अपराधी के प्रति मन में उठे वैमनस्य को दूर कर दें और उसे क्षमा कर दें, तो निश्चित रूप से हमें तुरंत लाभ प्राप्त होता है। बीती बातों को भूलने तथा दूसरों का कल्याण चाहने से हमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिलती है और हम नकारात्मक विचारों से ऊपर उठकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

करुणा का भाव रखें

सूत्र

जीवन में स्वयं या दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखें। इससे जीवन सुंदर और पहले से बेहतर होने लगेगा। चौबीस घंटों में जीवन की लय एक जैसी नहीं होती, इस बीच कई तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं, हम क्रोध, प्रेम और दुख, सब कुछ महसूस करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमें करुणा का भाव रखना चाहिए।

दूसरा पहलू

जहांगीर ने नूरजहां के नाम पर मध्य प्रदेश के नूराबाद में जो पुल बनवाया था, सैकड़ों साल बाद भी बरकरार है उसकी खूबसूरती।

मोहब्बत की मिसाल बना...आलीशान पुल

क्या किसी पुल की भी कोई कहानी हो सकती है। आगरा-मुंबई हाईवे पर चंबल नदी को पार कर मुरैना के आगे अगर आप बाईं तरफ देखेंगे, तो पाएंगे एक बेहद खूबसूरत पुल, जो अब इस्तेमाल नहीं होता। पुल पर बने बुर्ज व मीनारें बरबस ही ध्यान अपनी ओर खींच लेंगी। मन करेगा गाड़ी से उतरकर यहां कुछ वक्त बिताएं। तब शायद सरगोशियों में खामोशी से बैठकर आप पुल की अनोखी दास्तान सुन सकते हैं।

ग्वालियर से 24 किलोमीटर पहले सांक नदी पर मुगल काल में बने इस पुल की दास्तां जहांगीर और नूरजहां की मोहब्बत से जुड़ी है। पहले इस जगह का नाम सिरोहा था, पर मुगल बादशाह ने अपनी बेगम के नाम पर इसे नूराबाद कर दिया। लगभग चार सौ साल पहले बना यह पुल वास्तुकला की नायाब मिसाल है। इसमें सात मेहराबें हैं। ये मेहराबें छह मीटर ऊंची और पांच मीटर चौड़ी हैं। सातवीं सदी से ही मेहराबों का इस्तेमाल इमारत या पुल के वजन को बराबर बांटने के लिए किया जाता रहा है। साथ ही इस्लामिक वास्तुकला में इसे धर्म से जोड़कर भी देखा जाता है। पुल के दोनों तरफ चौड़ी चहारदीवारी है, दो अष्टकोणीय गुंबदनुमा छतरियां हैं, जो इसे विशिष्ट बनाती हैं। जहांगीर के शासनकाल में यहां सराय का निर्माण भी किया गया था। इस सराय में बुर्ज और दो विशालकाय दरवाजे हैं। हालांकि, अब इसकी हालत काफी खराब है। सराय के दरवाजे पर फारसी में लिखा है कि इसकी मरम्मत 1661 में औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टाड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक *एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान तथा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया* में लिखा है, नूराबाद में तेली का पुल या ऑयलमैन ब्रिज शानदार स्मारक है। नूराबाद पुल को तेली का पुल कहने की वजह शायद यहां से होने वाला व्यापार था। टाड लिखते हैं, भले ही यह पुल मुगलों ने बनवाया पर कारोबार के लिए तेल व्यापारियों के काफिले जब इससे गुजरने लगे तो इसे तेली का पुल नाम दिया गया। पुल किसने बनवाया, यह स्पष्ट नहीं है। कहीं यह भी है कि जहांगीर की आत्मकथा *इकबालनामा-ए-जहांगीरी* लिखने वाले मुतामद खान ने इसे बनवाया। कुछ इतिहासकार इसे 1605 ईस्वी में जहांगीर द्वारा बनवाया बताते हैं, तो अन्य इसे औरंगजेब के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में बनवाया मानते हैं। फिलहाल वास्तुकला के इस नायाब नमूने की हालत खराब है, सरकार ने इसके बगल में एक और पुल कुछ साल पहले बना दिया था, अब इस पर यातायात बंद है। मेहराबें और मीनारें जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं।

भूपेंद्र कुमार

आगरा-मुंबई हाईवे पर सांक नदी पर मुगल काल में बने पुल के बुर्ज और मीनारें बरबस ही ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं।

ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टाड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान तथा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में लिखा है, नूराबाद में शानदार स्मारक है।

आंकड़े

शिक्षा ऋण एनपीए

वर्ष 2024 में बीते 6 वर्षों की तुलना में शिक्षा ऋण पर बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में करीब दो हजार करोड़ रुपये की कमी आई।

2019	6,323
2020	6,017
2021	5,801
2022	5,741
2024	4,338

आंकड़े शिक्षा ऋण पर वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए के, करोड़ रुपये में | स्रोत : RBI

संत डेढ़राज को कैद करने पर नवाब निजाबत अली की शासन व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। बाद में उसने घुटने टेककर उनके सामने क्षमा याचना की।

भक्ति की शक्ति के आगे झुका नवाब

नारनौल के धारसू गांव में संत डेढ़राज जी का जन्म हुआ था। गरीबी के कारण करीब चौदह वर्ष की उम्र में उन्हें अपना घर और गांव छोड़ना पड़ा। वह आगरा में रहने लगे। आगरा में माधवराव सिंधिया के दीवान धर्मदास के यहां डेढ़राज जी नौकरी करने लगे। उन्हें काम के दौरान कई हिंदू और मुसलमान साधकों से मिलने का अवसर मिला। इन सब के बीच रहकर डेढ़राज जी भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे।

कठिन तपस्या के बाद अपने भीतर आध्यात्मिक ज्योति को पाकर तैंतीस वर्ष की अवस्था में डेढ़राज जी अध्यात्म के उपदेश देने लगे। उनके विचार उदार और व्यापक थे। वर्षों बाद वह अपनी जन्मभूमि लौटे। लोग उनके उपदेश सुनने के लिए उमड़ने लगे। उस समय नारनौल का शासक झज्जर का नवाब निजाबत अली खान था। संतत डेढ़राज जी की प्रसिद्धि देखकर उसने उन पर धर्मद्रोही का आरोप लगाया और उसने उन्हें कैद कर लिया। जेल में डेढ़राज जी को उसने बहुत कष्ट दिए, लेकिन उनकी भक्ति के प्रभाव से कुछ दिनों में ही निजाबत अली की शासन व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। उस दौरान निजाबत अली पूरी तरह से टूट चुका था और वह घुटनों के बल आ गया और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद वह संत डेढ़राज जी से क्षमा मांगते हुए कहने लगा, 'मुझे भगवान की शक्ति और मेरी गलती समझ आ गई है।'

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

शहनाई हुई खामोश, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन

दुनिया में ऐसे बहुत से फनकार हुए हैं, जो किसी एक देश की सरहदों तक सीमित नहीं रहे। ऐसे भी लोग हुए, जिन्होंने किसी एक साज के साथ खुद को ऐसा जोड़ लिया कि दोनों एक-दूसरे का पर्याय बन गए। बांसुरी के साथ हरि प्रसाद चौरसिया, तबले के साथ उस्ताद अल्लाह रक्खा खां और उनके पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन, सितार के साथ पंडित रविशंकर और शहनाई के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें, तो वह अपने फन के इस कदर माहिर थे कि उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इतिहास में 21 अगस्त का दिन भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के निधन के दिन के तौर पर दर्ज है। 2008 : भारत ने चंद्र मिशन के लिए नासा से हाथ मिलाया। 2008 : श्रीनगर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली कारवां-ए-अमन बस सेवा फिर शुरू। 1790 : जनरल मीडोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने तमिलनाडु के डिंडिगुल पर कब्जा कर लिया।

स्त्रीवाद के बरक्स ट्रैड वाइफ

अमेरिका में महिलाएं न केवल बच्चे चाहती हैं, बल्कि परंपरागत रूप से घर को भी सजाना-संवारना चाहती हैं। इस बदलाव के निहितार्थ गहरे हैं।

क्षमा शर्मा | समाज

ट्रैडिशनल वाइफ मूवमेंट, जिसे संक्षेप में ट्रैड वाइफ मूवमेंट भी कहा जा रहा है, यह अमेरिका में चल रहा है। यह स्त्रीवाद के विलोम के रूप में आया है। इससे जुड़ी स्त्रियां चाहती हैं कि उन्हें जीवन में निभाने के लिए वही भूमिका मिले, जो 1950 में पारंपरिक स्त्रियां निभाती थीं। वे घर को उसी तरह से चलाना चाहती हैं, जिसमें घर की देखभाल कर सकें। और खुद को होम मेकर्स कह सकें।

वे पुरानी पीढ़ी की स्त्रियों की तरह ही घर की साफ-सफाई, साज-सज्जा करना चाहती हैं। खाना पकाना चाहती हैं। बच्चों की देखभाल करना चाहती हैं। उनका कहना है कि जिस तरह पहले स्त्रियां घरों में रहकर घरेलू जिम्मेदारियां निभाती थीं और पुरुष बाहर जाकर पैसा कमाकर लाते थे, वैसा ही अब उन्हें एक मुकम्मल परिवार

चाहिए। इनमें से बहुत-सी स्त्रीवादियों से प्रति प्रश्न भी कर रही हैं कि अगर हम अपने परिवार की देखभाल करना चाहते हैं, बच्चे पालना चाहते हैं, अन्य जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, तो यह हमारी पसंद है। हमारा मजाक उड़ाने वाले आप कौन? वे खुलेआम स्त्रीवादी विचार को खारिज कर रही हैं। उनका मानना है कि प्राथमिक रूप से पुरुष को पैसा कमाना और स्त्री को घर संभालना चाहिए। इस आंदोलन को स्त्रीवाद को अस्वीकार के रूप में भी देखा जा रहा है। और यह अस्वीकार स्त्रियों के द्वारा ही हो रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक आदि ने इसकी लोकप्रियता बढ़ा दी है। बहुत से यूट्यूब चैनल पर बहुत से इन्फ्लुएंसर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनेक स्त्रियों का कहना है कि वे कॅरिअर में लगातार बढ़ते दबाव से परेशान हैं। अब वे इसे नहीं झेल सकतीं। स्त्रियों को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे नौकरी करना चाहती हैं या घर में रहना। आश्चर्य की बात यह है कि बड़ी संख्या में युवा लड़कियां इसका समर्थन कर रही हैं। स्त्रीवाद के एक वर्ग ने कोख को स्त्री का सबसे बड़ा शत्रु बताया था, लेकिन ट्रैड वाइव्स मां बनना चाहती हैं। इस सोच का बड़ा कारण यह भी है कि वहां अकेलापन बहुत ज्यादा है। न बच्चों की देखभाल के लिए घर में माता-पिता मौजूद हैं, न ही बुजुर्गों के लिए। परिवार की इकाई, कौटुंबिक रिश्ते लगभग न के बराबर हैं। छुटपन से ही बच्चे तरह-तरह के नशे के शिकार भी होते हैं। वे अपराध की दुनिया में भी चले जाते हैं। इसलिए अरसे से वहां के पुलिस अधिकारी, समाजशास्त्रियों का बड़ा वर्ग, मनोवैज्ञानिक आदि कह रहे हैं कि यदि बच्चों और बुजुर्गों को बचाना है, तो परिवार चाहिए। क्लिंटन काल के उपराष्ट्रपति अल गेर की पत्नी तो 1993 से परिवार की वापसी का आंदोलन चला रही हैं। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने भी कहा था कि परिवार चाहिए। उन्होंने स्त्रीवाद पर भी हमला बोला था। संयुक्त राष्ट्र भी परिवार की बात कर रहा है। परिवार दिवस भी मनाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग इस आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित भी हैं। उनका मानना है कि यदि स्त्रियां घर में रहेंगी, तो वे आर्थिक रूप से फिर से पुरुषों पर निर्भर हो जाएंगी। इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्रता बहुत प्रभावित होगी। यही नहीं उन्हें बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा। इससे स्त्री-पुरुष की बराबरी पर भी प्रभाव पड़ेगा। स्त्रियां फिर से एक तरह से पुरुष की गुलाम हो जाएंगी। जहां उनके हर तरह के निर्णय पर पुरुष के आदेश लदे होंगे। अभी जो कुछ बहुत आकर्षक लग रहा है, बाद में वही उनके पांव की बेड़ी भी बन सकता है। कई बार लगता है कि किसी भी विमर्श की उम्र अस्सी से सौ वर्ष तक ही होती है। चाहे वह समाजवाद का सपना हो या स्त्रीवाद का जोर। फिर कोई नया विमर्श या पुराना विमर्श लौटकर, इस जगह को ले लेता है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 87 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

दो भद्र लोगों के बीच मुकाबला

उपराष्ट्रपति पद के लिए अब दोनों तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी. सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। संख्या बल में एनडीए यानी सत्ता पक्ष का पलड़ा भले भारी सही, लेकिन यह लड़ाई आंकड़ों से ज्यादा प्रतीकात्मक है। विपक्ष ने एक मजबूत कैंडिडेट उतारकर संदेश देने का प्रयास किया है कि वह किसी मोर्चे पर सरकार को फ्री हैंड नहीं देने जा रही। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, जबकि सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से। दोनों चेहरों का दक्षिण भारत से होना संयोग नहीं हो सकता और इसी वजह से यह चुनाव और भी दिलचस्प हो जाता है। भाजपा के लिए दक्षिण अब भी मुश्किल जगह है, जबकि विपक्ष के लिए ऐसा मैदान, जहां उसने मजबूत चुनौती पेश की है। उपराष्ट्रपति चुनाव उसी सियासी लड़ाई का विस्तारित रूप है। जिस तरह से टीडीपी ने राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान किया है, उसका असर दिखने भी लगा है। अगर सौ फीसदी वोटिंग होती है, तो दोनों सदनों में मिलाकर चुनाव में जीत के लिए 394 वोट चाहिए होंगे। एनडीए के पास 422 का संख्या बल है। हालांकि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है और सदस्य पार्टी विप से नहीं बंधे होते। सरकार और विपक्ष, दोनों के लिए यह मौके के साथ चुनौती भी है। दोनों तरफ से अपने समर्थन का दायरा बढ़ाने की कोशिश होगी। खासतौर पर दक्षिण से आने वाले क्षेत्रीय दलों पर नजरें होंगी। उपराष्ट्रपति का पद किसी पार्टी का नहीं होता। इसकी गरिमा को देखते हुए अगर सर्वसम्मति से किसी को चुना जाता, तो ज्यादा अच्छा रहता। हालांकि अभी की राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसी संभावना दूर-दूर तक नहीं दिखती। देश में पिछले कुछ बरसों से जिस तरह का माहौल है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ज्यादातर मौकों पर दो विपरीत ध्रुवों पर नजर आए हैं। जिन मामलों में सदन में सहमति की मांग थी, वहां भी सहमति नहीं दिखी, तो यह चुनाव तय ही था। हालांकि लोकतंत्र में वैचारिक लड़ाई भी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति पद के इर्द-गिर्द हाल में बहुत हलचल देखने को मिली है। जगदीप धनखड़ जिन परिस्थितियों में और जैसे गए, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि यह चुनाव बेहतर माहौल में और इस पद के सम्मान को देखते हुए उसके हिसाब से लड़ा जाएगा। जीत जिसकी भी हो, उस पर लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को आगे ले जाने की अहम जिम्मेदारी होगी।

राधाकृष्णन से संसदीय परंपराओं की उम्मीद

उमेश चतुर्वेदी
(वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार)

1999 के आाम चुनावों के बाद तमिलनाडु से चुनकर आए युवा सांसद को उसकी पार्टी की ओर से राजधानी दिल्ली में बने रहने की ताकीद की गई थी। ऐसी ताकीद का मतलब होता है, या तो संसद की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और उसमें सांसद का रहना जरूरी है या फिर मंत्रिमंडल का गठन और फेरबदल होने वाला है..हो सकता है कि उसका नाम मंत्री बनने की सूची में शामिल हो और उसे अचानक राष्ट्रपति भवन से बुलावा आ जाए। चूंकि लोकसभा के चुनाव जल्द ही हुए थे, लिहाजा उम्मीद थी कि वह सांसद भी मंत्री बनने वाली लिस्ट में शामिल है। लेकिन उसे बुलावा नहीं आया। बाद में पता चला कि नाम को लेकर भ्रम होने की वजह से उसकी तरह मिलते-जुलते नाम वाले सांसद को बुलावा मिल गया और वह युवा सांसद मंत्री बनने से रह गया था। इस घटना के बाद ढाई दशक की देर भले हुई, लेकिन उसे मंत्रिमंडल में भले ही जगह नहीं मिली, लेकिन अब वह देश का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। जी हां,ठीक समझा आपने सीपी राधाकृष्णन की जिंदगी से जुड़ी यह घटना है। तब वाजपेयी सरकार में उनकी जगह पी राधाकृष्णन को बुलावा मिल गया और वे मंत्री बन गए थे। पी राधाकृष्णन भी उस बार तमिलनाडु से चुने गए बीजेपी के चार सांसदों में से एक थे।

सीपी राधाकृष्णन के साथ अब तक दो तरह के संयोग ज्ञात थे। वे प्रधानमंत्री मोदी की तरह दाढ़ी रखते हैं और उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है। दूसरा संयोग यह है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रही हैं, अब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे राधाकृष्णन भी झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। यानी अब देश के दो सर्वोच्च पदों पर झारखंड के दो पूर्व राज्यपाल होंगे। इन संदर्भों में देखें तो झारखंड दोनों के लिए शुभ रहा। जब भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया, उसके कुछ वक्त बात उनकी मां जानकी अम्माल ने बताया कि उन्होंने सीपी राधाकृष्णन का नाम देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा था। इसे संयोग ही कहेंगे कि सर्वपल्ली के बाद सीपी राधाकृष्णन भी देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वैसे तमिलनाडु राज्य से उपराष्ट्रपति बनने वाली तीसरी शख्सियत होंगे।

कोयंबटूर के धमाके की चर्चा अरसे तक भारतीय राजनीति में सुनाई देती रही है। कट्टरपंथी संगठन अल्ल उम्माह ने 14 फरवरी 1998 को कोयंबटूर में ग्यारह जगहों पर बारह धमाके किए थे, जिसमें 58 लोग मारे गए और दो सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन धमाकों के निशाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, जो सीपी राधाकृष्णन के चुनाव प्रचार के लिए वहां गये थे। सीपी तभी से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में आ गए। तब अन्नाद्रमुक पार्टी से बीजेपी का राज्य में गठबंधन था, जिसकी वजह से कोयंबटूर लोकसभा सीट से उन्हें भारी मतों में जीत मिली। अगले साल एक वोट से वाजपेयी सरकार के गिरने के बाद जब आम चुनाव हुए तो बीजेपी ने फिर से सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार बीजेपी का उसी द्रमुक से समझौता था, जो इन दिनों भाषा, नई शिक्षा नीति और मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। उस चुनाव में भी सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली। लेकिन उसके बाद सीपी से जीत लगातार दूर रही। 2004 और 2014 एवं 2019 की प्रचंड मोदी लहर में भी उन्हें हार मिली।

राधाकृष्णन को तमिलनाडु का मोदी क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक कहानी है। साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अगले आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया तो उन्हें तमिल टीवी चैनलों पर बहस के लिए बुलाया जाने लगा। इसी एक बहस के दौरान उन्होंने बीजेपी का पक्ष जोरदार तरीके से रखा। उनकी बहस को देख-सुन रहे दर्शकों ने उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहना शुरू कर दिया। देखते ही देखते, तमिल चैनल भी उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहकर बुलाने लगे। वैसे उन्हें तमिलनाडु में सीपीआर के नाम से ज्यादा जाना जाता है, जबकि उत्तर भारत के उनके नजदीकी सर्किल में वे राधाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं।

नरेंद्र मोदी एक दौर में अटल-आडवाणी की जोड़ी के चहेते रहे हैं। वैसे तमिलनाडु में उनकी छवि कुछ-कुछ अटल बिहारी वाजपेयी की तरह है। उनके बेटे और बेटी की शादी में कई दलों में फैली तमिल राजनीति के नेताओं की भीड़ देखते ही बनती थी। उनके हर दल के नेता से बेहतर संबंध रहे हैं। हालांकि एक दौर में अन्नाद्रमुक से उनकी ज्यादा नजदीकी रही। उनकी दोस्ती हर दल में है। शायद यही वजह है कि राज्य के सत्ताधारी द्रमुक पर दबाव बढ़ गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से अलग होकर तमिल अस्मिता के नाम पर सीपीआर का समर्थन करे। लोकसभा में द्रमुक के 22 और राज्यसभा में दस सांसद हैं। अगर ऐसा होता है तो सीपीआर की जीत बड़ी हो सकती है। हालांकि द्रमुक के कई नेता उनके खिलाफ तो नहीं, अलबत्ता बीजेपी के खिलाफ बयान जरूर दे रहे हैं।

माना जा रहा है कि बीजेपी ने सीपीआर को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अगले साल तमिलनाडु में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए बनाया है। उत्तर भारत की तरह तमिल राजनीति भी जातीय खांचे में बंटी हुई है। सीपीआर अन्य पिछड़ा वर्ग की कौंडर जाति से आते हैं। जनसंख्या के लिहाज से इस जाति का दबदबा भले ही न हो, लेकिन वह राज्य में बीजेपी का मजबूत आधार वोट बैंक है। बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाकर राज्य को यह संदेश देने की कोशिश में है कि वही ऐसा दल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रतिनिधि को महत्व दे सकता है। अगर द्रमुक सीपीआर का सहयोग नहीं करता तो उसके सामने बीजेपी चुनौती पेश कर सकती है। राज्य के विधानसभा चुनावों में वह कह सकती है कि तमिल अस्मिता की दुहाई देने वाले स्टालिन ने तमिल बेटे का साथ नहीं दिया। जिसका जवाब देना द्रमुक के लिए मुश्किल हो सकता है।

सीपीआर बेहद धार्मिक व्यक्ति हैं। पूजा-पाठ और शाकाहार में उनकी गहरी आस्था है। दिल्ली के तमिलनाडु भवन के बाहर भगवान मुरूगेशन का एक मंदिर है। तमिलनाडु भवन में राज्यपाल बनने के पहले सीपीआर ठहरते रहे हैं। उस वक्त उन्हें जब भी कहीं बाहर जाना होता था, मुरूगेशन के सामने मत्था जरूर टेकते थे। सादा खान-पान में सीपीआर का यकीन है। अक्सर भोजन में वे इडली और चटनी लेते देखे जा सकते हैं। सीपीआर को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। 18 फरवरी को उन्होंने शपथ ली। तब वे किंचित निराश बताए जा रहे थे। उन्हें लगता था कि उनके हाथ से सक्रिय राजनीति की डोरी पीछे छूट रही है।

इसके करीब डेढ़ साल बाद यानी 31 जुलाई 2014 को उन्हें अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र के राजभवन की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने अपनी मधुर मुस्कान के साथ उसे निभाया है। झारखंड का राज्यपाल रहते कुछ समय तक उनके पास तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की भी जिम्मेदारी रही। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी और शाह की जोड़ी के वे विश्वासपात्र हैं। 2016 से 2020 तक कयर बोर्ड के चेयरमैन रह चुके सीपी राधाकृष्णन अब देश के दूसरे सर्वोच्च पद से कुछ कदम दूर हैं। भारतीय संसदीय परंपरा में नया उत्साह भरने की जिम्मेदारी उनके पास है। वे चाहें तो देश की राजनीति और संसदीय परंपरा को नई दिशा दे सकते हैं। जैसा उनका व्यक्तित्व है, उसमें कोई कारण नहीं कि वे सफल ना हो पाएं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

मतों की हेराफेरी के जनक और उनके परनाती की सनक

मनोज ज्वाला
(राजनीतिक विश्लेषक)

कांग्रेस के नेतागण जब चुनाव हार जाते हैं, या हारने की सम्भावना देख लेते हैं, तब वे ईवीएम में गडबडी का राग अलापने लगते हैं। हॉलाकि चुनावी मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल ही हो रहा है- पहले की तत्सम्बन्धी व्यवस्था में होती रही गडबडियों को रोकने के लिए। 'ईवीएम' की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहने वाले कांग्रेसी नेतागण अब इन दिनों मतदाता-सूची में हेराफेरी का एक नया शोर मचा रहे हैं। वे कहीं यह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा निर्मित सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, तो कहीं यह कि भारतीय जनता पार्टी मतों की चोरी कर के चुनावी जीत हासिल की है और तब सत्तासीन हुई है। वे कर्नाटक में मतदाता-सूची के शुद्धिकरण की मांग कर रहे हैं, तो बिहार में आसन्न चुनाव से पहले हो रहे उक्त शुद्धिकरण का विरोध करते रहे हैं और अब जब चुनाव आयोग ने वहां के 65 लाख फर्जी मतदाओं के नामों को सूची से खारिज कर दिया है, तब वे उन्हें वापस दर्ज करने-कराने के लिए पटना की सड़कों से ले कर दिल्ली की संसद तक हंगामा बरपा रहे हैं।

ऐसे तमाम कांग्रेसी नेताओं को यह जान लेना चाहिए कि चुनावी मतों की हेरा-फेरी और प्रशासनिक धाक से मतों की चोरी के व्याकरण का आविष्कार कांग्रेस के द्वारा ही किया गया है, जिसके जनक हमारे ऐतिहासिक चाचाजी ही हैं। लोकसभा के प्रथम चुनाव (1952 में) ही इस आविष्कार का सफल परीक्षण कर हमारे चाचाजी ने कांग्रेस को चुनाव जीतने का यह मंत्र दे दिया था- भविष्य में इसका प्रयोग करते रहने के लिए। जी हां, हमारे चाचाजी, अर्थात वर्तमान कांग्रेस के सबसे नामदार युवा नेता के 'परनाना' जी! जिन्हें सारी दुनिया जवाहरलाल नेहरु के नाम से जानती है। आज उन्हीं का 'परनाती' उपरोक्त हंगामे का नेतृत्व कर रहा है। यह दावा मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन्हीं चाचाजी के जमाने के उस प्रशासनिक अधिकारी की पुस्तक से कर रहा हूं जो उस चुनावी हेरा-फेरी में एक माध्यम बने हुए थे। उन दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार के सूचना-निदेशक रहे शम्भूनाथ टण्डन ने अपने एक लेख में यह खुलासा करते हुए लिखा है कि 'चुनाव में जीत-हार की हेरा-फेरी के लिए मत-पत्रों की अदली-बदली एवं 'बूथ कैप्चरिंग' जैसे हथकण्डों के मास्टरमाइंड थे- जवाहरलाल नेहरु।' उनके लेख का पूरा शीर्षक है- 'जब विशन सेठ ने मौलाना आजाद को धूल चटाई थी, भारत के इतिहास की एक अनजान घटना।' अखिल भारतीय खत्री महासभा द्वारा हिन्दू महासभा नेता विशनचन्द्र सेठ के सम्मान में प्रकाशित स्मृति ग्रंथ में सम्मिलित है उनका यह लेख।

बकौल शम्भू नाथ टण्डन- 'वर्ष 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के एक दर्जन दिग्गज प्रत्याशी चुनाव हार गये थे, जिन्हें नेहरू ने प्रशासन पर दबाव दे कर जबरिया जितवाया था। उनमें एक तो हमारे वो चाचा जी स्वयं भी थे।' दिग्गज कांग्रेसियों की हार का कारण यह था कि देश-विभाजन में कांग्रेस की भूमिका और उससे उत्पन्न हालातों से देश भर में कांग्रेस-नेतृत्व के विरुद्ध जनाक्रोश उबल रहा था। तब हिन्दू महासभा देश-विभाजन के लिए नेहरू व कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए देश भर में उनके विरुद्ध वातावरण बना रखी थी और उस लोकसभा-चुनाव में प्रायः हर दिग्गज कांग्रेसी के खिलाफ अपने दमदार प्रत्याशी खडा किये हुए थी। उसने फूलपुर क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ जाने-माने प्रखर संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को खडा किया था, तो रामपुर में मौलाना आजाद के विरुद्ध वहां के लोकप्रिय नेता विशनचन्द सेठ को।

कांग्रेस के बड़े नेताओं को सर्वत्र कडी चुनौती मिल रही थी। किन्तु अंतरिम सरकार की कमान चूँकि नेहरू के हाथ में ही थी, इस कारण चाचाजी ने कांग्रेस-प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए शासन-तंत्र का जमकर दुरुपयोग किया। मतदान के दौरान शासन-तंत्र ने लोकतंत्र के लिए जो किया सो तो किया ही; असली खेल तो हमारे चाचा जी मतगणना के दिन खेले। शासन तंत्र को यह पाठ पहले ही पढा दिया गया था कि लोकतंत्र की सलामती के लिए नेहरू को हर हाल में सदा ही अजेय बनाये रखना है; सो मतों की गिनती के दौरान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की जीत जब सुनिश्चित सी दिखने लगी, तब प्रशासनिक अधिकारियों ने अन्तिम चक्र में उनकी पेटी से 2000 मतपत्रों को निकाल कर नेहरु जी की पेटी में मिला कर गिनती पूरी कर दी। इस प्रकार हमारे चाचा जी बहुमत से चुनाव जीत गए।

मालूम हो कि उन दिनों हर प्रत्याशी के लिए अलग-अलग मतपेटियां ही हुआ करती थीं, प्रत्याशी या दल के नाम किसी चिन्ह पर मुहर नहीं लगाई जाती थी, बल्कि मतपत्र को अपने पसंदीदा प्रत्याशी की पेटी में डाल देने का विधान था। इस कारण मतपत्रों की हेरा-फेरी बहुत आसानी से हो सकती थी। अपने लेख में टण्डन साहब लिखते हैं- ह्लसेठ विशनचन्द्र के पक्ष में भारी मतदान हुआ था और मतगणना के पश्चात प्रशासन ने बाकायदा लाउडस्पीकरों से सेठ विशनचन्द्र को 10000 वोटों से विजयी घोषित कर दिया था। उस जीत की खुशी में हिन्दू महासभा के लोग विशाल विजय-जुलूस भी निकाल चुके थे। किन्तु जैसे ही यह समाचार वायरलैस के द्वारा लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुँचा कि मौलाना अबुल आजाद चुनाव हार गए, सुनते ही चाचाजी तिलमिला उठे। उन्होंने तुरन्त उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री पं. गोविन्द वल्लभ पन्त को चेतावनी दे डाली कि मैं मौलाना की हार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर मौलाना को आप जिता नहीं सकते, तो शाम तक मुख्यमंत्री-पद से इस्तीफा दे दीजिए। फिर क्या था! पंत जी ने

आनन फानन में मुझे (सूचना निदेशक- शम्भू नाथ टण्डन को) बुलाया और रामपुर के जिलाधिकारी से सम्पर्क कर उसे किसी भी कीमत पर मौलाना आजाद को जिताने का आदेश देने को कहाह्व। बकौल टंडन, उन्होंने पंत जी से जब यह बताया कि ऐसा करने से देश में दंगे भी भड़क सकते हैं, तो पंत जी ने कहा कि 'देश जाये भाड़ में, नेहरू जी का हुक्म है'। बकौल टण्डन- 'फिर तो मौलाना को जिताने के लिए रामपुर के जिलाधिकारी निर्देशित कर दिए गए। तदोपरांत रामपुर का कोतवाल जीत की बधाइयां स्वीकार कर रहे सेठ विशनचन्द्र के पास गया और कहा कि आपको डीएम साहब बुला रहे हैं। सेठ जी जब जिलाधिकारी से मिले तब उसने कहा कि मतगणना अभी-अभी दुबारा होने वाली है। हिन्दू महासभा के उस उमीदवार ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि मेरे सभी कार्यकर्ता विजय-जुलूस निकाले हुए हैं, तो ऐसे में आप मेरे मतगणना-एजेंट के बिना दुबारा मतगणना कैसे कर सकते हैं? लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। जिलाधिकारी ने सेठ जी के सामने ही उनकी मत-पेटी से हजारों मत-पत्र निकाल कर मौलाना की मत-पेटी में मिलाते हुए साफ-साफ कह दिया कि सेठ जी! हम अपनी नौकरी बचाने के लिए आपकी बलि ले रहे हैं, क्योंकि यह नेहरू जी का आदेश है। असहाय बने सेठ जी देखते रह गए और जिलाधिकारी ने पूर्व घोषित चुनाव-परिणाम को रद्द करते हुए दोबार चुनाव-परिणाम घोषित कर हरे हुए कांग्रेस-प्रत्याशी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को विजयी घोषित कर दिया' और हिन्दू महासभा के विजयी प्रत्याशी को हरा दिया गया।

तो इस तरह से हमारे चाचाजी अर्थात वर्तमान कांग्रेस के सदाबहार युवा नेता के परनाना जी ने कांग्रेस को चुनावी जीत-हार का मंत्र प्रदान करते हुए लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय भी बटोर लिया। बाद में विशनचन्द सेठ सन 1957 व सन 1962 में दो-दो बार हिन्दू महासभा से निर्वाचित हो कर सांसद बने, किन्तु प्रथम चुनाव में तो उनका सारा श्रम नेहरू-कांग्रेस से लोकतंत्र का पाठ पढने में ही व्यर्थ हो गया। अब उन्हीं नेहरु की विरासत को ढो रही वर्तमान कांग्रेस का कथित युवा नेता चुनाव की 'ईवीएम-प्रणाली' में गडबडी और 'मतदाता-सूची में हेराफेरी' का शोर मचा रहा है, तो यह उसकी सनक मात्र है, जिसे 'खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे' के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

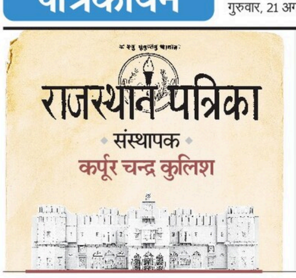

राजनीतिक दल खुद भी करें दागियों को बाहर

हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की शायद ही कल्पना की होगी कि दागी नेताओं को सत्ता से दूर रखने के लिए भी संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। गंभीर आपराधिक मामलों के बावजूद सत्ता से चिपके रहने का मोह नेताओं के लिए नई बात नहीं है। इनकी इसी दुष्प्रवृत्ति पर रोक लगाने के इरादे से केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश संविधान संशोधन विधेयक को विचार के लिए भले ही संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया है लेकिन विधेयक में जो प्रावधान किए हैं उनका दुरुपयोग न हो तो राजनीति में शुचिता कायम रखने की उम्मीद जगाने वाले हैं। इन प्रावधानों के तहत गंभीर आपराधिक मामले, जिनमें पांच वर्ष या इससे अधिक की सजा हो सकती है। उनमें गिरफ्तार होकर तीस दिन तक जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री समेत केंद्र व राज्य के मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान प्रस्तावित है।

विधेयक में प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 75 में और मुख्यमंत्री व मंत्रियों के लिए अनुच्छेद 164 में संशोधन का प्रस्ताव है। विधेयक पेश करते वक्त इसके प्रावधानों को लेकर प्रतिपक्ष का आक्रोश भी सामने आया। लोकसभा में बुधवार को विपक्षी नेताओं ने विधेयक की प्रतियां तक फाड़ गृह मंत्री की तरफ फेंक दीं। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक ने कहा कि कुछ विधेयक राजनीति में शुचिता व नैतिकता के लिए आते हैं। प्रतिपक्ष ने यह कहते हुए विधेयक का विरोध किया कि संविधान में यह संशोधन होने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बदले के भाव से विपक्षी नेताओं को पद से हटाने का काम करेगी। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इसके जरिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्री को झूठे गंभीर आरोप लगाकर जेल में डाल उसे पद से हटाने का रास्ता निकाला जा रहा है। विधेयक में सबसे अहम प्रावधान यह है कि तीस दिन तक जेल में रहने वाले केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति और राज्यों के मंत्री को राज्यपाल की सलाह से मुख्यमंत्री उनके पद से नहीं हटाएं तो इक्तीसवें दिन स्वतः ही आरोपी मंत्री पदमुक्त हो जाएंगे। राजनीति में दागियों की सफाई जरूरी है। यह भी सच है कि मंत्री, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जैसों का गंभीर आरोपों के बावजूद पद पर बने रहना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री व मंत्री की कुर्सी के मोह के उदाहरण हमारे सामने हैं।

प्रस्तावित कानून को लेकर विपक्ष की शंका अपनी जगह है और इसे पेश करने के दौरान सरकार के तर्क अपनी जगह। लेकिन जनता का पक्ष जानें तो वह राजनीति में दागियों को कतई पसंद नहीं करती। संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद यह विधेयक सदन में आएगा। राजनीति में शुचिता की पहल राजनीतिक दलों को करनी होगी। दागियों के ऐसे मामले सामने आने पर उन्हें खुद ही अपनी पार्टी के सत्ता में बैठे लोगों को बाहर करना होगा। दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं और इसीलिए कानून के जरिए सख्ती करनी पड़ती है।

कर्पूर चन्द्र कुलिश
जन्म शताब्दी वर्ष
भाग -22

सरकारें लाखों-करोड़ों एकड़ जमीनों को रिहायशी मकानों के लिए योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर सकती है। इसके लिए...

कारगर होगी सोना देकर जमीन खरीदने की नीति

स्वर्ण संचय से विदेशी ऋण भार भी हो सकता है हल्का

सोना खरीदने व उसे भविष्य का निवेश मानते हुए सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति भारतीयों में नई नहीं है। आदिकाल से स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठा व समृद्धि का परिचायक रहे हैं। लेकिन पिछले छह साल में ही सोने के दाम 200 फीसदी बढ़ गए हैं। प्रति दस ग्राम एक लाख रुपए के पार जा पहुंचा सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चला है। कुलिश जी ने पच्चीस वर्ष पहले अपने आलेख में स्वर्ण नीति को अव्यावहारिक बताते हुए देश में सोने के जरिए आवास समस्या का हल सुझाया था। आलेख के अंशः

देश में इस समय सबसे ज्यादा लाभकारी धंधा जमीनों का है। लोगों के पास रहने को घर नहीं है। बढ़ती आबादी के साथ-साथ घरों की कमी भी बढ़ती जा रही है। आवास की इस कमी को पूरा करने में सरकार महती भूमिका निभा सकती है। जमीनों पर आधिपत्य सरकार का है। लाखों-करोड़ों एकड़ जमीनों को रिहायशी मकानों के लिए वह योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर सकती है और सोने के बदले लागत मूल्य पर या रियायती दरों पर जमीन बेच सकती हैं। जमीन या मकान के नाम पर हमारी गृहणियां अपनी चूड़ियां और बुन्दे भी बेच सकती हैं। देशवासी सहज ही अपना सोना देकर जमीनें खरीदना चाहेंगे। यह क्रम निरन्तर चलता रहे। इससे एक ओर जमीनों का कारोबार चन्द व्यवसायियों के हाथों में न रहकर सरकार के हाथ में आ जाएगा और सोने का संचय सरकार के हाथ में होगा जो विदेशी कर्जा चुकाने के काम में आएगा। इसके साथ ही काले धन का उपयोग भी विदेशी कर्ज चुकाने में सहायक होगा। स्वर्ण का संचय अपने हाथ में लेकर सरकार विदेशी ऋण भार को हल्का कर सकती है। एक बार प्रयोग तो करके देखें। विचार तो करें?

प्रश्न यह हैं कि सोने को डालर के समकक्ष क्यों नहीं माना जाता? मैं अगर एक जहाज भर कर सोना लाना चाहूं तो उस पर पाबन्दी क्यों? क्या हमने भुगतान के लिए रिजर्व बैंक से सोना निकालकर इंग्लैण्ड में गिरवी नहीं रखा? एक नागरिक जब सोना लाना चाहता है तो वह देश का हित साधन करेगा या अहित करेगा? अच्छा तो यह हो कि सोने के आयात और देश में खरीद-बेच की पूरी तरह छूट दे दी जाए। घोषणा कर दी जाए कि जो जितना भी सोना आयात करके लाए उस पर कोई कर नहीं लिया जाएगा। देश में जो कोई जितना भी सोना खरीदना चाहे, खरीद ले और उससे धन का स्रोत भी न पूछा जाए। अर्थशास्त्री या राजनेता जो भी तर्क दें, परन्तु इसमें तो विवाद नहीं होगा कि देश में स्वर्ण भण्डार बढ़ेगा। इस स्वर्ण-भण्डार का उपयोग उचित रीति से सरकार अपने लिए कर सकती है और देश के हित में कर सकती है।

अव्यावहारिक स्वर्ण नीति

हमारी अर्थव्यवस्था का एक उपेक्षित पहलू सोना है। एक ओर तो देशवासियों का, विशेषतः गृहणियों का स्वर्ण के प्रति प्रगाढ़ मोह, दूसरी ओर विदेशी विनिमय के लिए स्वर्ण की आवश्यकता और तीसरी ओर सरकार की अव्यावहारिक स्वर्ण नीति। सरकार की स्वर्ण नीति इतनी निरर्थक है कि उसमें सुधार से जो लाभ लेना चाहिए वह भी नहीं हो रहा। इसके विपरीत तस्करी का कारोबार चालू रहता है। वर्ष 1962-63 में एक समय तो ऐसा आया जब देश में पांच तोला से ज्यादा सोना रखने वालों को सजा देना तय कर दिया गया। धीरे-धीरे स्वर्ण नियंत्रण में ढिलाई की गई तो वह इस रूप में सामने आई कि कोई भी भारतीय जो विदेश में रहता है, निश्चित मात्रा तक सोना अपने साथ तो ला सकता है परन्तु उसे प्रति दस ग्राम सोने पर तटकर देना होगा। प्रश्न उठता है कि सोने की खरीद -बेच पर यह पाबंदी ही क्यों?

(20 सितम्बर 1995 को *'अर्थव्यवस्था के उपेक्षित पहलू'* आलेख के अंश)

भोगो कै बाँटो

*लिछमी जी नै मत करो,
तहखाना में कैद।
भोगो कै बाँटो,
नहीं हो जावै ना पैद।।*

('सात सैंकड़ा' से)

...अमरीका में जेवरों की प्रथा

अमरीका का अर्थतंत्र अर्थात दैनिक जीवन देखा। इस अर्थतंत्र की सफलता का एक ही प्रमाण काफी है कि अमरीका का हर औसत परिवार जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न है। मोटर बहुत जरूरी चीज बन गई है। कपड़ा हैसियत की निशानी नहीं है। जेवर पहनने की (हमारे देश के मापदण्ड से) यहां प्रथा ही नहीं है। फिर भी मैंने देखा कि मध्यवर्ग की हर स्त्री के हाथ में हीरे की एक अंगूठी जरूर होगी। धनवान परिवारों की महिलाएं पार्टियों में कान, गले और हाथों में भी जड़ाऊ जेवर पहनती हैं।

*(कुलिश जी की पुस्तक **'अमरीका एक विहंगम दृष्टि'** से)*

(जारी... कुलिश जी का सृजन संसार पढ़ें आगामी गुरुवार को भी)

इकोनॉमी : रेटिंग्स अक्सर पूरी कहानी नहीं बतातीं, खासकर भारत जैसे उभरते देशों के लिए

भारत की सॉवरेन रेटिंग बढ़ी, लेकिन एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल

रजत मिश्रा
उद्यमी, लेखक और शोधार्थी
@patrika.com

सॉवरेन रेटिंग्स 'डिफॉल्ट' की संभावना को दर्शाती हैं अर्थात कर्ज चुकाने की इच्छा और क्षमता। भारत का इस क्षेत्र में रेकॉर्ड बेदाग है क्योंकि कभी कोई सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं हुआ।

आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर जैसे आपको घर या गाड़ी का लोन थोड़ा सस्ते में दिलाता है, वैसे ही किसी देश की ऊंची सॉवरेन रेटिंग निवेशकों को भरोसा देती है कि उस देश की साख विश्वसनीय है। इससे उस देश की सरकार या कंपनियों के जरिए उधार लेने की लागत कम होती है और विदेशी पूंजी आकर्षित होती है। एसएंडपी, मूडी और फिच जैसी रेटिंग एजेंसियां आर्थिक विकास, वित्तीय सेहत, विदेशी व्यापार संतुलन, संस्थागत मजबूती व मौद्रिक नीतियों जैसे पहलुओं को देखकर रेटिंग देती हैं लेकिन ये रेटिंग्स अक्सर पूरी कहानी नहीं बतातीं। खासकर भारत और चीन जैसे उभरते दिग्गजों के लिए, जहां ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों को पक्षपातपूर्ण तरीके से तरजीह दी जाती है।

हाल में एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन रेटिंग को बीबीबी माइनस से बढ़ाकर बीबीबी कर दिया। साथ ही 'स्थिर आर्थिक संभावना' भी जताई है। देश की ऐसी पिछली बढ़ोतरी 18 साल पहले हुई थी। इससे निवेश-ग्रेड श्रेणी में भारत मजबूत तो हुआ है पर फिर भी निचले स्तर पर। बीबीबी का मतलब है कि भारत 'वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता रखता है, लेकिन प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है।' एसएंडपी ने भारत को 'दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक' बताया, जिसमें महामारी के बाद 2022 से 2024 तक औसतन 8.8% की रियल जीडीपी ग्रोथ रही। एशिया-प्रशांत में सबसे ज्यादा। अगले तीन साल तक 6.8% सालाना विकास की उम्मीद है। ये अपग्रेड बदलते भारत को दर्शाता है, लेकिन सवाल भी उठाता है। इसमें इतना वक्त क्यों लगा? क्यों भारत जैसे विकासशील देशों की ताकत को कम आंका जाता है, जबकि यूरोप की कई कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर रेटिंग मिलती है?

2020-21 के भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को निवेश-ग्रेड की सबसे निचली रेटिंग (बीबीबी माइनस/बीएए3) पर रखा गया। वैश्विक स्तर पर, भारत जैसे बड़े आर्थिक आकार और कर्ज चुकाने की क्षमता वाले देशों को आमतौर पर एएए रेटिंग मिलती रही है, पर भारत और चीन अपवाद रहे। 2005 में पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी रहे चीन को ए माइनस/ए2 रेटिंग मिली, जबकि भारत लगभग दो दशक तक बीबीबी माइनस/बीएए3 पर अटका रहा, भले ही उसकी संरचनात्मक ताकत साफ दिख रही थी। भारत का ये मुकाम दशकों के क्रांतिकारी सुधारों का नतीजा है। 1990 के शुरुआती उदारीकरण ने बंधन हटाए और उद्यमिता को पंख दिए। पिछले एक दशक में टैक्स सुधार (जीएसटी), बैंक और डिजिटलीकरण के बदलाव आदि हुए। बुनियादी ढांचे पर खर्च 2019-20 के 3.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 11.21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो जीडीपी का करीब 5.5% है। महामारी के बाद भारत के वित्तीय अनुशासन ने सबको चौंकाया है। वित्तीय घाटा 2020-21 के 9.2% से घटकर 2025-26 में 4.4% के लक्ष्य तक आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति को 2-6% के दायरे में रखा, जो जुलाई 2025 में 1.55% तक गिर गई यानी पांच साल का सबसे निचला स्तर। 60% विकास घरेलू खपत से आता है और 690 अरब डॉलर से ज्यादा के विदेशी मुद्रा भंडार भारत को बाहरी झटकों, जैसे रूसी आयात पर जुर्माने व अमरीकी टैरिफ से बचाते हैं, जिसे एसएंडपी ने 'सहनीय' बताया।

इनके बावजूद एजेंसियां भारत की रेटिंग्स उसकी वास्तविक स्थिति और ताकत को कम करके आंकती रही हैं। सॉवरेन रेटिंग्स 'डिफॉल्ट' की संभावना को दर्शाती हैं अर्थात कर्ज चुकाने की इच्छा और क्षमता। भारत का इस क्षेत्र में रेकॉर्ड बेदाग है क्योंकि कभी कोई सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं हुआ। उसका विदेशी मुद्रा में लिया कर्ज कम और भंडार मजबूत है। फिर भी, रेटिंग एजेंसियां यूरोपीय देशों को अग्रिम बताती हैं, जिनकी विकास गति भी धीमी है और कर्ज भी अधिक। ये बीबीबी अपग्रेड एक बड़ी उपलब्धि है, जो भारत की आर्थिक मजबूती, वित्तीय समझदारी और सुधारों को दर्शाती है लेकिन ये वैश्विक आर्थिक संस्थानों के लिए सबक व सुझाव भी है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की असली ताकत को यूरोप-केंद्रित मानकों से न मापा जाए। रेटिंग एजेंसियों को अपने तरीकों में सुधार लाना होगा और वहीं भारत के लिए भी राह स्पष्ट है। सुधारों को जारी रखें। आर्थिक स्थिरता बनाए रखें व क्रेडिट रेटिंग की सीढ़ी चढ़ें।

अमेजन नदी : तीन देश ही नहीं, शिक्षा को भी जोड़ती

पेरू के सांता रोजा द्वीप पर स्कूल के बाद विद्यार्थी नाव में सवार होकर घर लौटते हैं। अमेजन नदी का यह इलाका अद्भुत है, जहां पेरू, कोलंबिया और ब्राजील तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। नाव में बैठा हर बच्चा अपने भविष्य की ओर बढ़ते सपनों का प्रतीक है- भले ही वे तीन अलग-अलग देशों की नागरिकता रखते हों। अमेजन यहां सिर्फ पानी की नहीं, संस्कृति, शिक्षा और साझा जीवन की धारा भी है।

बुक इनसाइट

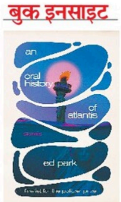

एन ओरल हिस्ट्री ऑफ एटलांटिस

एन ओरल हिस्ट्री ऑफ एटलांटिस एक अनोखी किताब है, जिसे लेखक एड पार्क ने लिखा है। यह पुलित्जर पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट भी रही है। यह किताब कहानियों का संग्रह है, जो काल्पनिक द्वीप एटलांटिस की दुनिया को जीवंत करती है। लेखक ने इसमें मौखिक इतिहास की शैली का इस्तेमाल किया है, जिससे लगता है कि कोई बुजुर्ग हमें पुरानी बातें सुना रहा हो। कहानियां रोचक और रहस्यमयी हैं जो एटलांटिस की संस्कृति, लोगों और उनकी जिंदगी को दिखाती हैं। हर कहानी में अलग-अलग किरदार हैं, जो अपने अनुभव साझा करते हैं। यह किताब सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि पाठकों को सोचने पर मजबूर भी करती है। एड पार्क की भाषा सरल और आकर्षक है।

इस किताब में पार्क ने स्मृतियों, मिथकों और आधुनिक जीवन के बीच ऐसा ताना-बाना बुना है, जो कभी हास्यपूर्ण लगता है तो कभी गहरी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है। भाषा बेहद सहज और बहती हुई है, जिससे पाठक कहानियों की दुनिया में आसानी से उतर जाते हैं। कई कहानियां ऐसे लगती हैं मानो किसी सामूहिक स्मृति का हिस्सा हों।

प्रसंगवश

'जियो टैगिंग' उम्मीद जगाती है, पर पौधों की सामाजिक सुरक्षा जरूरी

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

हरियाली के लिए सिर्फ पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं, मॉनिटरिंग में सख्ती लानी होगी

प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आम लोग और सामाजिक संगठनों के साथ-साथ राज्य सरकार भी इसके लिए चिंतित है। प्रदेश सरकार ने 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत इस साल 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का दावा किया है। निस्संदेह, यह संख्या उम्मीद जगाती है। हर कोई चाहता है कि राजस्थान हरितिमा की चादर से ढके, पर्यावरण संतुलित हो और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा मिले। पर हमारे पुराने अनुभव बताते हैं कि अधिकतर सरकारी अभियान आंकड़ों तक ही सीमित रह जाते हैं। इस बार पौधे लगाने की इस महती योजना से सरकार ने कई विभागों को जोड़ा है, सभी पौधों की जियो टैगिंग कराने की बात की जा रही है। यह कदम भी प्रशंसनीय है। पर इस सबके बावजूद भी सबसे बड़ी कमी है पौधों के बड़े होने तक देखभाल और उनकी मॉनिटरिंग। पौधे लगा देना आसान है, परंतु उन्हें सुरक्षित रखकर बड़ा करना असली चुनौती है। पानी, खाद, छाया और समय-समय पर देख-रेख का कोई ठोस सिस्टम नजर नहीं आता। इतनी बड़ी संख्या में लगाए पौधों में प्रजाति चयन करना और उन्हें उचित दूरी पर नहीं लगाना और स्थानीय जलवायु के अनुकूल पेड़ न चुनना भी बड़ी संख्या में पौधों के नहीं पनपने का एक कारण रहता है। मवेशियों से बचाव के लिए ट्री-गार्ड या बाड़बंदी का अभाव पौधरोपण को और असुरक्षित बनाता है।

इतनी बड़ी संख्या में कितने पौधे कागजी हो सकते हैं, विभाग के मंत्री भी इस चिंता को बखूबी जानते हैं। उन्होंने पहली बार कागजी पौधरोपण से बचने के लिए त्रि-स्तरीय मूल्यांकन पद्धति अपनाने को कहा है। तीन तरह की जांच एजेंसियां किसी भी क्षेत्र में जाकर पौधों का भौतिक सत्यापन कर जीवित रहने की दर की जांच करेंगी। ये एजेंसियां 300 से ज्यादा साइट पर मूल्यांकन करेंगी। उम्मीद करें कि सरकारी और थर्ड पार्टी एजेंसी की जांच में ये सभी खरे उतरें। पर सबसे अहम है सामाजिक जिम्मेदारी। जब तक गांव, मोहल्ला, स्कूल और संस्थान मिलकर पौधों को 'अपनाते' नहीं, तब तक प्रयास स्थायी नहीं हो सकते। हरियाली का सपना तभी साकार होगा, जब संख्या की दौड़ से आगे बढ़कर दीर्घकालिक देखभाल और जवाबदेही तय की जाए। - राजीव जैन

rajiv.jain@in.patrika.com

आपकी बात

सतर्कता रखना बेहद जरूरी

चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सबसे जरूरी है सतर्क रहना। जब भी बाहर निकलें खासकर सुनसान या कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में तो गहनों को दिखावटी तरीके से पहनने से बचना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमेशा सतर्क रहें और आसपास के माहौल पर नजर रखें। दुपहिया वाहन चलाते समय भी महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। - **पवन बैरवा**, भीलवाड़ा

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/IFV6N

आज का सवाल

भारत-चीन के बीच सीमा विवाद और व्यापार संबंधों को लेकर चल रही वार्ता को आप किस नजरिए से देखते हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

82 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने उम्र की चुनौतियों पर लिखा ब्लॉग : साधारण काम जो सहज थे, अब निश्चित दिनचर्या से बंध गए

जब गिरे कागज को उठाने के लिए झुकना भी संघर्ष लगे

जब रविवार को शाम 5:30 बजे 'गेट्स ऑफ जलसा' का समय आता है और मेरे ऑफिस व सिक्योरिटी कॉल करके सूचित करते हैं कि नीचे आने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं सोच में पड़ जाता हूं और आशंका से कांप उठता हूं कि वहां कोई होगा भी या नहीं... जैसे ही मैं उनका सामना करने के लिए सीढ़ियां चढ़ता हूं तो एक आश्वासन मेरे शरीर को जकड़ लेता है और सबकी जयकार से हिम्मत बंधती है और फिर प्यार व प्रशंसा हावी हो जाते हैं।

हालांकि नियमित रूप से आने वाले लोग, सड़क पार छतों पर खड़े लोग, समर्पित ईएफ (एक्सटेंडेड फैमिली) जिनकी कमी कभी-कभी खलती है...

सोचता हूं क्यों और क्या वजह रही कि वे नहीं आए। क्या मैं बहुत सामान्य और अनचाहा हो गया हूं, क्या वे ऊब गए हैं इस 5-10 मिनट की झलक से, जिसके लिए लोग दोपहर से ही अच्छी जगह लेने जमा हो जाते हैं।

क्यों और क्या...

मेरे पास कोई जवाब नहीं .. बस इतना कि बदले में कुछ कर सकूं और उस छोटे समय में शुभचिंतकों के प्रयास को स्वीकार कर सकूं।

आज देर तक जाग रहा हूं क्योंकि कल अवकाश है। कुछ महत्त्वपूर्ण रिकॉर्डिंग करनी हैं दोस्तों के खास मौकों के लिए। अन्यथा तो जल्दी भोजन और सोने की कोशिश होती है ताकि रूटीन बदलकर फर्क महसूस किया जा सके। जल्दी सोना और जल्दी उठना सिर्फ एक कहावत नहीं, यह कारगर होता है।

बहादुरी कहती है आगे बढ़ो लेकिन फिर अहसास होता है, हे भगवान, यह तो बड़ी समस्या है। इसे करने की गति अनिश्चितता के साथ धीमी हो चुकी है। इसे पढ़ने वालों को मेरी कही हर बात पर हल्की सी मुस्कुराहट और एक छिपी हुई हंसी आएगी।

बस अब दिनचर्या दवाओं और जरूरी कार्यों से घिरी रहती है। प्राणायाम-हल्का योग सही ढंग से करो। जिम में जाकर मूवमेंट करो ताकि चलने-बोलने का संतुलन सही रहे। शरीर धीरे-धीरे संतुलन खोने लगता है और इसे सुधारने के लिए काम करना जरूरी हो जाता है।

कुछ दिनचर्याएं जो पहले थीं, लगता है कि उन्हें फिर से शुरू करना आसान होगा, चूंकि वे कुछ साल पहले की गई थीं।

नहीं... बिल्कुल नहीं...

सिर्फ एक दिन की अनुपस्थिति और दर्द तथा मूवमेंट बहुत लंबी सैर पर चला जाता है...

यह आश्चर्य है कि पहले के सामान्य काम अब करने से पहले दिमाग को सोचना पड़ता है। साधारण काम जैसे पैंट पहनना। डॉक्टर सलाह देते हैं कि कृपया बच्चन साहब, बैठकर पहना करें, खड़े होकर मत पहनिए, आप संतुलन खो सकते हैं और गिर सकते हैं।

भीतर से मैं अविश्वास में मुस्कुरा देता हूं। जब तक यह न समझूं कि वे बिल्कुल सही थे, जो साधारण काम पहले सहज थे, अब वे भी एक निश्चित दिनचर्या से बंध गए हैं।

हैंडल बार्स...

ओह बॉय !!!!

आपको हर जगह उनकी जरूरत पड़ती है ताकि किसी भी शारीरिक क्रिया से पहले शरीर को थाम सकें और स्थिर रख सकें। सबसे साधारण बात- डेस्क से उड़कर गिरे कागज को उठाने के लिए झुकना भी अब बड़ी समस्या बन जाता है।

सच में...

बहादुरी कहती हैं आगे बढ़ो लेकिन फिर अहसास होता है, हे भगवान, यह तो बड़ी समस्या है। इसे करने की गति अनिश्चितता के साथ धीमी हो चुकी है।

इसे पढ़ने वालों को मेरी कही हर बात पर हल्की सी मुस्कुराहट और एक छिपी हुई हंसी आएगी...

लेकिन...

प्रियजनों, आपमें से किसी को भी यह न झेलना पड़े, यही मेरी कामना है... लेकिन सच कहूं- यह होगा, हम सबके साथ होगा।

काश ऐसा न हो लेकिन समय के साथ यह होगा।

हम सब उस दिन से नीचे की ओर बढ़ते हैं, जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं। गिरावट जन्म से ही शुरू हो जाती है।

दुखद... लेकिन यही जीवन और जीने की सच्चाई है। जवानी जीवन की चुनौतियों को आसानी से पार कर जाती है।

उम्र, अचानक आपकी गाड़ी के सामने स्पीड ब्रेकर लगा देती है और कहती है, ब्रेक लगाओ ताकि जीवन की गाड़ी चलाते समय तेज़ झटका न लगे।

ओह माय डियर! मैं बहुत अधिक दार्शनिक हो गया, लेकिन दर्शन ही वह गहन विषय है, जो अंततः हावी हो जाता है।

हो सकता है कि आपमें थोड़ी देर के लिए इससे लड़ने का साहस हो... लेकिन अंततः, दुख की बात है, हम सब हार जाएंगे। एक ऐसा नुकसान जो खोने लायक है।

आपकी उपस्थिति और आपका काम पूरा हुआ और सराहा गया। अब अलग हो जाओ और तैयारी करो।

प्रेरणा

सही मायनों में साहसी व्यक्ति कभी भी बुरा कार्य नहीं करता। – विष्णु प्रभाकर

संपादकीय

सरकार के नए विधेयक से विपक्ष नाराज क्यों?

संसद में सरकार ने एक नया बिल पेश किया है, जिसका आशय यह है कि पीएम, सीएम सहित केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री अगर किसी ऐसी दफा में- जिसमें 5 साल तक सजा का प्रावधान है- 30 दिन तक निरुद्ध रहा तो 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा। बिल में यह भी प्रावधान है अगर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी तो उसे पुनः पदासीन किया जा सकेगा। सरकार मानती है कि ऐसे कृत्य का आरोपी मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक नैतिकता के मानदंडों को प्रभावित कर सकता है। विगत 29 जुलाई को वित्त राज्यमंत्री ने संसद को बताया कि पिछले 10.5 सालों में ईडी द्वारा दायर मामलों में केवल आठ में सजा हुई (0.13%)। केजरीवाल महीनों जेल में रहने के बाद कोर्ट से रिहा हुए लेकिन वर्षों बाद भी ईडी का केस किसी अंतिम परिणति पर नहीं पहुंचा। मार्च में संसद में सरकार ने बताया था कि वह आरोपियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता का रिकॉर्ड नहीं रखती, लेकिन कहा कि 193 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों में केवल दो में ही सजा हुई है। ये सभी गैर-भाजपा दलों के थे। नए बिल को लेकर जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहा है, वहीं किसी आरोपी को महज आरोप के आधार पर पदमुक्त करना अपराधशास्त्र के मूल सिद्धांत- अपराध सिद्ध न होने तक निर्दोष मानना- के खिलाफ है। जमानत मिलने पर दोबारा पदासीन होना गवर्नेंस में निरंतरता की अवधारणा की अनदेखी भी है। पहले तो नेता नैतिक आधार पर इस्तीफा देते थे, लेकिन बाद में इस आचरण-धर्म की अनदेखी होने लगी।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

कहीं संस्कारों को भी पैसे से न खरीदने लग जाएं लोग

जहां कहीं भी रुपया-पैसा आता है, अच्छे से अच्छे इंसान की भी नीयत ऊपर-नीचे होने लगती है। सब एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अमीर-गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। अगर आप स्वयं से यह सवाल पूछें कि बाजार हावी है या संस्कार, तो बड़ा सरल जवाब है- बाजार ने संस्कारों पर काबू पा लिया है। अब तो संस्कारों का रास्ता भी बाजार से होकर ही जाता है। मशीन और कस्टमर- इन दोनों के माध्यम से अमीर, और अमीर होते गए। सामान्य आदमी तो शंका-कुशंका में ही डूबा रहता है। आप देख सकते हैं- घर से सामान का वजन करिए, एयरलाइंस के काउंटर पर वो वजन बदल जाता है। पेट्रोल पम्प की रीडिंग गड़बड़ है। व्यापारी के तराजू का तो कहना ही क्या। बिजली का बिल भटका-भटका-सा है। सब एक-दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अगर इसी तरह से पैसे कमाने की इच्छा बलवती होती गई तो लोग संस्कारों को भी पैसे से खरीदने लगेंगे। कुसंस्कार तो धन से अर्जित कर ही रहे हैं लोग। इसलिए मशीन को हम पर हावी ना होने दें और हमारा ग्राहक के रूप में दुरुपयोग न होने दें। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

ठोस सुधारों से रुकें गर्भपात

गर्भपात के बढ़ते आंकड़ों की भयावहता बताती है कि कानूनी प्रावधान काफी नहीं। ठोस सुधार जरूरी हैं। गर्भनिरोधकों तक सहज पहुंच, परिवार नियोजन सेवाओं का विस्तार और यौन शिक्षा आवश्यक है। हर स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल में निःशुल्क और सुरक्षित गर्भपात सुविधा हो। सरकारी योजनाओं में इसे शामिल किया जाना चाहिए। निजी क्लीनिकों पर निगरानी और बिना प्रिस्क्रिप्शन गर्भपात दवाओं की बिक्री पर रोक जरूरी है। – मोहम्मद जुबैर, दिल्ली

रूढ़ियों में टिक पाएगा कोर्ट का फैसला?

छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला धइया के 32 वर्ष चले सम्पत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आया। धइया के पिता ने अपनी जमीन पांच बेटों में बांटी, उसे कुछ नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि लैंगिक भेदभाव संविधान का उल्लंघन है। यह महज कानूनी जीत नहीं, बल्कि 10.42 करोड़ आदिवासियों के लिए सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। मगर, क्या यह रूढ़ियों के तूफान में डट पाएगा?
– प्रो. आरके जैन, बड़वानी, मध्यप्रदेश

बैलेट से चुनाव पर विचार हो

दुनिया में गिने-चुने देश ही चुनाव में ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने भी हैकिंग के जोखिम के चलते इन्हें बंद करने की सलाह दी थी। लेकिन देश में इस पर बहस को दबा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की बुआना लाखू पंचायत के सरपंच चुनाव की ईवीएम अपने परिसर में मंगा कर पुनर्गणना करवाई तो नतीजे पलट गए। अब सरकार को बैलट पेपर से ही चुनाव पर विचार करना चाहिए।
– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर, झारखंड

एसआईआर पर विपक्ष को क्या आपत्ति?

बिहार में यदि एसआईआर के लिए बहुत कम समय दिया गया होता तो विपक्ष का विरोध तर्कसंगत होता। जब चुनाव आयोग ने कहा है कि एक भी योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? विपक्ष को इस कार्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। हटाए गए नामों की कारण सहित सूची अपलोड करने के निर्णय से भी सभी राजनीतिक दलों को सहमत होना चाहिए। ताकि जनता कारण जान सके।
– अवध किशोर कुमार, भागलपुर, बिहार

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

गूगल सर्च इंजन का सबसे पहला नाम था 'बैकरब'

दुनिया भर में प्रख्यात सर्च इंजन गूगल का नाम शुरुआत में यह नहीं था। गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज और सर्गेइ ब्रिन ने 1996 में सबसे पहले इसे 'बैकरब' नाम दिया था। एक साल बाद इसका नाम बदल कर गूगल रखा गया। गूगल शब्द की प्रेरणा 'गूगोल' से ली गई थी। इसका मतलब है 1 के आगे 100 शून्य लगाने पर आने वाली गणितीय संख्या। ऐसे में शब्द 'गूगल' डेटा की व्यापकता के संदर्भ को भी प्रदर्शित करता था।

1997 में 15 सितंबर को गूगल के डोमेन नाम को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया गया था।

विश्लेषण • परिणाम घोषित होने के बाद सामने आने वाले अंतिम आंकड़े दोनों पक्षों की ताकत बताएंगे

अब तक का सबसे रोचक उपराष्ट्रपति चुनाव

सियासत

आरती जेरथ
राजनीतिक टिप्पणीकार
aratijerath@gmail.com

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए इससे पहले शायद ही कभी लोगों में इतनी दिलचस्पी पैदा हुई होगी, जितनी कि आगामी चुनाव को लेकर होने जा रही है।

जगदीप धनखड़ के यह पद छोड़ने के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूरी हो गया है। चर्चाओं के दायरे में धनखड़ के तीन साल के तूफानी कार्यकाल के साथ-साथ इस चुनाव की टाइमिंग और उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि भी है। हालांकि संसद के दोनों सदनों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पर्याप्त संख्या-बल को देखते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पहले से तय हैं, फिर भी इस चुनाव का इस्तेमाल सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया ब्लॉक द्वारा कई राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश राजनीतिक एकता के प्रदर्शन का है। जहां विपक्ष ने इस मुकाबले को एक वैचारिक लड़ाई बताया है, वहीं यह इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले अपने-अपने गुटों को एकजुट रखने के बारे में भी है।

परिणाम घोषित होने के बाद सामने आने वाले अंतिम आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उससे न केवल दोनों पक्षों के सांसदों की संख्या का आकलन होगा, बल्कि यह भी पता चलेगा कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो कितनी। और यहीं पर दोनों उम्मीदवारों की क्षेत्रीय पहचान मायने रखती है।

एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। उनके नाम की घोषणा के बाद भाजपा ने द्रमुक से तमिल गौरव के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए कहा। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी हैं, जो हैदराबाद से हैं और तेलुगुभाषी हैं। उनका नामांकन इंडिया ब्लॉक द्वारा एनडीए के तमिल फैक्टर का जवाब है और इसका स्पष्ट उद्देश्य क्षेत्रीय भावनाओं को उभारकर टीडीपी के कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करना है।

अभी तक तो दोनों ही गठजोड़ मजबूत बने हुए हैं और दोनों का कोई सांसद टूटता नहीं दिख रहा है। चुनावों से पहले एकता का यह प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसके बावजूद, आगामी चुनावों को इस विवाद के साये से बचाना कठिन होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति हमेशा विवादों में रहे थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में यह भले ही उनके लिए फायदेमंद रहा- जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके लगातार टकरावों ने उन्हें भाजपा का अधिक समर्थन दिलाया- वहीं यह रवैया उपराष्ट्रपति के रूप में उनके लिए एक बाधा साबित हुआ। धनखड़ के पास राज्यसभा के सभापति के रूप में एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण दायित्व था। लेकिन उनके कार्यकाल के तीन वर्षों में हंगामा, कोलाहल और सबसे ज्यादा निलंबन हुए, क्योंकि वे नियमित रूप से विपक्ष से संघर्षरत रहे थे।

अब भाजपा ने राधाकृष्णन के रूप में धनखड़ से बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व को चुना है। यह बात गौर करने लायक है कि राधाकृष्णन की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके 'राजनीतिक खेल न खेलने' के गुण की सराहना की। इस टिप्पणी को धनखड़ पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है और ये यह दर्शाता है कि राधाकृष्णन के व्यक्तित्व में निहित संयम और अनुशासन के गुणों ने उनके इस पद के लिए नामांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होने के नाते रेड्डी एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति हैं और अपने प्रगतिशील, उदारवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं। यद्यपि वे उच्च जाति से हैं- जो कि इंडिया ब्लॉक और विशेषकर राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के दावों के विपरीत प्रतीत होता है। लेकिन यहां यह याद रखा जाना चाहिए कि यह सामाजिक न्याय के मुद्दों के प्रति रेड्डी की प्रतिबद्धता ही थी, जिसके चलते तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने उन्हें अपनी जाति जनगणना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था।

पूर्व उपराष्ट्रपति से बहुत भिन्न समझे जाते हैं राधाकृष्णन...

भाजपा ने राधाकृष्णन के रूप में धनखड़ से बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व को चुना है। राधाकृष्णन की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके 'राजनीतिक खेल न खेलने' के गुण की सराहना की। इस टिप्पणी को धनखड़ पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

लेकिन इन सबके अलावा, राधाकृष्णन को नामांकित करके भाजपा ने संघ को एक स्पष्ट संकेत भी दिया है और देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर संघ की मजबूत पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनकर उससे अपने बिगड़ते रिश्तों को सुधारने की कोशिश की है। राधाकृष्णन का नामांकन प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में संघ की प्रशंसा करने के तुरंत बाद हुआ। माना जा रहा है कि उनका नामांकन भाजपा द्वारा संघ के समक्ष एक शांति प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तरह है, ताकि अगले भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति का पेचीदा मुद्दा जल्द ही सुलझाया जा सके।

ध्यान रहे कि राधाकृष्णन 16 वर्ष की उम्र से ही संघ से जुड़े हैं और उसके समर्पित, निष्ठावान स्वयंसेवक रहे हैं। उन्हें वाजपेयी की तरह उदारवादी माना जाता है। वे वाजपेयी-आडवाणी युग में भी राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और 1980 में भाजपा के गठन के बाद उन्होंने वाजपेयी के राजनीतिक सहयोगी के रूप में कार्य किया था। तमिलनाडु के राजनीतिक हलकों में उन्हें भाजपा का तमिल वाजपेयी भी कहा जाता है।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राधाकृष्णन ने द्रमुक और अन्नाद्रमुक के साथ भाजपा के गठबंधन को मैनेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें आम सहमति बनाने वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा मिली। उनका यह कौशल राज्यसभा के प्रबंधन में भी मददगार साबित होगा। उनके नामांकन का एक और कारण तमिलनाडु की राजनीति से उनका लंबा जुड़ाव और अन्नाद्रमुक के साथ उनका तालमेल भी था।

स्मरण रहे कि भाजपा दक्षिण के इस महत्वपूर्ण राज्य में बड़ी सफलता पाने के लिए कमर कसे हुए है और उसने अगले साल वहां होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन किया है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • सबसे रिश्ते रखें लेकिन दबें किसी से नहीं

हमें अपने गुटनिरपेक्ष अतीत से आज कुछ सीखना होगा

देशकाल

कौशिक बसु
विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट

भारत से आयातित लगभग सभी चीजों पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रम्प के ऐलान के बाद से ही भारत-अमेरिका के आर्थिक संबंधों में उथल-पुथल है। इस घोषणा से भारत, ब्राजील (50%), सीरिया (41%), लाओस (40%) और म्यांमार (40%) के साथ ही सर्वाधिक टैरिफ थोपे जाने वाले पांच देशों में शामिल हो गया है। ट्रम्प से भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बंधों के चलते उनका यह ऐलान हमारे नीति-निर्माताओं के लिए चौंकाने वाला रहा। असमंजस तब और बढ़ गया, जब ये कहा गया कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत को दंडित किया जा रहा है। जबकि रूस से तेल के सबसे बड़े खरीदार चीन को तो ऐसी सजा नहीं दी गई।

विडम्बना यह है कि भारत ने ट्रम्प की नीतियों का कभी विरोध नहीं किया था, सम्भवत: इसके चलते वे भारत को हल्के में लेने लगे हैं। यह चेखव की कहानी 'द निनी' की याद दिलाती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने बच्चों की गवर्नेस (घर में पढ़ाने वाली शिक्षिका) का एक माह का वेतन मनमाने तरीके से रोक लेता है और जब गवर्नेस बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लेती है तो वह इसे उसकी कमजोरी समझ लेता है। अर्थशास्त्री एरियल रूबिन्स्टीन ने बाद में इस कहानी के आधार पर यह इकोनॉमिक-मॉडल विकसित किया था कि विनम्रता कैसे शोषण को न्योता देती है?

ट्रम्प के प्रति भारत का अति-आज्ञाकारी रवैया एक लंबे समय से मजबूत और स्वतंत्र देश की उसकी भूमिका से विचलन को दर्शाता है। जबकि एक समय भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह-संस्थापक के तौर पर रणनीतिक स्वायत्तता का प्रबल समर्थक हुआ करता था। वह सभी देशों से संतुलित रिश्ते रखता था, लेकिन किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करता था- चाहे वह अमेरिका हो या सोवियत संघ। समय आ गया है कि भारत फिर से उसी विरासत का लाभ उठाए और मैक्सिको, कनाडा, चीन जैसे देशों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक सम्बंध बनाए। साथ ही वह टैरिफ से चिंतित अन्य सरकारों- खासतौर से यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों से व्यापार और सहयोग मजबूत करे।

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि अमेरिका के लिए भारत उसके सबसे बड़े साझेदारों में से दसवें नंबर पर है- मैक्सिको, कनाडा, चीन और जर्मनी से भी पीछे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी हमसे कहीं अधिक बड़ी है, इसलिए वह बड़े झटके झेल सकती है। ऐसे में साहस का मतलब यह नहीं कि अमेरिका को बराबरी से जवाब दिया जाए। ये जरूर सच है कि भारत जैसे अपने दीर्घकालीन व्यापारिक सहयोगी पर भारी टैरिफ लगाकर अमेरिका बड़ी गलती कर रहा है। वो खुद को अलग-थलग कर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा रहा है।

निःसंदेह टैरिफ आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण हैं। 'इन्फैंट इंडस्ट्री तर्क' इसका जाना-माना उदाहरण है, जो कहता है कि किसी आशान्वित क्षेत्र के आरम्भिक काल में अस्थायी टैरिफ लगाना निवेशकों में भरोसा जगाता है। इससे संबंधित सेक्टर को फलने-फूलने और प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर मिलता है। लेकिन उद्योग के अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद टैरिफ कम कर देने चाहिए, ताकि खुली प्रतियोगिता का अनुशासन उन्हें और बेहतर होने में मदद कर सके।

एक समय भारत सभी देशों से संतुलित रिश्ते रखता था, लेकिन किसी की भी अधीनता को स्वीकार नहीं करता था- चाहे वह अमेरिका हो या सोवियत संघ। समय आ गया है कि भारत फिर से अपनी उसी विरासत का लाभ उठाए।

1977 में, एक राजनीतिक विवाद के कारण भारत सरकार ने आईबीएम को निष्कासित कर दिया था। इससे भारत को खुद के मिनी और माइक्रो-कंप्यूटर विकसित करने की प्रेरणा मिली। विभिन्न व्यापारिक प्रतिबंधों के संरक्षण में घरेलू कंप्यूटिंग क्षेत्र तेजी से बढ़ा। 1991-93 के आर्थिक सुधारों के दौर में भारतीय बाजार अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खुल गए। देश का आईटी सेक्टर फला-फूला। इन्फोसिस, विप्रो एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी भारतीय कंपनियों को वैश्विक तौर पर अग्रणी बनने का अवसर मिला। भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास किया।

(© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

नजरिया • जातियों का राजनीतिकरण जारी रहेगा

चुनावी राजनीति की जरूरतें भर पूरी करेगी जाति गणना

जातिगत

अभय कुमार दुबे
लेखक सीएसडीएस और अम्बेडकर विवि दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके हैं

सरकार और हम सबको पहले ही पता है कि देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की आबादी आरक्षण की 50% सीमा से कहीं अधिक है। हर तीन-चार साल बाद होने वाले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े इसका सबूत हैं। कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण की कवायद से जानकारी मिली थी कि इस प्रदेश में दलित-आदिवासी 27.8, ओबीसी 56.7 और सामान्य श्रेणी 16% हैं। लेकिन फैमिली हेल्थ सर्वे पहले ही बता चुका था कि राज्य के वासियों में से 27.8% स्वयं को दलित या आदिवासी बताते हैं, 54.1% ओबीसी और 17.4% खुद को सामान्य श्रेणी के साथ जोड़ते हैं।

फैमिली हेल्थ सर्वे घरों में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शराब और तम्बाकू के सेवन संबंधी जानकारी भी मुहैया कराता है। अगर इस नियमित होने वाले सर्वे के साथ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के नियमित आंकड़े और जोड़ लें तो सरकार पहले ही इनका इस्तेमाल नीतियां और योजनाएं बनाने के लिए कर रही है। स्पष्ट है कि प्रस्तावित जातिगत जनगणना ज्यादा से ज्यादा चुनावी राजनीति की जरूरतें पूरी कर सकती है।

भाजपा के नजरिए से देखें तो समझा जा रहा है कि जब जनगणना के जरिए देश में 1300 जातियों के रूप में पूरी आबादी का संख्यात्मक नक्शा बन जाएगा, तो वे बड़ी जातिगत पहचानें अपनी जगह से हिल जाएंगी, जो आजादी के बाद चुनावी राजनीति के हाथों तैयार हुई हैं। यानी जैसे ही छोटी-बड़ी जातियों को अपनी-अपनी संख्याएं पता चलेंगी, वे सत्ता-शिक्षा-नौकरी से संबंधित लाभों के लिए आपस में संख्या-आधारित प्रतियोगिता करने लगेंगी। भाजपा को उम्मीद है कि इस चक्कर में दक्षिण की द्रविड़ पहचान में दरार पड़ सकती है। शक्तिशाली यादव समुदाय द्वारा ओबीसी एकता की दावेदारियां भी सांसत में आएंगी। जाटव समुदाय द्वारा अपने नेतृत्व में दलित एकता करने के प्रयास कुंठित हो जाएंगे। भाजपा को शायद यह भी लग रहा है जब मुसलमानों में अजलाफ (ओबीसी) और अरजाल (दलित) जातियां गिन ली जाएंगी तो उंगलियों पर गिनने लायक भाजपा विरोधी अशराफ (ऊंची जातियां) नेतृत्व को बेअसर किया जा सकेगा। इस तरह पसमांदा मुसलमानों को भाजपा की तरफ खींचे जाने की संभावना खुल जाएगी।

विपक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो जातिगत जनगणना से साबित हो जाएगा कि संख्या में मुट्ठी-भर होने के बावजूद ऊंची जातियां सत्ता और उत्पादन के बड़े हिस्से का उपभोग कर रही हैं। उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में ऊंची जातियों के मतदाता भाजपा के निष्ठावान वोटर बन चुके हैं, इसलिए जातिगत जनगणना ओबीसी और दलित मतों के सामने एक नया सामाजिक-आर्थिक यथार्थ पेश करेगी। विपक्ष मुसलमानों में पसमांदा और गैर-पसमांदा के विभाजन से चिंतित नहीं है। वह मानता है कि इस्लाम आधारित मजहबी एकता इस फांक से निबट लेगी। यानी विपक्ष को लगता है कि पिछड़े-दलितों और मुसलमानों की एकता को जातिगत जनगणना और मजबूत करेगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

जातिगत जनगणना न तो जातियों को तोड़ेगी, न उनके प्रभाव का क्षय करेगी। वे तो पहले ही राजनीति में जमकर भागीदारी कर रही हैं। जनगणना ज्यादा से ज्यादा जातियों के आधुनिक संस्करण को ही प्रभावित कर सकती है।

इन राजनीतिक प्रत्याशाओं पर गौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि जातिगत जनगणना से जाति के जिस रूप के कमजोर होने की उम्मीद की जा रही है, वह पुराने ढंग की कर्मकांडीय पेशा-आधारित जाति नहीं है। जातियों की जिस भूमिका और संरचना में यह जनगणना उथलपुथल मचाएगी, वह तो अपने किरदार में आधुनिक और राजनीतिक है। इस बात को शायद सबसे स्पष्ट रूप से कांशीराम समझते थे। इसीलिए आम्बेडकरवादी होते हुए भी वे जाति को कमजोर करने या नष्ट करने के चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने तर्क दिया कि जाति जितनी मजबूत होगी, उनकी राजनीति उतनी ही परवान चढ़ेगी। साठ के दशक के आखिर में की गई प्रो. रजनी कोठारी की यह बात अब रंग ला चुकी है कि जातियां आधुनिक राजनीति में भागीदारी करने के दौरान बदल जाती हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • क्या बुजुर्गों के साथ परिवार में रहना इतना मुश्किल है? क्या वे परिवार की जड़ नहीं हैं?

बाजार और उत्पादों के इस दौर में हमारे माता-पिता कहां खड़े हैं?

जीवन-संध्या

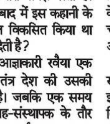

नंदितेश निलय
वक्ता, एथिक्स प्रशिक्षक एवं लेखक
nanditeshnilay@gmail.com

हाल ही में नोएडा के एक वृद्धाश्रम में वृद्धों की दयनीय स्थिति की खबरें बेहद परेशान और विचलित करने वाली रहीं। वृद्धाश्रम में पुलिस को बहुत सारे वृद्ध दम्पती बेहद दयनीय हालत में मिले। टीम-बिल्डिंग और इनक्लूसिवनेस की रट लगाती दुनिया में वृद्ध दम्पतियों को वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर देखना वाकई दुखद है। परिवारों में जड़ें फैला चुकी यह बीमारी एक गहरा भावनात्मक शून्य पैदा कर रही है। यह एक महामारी जैसा सामाजिक व्यवहार बनता जा रहा है, जहां युवाओं को महत्व देने वाली दुनिया में वृद्धों को उपयोगिता का वह स्पेस नहीं मिल रहा; जिस पर समाज अपने जुड़ाव को बुनता है।

भगवान राम और श्रवण कुमार की दुहाई देने वाले देश में कोई भी पुत्र-पुत्री अपने माता-पिता के प्रति इतना कृतघ्न और उदासीन कैसे हो सकते हैं? एक तरफ हम प्रकृति या धरती माता के प्रति सहानुभूति और देखभाल को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही माता-पिता के प्रति भावनात्मक रूप से उदासीन होते जा रहे हैं। क्या यह एक खतरनाक संकेत नहीं है? जाति, धर्म, लिंग, जाति के विभेदों के बाद वृद्ध बनाम युवा का यह पूर्वग्रह भारत जैसे लोकतंत्र के लिए हतोत्साहित करने वाला प्रतीत हो रहा है।

और हां, सम्प्रेषण की जटिलता, नौकरी-पेशे की जवाबदेही, सिकुड़ते शहरों और गांव में रहने की जिद इस सत्य को झुठला नहीं सकते कि युवा तनिक ज्यादा संवेदनशील और कृतज्ञ होता, तो वस्तुस्थिति कुछ और होती। हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारत युवाओं का देश है और भारत की 50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। यदि हम 2020 तक के आंकड़ों को देखें, तो पाएंगे कि एक भारतीय की औसत जीवन-प्रत्याशा 29 वर्ष है, जबकि चीन की 37 और जापान की 48 वर्ष है। यह भी अनुमान किया गया है कि 2030 तक भारत का निर्भरता-अनुपात 0.4 से थोड़ा अधिक होगा। लेकिन युवा होने की सार्थकता क्या है?

यह प्रश्न इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि हमारे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन क्यों? क्या माता-पिता के साथ परिवार में रहना वाकई इतना मुश्किल है? क्या वे परिवार की जड़ नहीं हैं? फिर स्वामी विवेकानंद का वह स्वप्न हमें कहां से मिलेगा, जब पूरा संसार विश्व-बंधुत्व की भावना से निर्मित होता दिखाई देगा? ऐसे समय में जब उत्पाद की पहचान दिन-प्रतिदिन मानवीय पहचान को कम करती जा रही है और ग्राहक को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, माता-पिता कहां खड़े हैं?

वैश्विक स्तर पर देखें तो पाएंगे कि 2050 तक दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति 65 से अधिक आयु का होगा। इसका मतलब है कि 2050 तक यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रहने वाला हर 4 में से एक व्यक्ति 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो सकता है। इस अनुमान के अनुसार, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2019 में 143 मिलियन से बढ़कर 2050 में 426 मिलियन हो सकती है। ये मानवीय संख्याएं हैं और मनुष्यों को देखभाल और करुणा की आवश्यकता होती है।

आखिरकार, हम किस तरह के देश का निर्माण करना चाह रहे हैं? ऐसी स्थिति में, क्या विकसित भारत का सपना अधूरा नहीं लगता? क्या हम कहीं न कहीं एक असंवेदनशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं? आज जब हम टेक्नोलॉजी की तेज-तर्रार दुनिया पर युवाओं की बढ़ती निर्भरता और खासकर डेटा व 5जी के प्रति बढ़ते आकर्षण को देख रहे हैं, ऐसे में उद्योगपति मुकेश अम्बानी ने भारतीय युवाओं को एक खास सीख दी है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में युवाओं के लिए 4जी या 5जी से ज्यादा खास उनके माता-पिता होने चाहिए।

आज के युवा अपने खेल सितारों से भी प्रेरणा ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने पिता की उस सलाह को हमेशा याद रखा, जिसमें उन्हें एक अच्छा इंसान बने रहने की हिदायत दी गई थी। हम रोजर फेडरर की उस छवि को कैसे भूल सकते हैं कि जब वो मैदान पर होते थे, तब भी उनकी पत्नी, बच्चे, माता-पिता, कोच सभी एक साथ बैठकर बॉक्स से चीयर करते नजर आते थे। वृद्धाश्रम ले जाने के बजाय यह बेहतर होगा कि हम अपने माता-पिता के साथ रहना सीखें और खंडित होती भावनाओं को ठीक करें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

21 hindi nd-06_page 02.qxd 8/20/2025 7:02 PM Page 1

बारिश से तबाही

जान-माल का नुकसान

वही पुरानी कहानी। हर साल मानसून का बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है, खेतों की सिंचाई के लिए पानी, पेयजल आपूर्ति की पूर्ति, गर्मी से राहत और भूजल स्तर को फिर से ऊपर उठाना, लेकिन जब यह आता है तो अपने साथ दुख और कठिनाइयां भी लाता है, भारी बारिश बाढ़ का कारण बनती है जिससे जान-माल का नुकसान होता है, लोग बेघर होते हैं और बीमारियां होती हैं। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है, मानसून अनिश्चित, अप्रत्याशित और ज्यादा घातक होता जा रहा है। इस साल यह काफी कठोर रहा है। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बादल फटने से सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और कई राज्य प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने कस्बों और गांवों, खासकर मंडी और कुल्लू में, को तबाह कर दिया है, जहां 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सड़कें, पुल और घर बह गए हैं, और राज्य का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कटा हुआ है, जिससे बचाव दल को बचे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी में, यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे निचली बस्तियों में पानी भर गया है और परिवारों को अस्थायी आश्रय स्थलों में धकेल दिया गया है, जबकि अधिकारी बढ़ते पानी को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है, जिसमें कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 200 लोग लापता हैं, जिनके फंसे होने या बह जाने की आशंका है। महाराष्ट्र में भी व्यापक तबाही देखी गई है, नांदेड़ में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे घर नष्ट हो गए और कई लोग घायल हो गए।

मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि सबसे बुरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरे उत्तर और मध्य भारत में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। गंगा और यमुना बेसिन की नदियाँ खतरनाक रूप से उफान पर हैं, जबकि पहाड़ी राज्य आगे भी भूस्खलन और बादल फटने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बने हुए हैं। निचले और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए, निकासी जीवन रक्षा का प्रश्न बन गई है, और अधिकारी लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया अभियान चलाया है, सेना की टुकड़ियां और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं। भोजन के पैकेट, अस्थायी आश्रय और चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की गई है, साथ ही पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मानसून का प्रकोप कोई दुर्लभ घटना नहीं, बल्कि बार-बार होने वाली घटना है, फिर भी एक राष्ट्र के रूप में हमने इससे निपटने के लिए बहुत कम प्रयास किए हैं। यह सच है कि इसे पूरी तरह से रोकना संभव नहीं हो सकता है, फिर भी इसके प्रभाव को कम करना पूरी तरह संभव है। पिछले कुछ वर्षों में हुए विनाश के पैमाने ने मजबूत आपदा तैयारियों की आवश्यकता को उजागर किया है।

यद्यपि चरम मौसम की घटनाएं उपमहाद्वीप के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हैं, उनकी बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे, टिकाऊ शहरी नियोजन और सामुदायिक स्तर की तैयारियों की तात्कालिकता को उजागर करती है। मानसून प्रकृति का उपहार हो सकता है, लेकिन यह प्रकृति की असीम शक्ति की एक मजबूत याद दिलाता है - और हमें समझदारी से अनुकूलन करने की आवश्यकता है।

भुला दिये गए युद्ध और अपूर्ण स्मारक

जबकि कोलंबो में आईपीकेएफ स्थल जैसे स्मारक विदेशों में भारतीय सैनिकों के बलिदान को संरक्षित करते हैं, घर पर इसी तरह की मान्यता का अभाव इस विरोधाभास को दर्शाता है कि भारत किस तरह क्षेत्रीय नेतृत्व की वेदी पर बहादुरों के बलिदान का सम्मान करता है।

अशोक के मेहता
लेखक, सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं।

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने के दौरान भारत की सामरिक संप्रभुता (स्वायत्तता) का ज़िक्र किया और साथ ही, एक गैर-संपर्क अघोषित युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर का सम्मान किया। ब्रिटेन ने नेपाल और थाईलैंड को छोड़कर, जो उपनिवेश नहीं थे, पूरे दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया पर शासन किया था।

दोनों ही वंशानुगत राज्य थे। भारत को स्वतंत्रता के बाद दक्षिण एशिया पर प्रभाव डालने के लिए बौद्धिक और सैन्य साधनों के बिना ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के आडंबर विरासत में मिले, हालांकि यह माना जाता था कि व्युत्पन्न अधिकार बरकरार है और उसका सम्मान किया जाएगा। तिब्बत पहला हताहत हुआ, भले ही ब्रिटिश जनरलों ने उस पर कब्जा करने की सिफारिश की थी, जिसे अव्यावहारिक बताया गया था, जिसकी भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी।

इसी तरह, चीन के साथ 1962 का युद्ध शक्ति के भ्रम और दुश्मन को पहचानने में विफलता के कारण हुआ था। दूसरी ओर, भारत हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर सहित 565 रियासतों को सफलतापूर्वक एकीकृत करने में सक्षम रहा, जिसके लिए अभियान बलों की आवश्यकता पड़ी। पुर्तगाली और डच उपनिवेशों को भी इसी तरह बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। कुल मिलाकर, रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा, हालाँकि सैन्य संसाधन कम हो गए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गए थे।

भारत की कूटनीति का पहला परीक्षण हिमालयी राज्यों नेपाल, सिक्किम और भूटान में हुआ, जहां 1949 और 1950 के बीच ब्रिटेन के साथ पूर्व समझौतों के आधार पर शांति और मैत्री संधियों पर फिर से बातचीत हुई। प्रत्येक राज्य की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के स्तर अलग-अलग थे।

भारत के प्रभाव का एक प्रारंभिक परीक्षण नेपाल में हुआ, जहां दिल्ली 1951 में राजशाही बहाल करने में सफल रही, और एक दशक बाद, भारत द्वारा प्रेरित लोकतंत्र के साथ काठमांडू का प्रयास विफल हो गया।

इन दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाओं में भारतीय सैनिक शामिल थे। 1990 के दशक की शुरूआत में, नेपाल ने काठमांडू में हवाई दुर्घटनाओं के पीड़ितों का पता लगाने में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का अनुरोध किया। माओवादी गृहयुद्ध के दशक के दौरान भारत पहला प्रतिक्रियादाता था, जिसने लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित की और माओवादियों को मुख्यधारा में लाया। आज, भारत सूर्य किरण श्रृंखला में बटालियन स्तर पर संयुक्त अभ्यास करता है, जो किसी भी देश के साथ प्रशिक्षण का उच्चतम स्तर है।

1970-71 में, भारत को पूर्वी पाकिस्तान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि एक नए देश, बांग्लादेश, का निर्माण हो सके, जिसे अपने मूल देश पाकिस्तान से इस्लामी कट्टरवाद और समय-समय पर सैन्य शासन की विशेषताएँ विरासत में मिलीं। अपनी तीसरी क्रांति के बाद, ढाका एक और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसकी रूपरेखा अभी भी अनिश्चित है। लोकतंत्र की बहाली के लिए 3,483 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो अंततः राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि लाने में विफल रही। 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत को भारत ने राजनीतिक रूप से विफल कर दिया, जिससे यह दिल्ली की जीत बन गई।

फिर भी, शेख हसीना सरकार ब्राह्मणबाड़ी के आशुगंज में एक स्मारक बनाने में सफल रही, जिसकी आधारशिला मार्च 2021 में रखी गई। प्रधान मंत्री हसीना और मोदी को 2025 की शुरूआत में इसका उद्घाटन करना था, लेकिन घटनाक्रम कुछ और ही था।

मालदीव में भारत के ऑपरेशन कैक्टस लिली ने 1988 में तमिल विद्रोहियों द्वारा सत्ता परिवर्तन को रोका। माले में इस घटना की स्मृति में कोई प्रतीकात्मक संरचना नहीं है। दूसरी ओर, भारत-मालदीव संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन श्रीलंका के पड़ोसी कोलंबो में, भारत ऑपरेशन पवन के दौरान अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा है, जिसमें आईपीकेएफ द्वीप के उत्तर-पूर्व में लिट्टे को काफी कमजोर करने में कामयाब रहा। राष्ट्रपति, प्रांतीय (पहली बार) और संसदीय चुनाव कराने में मदद करके, आईपीकेएफ ने उत्तर-पूर्व में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की।

कोलंबो में आईपीकेएफ स्मारक के निर्माण की कहानी अज्ञात है, और जो थोड़ी-बहुत जानकारी है वह अनुमान पर आधारित है। आईपीकेएफ स्मारक मुख्यतः राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने लिट्टे से लड़ने के बदले में भारत से मिग-29 विमान की अपेक्षा की थी। स्मारक का राजनीतिक विरोध बौद्ध धर्मगुरुओं और दोनों मुख्यधारा के राजनीतिक दलों, एसएलएफपी और यूएनपी के सदस्यों द्वारा किया गया था।

स्मारक के लिए आधारभूत कार्य पूर्व सीडीएस और नौसेना कमांडर एडमिरल रवि विजेगुणरत्ने ने किया था, जब वे दिल्ली में रक्षा सलाहकार थे। 2001 में, लेफ्टिनेंट जनरल लियोनेल बल्लागले ने दिल्ली का दौरा किया, जहां बैटल ऑनर्स मेस में उन्होंने घोषणा की कि श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में भारतीय सेना द्वारा किए गए बलिदानों को संजोने के लिए आईपीकेएफ स्मारक बनाने का निर्णय लिया है, जबकि मुक्ति संग्राम के बाद ढाका में ऐसा कोई विचार कभी नहीं उठाया गया था।

लेकिन स्मारक के बारे में चर्चा 1990 के दशक में शुरू हो गई थी, हालांकि राजनीतिक विरोध पर काबू पाना और उपयुक्त भूमि का पता लगाना मुख्य बाधाएं थीं। पहले एक स्थान पर विचार किया गया था जो कोलंबो के मध्य में, द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक के पास था, जिसे कभी मंजूरी नहीं मिली।

एडमिरल और मैंने देखा कि टर्फ का यह टुकड़ा काफी ऊंची घास से घिरा हुआ था। कोलंबो में भारतीय रक्षा सलाहकार के सहयोग और समन्वय में श्रीलंकाई नौसेना के वास्तुकारों और नौसेना के इंजीनियरों को काम सौंपा गया था। इसमें कई जोड़ और घटाव किए गए, और स्मारक वर्ष 2008 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन 15 अगस्त, 2010 को भारतीय उच्चायुक्त अशोक कंठ ने किया।

तब से, कई लोगों ने 1,169 शहीदों को श्रद्धांजलि दी है जिनके नाम स्मारक पर अंकित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलंबो में आईपीकेएफ स्मारक पर दो बार पुष्पांजलि अर्पित की: 13 मार्च 2015 और 5 अप्रैल, 2025। 2015 में, उन्होंने कहा था: ₹आईपीकेएफ प्रेरणा और साहस का स्रोत है।₹ लेकिन दिल्ली में, यह एक अलग कहानी है। आईपीकेएफ के दिग्गजों को 24 मार्च को केवल एक मौन और समय-विशिष्ट स्मरणोत्सव की अनुमति है, जबकि ऑपरेशन विजय (कारगिल), जिसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक झड़प के रूप में वर्णित किया गया है, पूरे औपचारिक सम्मान के साथ मनाया जाता है।

अंतिम, पांचवां, मौन और निजी स्मरणोत्सव को मान्यता नहीं मिली। आईपीकेएफ का ऑपरेशन पवन स्मारक केवल कोलंबो में स्थित है (जाफना के पल्लाली में एक और छोटा स्मारक मौजूद है), हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे प्रेरणा और साहस का स्रोत बताया है। यह आश्चर्यजनक है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर इसका आधिकारिक रूप से स्मरण नहीं किया जाता।

नए उप-सेनानायक, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने ऑपरेशन पवन में 4 पैरा (विशेष बल) के साथ वीरतापूर्ण लड़ाइयों में भाग लेकर अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की, जिसमें वे घायल भी हुए। आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के आईपीकेएफ के पूर्व सैनिकों के अभियान का समर्थन करने के लिए वे सही व्यक्ति होंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

प्रतिरोधक स्वास्थ्यरक्षा का अर्थशास्त्र

निवारक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, हमें ऐसी सरकारी नीतियों की आवश्यकता है जो रोकथाम को प्रोत्साहित करें और जन जागरूकता फैलाएं, ऐसे कॉर्पोरेट कार्यक्रम जो रोकथाम में निवेश करें।

हिमा बिंदू कोटा
लेखिका, स्वास्थ्य तकनीक उद्यमी हैं।

इलाज से बेहतर रोकथाम है, इस कहावत से हर कोई वाकिफ है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से, बल्कि जेब के लिए भी फायदेमंद होता है। हालांकि, दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और समग्र आर्थिक उत्पादन में सुधार के संदर्भ में निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता, फिर भी हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में इसे उपेक्षित और अनदेखा किया जाता है।

हम भारतीय, स्वास्थ्य सेवा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत खर्च करते हैं। यह मामूली आवंटन भी केवल बीमारी आने पर ही देखभाल पर खर्च किया जाता है। यह हमारे समाज की एक पहचान बन गई है कि बीमारी को आने से रोकने के बजाय उसका सिर्फ प्रबंधन ही किया जाता है। यानी व्याधि के कारकों पर बल देने के बजाए व्यधिग्रस्त होने वालों की बीमारी को केवल नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जड़ से समाप्त करने का नहीं। बेहतर तो यही है कि बीमाारी को आने ही न दिया जाए। हालांकि, बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत और गैर-संचारी रोगों की बढ़ती संख्या के साथ, निवारक स्वास्थ्य सेवा को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अब समय आ गया है कि भारत अपना ध्यान उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा से निवारक स्वास्थ्य प्रबंधन पर केंद्रित करे। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महंगी है और घरेलू बचत को नष्ट करती है, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता को कम करती है और पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य सेवा ढाँचे पर और अधिक बोझ डालती है।

गैर-संचारी रोग जंगली आग की तरह फैल रहे हैं, जहाँ देश में होने वाली सभी मौतों में से 63 प्रतिशत मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कैंसर जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों के कारण होती हैं। भारत में मधुमेह रोगियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। मधुमेह के प्रबंधन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत प्रति वर्ष 1.5 लाख करोड़ से अधिक है।

इसी प्रकार, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, जो हर साल 75,000 से अधिक भारतीय महिलाओं की जान लेता है, पूरी तरह से रोके जा सकने वाली बीमारी का एक और उदाहरण है। निवारक स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा की समग्र लागत की तुलना करने पर आँकड़े स्वयं ही अपनी बात कहते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परामर्श आईएमआरए के अनुसार, भारत में 10 करोड़ मधुमेह रोगी हैं। यदि एक औसत भारतीय मधुमेह के प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष लगभग 10,000 खर्च करता है, तो यह भारत द्वारा मधुमेह पर प्रत्यक्ष खर्च में 1 ट्रिलियन की भारी राशि के बराबर है। हालाँकि, इसमें रोगियों और देखभाल करने वालों के कार्य दिवसों के नुकसान और संभवतः समय से पहले सेवानिवृत्ति के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान शामिल नहीं हैं।

जहाँ उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा महंगी है, वहीं दूसरी ओर, निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (हल्ड) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत जैसे विकासशील देशों में, निवारक स्वास्थ्य सेवा में निवेश किया गया प्रत्येक 1 डॉलर 7 डॉलर का आर्थिक लाभ दे सकता है।

ये लाभ दवाओं की कम लागत और कम बीमार दिनों के कारण अस्पताल जाने से बचने से उत्पादकता में सुधार के कारण आते हैं। आइए केरल के हृदय रोग निवारण अभियान, विशेष रूप से के-डीपीपी का उदाहरण लें, जिसने हृदय रोगों के बोझ को काफी कम किया और उल्लेखनीय आर्थिक लाभ दिखाए। इसके परिणामस्वरूप 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रतिभागियों में 10 वर्षों के हृदय रोग के जोखिम में 32 प्रतिशत की कमी आई। यदि निवारक स्वास्थ्य सेवा समग्र समाज के लिए लाभदायक है, तो इसे अभी भी उपेक्षित क्यों किया जाता है? इसका उत्तर व्यवहारिक अर्थशास्त्र में निहित है।

निवारक स्वास्थ्य सेवा को वर्तमान पूर्वाग्रह की प्रवृत्ति के कारण नजरअंदाज किया जाता है। लोग तात्कालिक लाभों (अभी पैसे की बचत) को ज्यादा महत्व देते हैं और दीर्घकालिक लाभों (शीघ्र पहचान, भविष्य के स्वास्थ्य खर्चों या बीमारी की रोकथाम) को कम महत्व देते हैं। हालाँकि जाँच से भविष्य में चिकित्सा उपचारों की ऊँची लागत और संभावित जटिलताओं से बचा जा सकता है, लेकिन आज खर्च करने का दर्द ज्यादा गंभीर लगता है। कहानी का एक और पहलू स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के दृष्टिकोण से है।

उनके लिए रोकथाम अल्पावधि में लाभदायक नहीं है। किसी अस्पताल का राजस्व सर्जरी, लैब टेस्ट, अस्पताल में रहने, दवाइयों और अनुवर्ती मुलाकातों जैसे उपचारों से आता है, न कि रोकथाम से। परामर्श और जीवनशैली कोचिंग जैसी निवारक देखभाल का बिल कम होता है। इसके अलावा, किसी ऐसी चीज को, जो मूर्त नहीं है, जैसे दिल का दौरा पड़ने से रोकना, एक सफल बाईपास सर्जरी जैसे दृश्यमान, मापनीय परिणाम की तुलना में अधिक महत्व देना मुश्किल है। इसलिए, पूरा तंत्र रोकथाम के बजाय उपचार की ओर ज्यादा झुका हुआ है।

निवारक स्वास्थ्य सेवा का अर्थशास्त्र विशिष्ट और स्पष्ट है: लोगों को बीमार पड़ने पर उनका इलाज करने की तुलना में उन्हें स्वस्थ रखना सस्ता है। हालाँकि, सस्ता होने के बावजूद इसका कम उपयोग होता है क्योंकि लोग भविष्य के लाभों की तुलना में तत्काल बचत को प्राथमिकता देते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां बीमारी की रोकथाम की तुलना में उसके इलाज से अधिक लाभ कमाती हैं, और रोकथाम में न तो तात्कालिकता होती है और न ही स्पष्ट परिणाम दिखाई देते हैं। कम जागरूकता, व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह और कमजोर प्रोत्साहन, रोकथाम को रोगियों और प्रदाताओं दोनों के लिए मुश्किल बना देते हैं।

निवारक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, हमें ऐसी सरकारी नीतियों की आवश्यकता है जो रोकथाम को प्रोत्साहित करें और जन जागरूकता फैलाएं, ऐसे कॉर्पोरेट कार्यक्रम जो रोकथाम में निवेश करें, और जाँच के लिए बीमा कवरेज। समाज को स्वास्थ्य प्रबंधन में सक्रिय रूप से मदद करना न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत फायदेमंद है। आखिरकार, अगर हम अपने लोगों को महत्व देते हैं, तो हमें उनके बीमार पड़ने से पहले ही उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, बाद में नहीं।

आप की बात

सायबर ठगी से बचें

आज जब सरकार लगातार दिशा-निर्देश, अलर्ट और जागरूकता अभियान चला रही है, तब भी आम नागरिक साइबर अपराधियों के जाल में फंस रहा है। इसका मूल कारण है, आम जन के स्तर पर आवश्यक जानकारी और सतर्कता का अभाव। यदि कोई व्यक्ति बैंक, बीमा कंपनी, पार्सल सेवा या खुद को सरकारी अधिकारी बताकर डराने-धमकाने की कोशिश करे, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। यह आज के दौर में चल रही साइबर ठगों की एक आम रणनीति है। कभी भी साझा न करें: -अपना आधार नंबर , पैन नंबर, बैंक खाते का विवरण,ओटीपी डेबिट/क्रेडिट कार्ड की जानकारी। यदि कोई किसी समय धोखाधड़ी का शिकार हो भी जाएं या संदेह हो, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। अब इस नंबर पर कॉल करने से ई-एफआईआर भी ऑनलाइन दर्ज हो जाती है, जिससे कार्रवाई में तेजी आती है। लालच, डर या जल्दबाजी से बचें। गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करना भी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कई बार फर्जी नंबर ऊपर दिख जाते हैं। सही तरीका संबंधित कंपनी का आधिकारिक ऐप या वेबसाइट ही सबसे सुरक्षित माध्यम है। वहीं से सहायता लें, वहीं से संपर्क करें।

– **भगवानदास छारिया**, सोमानी नगर, इंदौर

सुधार का कानून

केंद्र सरकार प्रस्तावित १३०वें संविधान संशोधन के जरिये नियम लागू करने जा रही है कि यदि ३० दिन जेल काटी तो फिर पीएम हो या सीएम अथवा कोई भी मनिस्टर तो उनका ३१वें दिन पद-मुक्त होना निश्चित है। सरकार का मानना है कि इससे राजनीति में अपराधों पर रोक लगेगी व उसमें सुचिता भी आएगी। जब कि विपक्ष का कहना है कि यह कानून सत्ता द्वारा विपक्षियों को निशाना बनाने का हथियार होगा, जिसका उपयोग मुख्यमंत्री-मंत्री आदि को जेल भेजने के लिए होगा और उन्हें पदों से हटाने में सत्ता को सरलता भी होगी। देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस हकीकत को मान गए थे कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। तब यदि सरकार बढ़ते राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए एक सशक्त बिल लाना चाह रही है तब विपक्ष को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए. जो अपराध करेगा फिर चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या उच्चपदेन सबके लिए कानून तो समान है ना. आम तौर पर भी माना जा रहा है कि देश में राजनीतिक, रसूखदारी के चलते भी आर्थिक, सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं. अगर राजनीति में या उसके अनावश्यक प्रभाव से होने वाले सामाजिक व आर्थिक अपराध कम होते हैं और देश में इस नए कानून से सुशासन स्थापित होने में मदद मिलती है तो इससे बेहतर राष्ट्रहित और क्या हो सकता है? ऐसे कानून का तो सभी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं को तहेदिल से स्वागत करना चाहिए।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर

सोना मानव सभ्यता के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। आभूषणों से लेकर उद्योगों तक, इसकी मांग लगातार बढ़ती रही है। लेकिन सोना निकालने की परंपरागत विधियां पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। सायनाइड और पारा जैसे जहरीले रसायनों का प्रयोग न केवल जल और मिट्टी को प्रदूषित करता है, बल्कि खनन क्षेत्रों के लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल देता है। भारी मशीनों और अंधाधुंध खनन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना एक अलग समस्या है। ऐसे में सवाल उठता है–क्या सोना निकालने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है, जो पर्यावरण और इंसान दोनों के लिए सुरक्षित हो? इसका जवाब हाल ही में सामने आया है। प्रतिष्ठित जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का शोध बताता है कि अब यह संभव है। उन्होंने एक ऐसी पर्यावरण-अनुकूल तकनीक विकसित की है, जिससे अयस्क और ई-कचरे से उच्च शुद्धता वाला सोना निकाला जा सकता है, वह भी बिना जहरीले रसायनों और बिना प्रदूषण के। इस विधि की खासियत यह है कि इसमें पानी में इस्तेमाल होने वाला सुरक्षित कीटाणुनाशक और साधारण सूरज की रोशनी का उपयोग किया जाता है। यानी न तो सायनाइड, न पारा और न ही भारी-भरकम मशीनों की जरूरत। इससे लागत भी कम आती है और प्रक्रिया कहीं अधिक टिकाऊ हो जाती है।

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

चीन का नया रुख

चीन की नीति और नियत को लेकर भारत सहित अनेक देशों में संदेह और सतर्कता का भाव हमेशा बना रहा है। चीन प्रायः मित्रवत संबंधों और आर्थिक सहयोग की बात करता है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर उसकी नीतियों में विस्तारवाद और दबाव की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से झलकती आई है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिमालयी सीमा तक उसकी रणनीति यही रही है कि शक्ति और प्रभुत्व के दम पर दूसरों को झुकाया जाए। यही कारण है कि भारत-चीन संबंध बार-बार तनावग्रस्त होते रहे हैं। भारत ने साफ संकेत दिया है कि जब तक सीमा विवाद और घुसपैठ जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक आपसी सहयोग की राह कठिन बनी रहेगी। चीन का रवैया अक्सर ऐसा दिखता है कि वह आर्थिक साझेदारी का लाभ तो लेना चाहता है लेकिन सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर लचीलापन नहीं दिखाता। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत सावधानीपूर्वक अपने हितों की रक्षा कर रहा है और यह संदेश भी स्पष्ट कर रहा है कि चीन जैसी ताकतें किसी देश पर अपनी नीतियां थोप नहीं सकतीं। ऐसे में चीन की नीति और नियत पर विश्वास करना आसान नहीं बल्कि गहरी सतर्कता और रणनीतिक तैयारी की मांग करता है।

– **अमृतलाल मारू रवि**, इन्दौर

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 158

कठोर प्रतिबंध

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 बुधवार को लोक सभा में पारित हो गया। यह विधेयक कुछ अन्य बातों के अलावा देश में ऑनलाइन गेमिंग में पैसों के लेनदेन को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। अनुमान के मुताबिक ही सरकार के इस कदम ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में हलचल पैदा कर दी है। खबरें बताती हैं कि इसके चलते हजारों उच्च कौशल वाले रोजगारों पर संकट की तलवार लटकने लगी है। विधेयक में जिन उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख किया गया है उनके मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में पैसों का इस्तेमाल होने से देश भर में गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक मुश्किलें पैदा हो गई हैं क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से ये गेम बहुत व्यापक रूप से प्रसारित हो चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसे लत वाले व्यवहार को बढ़ावा देते हैं जिनका परिणाम मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और वित्तीय नुकसान के रूप में सामने आता है। ऐसे प्लेटफॉर्म के कारण धोखाधड़ी और शोषण की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में बाजार के इस हिस्से का विनियमन करने के बजाय यह जनहित में है कि इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए।

ऐसे में, विधेयक के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन करके ऑनलाइन धन कमाने संबंधी गेमिंग सेवा प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मीडिया में विज्ञापन जारी करना या पैसे वाले गेम से संबंधित धनराशि के लेनदेन में शामिल होने पर भी दंडित किया जाएगा। अगर यह विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में पारित होता है तो देश में औपचारिक ऑनलाइन गेमिंग कारोबार का हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाएगा। साफ कहें तो इस बात से असहमति नहीं जताई जा सकती है कि ऑनलाइन गेमिंग एक लत की तरह है जो मानसिक और वित्तीय दोनों स्तरों पर प्रभावित करती है। बहरहाल, इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या पूरी तरह प्रतिबंधित करना ही उपरोक्त समस्याओं का सही हल है। भारत में प्रतिभाशाली डेवलपर की एक पूरी फौज है जो तरह-तरह के गेम तैयार करती है और यह उद्योग बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। भारत में ऑनलाइन गेम्स विकसित करने का वैश्विक केंद्र बनने की संभावना है।

उद्योग जगत के संगठनों के मुताबिक स्किल गेमिंग कंपनियों का कारोबारी मूल्य 2 लाख करोड़ रुपये है और अब तक यह 25,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटा चुका है। सरकार के लिए बेहतर होता कि वह इस क्षेत्र के अंशधारकों और विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ही विधेयक को पेश करती। ऑनलाइन पैसे कमाने से संबंधित गेम्स को प्रतिबंधित करने के बजाय समुचित नियमन की मदद से देश के हितों का बेहतर संरक्षण किया जा सकता था। सीधे प्रतिबंध लगाने के बाद एक संभावना यह है कि ऐसी गतिविधियों को गैर कानूनी तरीके से अंजाम दिया जाने लगे। यदि ऐसा हुआ तो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े लोगों के शोषण और उनके साथ धोखाधड़ी की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। इंटरनेट की पहुंच को देखते हुए सरकार के लिए यह बहुत कठिन होगा कि भूमिगत रूप से इसे संचालित करने वालों तक पहुंच सके। इसके अलावा सरकार कर राजस्व भी गंवा बैठेगी। इन सभी पहलुओं पर अब संसद में बहस होनी चाहिए।

धन आधारित खेलों पर प्रतिबंध बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित करेगा। विधेयक ऑनलाइन गेमिंग के नियमन और संवर्धन का व्यापक औपचारिक ढांचा भी मुहैया कराता है। उदाहरण के लिए विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ई-स्पोर्ट को मान्यता देने और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। विधेयक ऑनलाइन गेमिंग पर एक प्राधिकरण की कल्पना करता है। ई-स्पोर्ट के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण अकादमी और शोध केंद्र तैयार करने का प्रावधान भी है। देश में ऑनलाइन गेमिंग के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रावधान हैं। ऐसे भी प्रावधान हैं जो सामाजिक खेलों के विकास की सुविधा देते हैं। कुल मिलाकर ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानूनी ढांचा मुहैया कराने की बात के साथ यह विधेयक दूरदर्शी प्रतीत होता है। इससे वृद्धि और विकास में मदद मिलेगी हालांकि, ऑनलाइन धन आधारित गेम पर प्रतिबंध उसी भावना के अनुरूप नहीं है।

विविध प्रतिभाओं के लिए खुले नियामकीय नेतृत्व

वित्तीय क्षेत्र परिपक्व हो रहा है और ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि नियामकीय एजेंसियों के दरवाजे अधिक विविधता वाली प्रतिभाओं के लिए खोल दिए जाएं। बता रहे हैं केपी कृष्णन

एक पुराना अवलोकन एक बार फिर उभर आया है। देश के प्रमुख वित्तीय नियामकों मसलन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) आदि सभी के मौजूदा नियामक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अफसरशाह हैं। अक्सर इस तथ्य के साथ एक कथानक यह जोड़ दिया जाता है कि उनमें निरंतरता होती है और उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था की गहरी समझ होती है और यह बात उन्हें इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाती है। तर्क यह दिया जाता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि उनके कौशल को मान्यता देना है जो सीमित क्षेत्रीय विशेषज्ञता से परे सामरिक सोच, आपदा प्रबंधन तक जाती है और उन्हें सरकारी मशीनरी के कामकाज की पूरी समझ होती है।

हम पीछे मुड़कर इन संस्थानों के इतिहास को देख सकते हैं और इस नज़रिये की पुष्टि के लिए प्रमाण तलाश कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नरों की लंबी सूची में एस वेंकटरमणन, सी रंगराजन, विमल जालान, वाईवी रेड्डी और डी सुब्बाराव तक सभी अफसरशाही से आए थे और उनका लोक सेवा में लंबा करियर था। इसी प्रकार सेबी में 1992 से बने चेयरमैन मसलन जीवी रामकृष्ण, डीआर मेहता, जीएन वाजपेयी, एम दामोदरन, सीबी भावे और यूके सिन्हा भी वहीं से आए थे। आईआरडीएआई पर भी यही बात लागू होती है। उसके शुरुआती प्रमुखों में एन रंगाचारी, सीएस राव, जे हरि नारायण और टीएस विजयन अफसरशाही से आए थे।

इस तरह से देखते हुए यह नतीजा निकालना आसान है कि भारत ने सफलतापूर्वक अफसरशाहों का ऐसा कैडर तैयार किया जो नियामकीय संस्थाओं के नेतृत्व के लिए अनुकूल थे। परंतु यह धारणा खतरनाक रूप से भ्रामक है। यह हकीकत को वांछित परिणामों के साथ भ्रमित करती है। हम जो देख रहे हैं वह व्यवस्था की कामयाबी नहीं बल्कि उसकी अपरिपक्वता की निशानियां हैं। अफसरशाहों को निरंतर प्राथमिकता देने का अर्थ यह नहीं है कि हम ढेर सारे योग्य उम्मीदवारों के बीच से चयन कर रहे हैं बल्कि यह संस्थागत कमजोरी का नतीजा है जिसके चलते किसी और के कामयाब होने की संभावना कम है।

नियामकीय नेतृत्व के दुनिया भर में प्रचलित समझदारी भरे मॉडल्स की बात करें तो वे किसी एक तरह के पेशेवरों के बजाय विविधतापूर्ण नेतृत्व पैकेज पर काम करते हैं। किसी नियामक के लिए एक अच्छा नेतृत्व वह होता है जिसने संबंधित उद्योग में काम किया हो, व्यावहारिक कठिनाइयों, उसके प्रोत्साहनों और मुश्किलों से परिचित हो। इस व्यक्ति के पास गहन बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए। अगर वह शोध या अकादमिक जगत से हो तो और भी अच्छा। इससे उसे बिना तात्कालिक हालात से प्रभावित हुए ठोस तरीके से सोच-विचार करने में सुविधा होगी। आखिर में, उसमें लोक प्रशासन, कानून और राजनीति की गहरी समझ होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक ढांचे मे अर्द्ध विधायी और अर्द्ध न्यायिक संस्था को चलाने के लिए यह आवश्यक है।

भारत में हमें इस आदर्श को हकीकत में उतारने में मुश्किल होती है। अफसरशाहों के बीच जो सद्भाव नजर आता है वह दरअसल एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम है जो किसी और चीज को संभालने में सक्षम नहीं होती। हमने ठोस संस्थागत बुनियाद नहीं रखीं। अगर हम ऐसा करते तो शायद गैर अफसरशाह नियामकों को पनपने का मौका मिलता। जब बाहरी व्यक्ति को भीतर लाया जाता है तो अक्सर उन्हें काफी कठिनाई होती है क्योंकि नियामक संस्थाएं पारदर्शी औपचारिक प्रक्रियाओं और कानून के शासन द्वारा संचालित नहीं होतीं। वे अक्सर अनौपचारिक नेटवर्क, अलिखित परंपराओं और सरकार के कामकाज की उस गहरी समझ पर निर्भर होती हैं जो केवल आजीवन अफसरशाह रहे व्यक्ति के पास होती है।

यह एक बड़ी कमी है। उद्योग और शोध संस्थानों के रूप में दो अलग-अलग दुनियाओं से हासिल ज्ञान और नजरिया कोई विलासिता नहीं है। वे आधुनिक प्रभावी नियमन की आवश्यकता हैं। उद्योग जगत के पेशेवर बाजार व्यवहार, नवाचार और जोखिम की जबरदस्त समझ रखते हैं। शोधकर्ताओं के पास अहम प्रमाण आधारित मानसिकता होती है और उनमें यह बौद्धिक क्षमता होती है कि वे उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें। इसमें जटिल वित्तीय उपायों से लेकर नई तकनीक के नियमन तक शामिल होते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो सुरक्षित ढंग से और समझदारीपूर्वक इन विशेषज्ञताओं को उच्चतम नेतृत्व में शामिल नहीं कर सके, वह बुनियादी रूप से अधूरी व्यवस्था होती है।

इस समस्या का निदान मौजूदा हालात को लेकर रूमानी होना या यथास्थिति को अपनाना नहीं है बल्कि इसका हल बेहतर और अधिक मजबूत संस्थान बनाना है। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां मनमोहन सिंह, सी रंगराजन, विमल जालान, विजय केलकर और एम एस आहलूवालिया जैसे असाधारण लोग मझोले-वरिष्ठ स्तर पर सरकार में शामिल हों और आगे बढ़ें। इस दौरान वे अपनी पेशेवर काबिलियत और अकादमिक नेटवर्क को बरकरार रखते हुए ऐसा कर सकें।

ये सारे लोग किसी एक व्यवस्था की उपज नहीं हैं। वे विशेषज्ञों के एक समुदाय का हिस्सा थे जो सरकार, अकादमिक जगत, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और बाजार जैसे विविध क्षेत्रों में आवाजाही करते रहे। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग विदेशी संस्थानों से आए लेकिन वे किसी संस्था में सीधे शीर्ष स्तर पर नहीं शामिल हुए। इसके बजाय वे देश की सार्वजनिक व्यवस्था में पनपे और उन्होंने आगे बढ़ते हुए व्यवस्थागत जटिलताओं को भी समझा।

संस्थागत सुधारों को यही बात जटिल बनाती है। आगे की राह इस बात पर निर्भर करती है कि हम नियामकीय संस्थानों को कितना मजबूत बनाते हैं और उनके कामकाज को विधि के शासन के अनुरूप कितना ढालते हैं। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग यानी एफएसएलआरसी का काम इस बदलाव को बखूबी दर्शाता है। भारतीय विधि संहिता का मसौदा जहां वित्तीय नियमन का खाका है वहीं इसमें कानून की 140 धाराएं हैं जो किसी भी नियामक पर लागू की जा सकती हैं, न कि केवल वित्तीय क्षेत्र के नियामकों पर। इन प्रावधानों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि इनके कामकाज के बारे में एक नए तरह की स्पष्टता आती है। इनका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के नेटवर्क की जगह एक औपचारिक नियम आधारित प्रक्रिया को अपनाना है।

यह संस्थागत सुधार केवल इस पर निर्भर नहीं है कि हमारे नियामकों का नेतृत्व कौन करेगा बल्कि यह देश की विकास यात्रा का भी अहम हिस्सा है। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था अस्पष्ट और व्यक्तित्व आधारित प्रशासनिक राज्य पर नहीं बन सकती। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां निर्णय अनुमान लगाने योग्य न हों, प्रक्रियाएं स्पष्ट हों और जवाबदेही साफ हो।

एफएसएलआरसी द्वारा सुझाए गए सुधारों का अनुकरण करके हम ऐसे नियामकीय संस्थान बना सकते हैं जो इतने मजबूत हों कि उद्योग, शोध और सार्वजनिक प्रशासन जैसे क्षेत्रों से नेतृत्व का स्वागत कर सकें। इससे हमें यह क्षमता मिलेगी कि हम उन चुनिंदा पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई स्थिरता के भ्रम से आगे बढ़ने में सक्षम हो पाएंगे और यह एक वास्तव में परिष्कृत और प्रभावशाली नियामक नेतृत्व का निर्माण करने में मदद करेगा, जिसकी भारत को वैश्वीकृत दुनिया में समृद्ध होने के लिए आवश्यकता है।

ट्रंप टैरिफ से नहीं शुरू होगा सुधारों का सिलसिला

अतार्किक विकल्प

देवाशिष बसु

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चुनिंदा भारतीय निर्यातों पर 25 फीसदी का शुल्क लगा दिया और बहुत जल्दी उन्होंने इसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा कर दी क्योंकि भारत रूस से निरंतर कच्चे तेल का आयात कर रहा है। इस प्रकार का दंडात्मक शुल्क प्रायः शत्रु देशों पर लगाया जाता है। अगर इसे जल्दी वापस नहीं लिया गया तो यह भारत से अमेरिका को होने वाले पारंपरिक निर्यात मसलन वस्त्र, चमड़ा तथा रत्न एवं आभूषण आदि को काफी नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा।

भारत ने इसे लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है वह अवज्ञा और चरम राष्ट्रवाद का मिलाजुला रूप रही है जिसमें किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, उद्योगपतियों, निर्यातकों और छोटे कारोबारियों के हितों का बचाव करने की बात कही गई है। नीति आयोग के पूर्व कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इस शुल्क को 'किसी पीढ़ी में एक ही बार आने वाला क्षण' बताया। फिल्मी भाषा में कहें तो अग्निपथ जैसा निर्णायक मोड़। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इसे 'वैश्विक मंथन' करार दिया और कहा कि इस व्यापारिक उथलपुथल से हुए मंथन में अमृत जैसा कुछ निकल सकता है। क्या ऐसे अनुमान हकीकत के करीब हैं?

1. **गंभीर सुधारों की वकालत:** कांत ने सुझाव दिया कि अफसरशाही और कर ढांचे को सरल बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी स्लैब को दो तक सीमित करना और पर्यटन क्षेत्र को नए सिरे से गतिशील बनाना। उन्होंने सुझाव दिया कि कोई भी फॉर्म आधे पन्ने से बड़ा नहीं होना चाहिए और कोई भी कानून दो पन्नों से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम उद्यमिता को बढ़ावा दे सकेंगे। महिंद्रा ने निवेश के लिए एक सक्रिय एकल खिड़की व्यवस्था की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि वीजा प्रक्रिया को तेज करके तथा अधोसंरचना को बेहतर बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वह चाहते हैं कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई का विस्तार किया जाए और विनिर्माण संबंधी कच्चे माल पर आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाए ताकि प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर हो सके। ये सारी सलाहें अच्छी हैं और पहले सुनी हुई हैं।

ऐसे हर सुझाव के साथ कारोबारी जगत के नेतृत्वकर्ता उन पुरानी ढांचागत कमियों को रेखांकित कर रहे हैं जो हर सरकार के कार्यकाल में नजर आई हैं और जिनका जिक्र हर संकट के समय किया गया है। भारत में मौजूद बेहतरीन पर्यटन संभावनाएं गंदगी, व्यक्तिगत स्वच्छता, बार-बार मचने वाली भगदड़, कमजोर पड़ती अधोसंरचना, ऐतिहासिक इमारतों की आपराधिक अनदेखी, लगातार अवैध निर्माण आदि से प्रभावित होती हैं जिनमें स्थानीय राजनेताओं के निजी हित शामिल होते हैं। ऐसे में पर्यटन पर निर्भर छोटे-मोटे कारोबारों को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है। पंचायत से लेकर केंद्र तक कमजोर शासन के चलते इनसे निजात पाना मुश्किल है। अगर महिंद्रा जैसे नेता सही में कुछ जमीनी बदलाव लाने में मदद कर सकें तो नतीजे एकदम अलग होंगे। परंतु सरकार तो खस्ता होती शहरी परिवहन व्यवस्था को ठीक करने के मसौदे को तैयार करने तक में उन्हें शामिल नहीं करती जबकि इससे रोज सफर करने वाले लाखों लोग प्रभावित होते हैं।

2. **संकट और सुधार को लेकर गलत मान्यता:** कारोबारी मौजूदा हालात की तुलना 1991 के विदेशी मुद्र संकट से कर रहे हैं जिसके बाद देश में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। एक व्यापक मान्यता यह है कि देश में सुधार केवल संकट के समय ही हो पाते हैं। मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री 1991 के सुधारों को अंजाम दिया था और वही ऐसा कहा करते थे। ऐसे में जब भी देश किसी मुश्किल से गुजरता है, कारोबारी जगत के नेतृत्वकर्ता सुधारों की बात करते हैं। परंतु शायद ही हमने कोई ऐसी घटना सुनी हो जब आर्थिक संकट के बाद सुधार हुए हों। ऐसे में यह नतीजा निकालना मुश्किल है। इसके उलट बीते 30 साल में भारत में अधोसंरचना, दूरसंचार, पूंजी बाजार, पेंशन, कानून, जीएसटी जैसे कराधान और अन्य क्षेत्रों में बिना किसी संकट के सुधारों को अंजाम दिया गया।

यहां तक कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला था। केवल पश्चिम की नकल की गई जिससे मुद्रास्फीति और फंसे कर्ज बढ़ गए। सबसे अहम बात यह है कि क्या ट्रंप के अनियंत्रित टैरिफ ने भारत के लिए संकट पैदा कर दिया है? शायद उतना भी नहीं। रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि भारतीय निर्यात पर नया अमेरिकी शुल्क निकट भविष्य में भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर बमुश्किल 30 आधार अंकों का असर डालेगा। इससे छोटे निर्यातकों को दिक्कत होगी और कुछ रोजगार जाएंगे लेकिन इससे न तो निवेशक बहुत प्रभावित होंगे न बाजार और न ही सरकार पर इतना दबाव बनेगा कि वह 'कुछ करने' पर मजबूर हो जाए।

भारत के सुधारों का आधार धीमे और आधे अधूरे मन से किए गए उपायों की एक श्रृंखला है और इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि अफसरशाही का नियंत्रण बना रहे और भ्रष्टाचार का चक्र अप्रभावित रहे। जवाबदेही अत्यंत कम है और इसलिए प्रतिस्पर्धी क्षमता पर इसक प्रभाव भी बहुत कम है। परंतु एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। मोदी सरकार राजस्व संग्रह के क्षेत्र में काफी आक्रामक रही है। सकल कर राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 11.7 फीसदी हो गया जबकि इस दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 रही। इससे पहले 2007-08 में जब वृद्धि दर 9 फीसदी थी तब सकल कर राजस्व 11.9 फीसदी था।

सरकार का इरादा एकदम स्पष्ट रहा है। उसने अपनी प्राथमिकताओं को हासिल करने की दिशा में काम किया है: कर, उपकर और शुल्क लगाना और उन्हें वसूल करना। राजमार्गों से हासिल होने वाले टोल संग्रह की राशि वित्त वर्ष 26 में 80,000 करोड़ रुपये पहुंच जाएगी जो 2018-19 से 18 फीसदी की समेकित वृद्धि है। प्रतिभूति लेनदेन कर के भी वित्त वर्ष 23 के 25,085 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष26 में 69,000 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है। यह 40 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि को दर्शाता है। ऐसी भारी आवक सामाजिक योजनाओं और सरकार के पूंजीगत व्यय के लिए गुंजाइश तैयार करती है। परंतु इससे उत्पादकता अथवा प्रतिस्पर्धा में सुधार नहीं हुआ।

देश के उद्यमी जगत के नेतृत्वकर्ताओं के पास विचारों की कमी नहीं है, लेकिन उनमें इन विचारों को क्रियान्वित करने की इच्छाशक्ति का अभाव नजर आया है। कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने की राजनीतिक आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है, न ही लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने, फैक्ट्री कर्मियों को प्रशिक्षित करने और लालफीताशाही कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार इन सभी क्षेत्रों के लिए आसानी से योजनाएं शुरू कर सकती है।

परंतु इसका एक निष्कर्ष जिसे नकारा नहीं जा सकता है वह यह है कि विनिर्माण जीडीपी के 14 फीसदी के स्तर पर ठहरा हुआ है, देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर है और कारोबारी नियमित रूप से यह शिकायत करते हैं कि उन्हें कुशल श्रमिक नहीं मिल रहे हैं या उन्हें छोटी मोटी रिश्वत के लिए तंग किया जाता है। संसद में पूर्ण बहुमत में रहते हुए जब सरकार ने यह सब नहीं किया तो अब गठबंधन सरकार में ये सुधार कैसे किए जाएंगे वह भी तब जबकि आर्थिक दबाव भी 1991 की तुलना में बहुत कम है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

आपका पक्ष

सफाईकर्मियों के लिए पुनर्वास-सुरक्षा आवश्यक

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के सीतापुर के सकरन थाना क्षेत्र के सुकेठा गांव में सैप्टिक टैंक में गिरे 10 वर्षीय मासूम को बचाने उतरे तीन लोगों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई। इस वर्ष संसद भवन में बजट सत्र के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 1993 से अब तक देश में सीवर और सैप्टिक टैंक की सफाई करते समय मौत का आंकड़ा जारी किया था। इसके अनुसार पिछले 31 वर्षों में सीवर और सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 1,248 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे ज्यादा 253 मौतें तमिलनाडु में हुईं थी। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कई सारे नियमों की मौजूदगी कानून में है। इसके बावजूद सफाई कर्मचारियों की स्थिति में अभी तक ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाया है। यहां बिना किसी सुरक्षा के ही उन्हें सीवर में उतरना पड़ता है। हर साल हजारों सफाई कर्मचारियों की गंदे नालों से निकलने वाली जहरीली गैसों की वजह से मौत हो जाती है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 6 के अनुसार सीवर सफाई के लिए किसी भी प्रकार का ठेका अमान्य है। किसी भी व्यक्ति को किसी मजबूरी में अगर नाले में उतारा जाता है तो उसे तमाम सुरक्षा उपकरण दिए जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो व्यक्ति काम कराएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हम जमीनी हकीकत देखें, तो स्थिति बिल्कुल उलट है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2014 के अपने फैसले में कहा था कि किसी व्यक्ति की सीवर सफाई के दौरान मौत होती है तो पीड़ित के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह आदेश सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत सरकार मामले में दिया था। आदेश में यह भी था कि पूर्व में जिन सफाई कर्मियों की मौत हुई है, उनके परिजनों की पहचान कर 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अतः सरकार द्वारा इनके पुनर्वास व सुरक्षा के लिए ठोस योजना की सख्त दरकार है। सीवर लाइनों और सैप्टिक टैंक की सफाई मशीनों से किया जाना चाहिए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

संसद में बजट सत्र के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सीवर की सफाई करते समय मौत का आंकड़ा जारी किया था

बारिश में डूबते शहर, कब मिलेगी समस्या से निजात

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के कारण हुए जलजमाव से शहर ठहर गया है। बारिश की वजह से सड़कों, रेलवे पटरियों पर पानी भर गया है जिससे वाहनों के आवागमन तथा ट्रेनों के परिचालन में समस्या आ रही है। बारिश के कारण ऐसी स्थिति सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के कई शहरों में देखने को मिल रही है। शहरों की जल निकासी के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा किया जाता है लेकिन ऐसे दावों की पोल बारिश खोल कर रख देती है। बारिश के मौसम में देश के कई शहर जलमग्न होने लगे हैं। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के लिए आफत बन रहा है। यह बीमारियों और जान का दुश्मन भी बन रहा है। हर साल बारिश के मौसम में कई शहरों में जलजमाव हो जाता है। लेकिन सरकार की इस आपदा से निपटने की पहले से की गई तैयारी अधूरी ही रह जाती है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री ने राज्य सभा महासचिव पी. सी. मोदी को नामांकन पत्रों के चार सेट सौंपे, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं। नामांकन पत्रों के चार सेट में मोदी, सिंह, शाह और जनता दल (यूनाइटेड) नेता राजीव रंजन सिंह मुख्य प्रस्तावक हैं।

ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अंकुश

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को लोकसभा में पारित कर, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान है, सरकार ने इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है. उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से इस विधेयक को मंजूरी दी गयी थी. इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना तथा डिजिटल एप्स के माध्यम से जुआ खेलने पर दंडित करना है. इसके जरिये सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि को रोकने तथा ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले मशहूर हस्तियों पर निगरानी को सख्त करने का भी उद्देश्य है. युवाओं को उन जोखिम भरे गेमिंग एप्स से बचाना आवश्यक है, जो उन्हें आर्थिक संकट में धकेल देते हैं. सरकार का यह भी मानना है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अंकुश लगाकर वित्तीय धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसी गतिविधियों को भी रोका जा सकता है. गौरतलब है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए ही अक्तूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स पर 28 फीसदी जीएसटी लागू किया गया था. दरअसल पिछले दो साल से सरकार ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों को लगातार सख्त कर रही है. इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने के अलावा खिलाड़ियों की जीत पर वित्त वर्ष 2025 से 30 प्रतिशत कर भी लगेगा. रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि केंद्र सरकार दीपावली के आसपास लागू होने वाली संशोधित कराधान व्यवस्था के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने की योजना बना रही है. विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म भी कर के दायरे में आ गये हैं और प्रवर्तन एजेंसियों को अपंजीकृत या अवैध वेबसाइटों को ब्लॉक करने का अधिकार है. सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गेमिंग विज्ञापनों में वित्तीय जोखिमों और संभावित लत के बारे में चेतावनी देने वाले डिस्क्लेमर जरूर हों. इसका उद्देश्य इंटरनेट और ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित, जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना है. वहीं शिक्षा मंत्रालय ने इस लत से निपटने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को सलाह जारी की है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक, देश में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उदय से समाज को अपार लाभ हुआ है, लेकिन साथ ही नये जोखिम भी उत्पन्न हुए हैं, जिससे यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है कि समाज को प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के संभावित नुकसान से बचाया जाये.

ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित कर सरकार ने इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता का ही परिचय दिया है.

समय की मांग है भारत-चीन निकटता

राजन कुमार
प्रोफेसर
अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, जेएनयू
rajan75jnu@gmail.com

नये घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि भारत और चीन, दोनों एक-दूसरे के प्रति अपनी रणनीति में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आये तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन जायेंगे. पिछले 75 वर्षों में भारत और चीन ने अपने संघर्षों को यथोचित रूप से प्रबंधित किया है और कोई कारण नहीं है कि वे भविष्य में भी ऐसा न कर सकें. दोनों सभ्यता आधारित देश हैं और उन्हें दीर्घकालिक स्थायी संबंधों में भारी निवेश करना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय राजनीति अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है. कुछ महीने पहले तक यह अकल्पनीय था कि ट्रंप चीन को बख्शते हुए भारत पर भारी टैरिफ लगा देंगे, और नयी दिल्ली बदले में बीजिंग के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश करेगी. फिर, कौन सोच सकता था कि ट्रंप यूरोप और यूक्रेन की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए पुतिन को अमेरिका में आमंत्रित करेंगे. पर यह सब हुआ. अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पहिया आज ऐसी दिशा में घूम रहा है, जिसका सटीक अनुमान अनुभवी राजनयिक भी नहीं लगा सकते.

मौजूदा वैश्विक अव्यवस्था के लिए ट्रंप काफी हद तक जिम्मेदार हैं. उनकी अनिश्चित और मनमानी नीतियों ने मौजूदा व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर दिया है. बड़ी संख्या में भारतीय ट्रंप की जीत से खुश हुए थे. उन्होंने गलतफहमी में मान लिया था कि ट्रंप साम्यवादी चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार के रूप में लोकतांत्रिक भारत की मदद करेंगे. पर ऐसी उम्मीदें नासमझ और अवास्तविक थीं. ट्रंप की एकमात्र चिंता अमेरिका को फिर से महान बनाना है. वह प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक साझेदारी को महत्व नहीं देते. हेनरी किसिंजर ने कभी कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, पर अमेरिका का दोस्त होना घातक है. दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने के ट्रंप के बार-बार के बयानों और उनके द्वारा लगाये गये 50 प्रतिशत टैरिफ ने भारतीयों को झकझोर दिया. नतीजतन पिछले तीन दशकों में दोनों प्रशासनों द्वारा कड़ी मेहनत से बनाया गया विश्वास हवा में उड़ गया है. बदलती वैश्विक भू-राजनीति में यह संभावना है कि भारत रूस के साथ अपने संबंध और मजबूत करेगा तथा चीन के साथ अपने तनाव कम करेगा. नये घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि भारत और चीन, दोनों एक-दूसरे के प्रति अपनी रणनीति में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. चीन के विदेश मंत्री वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आये. यहां उनका भव्य स्वागत हुआ. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता में भाग लिया. विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और रचनात्मक संबंध वैश्विक शांति और व्यवस्था में योगदान देंगे. उन्होंने बताया कि पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में लगातार प्रगति हुई है.

चीन और भारत के संबंध सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं और इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है. वांग यी ने दोहराया कि भारत और चीन के बीच 23वीं विशेष प्रतिनिधि स्तरीय वार्ता के बाद से शांति और सौहार्द कायम है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर यह विशेष प्रतिनिधि स्तरीय वार्ता तनाव कम करने, परिसीमन और सीमा विवादों पर केंद्रित है. गलवान सीमा गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच संबंध टूट गये थे. लेकिन अब भारत और चीन सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, सीमा व्यापार बढ़ाने और सीमा मुद्दों पर नया तंत्र बनाने पर सहमत हुए हैं. सीमा मुद्दों के समाधान के संबंध में निम्नलिखित तीन नये तंत्र होंगे : सीमा परिसीमन में मुद्दों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह, सीमा प्रबंधन के लिए एक कार्य समूह, और पूर्वी व मध्य क्षेत्र में एक सामान्य स्तर का तंत्र. दोनों पक्ष तीन निर्दिष्ट व्यापारिक बिंदुओं, लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार खोलने पर भी सहमत हुए. चीन दुर्लभ मृदा, उर्वरक और सुरंग खोदने वाली मशीन से संबंधित भारत की तीन चिंताओं का समाधान करने पर सहमत हुआ है. सीमापार नदी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और आपात स्थिति में चीन जल विज्ञान संबंधी जानकारी साझा करने पर भी सहमत हुआ. भारत ने यारलुंग त्सांगपो पर, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, चीन द्वारा बांधों के निर्माण पर अपनी चिंता व्यक्त की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन जायेंगे. पहली नजर में उनकी यह यात्रा सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर कोई परिदृश्य से अलग हटकर देखने की कोशिश करे, तो असली मकसद सामने आ जायेगा. एससीओ बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा चीन-भारत संबंधों में मधुरता लाने का एक प्रयास है.

एससीओ चीन के नेतृत्व वाला एक सुरक्षा संगठन है, जो मुख्य रूप से मध्य एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर केंद्रित है. पिछले दो वर्षों के रिकॉर्ड देखें, तो भारत ने इस संगठन में कम ही रुचि दिखायी है. भारत की पहली अध्यक्षता में, एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन को 2023 में वर्चुअल प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया था. इसके अलावा, प्रधानमंत्री पाकिस्तान में हुए पिछले एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे और इसके बजाय विदेश मंत्री एस जयशंकर को उन्होंने भेजा था. लेकिन चीन में होने वाली एससीओ बैठक में प्रधानमंत्री भाग लेंगे. हालांकि चीन-भारत की मौजूदा नजदीकी का यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के प्रति बीजिंग का रवैया बदल गया है. ऐसे ही, 2020 में सीमा पर हुए तनाव के बाद भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह सहज नहीं हुए. गौर करने की बात है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2023 में भारत द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे. यह मानने का कारण है कि सामान्य स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होते. लेकिन उन्होंने चीन जाने का फैसला किया है, तो इसका जवाब भारत के बारे में ट्रंप के प्रतिकूल बयानों और उनकी नीतियों में निहित है. ट्रंप के आक्रामक रुख ने भारत को चीन के साथ अपने संबंधों में नरमी लाने पर मजबूर कर दिया है.

जाहिर है, भारत की रणनीति में बदलाव आ रहा है, जिसमें गैर-पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंधों को प्राथमिकता दी जायेगी. ब्रिक्स और एससीओ के साथ भारत के संबंध भी मजबूत होंगे. चीन के साथ भारत के बेहतर संबंधों का क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. उनके वैश्विक हितों में समानता और भिन्नता, दोनों हैं. पिछले 75 वर्षों में भारत और चीन ने अपने संघर्षों को यथोचित रूप से प्रबंधित किया है और कोई कारण नहीं है कि वे भविष्य में भी ऐसा न कर सकें. भारत और चीन सभ्यता आधारित देश हैं और उन्हें दीर्घकालिक स्थायी संबंधों में भारी निवेश करना चाहिए.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

आइटी क्षेत्र में छंटनी का मौजूदा दौर लंबा नहीं होगा

प्रभात सिन्हा
आइटी विशेषज्ञ
kprabhatsinha@gmail.com

आइटी क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से भी ज्यादा समय से छंटनी का सिलसिला जारी है. हाल की छंटनी ने इस उद्योग को जागरूक किया है कि नये कौशल और मॉडल अपनाने वाली कंपनियों व पेशेवरों की नौकरियां ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ रहेंगी.

सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से भी ज्यादा समय से छंटनी का सिलसिला जारी है. हाल ही में देश की सबसे बड़ी आइटी संस्था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने अपने कुल कार्यबल का लगभग दो फीसदी, यानी करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की. छंटनी की यह पहली घटना नहीं है, 2023 में भी इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियों ने प्रतिस्थापन बहाली रोक कर और छंटनी के जरिये 67,000 से अधिक नौकरियों में कटौती की थी. एलटीआइ माइंडट्री जैसी कई मध्यमवर्गीय आइटी कंपनियों ने भी हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया. अकेले 2023 में अनुमानित 2.62 लाख तकनीकी पेशेवरों ने नौकरी खोयी. आइबीएम, सिस्को, एसएपी, इंटेल, ट्विटर (एक्स) और अनगिनत स्टार्टअप्स ने लागत कम करने के नाम पर बड़े पैमाने पर कटौती की. वर्ष 2023 में एक महीने में ही एक लाख से अधिक नौकरियां खत्म हो गयी थीं. इस साल जून तक दुनियाभर में आइटी क्षेत्र में 80,000 से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं.

इस संकट की जड़ें महामारी में की गयी जरूरत से ज्यादा भर्ती में छिपी हैं. कोविड के समय बढ़ती डिजिटल मांग को देखते हुए कंपनियों ने बड़े पैमाने पर बहाली की थी, पर बाद में उनके पास जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हो गये. बढ़ती मुद्रास्फीति और ब्याज दरों ने उपभोक्ता खर्च घटाया, जिससे अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंकाएं बढ़ीं. शेयर बाजार गिरने से कंपनियों के मूल्यांकन घटे और उन्होंने लाभ बचाने के लिए तकनीकी निवेश में कमी और छंटनी को चुना. इस बीच यूक्रेन युद्ध, यूरोप में ऊर्जा संकट और चीन की सुस्ती ने वैश्विक मंदी को और गहरा किया. भारत में स्टार्टअप फंडिंग 2023 की पहली छमाही में पिछले वर्ष की तुलना में 70 फीसदी से अधिक गिर गयी और कोई नया यूनिकॉर्न सामने नहीं आया. एआइ और स्वचालन भी इस बदलाव के अहम कारक बने. चैटजीपीटी, जेमिनी और डीपसीक जैसे जेनरेटिव एआइ टूल्स के उपयोग से प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग और सपोर्ट जैसे कई कार्य स्वचालित हो चुके हैं.

भारत का आइटी क्षेत्र आज 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और जीडीपी में सात-आठ फीसदी योगदान करता है. यह भी कि यहां छंटनी का पैमाना अमेरिका-यूरोप की तुलना में कम है. सिलिकॉन वैली जैसी 25-50 फीसदी कटौती करने के बजाय भारतीय कंपनियां भर्ती रोकने, ऑफर स्थगित करने और प्रदर्शन आधारित निकासी जैसे नरम तरीकों से कर्मचारियों की संख्या घटाती हैं. इसका सर्वाधिक असर मध्यम और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों पर पड़ा है. वहीं एंट्री लेवल नौकरियां अपेक्षाकृत सुरक्षित रहीं, हालांकि कैंपस हायरिंग धीमी कर दी गयी. अमेरिका में 2022 के अंत से अब तक 80,000 से अधिक भारतीय आइटी पेशेवर बेरोजगार होकर भारत लौट चुके हैं. इससे स्थानीय नौकरी बाजार पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है. आइटी उद्योग लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तंभ रहा है. अच्छी तनख्वाह पाने वाले आइटी पेशेवर बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और गुरुग्राम जैसे शहरों की आर्थिक धड़कन हैं. यदि छंटनी का दौर लंबा खिंचता है, तो इन शहरों के रियल एस्टेट बाजार में सुस्ती आ सकती है, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग घट सकती है और रिटेल व हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र को नुकसान झेलना पड़ सकता है.

इस संकट से निपटने के लिए आइटी पेशेवर बड़े पैमाने पर क्लाउड, एआइ/एमएल, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में कौशल सीख रहे हैं. कुछ आइटी सेवा प्रदाता आवर्ती मूल्य पर बेचे जाने वाले सॉफ्टवेयर, उपकरण, प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं की बौद्धिक संपदा उत्पादित कर राजस्व व रोजगार के नये स्रोत बना रहे हैं. वरिष्ठ कर्मचारी उत्पाद प्रबंधन, टेक सेल्स, फ्रीलांसिंग, परामर्श और स्टार्टअप्स की ओर बढ़ रहे हैं. आइटी कंपनियां भी अपने ढांचे को पुनर्गठित कर उत्पादकता, स्वचालन और विविधीकरण पर ध्यान दे रही हैं. आर्थिक सर्वेक्षण, 2024-25 ने स्टेम (विज्ञान, तकनीक, अभियंत्रण और गणित) में कौशल अंतर कम करने की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत पांच साल में 10 लाख युवाओं को व्यावहारिक अनुभव दिलाने का लक्ष्य है. स्किल इंडिया मिशन और नैसकॉम फ्यूचर स्किल्स जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं को एआइ, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरते स्टार्टअप क्षेत्रों में नये अवसर दे रहे हैं. भारत सरकार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को बढ़ावा दे रही है, जिससे देश में उच्च-स्तरीय शोध, डिजाइन और अभियंत्रण संबंधित नौकरियां पैदा होंगी. इसका असर यह है कि भारत केवल सेवाओं का गढ़ नहीं रहेगा, वैश्विक नवाचार का भी केंद्र बनेगा. स्पष्ट है कि मौजूदा दौर लंबी गिरावट का नहीं, पुनरोदय का है. विदेशों में और भारत में डिजिटल रूपांतरण, क्लाउड व एआइ की मांग कायम है. जैसे ही ब्याज दरें थमेंगी, विश्वास लौटेगा, तकनीकी भर्ती फिर से जीवंत होगी और भारतीय आइटी उद्योग मजबूत, सक्षम और भविष्य के लिये तैयार होकर उभरेगा. हाल की छंटनी ने उद्योग को जागरूक किया है कि नये कौशल और मॉडल अपनाने वाली कंपनियों व पेशेवरों की नौकरियां ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ रहेंगी.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

व्यापार युद्ध के कारण घरेलू बाजारों का रुख कर सकते हैं एशियाई देश

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

एशिया के निर्यात उन्मुख देश अमेरिकी व्यापार युद्ध का खामियाजा भुगतने वाले हैं. अगस्त की शुरुआत में टैरिफ लागू होने से आयातकों और उपभोक्ताओं की लागत बढ़ने लगी है, साथ ही व्यापार प्रवाह बाधित हो रहा है. वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे मांग में गिरावट आ रही है. हालांकि इस समस्या में उपभोक्ता प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का एक अवसर छिपा है. एशिया के वे देश, जो अमेरिकी बाजारों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, वे अधिक टिकाऊ विकास की राह बना सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अप्रत्याशित अमेरिकी नीतियों के उतार-चढ़ाव से बचा सकते हैं. ट्रंप की नयी टैरिफ व्यवस्था के तहत अब अमेरिका आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर कर लगाया जा रहा है. इससे अंतर्निहित मुद्रास्फीति (कोर इंफ्लेशन) और उत्पादक कीमतें बढ़ रही हैं. विकास को लेकर चीन का हालिया संघर्ष क्षेत्र के कई देशों के लिए व्यापार अनिश्चितता को और बढ़ा रहा है. चीन का घरेलू बाजार बढ़ते व्यापार प्रवाह के साथ अमेरिका के बराबर और संभवतः उससे भी आगे निकल कर विकास इंजन बनने की ओर अग्रसर था. हालांकि, हाल के आर्थिक संकेतक और घरेलू मांग का सीमित होना, दोनों यह संकेत देते हैं कि अमेरिका को होने वाले निर्यात में व्यापक कमी के इस दौर में अकेले चीन शेष क्षेत्र को सहारा नहीं दे सकता. तमाम अनिश्चितता के बीच, एशिया के कई देशों के पास अपने अतीत की निर्यात आधारित आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने का अवसर है. जहां राजनीतिक ताकतें यथास्थिति को प्राथमिकता देती रही हैं, वहां व्यापार में आयी भारी कमी वैकल्पिक आर्थिक मॉडलों के द्वार खोल रही है. जैसे-जैसे अमेरिका में निर्यात के अवसर कम होते जा रहे हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया के साथ जापान तथा दक्षिण कोरिया भी अपने अविकसित घरेलू बाजारों का रुख कर सकते हैं. यहां उपभोक्ता आधारित विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश है.

-ब्रायन पी क्लेइन

South China Morning Post

बोधि वृक्ष

दैवी संपदा

जिस स्थान पर दैवी संपदा वाले लोग रहते हैं, वहां की हवा में भी एक महक होती है. दैवी संपदा का पहला गुण है कि साधक के अंदर भय नहीं होता. अगला गुण है मन की निर्मलता. मन को स्वस्थ रखना. क्रोध, लालच, ईर्ष्या को दूर करना. यदि किसी के प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष है, तो उसके पास जाकर स्वीकार करो. साधक अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होता है. धार्मिक राह पर चलने के कुछ गुण हैं, जैसे दान. दान सात्विक होना चाहिए, राजसिक नहीं. जब आप स्वर्ग या पुण्य या स्वार्थ के चक्कर में दान करते हैं, तो यह राजसिक दान है. सामने वाले को भगवत्स्वरूप समझकर दान देना, सात्विक दान है. इंद्रियों का दमन- दूसरे के लिए दान और अपने लिए दमन होना चाहिए. दमन का मतलब संयम है. तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा में होना चाहिए. तुम अपनी इंद्रियों और मन के दास न बनो. यज्ञ करना- लकड़ी, घी, हवन सामग्री आदि से मंत्रों सहित आहुति देना भी एक यज्ञ है. जप, सेवा भी यज्ञ है. स्वाध्याय- अच्छी पुस्तकें पढ़ना. दूसरा अर्थ है अपने आपका अध्ययन करना. इसमें अपने आपको, अपने मन को जानते हैं. अहिंसा- मन, वाणी और विचार से हिंसा न हो. अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना- कोई आपका नुकसान करे, तो उससे बदला लेने के लिए आपके मन में उस समय जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह दूर-दूर तक दैवी संपदा का हिस्सा नहीं है. आप दूसरों को नहीं बदल सकते, परंतु अपने आपको बदल सकते हैं. शांति- इसका अर्थ है कि आपका मन शांत है, कोई लहर नहीं, चंचलता नहीं. निंदा न करना- निंदा करने वाले और निंदा सुनने वाले, दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं. दोनों ही परिस्थितियों में मन को दुख पहुंचता है. आपके व्यवहार में, बोली में कोमलता होनी चाहिए. जब दूसरों से व्यवहार करें, तब बहुत कोमल रहें. यदि आप नियम, विवेक, ज्ञान और श्रद्धा के पक्के हैं, तो कोई आपको डिगा नहीं सकेगा. साधकों में ये सब लक्षण होने चाहिए, इसलिए प्रार्थना करनी है और प्रयास करना है कि यह दैवी संपदा हममें प्रकट हो.

-आनंदमूर्ति गुरु मां

कुछ अलग

व्यवस्था पर बढ़ता विश्वास

देवेंद्रराज सुथार
टिप्पणीकार
devendrakavi1@gmail.com

हाल ही में वंदे भारत में मुंबई से सूरत की यात्रा कर रही एक महिला यात्री 'पूर्वी' ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव को साझा किया, जो देशभर में महिलाओं की सार्वजनिक यात्रा को लेकर चर्चा का विषय बन गया. ट्रेन में रात के समय अकेले सफर करते हुए पूर्वी जब विश्राम कर रही थीं, तभी दो महिला रेलवे सुरक्षा बल अधिकारी उनके पास आयीं और उनका नाम लेकर हालचाल पूछा. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वह ठीक हैं और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है. साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया, ताकि आपात स्थिति में वह तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें.

यह घटना वास्तव में एक गहरा संदेश देती है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल गार्ड या पुलिस की तैनाती से नहीं, बल्कि संवेदनशील निगरानी और संवाद से भी सुनिश्चित की जा सकती है. पूर्वी ने अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा कि 'यह एक छोटा कदम था, पर महसूस हुआ कि हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है.' इस अनुभव से इस बात को बल मिला कि आज का भारत महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और संवेदनशील हो रहा है. इस घटना का संदर्भ भारत सरकार की 'मेरी सहेली' योजना से जुड़ा है, जो विशेष रूप से महिलाओं की ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गयी है. इस योजना के तहत महिला पुलिसकर्मी यह जानकारी रखती हैं कि कौन-कौन सी महिला अकेले यात्रा कर रही है और वह यात्रा के दौरान उनसे बातें करती हैं, उनका हालचाल लेती हैं और किसी तरह की परेशानी होने पर तुरंत सहायता के लिए तैयार रहती हैं. इस योजना के तहत केवल सतही सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक भरोसे का माहौल तैयार किया जा रहा है. आज जब भी कोई महिला अकेले लंबी यात्रा करती है, तो उसके परिवार वालों को उसकी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है. ऐसे में पूर्वी का अनुभव दर्शाता है कि सरकारी प्रयास अगर सही दिशा में हों, तो नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं रह जातीं, बल्कि जमीन पर सकारात्मक बदलाव लाती हैं.

पूर्वी की पोस्ट देखकर यह भी समझ में आता है कि महिलाओं को सिर्फ एक सुरक्षित माहौल ही नहीं, एक ऐसा सामाजिक वातावरण भी चाहिए जहां उन्हें किसी का सहारा नहीं, विश्वास मिले. महिला सुरक्षा बल अधिकारियों का छोटा-सा प्रयास यह भरोसा देने में सफल रहा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब कहीं अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपना रही हैं. यह उदाहरण महज एक योजना की सफलता नहीं है, बल्कि नागरिकों और प्रशासन के बीच बढ़ते भरोसे का प्रतीक भी है. यह घटना हमें यह भी बताती है कि जब प्रशासन संवेदनशील हो, तो नागरिक अधिक जागरूक और सहयोगी बनते हैं.

आपके पत्र

राजनीति में बढ़े युवाओं की भागीदारी

भारत युवाओं का देश है. देश की लगभग साठ प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम की है, लेकिन राजनीति में युवाओं की भागीदारी निराशाजनक है. एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में 35 वर्ष से कम आयु के नेताओं की भागीदारी मात्र 10 प्रतिशत है. भारत में अधिकांश युवा नेताओं को राजनीति विरासत में मिली है. राजनीति में बढ़ता धन-बल व भ्रष्टाचार युवाओं के चुनाव लड़ने में रुकावट उत्पन्न कर रहा है. युवाओं की ऊर्जा, सोच एवं तकनीक में दक्षता का राजनीति में भरपूर उपयोग होना चाहिए.

हिमांशु शेखर, गयाजी

सबकी पहुंच में हो शिक्षा और स्वास्थ्य

शिक्षा एवं चिकित्सा किसी भी देश के नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं हैं. इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बावजूद इसके देश में शिक्षा और चिकित्सा आम आदमी की पहुंच से आज भी दूर है. इसी को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शिक्षा एवं चिकित्सा के निजीकरण एवं बाजारीकरण पर कड़ा प्रहार किया है. मोहन भागवत के बयान पर सभी सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि भविष्य में सभी लोगों तक शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पहुंच हो.

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 21-08-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP10 User: kamlesh.mestry Time: 08-20-2025 22:51 Color:

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । गुरुवार, 21 अगस्त 2025

राइट ट्रैक

चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नई सहजता देखने को मिल रही है। भारत के नजरिये से यह बेहद अहम है कि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स के निर्यात पर लगाई बंदिशों में छूट देने पर हामी भर दी है। इन दोनों ही चीजों के लिए देश आयात पर निर्भर करता है। व्यापार के लिए सीमा के कुछ रास्ते खोलने का फैसला भी स्वागत योग्य है।

मिलेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स

रेयर अर्थ की जरूरत । वांग यी ऐसे वक्त में भारत आए, जब पूरी दुनिया में समीकरण तेजी से बन-बिगड़ रहे हैं। दोनों देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का असर पड़ा है और इसी वजह से उम्मीद भी थी कि इस दौरे से कुछ सकारात्मक हासिल हो सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स आज की टेक्नॉलजी की जरूरत हैं और इन पर लगभग पूरी तरह से चीन का कब्जा है। दुनिया की जरूरत की 90% सप्लाई चीन से आती है। इसमें भी 60% वह खुद प्रोड्यूस करता है। भारत भी अपनी जरूरत के लगभग 80% रेयर अर्थ के लिए चीन पर निर्भर है।

चीन पर निर्भरता । इस साल अप्रैल में पेइचिंग ने अमेरिकी नीतियों के विरोध में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर कड़ाई कर दी थी। इससे पूरी दुनिया में ऑटोमोटिव और डिफेंस सेक्टर पर असर पड़ा। भारत भी इससे प्रभावित हुआ। इसी तरह, फर्टिलाइजर्स के मामले में भी चीन पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। 2024-25 में देश ने कुल आयात का 19.17% डाई-अमोनियम फास्फेट (DAP) चीन से मंगाया था। भारतीय किसान यूरिया के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी खाद का करते हैं।

समझ बनी । इस दौरे की अच्छी बात यह रही कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की चिंताओं को समझा। जिन मुद्दों को लेकर हाल में आशंकाएं उठी हैं, उन पर खुलकर चर्चा हुई। भारत ने आतंकवाद और ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बांध का मामला उठाया। वहीं, ताइवान पर चीन को आश्वस्त किया कि उसकी 'वन चाइना पॉलिसी' बदली नहीं है। बाकी दुनिया की तरह उसके भी ताइवान के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध हैं।

एक और मौका । भारत और चीन का रिश्ता ऐसा है, जिसके एकदम से गर्मजोशी से भर जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। दोनों के बीच सीमा विवाद का पुराना इतिहास है, बॉर्डर पर अब भी भारी संख्या में सैनिक आमने-सामने हैं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मसला भी है। अच्छी बात यह है कि दोनों देशों में संवाद जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी 31 तारीख को चीन जाना है। SCO समिट से इतर उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भी होगी। तब एक बड़ा मौका होगा, जहां दोनों पड़ोसी आपसी सहयोग को नई दिशा दे सकते हैं।

आमची मुंबई

पधार रहे बप्पा

हरि मृदुल

हर बार की तरह अब की भी बप्पा पधार रहे हैं। हालांकि इस बार बहुत संभल कर कदम धर रहे हैं राहों पर। धारासार बरसात ने सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए हैं। यूं गड्ढे तो पिछली बार भी थे, लेकिन इतने नहीं। इस बार तो हद ही हो गई है। टेक्नोलॉजी में हर साल इजाफा हो रहा है, सो अब की उन्हें उम्मीद थी कि एकदम चकाचक होंगी सड़कें। परंतु ऐसा नहीं हुआ। जिधर नजर डालो, उधर गड्ढे। एक तो सड़कों पर इतने सारे गड्ढे, ऊपर से बप्पा का बढ़ा हुआ वजन। पिछली बार से वजन बढ़ चुका है बप्पा का। मोदक और लड्डू उन्हें बहुत प्रिय हैं। पता नहीं भक्तजन कौन से घी का इस्तेमाल करने लगे हैं कि न चाहते हुए भी वजन बढ़ जाता है। अब की तो उनके वाहन चूहे ने भी शिकायत कर दी कि प्रभु, पहले से ही आपका वजन अच्छा-खासा था, ऊपर से आपने कई किलो वजन बढ़ा भी लिया है। कृपा किजिए महाराज, कुछ किलो तो वजन घटा ही दीजिए! मुझे परेशानी होने लगी है!

चूहे की बात सुन बप्पा ने एक नजर अपने शरीर पर डाली है। सचमुच पिछले साल की तुलना में शरीर ज्यादा भारी लग रहा है। जब से पधारे हैं, गड्ढों से बचने के लिए उन्हें बड़ी कसरत करनी पड़ रही है। उछल-उछल कर गड्ढे फांदने में खासी दिक्कत हो रही है। जरा-सा भी बैलेंस बिगड़ा नहीं कि प्लास्टर चढ़ा महीनेभर घर बैठना पड़ेगा। खुद ही घर बैठ गए, तो करोड़ों भक्तजनों का क्या होगा? बप्पा को याद आया कि कुछ दिन पहले ही तो मां पार्वती ने झिड़का था कि हमेशा ही हमारी परिक्रमा कर अपने आसन पर बैठ जाते हो। बचपन की बात अलग थी। जरा कार्तिकेय को देखो। जब मन आता है, धरती की परिक्रमा करने निकल जाता है। इसीलिए तो एकदम स्लिम-ट्रिम- फिट बना हुआ है!!

इधर बप्पा के कानों में एक भक्त की बातचीत पड़ गई, तो उनका मन थोड़ा खिन्न हो गया है। उन्हें स्थापित करने से पहले एक अन्य भक्त चिंतित हुआ- भाई, संभल कर पकड़ो। पूरी सावधानी से। फिसल गए, तो काम बिगड़ सकता है...। तब पहले वाले भक्त ने कान में फुसफुसा कर कहा है- टेंशन नको भाऊ। बप्पा का इंश्योरेंस करवा रखा है!!

एकदा

राजा की ज़िम्मेदारी

हम्मूराबी छठा शासक था मेसोपोटामिया (बेबीलोन) का, जिसने 1792-1750 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके राज में कानून पत्थर की पट्टिकाओं पर खुदवाए गए थे, ताकि हर नागरिक जान सके कि न्याय के नियम सभी के लिए एक समान हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। एक बार भव्य राजदरबार लगा हुआ था। तभी मैले-कुचैले वस्त्र में, चेहरे पर निराशा लिए कुछ किसान दरबार में आए। किसानों ने राजा से कहा, 'महाराज, नदी पर बना बांध टूट गया। पूरा खेत बह गया, फसल खत्म हो गई। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं।' किसानों की बात सुनते ही मंत्री ने कहा, 'यह प्राकृतिक आपदा है। इसमें राजा क्या करे?' तभी एक वृद्ध किसान बोला, 'महाराज, दो महीने से हम निवेदन कर रहे थे कि बांध में दरार आ गई है, पर किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली।' हम्मूराबी ने चौंककर पूछा, 'क्या यह सत्य है?' सभी मंत्री मौन थे। हम्मूराबी ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कीं, फिर बोले, 'यदि इस राज्य में किसी बांध की उपेक्षा से किसान बर्बाद हो जाएं, तो इसका दोष मेरे सिर है।' दरबार में सन्नाटा छा गया। हम्मूराबी सिंहासन से उठे, राजकोषाध्यक्ष को आदेश दिया, 'इन सभी किसानों का इस वर्ष का कर माफ किया जाए। राजकोष से उन्हें अनाज और बीज दिए जाएं और बांध की मरम्मत आज से ही आरंभ हो!' भला कौन राजा अपनी भूल खुले दरबार में स्वीकार करता है! राजा के न्याय को देखकर जनता उनकी जयकार करने लगी।

Subrata Dhar

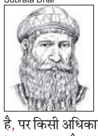

संकलन : **रिंकल शर्मा**

PM, CM या मंत्री को जेल जाने पर इस्तीफ़ा देने वाला बिल सही है या नहीं

NBT आमने-सामने

राजनीति से करप्शन हटाने में मदद मिलेगी

अवधेश कुमार

कायदे से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश नए विधेयक को संपूर्ण राजनीतिक प्रतिष्ठान का समर्थन मिलना चाहिए था। देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए न जाने कितनी बहस हुई, समाचारपत्रों-पत्रिकाओं में असंख्य लेख लिखे गए। इस विधेयक का उद्देश्य वही है जिसकी मांग लंबे समय थी - यह कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके। मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

विपक्ष की आशंका । इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ये तीन विधेयक तैयार किए हैं। लेकिन बहुतों को यह पच नहीं रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि BJP सरकार विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक, सरकार की योजना है कि केंद्र की एजेंसियों से विपक्षी नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कराया जाए और फिर नए कानून के तहत उन्हें पद से हटा दिया जाए। क्या वाकई ऐसा ही है?

क्यों जरूरी हैं विधेयक
- राजनीतिक भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश
- कई नेता जेल जाकर भी पद नहीं छोड़ते
- ये बिल कानून की कमियों को दूर करेंगे

तीन विधेयक । सरकार ने तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं - केंद्रशासित क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 में गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इसकी धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। इसी तरह संविधान में भी आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी मंत्री को हटाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन की जरूरत है। चूंकि जम्मू और कश्मीर में भी प्रावधान नहीं है, इसलिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन किया जाएगा।

तीस दिन की समय-सीमा । किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले संशोधन प्रस्तावों को भी सरसरी तौर पर देखना होगा। अनुच्छेद 75 (केंद्र सरकार - प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल) प्रावधान के अनुसार, यदि कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक गंभीर अपराध (5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध) के आरोप में जेल में है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो भी 31वें दिन के बाद वह मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ माना जाएगा। यदि प्रधानमंत्री स्वयं 30 दिन तक ऐसे आरोप में जेल में हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक त्यागपत्र देना होगा। यदि नहीं देते, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यही बात मुख्यमंत्री के साथ है।

दुरुपयोग का डर । जहां तक दुरुपयोग की बात है तो किसी भी कानून या प्रावधान के दुरुपयोग की गुंजाइश बनी रहती है। दुरुपयोग की आशंका से कानून ही न बनाए जाएं तो क्या होगा? आखिर हमने यह स्थिति देखी है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बावजूद मंत्री एवं मुख्यमंत्री लंबे समय तक त्यागपत्र नहीं देते और न्यायालय भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते।

इस्तीफे की बाध्यता । भ्रष्टाचार ने राजनीति के प्रति पूरे समाज में वितृष्ण पैदा की है। केंद्र और राज्यों में लोकपाल कानून के लिए अनेक आंदोलन हुए। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का तो एक सूत्री आह्वान था कि हम जन लोकपाल लाएंगे। तत्कालीन यूपीए सरकार ने लोकपाल कानून बनाया भी। लेकिन अगर नेताओं के त्यागपत्र का प्रावधान नहीं होगा तो लोकपाल या कोई न्यायालय कुछ नहीं कर सकता।

AI Image

भ्रष्ट तत्वों का विरोध । एक समय जो पार्टियां और नेता भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़े कानून की मांग करते थे वही भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसने लगे। राजनीति में जब भ्रष्टाचारी नेता रहेंगे तो उनकी तरफ से ऐसे कदमों का विरोध भी होगा। इस समय प्रत्यक्ष राजनीति के परे सत्ता को प्रभावित करने वाले ऐसे समूह खड़े हैं जो स्वयं सत्ता से मिल भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे लोग राजनीति में किसी तरह की स्वच्छता स्थापित करने के कदमों पर प्रश्न खड़ा कर उसके विरोध का माहौल बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे ही।

कानून बढ़ाएगा विश्वसनीयता । दुनिया के सबसे बड़े और सफल लोकतांत्रिक ढांचे का दावा करने वाले भारत की साख तथा विश्वसनीयता ऐसे कानून से बढ़ेगी। जब तक हमारे यहां अपने पद की गरिमा और मर्यादा को रौंदने वाले भ्रष्ट, अनैतिक नेता मौजूद हैं तो फिर ऐसे कानून बनाने और उन्हें करने की आवश्यकता भी जबनी रहेगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक हैं)

यह सत्ता पक्ष के लिए भी है ख़तरे की घंटी

नीरजा चौधरी

भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव चर्चा का केंद्र बन रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने पर उनके पद से हटाने का प्रावधान है। यह प्रस्ताव अचानक और बिना किसी पूर्व चर्चा के सामने लाया गया है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं।

बालाजी केस । हालिया मामले देखें तो तमिलनाडु के परिवहन मंत्री रहे वी. सेंथिल बालाजी का केस याद आता है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला था। गवर्नर आर.एन. रवि ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर, 2024 को बालाजी को जमानत दी, लेकिन उनकी मंत्रिमंडल में पुनर्बहाली पर सवाल उठाए गए। इस घटना ने यह बहस छेड़ दी कि क्या मंत्रियों को आपराधिक आरोपों के आधार पर हटाया जाना चाहिए?

विपक्ष का विरोध । विपक्षी नेताओं, जैसे प्रियंका गांधी और अभिषेक मनु सिंघवी आरोप लगा रहे हैं कि यह कानून उन मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है, जिन्हें चुनावों में हराना संभव नहीं हुआ। सिंघवी ने इसे 'चोर को पकड़ने' की बजाय 'विपक्ष को खत्म करने' की रणनीति बताया है। उनका तर्क है कि इस कानून के तहत 30 दिनों के बाद व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा, भले ही कोई ठोस सबूत न मिले।

राजनीतिक गठजोड़ । इस प्रस्ताव का एक और आयाम उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़ा जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बिल सहयोगी दलों पर भी दबाव बनाने के लिए लाया गया है। हालांकि TDP ने स्पष्ट किया है कि वह NDA के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। DMK ने भी कहा है कि वह क्षेत्रीय पहचान के आधार पर निर्णय नहीं लेगी, बल्कि राजनीतिक रणनीति को प्राथमिकता देगी। लेकिन यह प्रस्ताव राजनीतिक गठजोड़ को प्रभावित करने का भी एक हथियार हो सकता है। एक और अहम बात, बिल के दायरे में पीएम भी हैं। उन्हें इससे बाहर रखना चाहिए, वरना इसका इस्तेमाल देश को अस्थिर करने वाली ताकतें भी कर सकती हैं।

खतरा सब पर । यह संशोधन संवैधानिक बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग होने की आशंका व्यापक रूप से व्यक्त की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों, जैसे ईडी और आयकर विभाग का उपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुआ है। लेकिन इस संशोधन से सत्ताधारी दल के उन नेताओं पर भी खतरा मंडरा सकता है जो स्वतंत्र विचार रखते हैं, मसलन नितिन गडकरी जैसे नेता।

बिल से चिंता
- जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ सकता है
- केवल आरोपों के आधार पर कैसे हो एक्शन
- पीएम का दायरे में होना देश के लिए खतरा

बढ़ता दायरा । यह सही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन उसका आधार क्या हो? यदि केवल आरोप लगाकर या हिरासत में लेकर किसी को हटाया जा सकता है, तो यह प्रक्रिया दुरुपयोग के लिए खुला रास्ता देती है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पहले भी देखा गया है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। विपक्ष के साथ-साथ सत्ताधारी दल के अंदर के मंत्रियों और सहयोगी दलों के बीच भी इस कानून को लेकर असहजता देखी जा रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि BJP और उसके सहयोगी इस पर क्या रुख अपनाते हैं।

फायदे की मंशा । सत्ताधारी दल दावा कर सकता है कि यह कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, और उनके अपने मंत्रियों को भी हटाया जा सकता है। यदि मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जाता है, तो जनता में यह संदेश जा सकता है कि सरकार निष्पक्ष है। लेकिन यह भी एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, जिससे सत्ताधारी दल को नैतिक श्रेष्ठता का लाभ मिले। इस तरह के कदम से भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उठेगा, लेकिन सवाल भी बना रहेगा कि क्या यह कानून वास्तव में पारदर्शिता लाएगा?

कितना उचित । इस प्रस्ताव का भविष्य क्या होगा? यह सिलेक्ट कमिटी में जाएगा, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इसमें भविष्य में बदलाव हो सकते हैं। आज जो प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, उसमें यह खतरा निहित है कि केवल आरोप लगाकर किसी को 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया जाए और इस दौरान वह अपनी बेगुनाही साबित न कर पाए। इससे उसकी राजनीति खत्म हो सकती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह लोकतंत्र के लिए उचित है? क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, या सियासी विरोधियों को निशाना बनाने का एक हथियार? हालांकि एक अहम सवाल यह भी बना हुआ है कि क्या BJP की अगुआई वाली NDA सरकार इस संशोधन को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में जरूरी दो तिहाई बहुमत जुटा पाएगी।

(लेखिका वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

रुक सकती है शहरों में आने वाली बाढ़

महावीर गोलेच्छा

भारत में शहरी बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ा है। हाल के दशकों में कई बड़े और छोटे भारतीय शहरों को बाढ़ की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। यह समस्या तेजी से बढ़ते शहरीकरण, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण और भी गंभीर हो गई है।

गुम होते जल निकाय । राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले 40 वर्षों में प्रमुख भारतीय शहरों ने अपने 70-80% जल निकायों को खो दिया है। इसकी वजह से प्राकृतिक जल भंडारण क्षमता में कमी आई है और प्राकृतिक जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

आर्थिक नुकसान । शहरी बाढ़ को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि इस प्राकृतिक आपदा से भारत में सालाना लगभग 4 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 5 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (2018) का लगभग 0.7% शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर खर्च करता है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।

बीमारियों का प्रकोप । बाढ़ के तुरंत बाद गैस्ट्रोएन्टेराइटिस और संक्रामक दस्त जैसी भोजन एवं पानी जनित बीमारियों की दर बढ़ जाती है। डायरिया, मलेरिया, टाइफायड, और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस जैसी वेक्टर एवं जल जनित बीमारियां शहरी बाढ़ के बाद तेजी से बढ़ती हैं। पटना में आई बाढ़ के कारण मलेरिया और डायरिया के मामले काफी बढ़ गए थे, जबकि मुंबई में आई बाढ़ के कारण लेप्टोस्पायरोसिस का प्रकोप फैल गया था।

AI Image

कॉमन रूम

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास । निर्मित क्षेत्रों के तेजी से विकास के कारण शहरों की तूफानी पानी को अवशोषित करने की क्षमता भी कम हो रही है, जिससे वे बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। 2050 तक आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे का 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण अभी भी किया जाना है, इसलिए भारत के पास लचीले शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है।

क्या हैं उपाय । भारतीय शहरों को प्रतिक्रियात्मक उपायों के स्थान पर सक्रिय बाढ़ जोखिम प्रबंधन की ओर रुख करना होगा। प्राकृतिक आर्द्रभूमियों की बहाली, शहरी वनों का निर्माण और जल निकायों के पुनरोद्धार जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों को लागू करने से प्राकृतिक जल अवशोषण में वृद्धि हो सकती है और जलभराव में कमी आ सकती है।

छतों पर वाटर टैंक । छत पर वर्षा जल संचयन टैंकों का उपयोग करके बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सकता है। अगर यह शहर भर में बड़ी संख्या में स्थापित किया जाता है तो बाढ़ के पानी की मात्रा को सार्थक रूप से कम किया जा सकता है।

नागदरवाड़ी की कामयाबी । स्थानीय स्तर पर बाढ़ प्रबंधन में समुदायों को शामिल करने से शहरी बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। महाराष्ट्र के नागदरवाड़ी की सफलता की कहानी इस दृष्टिकोण की क्षमता को दर्शाती है। यह छोटा सा गांव व्यापक वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल-विहीन से जल-सम्पन्न बन गया है।

विदेशों में हुए प्रयोग । अन्य देशों के कुछ प्रयोग भी ध्यान देने लायक हैं। मसलन, हांगकांग ने मौजूदा नालियों को अपग्रेड करके और 7 किमी लंबी नई बॉक्स पुलियों का निर्माण करके 1,00,000 क्यूबिक मीटर की क्षमता के साथ ताई हैंग स्टॉर्म वॉटर स्टोरेज टैंक नामक एक विशाल भूमिगत भंडारण योजना शुरू की है। चीन के स्पंज सिटी कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक जल चक्रों की नकल करके शहरी बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। सिंगापुर की तर्ज पर भारत में भी बाढ़ की निगरानी के लिए सेंसर का उपयोग किया जा सकता है, जिससे बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में कमी आती है।

(लेखक लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनमिक्स से प्रशिक्षित स्वास्थ्य अर्थशास्त्री हैं)

करियर में जितनी कठिन चुनौती, उतना बड़ा अवसर

राहुल पाण्डेय

आधी दुनिया

आज भी महिलाओं का करियर कई मुश्किलों से होकर गुजरता है, ऐसे में देबाश्री मित्रा जैसी कहानियां न केवल प्रेरणादायक हैं बल्कि संभावनाशील, महत्वाकांक्षी लड़कियों का मार्गदर्शन भी करती हैं। देबाश्री ने अपने 17 साल के IT करियर में सबसे बड़ा सबक यही सीखा कि जिम्मेदारी उठाओ, कमान संभालो और साफ-साफ जानो कि तुम्हें क्या चाहिए। कोविड काल के कठिन समय में उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया। नौकरी की सुरक्षित दिनचर्या छोड़कर उन्होंने Confluent जैसी तेज रफ्तार और पूरी तरह रिमोट काम करने वाली कंपनी जॉइन की। शुरू में उन्हें संशय था कि क्या वे कामयाब होंगी? लेकिन उन्होंने खुद को ढाला, आत्म-संदेह को पीछे छोड़ा और धीरे-धीरे प्रबंधन की भूमिका तक पहुंचीं।

देबाश्री मित्रा

देबाश्री का मानना है कि करियर की राह में लचीलापन और धैर्य सबसे जरूरी गुण हैं। उन्होंने पाया कि हर चुनौती एक नए अवसर का रूप ले सकती है। यही दृष्टिकोण उन्हें तकनीकी प्रोग्राम मैनेजर से लीडरशिप की भूमिका तक ले गया। देबाश्री ने दूसरों के लिए भी राह बनाई। एक बार सीनियर पद के लिए भर्ती के दौरान जब एक प्रतिभाशाली महिला उम्मीदवार को पारंपरिक अनुभव न होने के कारण लगभग नजरअंदाज कर दिया गया, तब देबाश्री ने उस पक्षपात को चुनौती दी। नतीजा यह हुआ कि वही उम्मीदवार आज न केवल तकनीकी रूप से सफल है बल्कि दूसरों की मार्गदर्शक भी बनी हुई है। देबाश्री मित्रा की कहानी इस बात का सबूत है कि साहस, आत्मविश्वास और दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच के साथ महिलाएं हर बाधा को पार कर सकती हैं।

हर सांस एक जीत, इसमें ही छिपे हैं सारे जवाब

प्रेम रावत जी

आज पूरी दुनिया एक अनिश्चित दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध की आग भड़क रही है, तो कहीं शांति की अपील की जा रही है। महाशक्तियां एक-दूसरे को ललकार रही हैं, नए हथियार बनाए जा रहे हैं और मानव सभ्यता एक बार फिर प्रश्नों के घेरे में खड़ी है- जीत किसकी होगी और हार किसकी? लेकिन क्या सचमुच युद्ध के मैदान में तय हुई जीत ही असली जीत है? क्या पराजय का अर्थ हमेशा हार ही होता है?

गहराई से देखा जाए तो जीत-हार वास्तव में बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह तो बिल्कुल सांसों की तरह है। हर बार जब आप सांस लेते हैं, तो यह स्वयं में एक जीत है, क्योंकि सांस का आना ही आपके अस्तित्व का प्रमाण है। जिस क्षण सांस रुक जाती है, उसी क्षण सारे अवॉर्ड, उपलब्धियां, धन, मान-सम्मान - सबका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम जीवन में बहुत-सी चीजें चाहते हैं। कभी घर, कभी गाड़ी, कभी धन-दौलत, कभी प्रतिष्ठा। लेकिन समय के साथ हमारी चाहतें बदलती जाती हैं। आज जो हमें चाहिए, कल वही महत्वहीन लगने लगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि असल में हमें क्या चाहिए? इसका उत्तर स्पष्टता में छिपा है। जब मन में शोर हो, विचारों की भीड़ हो, तो हमें अपनी सांसों की ओर लौटना चाहिए।

जीत-हार की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम इन्हें बाहरी मानकों से मापते हैं। असलियत यह है कि जीत हर पल हमारे भीतर घट रही है। हर बार जब सांस आती है, हम जीतते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। सांसें हमें ब्रह्मांड की उस अनंत शक्ति से जोड़ती हैं, जो हर जगह व्याप्त है। यह शक्ति अनश्वर है और इसी से हमारा जीवन चल रहा है। सोचिए, सांस ही दोस्ती का आधार है।

सांस ही वह धागा है जो हमें हर अनुभव से जोड़ता है। यदि सांस है तो आप मित्र बना सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन यह आना बंद हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जब हम अपनी सांसों को पहचानते हैं, तब यह समझ आता है कि आनंद और शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर हैं। हम अक्सर संघर्षों और इच्छाओं में उलझकर इस सच्चाई को भूल जाते हैं।

इसलिए जीवन को सांसों के आने-जाने की तरह देखिए। एक सांस आती है तो जीत है, एक सांस जाती है तो विराम है। यही जीवन का संगीत है। हार और जीत की परिभाषा बदल दीजिए। असली जीत वही है कि आप जीवित हैं और अपनी सांस के चमत्कार को महसूस कर सकते हैं। जब यह दृष्टि आ जाती है, तो छोटी-मोटी हार भी मायने नहीं रखती और जीत का अहंकार भी टिकता नहीं।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

प्रस्तुति : आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी'

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्स: (022) 2760 5275। फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रेस्पांस: (022) 66353636, 22733636 फैक्स: (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्क: मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्क: रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 21 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जब तक हम स्वयं निरपराध न हों तब तक दूसरों पर कोई आक्षेप सफलतापूर्वक नहीं कर सकते।
-सरदार पटेल

संबंधों में सुधार के संकेत

भारत और चीन के आपसी रिश्तों की उलझी गांठें ढीली पड़ने लगी हैं। विदेश मंत्रियों की एक दूसरे के देश में हो रही यात्राओं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने पर सहमति ने पूरा परिदृश्य ही बदलने के संकेत दे दिए हैं। चीन ने भी भारत को उर्वरकों और दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमति जता दी है। भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता के दौरान यह आश्वासन दिया। जयशंकर पिछले महीने जब बीजिंग गए थे तब उन्होंने भारत की विशेष चिंताओं का उल्लेख किया था। भारत की उर्वरकों, दुर्लभ मृदा खनिजों और सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरतों को चीन पूरा करेगा। दुर्लभ मृदा खनिज जैसे लीथियम आयन, कोबाल्ट और निकल उच्च-स्तरीय तकनीकी उत्पादों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और ड्रोन के लिए बैटरी बनाने के लिए जरूरी होते हैं। हालांकि भारत के जम्मू कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों में लीथियम आयन के भंडार मिल चुके हैं लेकिन इनके खनन और प्रसंस्करण का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए दुर्लभ मृदा खनिजों की निरंतर आपूर्ति की उम्मीद कर रहा है। दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति में चीन का 70 प्रतिशत योगदान है। चीन 2023 तक भारत को भारी मात्रा में उर्वरक निर्यात करता था जो पिछले साल से बाधित है। भारत को सुरंग खोदने वाली मशीनों का निर्यात भी रुका पड़ा है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर विवाद के बाद भारत-चीन के बीच तनाव बढ़ गया था। 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत-चीन संबंधों में तनाव आ गया था। तभी से दोनों देश तनाव कम करने के प्रयास में जुटे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यात्राओं को संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। चीनी विदेश मंत्री मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि (एसआर) स्तर की वार्ता के एक नये दौर की बैठक के लिए भारत आए हैं। इस समय पूरी दुनिया जिस तरह के हालात से गुजर रही है, उसमें भारत-चीन संबंधों में सुधार पूरे विश्व की भलाई में सहायक हो सकता है। चीन और भारत दुनिया की प्रमुख और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों देशों की बड़ी आबादी की जरूरतों के लिए सहयोग जरूरी है। दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

डाक विभाग के प्रयास

डाक विभाग ने 5,800 करोड़ रुपये की लागत वाली 'उन्नत डाक प्रौद्योगिकी' (एपीटी) पूरे देश में लागू कर दी है। इसके बल पर डाक विभाग को एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जा सकेगा। इस उन्नत मंच के जरिए डाकघर अब किसी भी बैंक के ग्राहकों से यूपीआई भुगतान स्वीकार कर सकेंगे। अभी तक तकनीकी दिक्कतों के चलते यूपीआई भुगतान डाक घरों में केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खातों तक ही सीमित था। कहा जाता है कि बदलते समय में कुछ भी स्थायी नहीं होता। एक जमाना था कि डाक विभाग आम जनजीवन के अनिवार्य सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत था। लेकिन आज आप काफी जोर देकर याद करेंगे तो भी याद नहीं कर पाएंगे कि पिछली बार आपको किसी के द्वारा लिखी गई चिट्ठी कब मिली थी। न ही आप यह याद कर पाएंगे कि आपने पिछली बार किसको कोई चिट्ठी लिखी थी। कहना यह कि आज के ई-मेल और व्हाट्सएप के दौर में चिट्टी लिखना-भेजना बीते समय की बात हो गई है। डाक विभाग द्वारा मुहैया कराई जाती रहीं अन्य सेवाओं का भी यही हश्र हुआ। जब-तब आशंका भी उठीं कि कहीं सरकार का भारी-भरकम महत्त्वपूर्ण डाक-तार विभाग सफेद हाथी बन कर न रह जाए। लेकिन डाक विभाग ने बदलते समय के साथ स्वयं को बदलने की ठानी और कभी बैंकिंग तो कभी लॉजिस्टिक सेवाओं में मौजूदगी बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास और उपाय किए ताकि समय के साथ ताल बिठाए रह सके। इसी कड़ी में अब एपीटी लागू की गई है। एपीटी से डाक विभाग को विश्वस्तरीय संगठन बनने के लिए मोबाइल आधारित सेवाएं तथा वास्तविक समय में निर्णय लेने की सुविधा का इस्तेमाल किया जाएगा। यह क्रियान्वयन भारत की डिजिटल यात्रा में ऐतिहासिक कदम है। आईटी 2.0 के तहत 5,800 करोड़ रुपये के इस निवेश से समर्थित एपीटी डाक विभाग को विश्वस्तरीय सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदल देगा। एपीटी मंच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण के अनुरूप पूर्णतः स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। यकीनन यह नवाचार डाक विभाग को वास्तविक समय में निर्णय लेने, ई-कॉमर्स की पहुंच बढ़ाने, स्वचालन से परिचालन लागत घटाने और नागरिक-प्रथम मोबाइल-सक्षम सेवाएं कहीं भी और कभी भी मुहैया कराने में सक्षम बनाएगी।

कटाक्ष/ सहीराम

कोई मिल गया

आखिर, उस कुर्सी का सही हकदार मिल ही गया जी, जिसे धनखड़ साहब छोड़ कर चले गए थे। धनखड़ साहब तो बेशक, अभी तक नहीं मिले हैं और उनके लिए बस अब यही दुआएं रह गई हैं कि ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। लेकिन उस कुर्सी का सही हकदार जरूर मिल ही गया जी, जिसे वे छोड़ कर चले गए थे। धनखड़ जी के जाने के बाद बहुतों की उम्मीद जगी कि शायद वह कुर्सी उन्हें मिल जाए। वे प्रमाणपत्रों की तरह अपनी योग्यताएं दिखा भी रहे थे। जैसे हरिवंश जी हैं, वे उस कुर्सी को बड़ी हसरत से देख रहे थे, जिस पर वे बीच-बीच में बैठते भी रहे थे। हरिवंश जी ने अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए बताते हैं कि राज्य सभा में सीआरपीएफ को ही बुला लिया था।

लेकिन हरिवंश जी इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार थोड़े ही थे। आरिफ मोहम्मद खान साहब थे। उन्हें लगता है कि उनका मुस्लिम होना एक योग्यता हो सकती है। कितने भोले हैं बेचारे। भाजपा राज में इसे वे एक योग्यता के रूप में देख रहे हैं। फिर उन्होंने केरल का राज्यपाल रहते हुए इतनी उछल-कूद मचाई कि उन्हें लगा कि अब तो उन्होंने सारी योग्यताएं पूरी कर ही ली हैं। आखिर, धनखड़ जी की भी तो यही योग्यता थी पर वे भूल गए कि उनके पीछे ममता जी थीं। खैर, धनखड़ साहब के इस कुर्सी तक पहुंचने के बाद से उनकी तरह ही मोदी जी द्वारा बिठाए गए हर राज्यपाल को यही लगता रहा कि अब उपराष्ट्रपति पद और फिर हो सके तो राष्ट्रपति पद ही उसकी मंजिल है। वे गलत भी साबित नहीं हुए। अब तमिलनाडु वाले राज्यपाल रवि साहब को तो बेशक, उस कुर्सी का सही हकदार नहीं माना गया हो, हालांकि उन्होंने भी डीएमके सरकार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अंततः महाराष्ट्र वाले राज्यपाल राधाकृष्ण जी को सही हकदार मान ही लिया गया न। लोग पता नहीं क्यों उन्हें दक्षिण का वाजपेयी साबित करने पर तुले हुए हैं। क्यों भूल जाते हैं कि वाजपेयी होना अब योग्यता नहीं है। उन्हें तो किसी न किसी रूप में धनखड़ होना ही पड़ेगा। हां, उनकी दूसरी योग्यताएं अवश्य ऐसी रही हैं जो उन्हें इस कुर्सी का सही हकदार बनाती हैं जैसे उनका स्वयंसेवक होना। स्वयंसेवक होने के बाद तो वे स्वयंसिद्ध हकदार हो ही जाते हैं।

महाशक्ति बनता भारत

उपलब्धि
संजीव ठाकुर

पिछले ग्यारह वर्षों में भारत की चौतरफा विकास की गति को पूरा विश्व अपनी आंखों से देख रहा है। अब भारत एशिया का बड़ी शक्ति केंद्र बन कर उभर रहा है। चीन के बाद भारत बहुत बड़ी सामरिक शक्ति भी बन चुका है। भारत ने अन्न तथा दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट्स, लोहे से बनी सामग्रियां एवं सामरिक महत्त्व के हवाई जहाज, पानी के जहाज एवं अन्य आवश्यक अस्त्र-शस्त्र निर्माण करने में अग्रणी भूमिका का निवर्हन शुरू कर दिया है। अब भारत शस्त्रों का निर्यातक भी बन गया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से भारत ने कच्चा तेल आयात कर उसे परिष्कृत करने के बाद दूसरे देशों में बेचना भी शुरू कर दिया और यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरी। फलस्वरूप उन्होंने भारत पर 25 से 50% तक आयात शुल्क लगा कर नया विवाद शुरू कर दिया है, जिससे भारत तथा अमेरिका के रिश्तों में अस्थाई रूप से खटास आ गई है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अथक प्रयास करने के पश्चात आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कार्यप्रणाली इसी सोच के साथ आगे बढ़ाई थी कि भारत अब समृद्ध, शक्तिशाली एवं आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में वैश्विक स्तर पर उभर कर आया है। इसी तारतम्य में 1952 से प्रारंभ की गई पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कृषि, उद्योग, विज्ञान और स्वास्थ्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सोच को मूर्त रूप दिया गया था। समय-समय पर सरकारें बदलती रहीं और भारत विकास की ओर धीरे-धीरे बढ़ता रहा।

वर्तमान में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त विकास किया है, भारत विश्व में पांचवी आर्थिक स्थिति बन चुका है। दूसरी तरफ, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में भी अहम स्थान रखता है। सामरिक तौर पर भी भारत की सेना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना विशेष स्थान रखती है। अब पाकिस्तान या चीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे सीधा भारत पर आक्रमण कर सकें। भारत ने विकास कर साबित कर दिया है कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा है, और अब किसी भी विषम परिस्थिति में भारत सीना तान कर खड़ा हुआ है।

आज भारत की धमक अमेरिका से लेकर जापान तथा अफ्रीकी देशों में भी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्राजील इस्राइल और सऊदी अरब जैसे देशों में उनके राष्ट्र प्रमुखों ने दिल खोल कर किया है। मोदी की वैश्विक हैसियत इसी बात से पता चलती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका ऑटोग्राफ लेने की गुजारिश की और पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्र प्रमुख ने उनके चरण छूकर उनका अभिवादन किया

मैं किसी पार्टी विशेष का पक्षधर नहीं हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेई, डॉ. मनमोहन सिंह और अब नरेन्द्र मोदी ने भारत को वैश्विक पटल पर सम्मानजनक स्थिति में ला खड़ा किया है। अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बने थे और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमने 1971 में पाकिस्तान को बुरी तरह हरा कर उसका विभाजन कर बांग्लादेश नामक नये देश

का जन्म करवाया था। पर मैं यहां बात विकास के वास्तविक धरातल और देश में गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन की करना चाह रहा हूं। हमारा देश अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, असमानता, अंधविश्वास, आडंबर और धार्मिक कट्टरपंथ का सामना करते हुए उस गति से विकास नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए वह अत्यंत समर्थ है।

आज भारत की धमक अमेरिका से लेकर जापान तथा अफ्रीकी देशों में भी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्राजील इस्राइल और सऊदी अरब जैसे देशों में उनके राष्ट्र प्रमुखों ने दिल खोल कर किया है। नरेन्द्र मोदी की वैश्विक हैसियत इसी बात से पता चलती है कि बाहुबली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका ऑटोग्राफ लेने की गुजारिश की और पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्र प्रमुख ने उनके चरण छूकर उनका अभिवादन किया। यह चमत्कारिक प्रभाव भारत के शक्तिशाली होने एवं वैश्विक शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के कारण ही हुआ है। पर दूसरी तरफ, भारत की अंदरूनी स्थिति में भारत 141 करोड़ की जनसंख्या वाला देश हो गया है। विकास की कल्पना में भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, इस स्थान पर गरीबी, बेरोजगारी, असमानता का उन्मूलन हो चुका हो। इसी तरह भारत कच्चे तेल के संकट से मुक्त होकर ऊर्जा-संपन्न देश बने और भारतीय मुद्रा का चलन वैश्विक स्तर पर सम्मानपूर्वक हो सके।

सामाजिक स्तर पर विभिन्न लक्षित वर्गों जैसे दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, आदिवासी, महिलाओं तथा बच्चों के लिए लाभकारी नीति बनाई जानी चाहिए। अभी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के साथ सामाजिक-प्रशासनिक-वैज्ञानिक-चिकित्सकीय स्तर पर केवल कागजों में ही दिखाई देती है। नारी प्रताड़ना का प्रतिशत अभी भी भारत में बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में बाल श्रम की स्थिति विकराल है। अनाज का पर्याप्त भंडारण होने के बावजूद भुखमरी तथा बेरोजगारी भारत में सिर चढ़ कर बोल रही हैं। इसी तरह भारत में सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी चुनौतियां हैं जैसे धार्मिक उन्माद, नक्सलवाद, चरमपंथी विचारधारा तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों से हमें मजबूती से निपटना होगा। तब जाकर विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

भारत की प्रति व्यक्ति आय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित रूप से बहुत कम है। भारत अभी वैज्ञानिक-तकनीकी-सुरक्षा के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाया है, जिससे वह हर देश से आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक रूप से संतुलन बना कर आमने- सामने बैठ कर बात कर सके और इतना समर्थ हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाए।

गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद कहा था-' मेरे सपनों का भारत कैसा भारत हो। ऐसा हो जिसमें गरीब से गरीब और वंचित से वंचित तथा पिछड़ा व्यक्ति भी भारत को अपना देश समझे तथा भारत की सरकार ऐसी सरकार हो, जो अपनी नीतियां अंतिम व्यक्ति को सोच कर बना सके और उस व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके।' गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए देश को सामाजिक-सांस्कृतिक-सांस्कारिक-वैज्ञानिक-राजनीतिक रूप से शक्ति संपन्न बनाना होगा तभी भारत का हर नागरिक अपने को भारत का नागरिक होने पर गर्व कर सकेगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार रैबीज की वजह से साल 2024 में भारत में 20,565 मौत हुई थीं जो पूरी दुनिया में रैबीज से होने वाली मौतों का 35 फीसद है
- रैबीज केवल कुत्तों से ही नहीं फैलता लेकिन इसके 96 फीसद से ज्यादा मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं। चिंताजनक बात यह है कि एंटी रैबीज वैक्सीन के साथ ही जो इम्युनोग्लोबुलिन दिया जाता है, वो देश के ज्यादातर अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है
- इन दिनों आवारा कुत्तों (स्ट्रे डॉग्स) को लेकर चिंता के बीच इस समस्या के समाधान के रूप में इस विचार पर भी गौर किया जाना चाहिए कि पशु प्रेमी समृद्ध लोगों को आयातित कुत्तों की बजाय आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए सीएसआर की तर्ज पर आर्थिक सहयोग दिया जाए

(मीडिया इनपुट्स)

बहू, बेटी और सीसीटीवी-भारत निर्वाचन आयोग नियमित रूप से महिला मतदाताओं की फोटो और वीडियो पोस्ट करता रहा है। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने की बात पर जवाबदेही की बात कर रहा है। आयोग महिलाओं की निजता के संरक्षण की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुरा रहा है। है न कितना शर्मनाक!

अंजलि भारद्वाज, आरटीआई कार्यकर्ता
@AnjaliB_

संध्या काल में बुजुर्गों की दुश्वारियां

जलवायु परिवर्तन
अमरपाल सिंह वर्मा

जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण की चुनौती नहीं रह गया है, बल्कि मानवीय स्वास्थ्य पर गंभीर संकट भी बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की हाल में जारी नई रिपोर्ट में बुजुर्गों पर मंडरा रहे जानलेवा संकट की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग खास तौर पर जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना कर रहे हैं। यह रिपोर्ट पूरी दुनिया के बुजुर्गों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का खुलासा करती है। भारत जैसे देश, जहां बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है, में जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभाव और भी अधिक चिंताजनक होते जा रहे हैं।

बुजुर्ग न केवल शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी उम्र के साथ घटती जाती है। ऐसे में वे भीषण गर्मी, लू, शीत लहर, वायु प्रदूषण और नई उभरती बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी में इजाफा हो रहा है। यह बुजुर्गों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम है क्योंकि लू और अत्यधिक तापमान के दौरान उनके शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। 2022 की द लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट के अनुसार 2000-04 और 2017-21 के दौरान जलवायु परिवर्तन से भारत में गर्मी से संबंधित मौतों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें बुजुर्गों की संख्या अधिक है क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता जलवायु बदलाव को झेलने में कम होती है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी राज्यों सहित भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ा है। गर्मियों में तापमान 45-50 डिग्री तक पहुंच जाता है। जलवायु परिवर्तन से वायु गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। यह स्थिति अस्थमा और दिल की बीमारी से जूझते बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है क्योंकि उनकी त्वचा और शरीर की तापमान संतुलन क्षमता कम हो चुकी होती है, जिससे लू लगने, डिहाइड्रेशन और हृदयाघात का खतरा बढ़ जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जहां गर्मी के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सर्दियों में भी अत्यधिक ठंड पड़ने लगी है। शीत लहर के कारण बुजुर्गों को हाइपोथर्मिया, रक्तचाप में गिरावट तथा जोड़ों के दर्द

जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर उत्तर भारत में दिसम्बर-जनवरी की सर्दियां उनके लिए घातक साबित हो सकती हैं।

जलवायु परिवर्तन के चलते मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों का प्रसार बढ़ा है। बुजुर्गों के लिए ये रोग अधिक घातक सिद्ध हो सकते हैं। मौसम जनित प्रभावों से उनमें तनाव, अकेलापन और अवसाद की स्थिति बनती है। यूएनईपी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 1990 के दशक से अब तक 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में तापलहर के कारण होने वाली मौतों में लगभग 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ताप लहरें, बाढ़ और बर्फ के पिघलने जैसे जलवायु परिवर्तन के सबसे घातक प्रभावों में से एक हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो बुजुर्ग पुरानी बीमारियों, चलने-फिरने में कठिनाई या शारीरिक कमजोरी से जूझते हैं, वो भीषण गर्मी में जानलेवा खतरे का सामना करते हैं। ये खतरे तब और बढ़ जाते हैं, जब वो प्रदूषित, भीड़भाड़ वाले शहरों या तटीय इलाकों में रहते हैं, जहां बुजुर्गों की आबादी ज्यादा है, और समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है।

हमारे देश में पहले दिल्ली, पटना, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यू) 'खतरनाक' श्रेणी में पहुंचता था, अब तो राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत विभिन्न छोटे शहर भी इस स्थिति में आने लगे हैं। जाहिर है, समस्या बढ़ती जा रही है। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या 14 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो 2050 तक दोगुनी होकर 34 करोड़ 60 लाख हो जाने का अनुमान है। एक ओर जहां बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं जलवायु परिवर्तन का असर भी तेज से तेज होता जा रहा है। हीटवेव, वायु प्रदूषण और संक्रामक रोगों के बढ़ते खतरे ने बुजुर्गों को गंभीर संकट में डाल दिया है।

जरूरत इस बात की है कि सरकारें, नीति निर्माता, स्वास्थ्यकर्मी और समाज के लोग मिल कर ऐसे समाधान खोजें जो बुजुर्गों को जलवायु परिवर्तन के बदलावों से सुरक्षित रख सकें। यूएनईपी की रिपोर्ट में इसके लिए शहरों को प्रदूषणमुक्त रखने की सिफारिश की गई है, जहां हरित क्षेत्रों की पर्याप्त मौजूदगी हो। सुझाव दिया गया है कि सुनियोजित शहरी विकास, सामुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन और बुजुर्ग आबादी के लिए जलवायु संबंधी सूचनाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जाए। जलवायु परिवर्तन की आंच सबसे पहले और सर्वाधिक गहराई से बुजुर्ग शरीर को महसूस होती है। यह वह वर्ग है जिसने देश को दशकों अपने श्रम, ज्ञान और सेवा से समृद्ध किया है। अब जरूरत है कि हम उन्हें ऐसा वातावरण दें जहां वे जीवन का संध्या काल अच्छे स्वास्थ्य के साथ बिता सकें।

गुण-कर्म
डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

भगवीता में गुण और कर्म का विभाजन मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों, क्षमताओं और मानसिक गुणों के आधार पर किया गया है। गीता स्पष्ट करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर तीन मूलभूत गुण कार्य करते हैं- सत्त्व, रज और तम। इन्हीं के मिश्रण से उसका स्वभाव और कर्म-प्रवृत्ति बनती है। मानव को उसके गुण-कर्म के आधार पर परियोजना में जोड़ना सिर्फ प्रबंधन की एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह पूरी व्यवस्था की कार्यक्षमता और परिणाम को सीधा प्रभावित करने वाला सिद्धांत है। हर व्यक्ति के पास अलग-अलग मानसिक-शारीरिक क्षमताएं होती हैं। कोई नेतृत्व में अच्छा होता है, तो कोई योजनाओं को लागू करने में। कोई विश्लेषण और शोध में माहिर होता है, तो कोई रचनात्मक समाधान देने में। इसी तरह कुछ लोग संवाद-सहयोग में दक्ष होते हैं, जबकि कुछ एकांत में केंद्रित होकर काम करना पसंद करते हैं। गुण-कर्म के आधार पर कार्य-वितरण से संसाधनों का सही उपयोग होता है। यह समय, ऊर्जा और धन की बर्बादी को रोकता है। उदाहरण के लिए, एक उत्कृष्ट वक्ता को आंकड़ों के विश्लेषण में लगाने की बजाय जनसंपर्क या प्रस्तुति से जुड़े काम में लगाना अधिक समझदारी होगी। इसी तरह, गहरी तकनीकी समझ रखने वाले व्यक्ति को प्रशासनिक कार्य में उलझाना उसके कौशल का नुकसान है। यह दृष्टिकोण केवल कामकाज तक सीमित नहीं है; यह मानवीय संबंधों में भी लागू होता है। जब हम किसी की क्षमता और स्वभाव को समझ कर उसे भूमिका देते हैं, तो वह अधिक समर्पित हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी पहचान और मूल्य को समझा गया है, जिससे वह संगठन या समूह के प्रति वफादार रहता है। गीता के अनुसार यह विभाजन किसी को ऊंचा या नीचा ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि समझाने के लिए है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, और उसे उसी के अनुरूप कार्य में लगाना ही मुख्य हेतु है। इस गीता वाक्य का मर्म समझाते हुए महंत स्वामी महाराज कहते हैं-'वास्तविक प्रगति तब होती है जब मनुष्य अपनी मूल प्रकृति को पहचान कर, निःस्वार्थ भाव से, भगवान को समर्पित होकर, समाज के कल्याण के लिए कर्म करता है।'

रीडर्स मेल

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर एक शख्स द्वारा हमला निंदनीय, शरारतपूर्ण, शर्मनाक एवं कायराना हरकत है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के प्रश्नों के लिए अपना कीमती समय दे रही हैं, और एक व्यक्ति ने पूरा माहौल खराब किया है। दिल्ली सरकार एवं दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच करे ताकि इस शख्स के पीछे षड्यंत्र हो तो उसका भी खुलासा किया जा सके। इस घटनाक्रम से यह भी डर रहता है कि जनसुनवाई जैसी जन कल्याण योजनाओं को कैसे लागू रखा जा सकेगा। विरोध का यह तरीका बिल्कुल अनुचित है जिससे जनप्रतिनिधियों का मनोबल भी कमजोर होता है जिससे अंततः नुकसान जनता का होता है। गनीमत है कि मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं एवं उन्होंने कहा है कि जनसुनवाई जारी रखी जाएगी। दिल्लीवासी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लोकतंत्र में असहमति की वजह से हिंसा न केवल अपराध है, बल्कि अनैतिक भी है।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

दशरथ मांझी की स्मृति को सम्मान

हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दशरथ मांझी जी के परिवार के लिए घर बनवा कर उनकी स्मृति को सम्मानित किया। यह केवल एक घर देना नहीं है, बल्कि उस अदम्य आत्मा को श्रद्धांजलि है, जिसने अपने जीवन का हर क्षण समाज के लिए समर्पित कर दिया। यह कदम साबित करता है कि देश अपने सच्चे नायकों को कभी नहीं भूलता। जब नेता और समाज ऐसे प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों को सम्मान देते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष और धैर्य की सीख मिलती है। दशरथ मांझी जी का जीवन हमें संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर इंसान के भीतर दृढ़ निश्चय हो तो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। राहुल गांधी का यह प्रयास निश्चित ही समाज में एक सकारात्मक संदेश देगा। हालांकि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था क्योंकि मांझी जी जैसे महानायक जितनी जल्दी सम्मान पाते, उतनी ही जल्दी समाज में सकारात्मक प्रेरणा फैलती।

समराज चौहान, ई मेल से

सरकारी नौकरी में समान अवसर

इंसान अपने आप में ही पहचान है। उसके लिए अपनी पहचान बताने की क्या जरूरत। यहां कई जातियों में बंटे लोग हैं। कोई अपने को ऊंची जाति का बता रहा है तो कोई निम्न जाति का। यहां निम्न जाति के लोग कइयों साल से आरक्षण की सुविधा ले रहे हैं। इस तरह के नेता भी अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनका संरक्षण करते हैं। पेपर देखें तो एक जने ने अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र बनवा कर नौकरी हासिल कर ली जबकि जांच होने पर वह सामान्य जाति का निकला। तो क्यूं न सालों से चली आ रही जाति भेद की दीवार को तोड़ दिया जाए। आज कोई निम्न जाति का कोई व्यक्ति अपना पुश्तैनी काम करता नहीं दिखता। लेकिन वह इसी की बैसाखी से सरकारी नौकरी पाने की मलाई खा रहा है और ऊंची जाति के लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। क्यूं न ऊंची-निम्न जाति का भेद मिटा कर सभी को सरकारी नौकरी पाने के समान अवसर दिए जाएं।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 7
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

राजनीति में नैतिकता

लोकसभा में आज गृहमन्त्री श्री अमित शाह द्वारा रखे गये तीन विधेयकों के दौरान विरोधी दलों के सांसदों ने जैसा व्यवहार किया उसे किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इन तीन विधेयकों में एक संविधान संशोधन विधेयक है, दूसरा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों या राज्यों के अधिनियम में संशोधन है और तीसरा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून में संशोधन है। ये तीनों ही विधेयक एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। विपक्ष इन विधेयकों का पुरजोर विरोध कर रहा है जिसके चलते उसके कुछ सदस्यों ने विधेयक की प्रतियां भी सदन के भीतर ही फाड़ डालीं। संविधान में संशोधन का विधेयक इस गरज से लाया गया है कि भारत की राजनीति में साफ-सुथरापन लाया जा सके। इस मामले में विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि देश के प्रधानमन्त्री से लेकर राज्यों का कोई भी मुख्यमन्त्री या मन्त्री अपने ऊपर लगे ऐसे आरोपों में जिनमें पांच साल या इससे अधिक की सजा का प्रवधान हों, किसी जांच एजेंसी या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर तीस दिन से अधिक तक जेल में बन्द रहता है तो 31वें दिन उसे अपने पद से हटा दिया जायेगा। वर्तमान में कोई भी मन्त्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि वह अदालत द्वारा दोषी न करार दे दिया जाये।

विपक्षी सांसदों का कहना है कि ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमन्त्रियों या मन्त्रियों के खिलाफ किया जायेगा क्योंकि वर्तमान में उच्च जांच एजेंसियां प्राय: उन्हें ही निशाना बना रही हैं। अगर पूरे मामले को सरकार की नजर से देखा जाये तो सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि यह राजनीति में नैतिकता स्थापित करने की तरफ कदम होगा। मगर केन्द्र सरकार तभी ऐसा कर सकती है जब संविधान के 75वें अनुच्छेद में संशोधन किया जाये। इसी अनुच्छेद में प्रधानमन्त्री समेत राज्यों के मन्त्रियों तक की नियुक्ति से लेकर उनके दायित्वों की व्याख्या की गई है। हालांकि श्री शाह ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा कि बिलों को पहले संसद की संयुक्त जांच समिति को भी प्रेषित किया जा सकता है। जाहिर है कि संसद के सावन सत्र का आज गुरुवार को अन्तिम दिन है अत: विधेयकों पर सदन के भीतर विशद चर्चा नहीं हो सकती। विपक्ष यह भी कह रहा है कि विधेयक पूरी तरह संविधान विरोधी है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। विपक्षी खास कर कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि सरकार ये विधेयक जानबूझ कर सत्र समाप्त होने के एक दिन पहले लेकर इसलिए आई है जिससे देश की जनता का ध्यान बिहार में हो रही मतदाता सूची में पकड़ी गई विसंगतियों से भटकाया जा सके। सभी जानते हैं कि फिलहाल विपक्ष ने इस मुद्दे को कस कर पकड़ लिया है और वह चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिये हुए है। भाजपा चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी दिखती है जिसकी वजह से विपक्ष ने अपनी लड़ाई बिहार की सड़कों पर लड़नी शुरू कर दी है।

अमित शाह यदि यह चाहते हैं कि आरोप लगने के स्तर पर पुलिस द्वारा 30 दिन से अधिक तक गिरफ्तार किये गये नेताओं को इसी स्तर पर सदन की सदस्यता से बेदखल कर दिया जाये तो इसे नैतिक रूप से हम कितना उचित या अनुचित मानेंगे, इस पर देश की न्यायपालिका ही अन्तिम फैसला दे सकती है। मगर संसद के भीतर इस मुद्दे पर जो भी घटा है उसे कम से कम उचित तो नहीं माना जा सकता। संसद के पूरे वर्तमान सत्र में अभी तक केवल ऑपरेशन सिन्दूर पर ही रचनात्मक बहस हो पाई है।

बिहार में कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी व राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव मिलकर मतदाता पुनरीक्षण सूची के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं जिसे वहां की जनता का समर्थन भी मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चल रही यह चर्चा कि बिहार में अगले दो महीने बाद होने वाले चुनावों को देखकर ही सारी कवायद हो रही है, तथ्यों को निरपेक्ष नहीं रहने दे रही है। मगर असली सवाल यह नहीं है बल्कि यह है कि राजनीति को शुद्ध बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए? कानून विद यह अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कोई सांसद या विधेयक ऐसे जुर्म में पकड़ा जाए कि उसे दो वर्ष से अधिक की सजा हो तो उसकी अपने सदन से सदस्यता चली जाती है। यह कानून पहले से ही मौजूद है। मगर इसके चलते भी संसद व विधानसभाओं में आरोपित सदस्यों की कमी नहीं है। विभिन्न अदालतों से जमानत पर छूटे नेतागण भी चुने हुए सदनों में विद्यमान हैं।

अमित शाह यदि यह चाहते हैं कि आरोप लगने के स्तर पर पुलिस द्वारा 30 दिन से अधिक तक गिरफ्तार किये गये नेताओं को इसी स्तर पर सदन की सदस्यता से बेदखल कर दिया जाये तो इसे नैतिक रूप से हम कितना उचित या अनुचित मानेंगे, इस पर देश की न्यायपालिका ही अन्तिम फैसला दे सकती है। मगर संसद के भीतर इस मुद्दे पर जो भी घटा है उसे कम से कम उचित तो नहीं माना जा सकता। संसद के पूरे वर्तमान सत्र में अभी तक केवल ऑपरेशन सिन्दूर पर ही रचनात्मक बहस हो पाई है। विपक्षी दल बिहार में हो रही मतदाता पुनरीक्षण सूची पर पहले दिन से ही बहस कराने की मांग कर रहे हैं जिसकी उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है अत: संसद का पूरा सत्र भारी शोर- शराबे में ही निकला जा रहा है परन्तु पक्ष-विपक्ष के सभी सांसदों को यह विचार करना होगा कि जब कोई मन्त्री या मुख्यमन्त्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्त में ले लिया जाता है तो सार्वजनिक जीवन में उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? इस प्रश्न का सम्बन्ध सीधे वर्तमान राजनीतिक चरित्र से जाकर जुड़ता है। अत: सवाल दीगर है कि राजनीति में पहले शुद्धता को स्थापित किया जाये। श्री शाह ने जो संविधान संशोधन पेश किया है उसे पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इतना बहुमत मोदी सरकार के पास नहीं है। इसके साथ ही देश के आधे राज्यों से भी इस विधेयक को स्वीकृत कराना पड़ेगा। अत: हो सकता है कि इस मुद्दे पर आगे चल कर पूरे देश में बहुत गर्मागरम बहस हो।

शब्दों को नाप-तौल कर बोला जाए

गीता पाढा

"कवि की चुप्पी"
"यह मुंह कब कितना खोला जाए,
शब्दों को नाप-तोल कर बोला जाए,,
पहले घाटे और फायदे के तराजू में अच्छे से तौला जाए,
सब कुछ अच्छा ही अच्छा बोला जाए,,
सत्ता की कमियों पर मुंह न खोला जाए,
अगर पुरस्कार की चाह रखते हो,
तो हर मुद्दे पर,
राज दरबार की जय बोला जाए,,
अपने अंदर के कवि को न टटोला जाए,
समझदारी इसी में है बबुआ,
सच को अब सच की तरह मत बोला जाए...।।"

मर्यादाएं
चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

कुदरत की मार या इंसान की बेवकूफी

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पांच गांव, तानीपारी, शाला नल, जल नल, तनहल और थलोट जो किरतपुर-मनाली हाईवे पर पड़ते हैं, के लोगों ने ऊंची शिकायत की है कि एनएचएआई द्वारा सड़क को चौड़ा करने के लिए जो अवैज्ञानिक और लापरवाह तरीका अपनाया गया है उसके कारण उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। चार साल पहले इस सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू हुआ था तब से मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं और अब कृषि भूमि ने नीचे की तरफ फिसलना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जल नल गांव के शोभा राम भारद्वाज का कहना है कि उनके विरोध के बावजूद कम्पनी ने पहाड़ को सीधा काटा है। विस्फोटक लगा कर सड़क बन रही है और यह परवाह नहीं की गई कि ऊपर बसे गांवों का क्या होगा? परिणाम है कि कई गांववासियों को घर छोड़ना पड़ रहा है। यह भी शिकायत है कि एनएचएआई उनकी हालत के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है। न राहत दी गई और न ही पुनर्वास का ही प्रबंध किया गया और न ही हिमाचल सरकार ने ही मामले का संज्ञान लिया है।

पिछले कुछ सप्ताह में हिमाचल में मंडी, उत्तराखंड में धराली और जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ में भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ से भारी तबाही हुई है। हिमाचल में पिछले कुछ सप्ताह में तीन दर्जन जगह बादल फटने की खबर है। 200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। 400 सड़कें टूट चुकी हैं। 2017 के बाद किए गए कई सर्वेक्षण बताते हैं कि पश्चिमी हिमालय में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बढ़ते तापमान को भी इसके लिए ज़िम्मेवार ठहराया जा रहा है। धराली में 5 अगस्त को ऊपर से अचानक आया पानी रास्ते में सब कुछ बहा ले गया। कई लोग अभी भी लापता हैं। 150 से अधिक घरों वाला गांव मलबे में दफन हो गया और नक्शे से ही गायब हो गया। पूरी हर्षिल घाटी में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। उत्तरकाशी-गंगोत्री हाईवे कई जगहों से धंस गया है। धराली के नौ दिन बाद किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। चोसिती गांव पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ है। यह मचैल माता मंदिर की यात्रा का पहला पड़ाव भी है। बहुत से यात्रियों को भी पानी बहा ले गया। यहां 1800 से 3900 मीटर ऊंचे पहाड़ हैं। जब भी बादल फटता है तो पानी तेज़ी से सब बहा कर ले जाता है। अब धराली में भी और किश्तवाड़ में भी राहत के काम जोर-शोर से चल रहे हैं, पर सवाल है कि क्या इस तबाही से बचा जा सकता था? क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा ही है या इंसान की बेवकूफी का भी परिणाम है?

पहाड़ी प्रदेशों में बरसात में बाढ़ और भूस्खलन की शिकायतें पुराने समय से आ रही हैं। जब सड़कें नहीं बनती थी या परियोजनाएं नहीं बनती थी तब भी पहाड़ियां गिरती थी, रास्ते बंद होते थे। पर जिस तरह आज हम तबाही देख रहे हैं कि गांवों के गांव ही बह रहे हैं, ऐसा पहले नहीं होता था। बड़ी चेतावनी जून 2013 में केदारनाथ में मिली थी जब विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से कई सौ गांव प्रभावित हुए थे और 6000 लोग मारे गए थे। इस भयानक त्रासदी ने तो क्षेत्र का भूगोल ही बदल दिया था। इस त्रासदी को 12 वर्ष हो गए, पर क्या हमने कुछ सबक सीखा है? पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे हैं कि हम पहाड़ों की सीमाएं लांघ रहे हैं। इतना निर्माण हो रहा और बहुत अनियंत्रित है, कि ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। हिमाचल के बारे तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी की है कि अगर इसी तरह अनियंत्रित विकास होता गया तो 'प्रदेश हवा में गायब हो जाएगी।'

बड़ी अदालत चेतावनी दे रही है कि विकास के नाम पर जो वहां हो रहा है उससे तबाही हो रही है लेकिन प्रशासन की चाल और मानसिकता नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पहाड़ों के भूस्खलन, मकानों के गिरने, सड़कों के धंसने के लिए कुदरत नहीं इंसान दोषी है। नालों और निकास नालियों पर निर्माण के कारण पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है और जब ऊपर से ज़ोर पड़ता है तो सब बहा कर ले जाता है। शिमला इसकी प्रमुख मिसाल है। ढलानों पर ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं जो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। हर साल दो-तीन इमारतें गिरती हैं। लोग भी बिना अनुमति के नदी- नालों के पास निर्माण कर लेते हैं जो बाढ़ में बह जाते हैं। मनाली में बिजली बोर्ड ने ब्यास नदी के तट पर बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस बनाया था, पर यह बाढ़ में बह गया। जगह का चयन ही गलत था। बढ़ती जनसंख्या, विकास और टूरिज़्म की मजबूरी के लिए निर्माण करना पड़ता है, पर कुछ तो नियम होने चाहिए और जो नियम हैं उनका पालन भी करवाना चाहिए। दोनों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें इस मामले में कमजोर हैं। उन्होंने अवैध निर्माण के आगे समर्पण कर दिया है। आख़िर में लोगों को सजा भुगतनी पड़ती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि शिमला में सुबह के समय आए भूचाल से 16000 मौतें और रात के समय 24000 लोग मारे जाएंगे क्योंकि असुरक्षित इमारतें गिर जाएंगी और लोगों के पास भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। शिमला उस क्षेत्र में स्थित है जो भूचाल का हाई-रिस्क एरिया है। वैज्ञानिक विक्रम गुप्ता ने कहा है, "मैं उस दिन की कल्पना कर कांप जाता हूं जब कभी शिमला में बड़ा भूचाल आएगा"। हिमाचल सरकार टूरिस्ट संख्या 2 करोड़ से बढ़ा कर 5 करोड़ करना चाहती है। पर जब कंक्रीट की इतनी इमारतें बनेंगी और धुआं उड़ाती लाखों गाड़ियां आएंगी जिनके लिए पार्किंग नहीं होगी तो क्या होगा? विशेषज्ञ बहुत बार चेतावनी दे चुके हैं कि पहाड़ और बोझ नहीं उठा सकते। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर और विशेषज्ञ ओम नारायण भार्गव ने लिखा है, "हिमाचल में अधिकतर जगह पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है और पानी मकानों के इर्द-गिर्द इकट्ठा हो जाता है...ऐसी स्थिति में जब भारी वर्षा होती है तो जमीन धंसने लगती है और इमारतों में दरारें आ जाती हैं"।

यही स्थिति दूसरे पहाड़ी राज्यों की भी है। विशेषज्ञ जी.के. भट्ट ने लिखा है, "इमारत जो 10 से 20 डिग्री ढलान पर बनाई जाती है उसे सुरक्षित समझा जाता है। पर अगर इमारतें 45 से 70 डिग्री ढलान पर लटकेंगी तो यह विनाश आमंत्रित करेगा"। इन दोनों विशेषज्ञों के यह विचार दो वर्ष पहले छपे थे, पर बार-बार हो रहे हादसे बताते हैं कि कोई सबक नहीं सीखा गया। बदलते मौसम और जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, से भी स्थिति नाजुक बन रही है। दुनिया का कोई न कोई बड़ा शहर बाढ़ में डूबा रहता है। इस समय तो मुम्बई डूबा हुआ है।

गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रो. सुन्दरियाल के अनुसार "शिवालिक हिल्स जो जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक फैले हुए हैं हिमालय का सबसे युवा और नाजुक हिस्सा है। इसकी चट्टानें और पत्थर सबसे कमजोर हैं जो भारी पानी के दबाव को सह नहीं सकते"। यही कारण है लगातार भूस्खलन की घटनाऐं घट रह् हैं। ऊपर से धड़ाधड़ पेड़ काटने से समस्या और विकराल हो गई है। जो वैज्ञानिक पहाड़ों का अध्ययन करते हैं वह दशकों से चेतावनी दे रहे हैं कि दूसरे क्षेत्रों को छोड़ कर हिमालय का क्षेत्र मौसम के बदलाव में अधिक असुरक्षित और कमजोर है। केदारनाथ त्रासदी और चारधाम परियोजना की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई दो कमेटियों के अध्यक्ष रहे रवि चोपड़ा का कहना है कि इंसानी बस्तियां उन नदियों से दूर होनी चाहिए जिनमें बाढ़ आती है, पर जो फ़ैसले करते हैं वह चेतावनी की घंटियों की अनदेखी कर देते हैं और पर्यावरण और भूगर्भीय संवेदनशील क्षेत्र में अस्थिर और नाजुक इंफ्ट्रास्क्चर को धकेल देते हैं। कड़वी सच्चाई है कि हम हिमालय के नाजुक क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण के घातक और भयंकर परिणाम भुगत रहे हैं। अगर हम सचेत न हुए तो जो मंडी में हुआ है, या धराली में हुआ है या किश्तवाड़ में हुआ है वह कहीं और भी दोहराया जाएगा। हिमाचल में ही 2000 करोड़ रुपए का नुक्सान हो चुका है।

हमें विकास चाहिए, सड़कें चाहिए, टूरिस्ट चाहिए, बिजली परियोजना चाहिए, पर अब पहाड़ बता रहे हैं कि अगर समझदारी से आगे नहीं बढ़े तो इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। पहाड़ बेहतर बर्ताव की पुकार लगा रहे हैं। हिमालय को केवल प्राकृतिक संसाधनों के भंडार या पर्यटक क्षेत्र की तरह ही नहीं देखा जाना चाहिए। उन्हें सुरक्षित भी रखना है। बाबुओं की मानसिकता क्या है वह मंडी के पांच गांववासियों की दुर्गत से पता चलता है। जिनकी लापरवाही के कारण यह पांच ग्राम वासी रिफ्यूजी बन गए हैं, उनके ख़िलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? 'सब चलता है' की संस्कृति कब बदलेगी? चाहिए यह कि संसद में पार्टी लाईन से ऊपर उठ कर इस बात पर बहस हो कि हिमालय के नाजुक पर्यावरण को कैसे बचाया जाए? पर सांसद तो शोर-शराबे में लगे रहते हैं। असली मुद्दों के लिए समय नहीं है, जबकि बदलता पर्यावरण बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है।

सिख सियासत
सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

सिख धर्म में एकजुटता की कमी

सिख कौम एक बहादुर कौम है जो गुरु साहिबान के दिखाए मार्ग पर चलते हुए न तो बिना वजह किसी पर जुल्म करते हैं और न ही किसी पर जुल्म होते देख सकते हैं। शायद इसी के चलते हर कोई यह सोचकर कौम को कमजोर करने की कोशिश में रहता है कि अगर कौम में एकजुटता रहेगी तो यह अपने साथ-साथ दूसरों के अधिकारों की रक्षा हेतु भी आवाज उठाते रहेंगे। इतिहास गवाह है कि देश की आजादी के आंदोलन में इस बहादुर कौम ने जो केवल 2 प्रतिशत थी न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि 85 प्रतिशत से अधिक कुर्बानियां देकर देश को आजादी दिलाई। देश की सरहदों पर सिख सैनिक आज भी सीना तानकर खड़े हैं। अंग्रेज तो भारत से चले गए मगर जिन लोगों के हाथों में देश की कमान सौंप गए। उन्होंने सबसे पहला काम सिखों मे फूट डालने का किया। सिख कौम को कई गुटों में बांट कर रख दिया। सिखों की पंथक जमात शिरोमणि अकाली दल थी उसे कमजोर करने की भी समय-समय पर कई बार साजिशें हुए परिणाम स्वरूप आज कई अकाली दल बन चुके हैं। इतना ही नहीं सिखों के गुरुद्वारों मे चुनाव प्रक्रिया लागू कर दी गई जिसके चलते जब भी चुनाव होते हैं सिख कौम आपस में ही लड़कर एक-दूसरे के खून के प्यासी हो जाते हैं। कौम के युवाओं को नशे का आदि बना दिया गया। कौम में दरार डलवाने के लिए कई एजेन्सियां कार्यरत हैं जिनका काम कौम को एकजुट होने से रोकना है, क्योंकि वह भलीभांति जानते हैं कि अगर यह कौम एकजुट हो गई तो उनके लिए कई तरह की मुश्किल पैदा कर सकती है। सिख बुद्धिजीवियों की राय में आज सिख कौम को सबसे अधिक जरूरत इस बात की है कि कोई आगे आकर कौम में फैली दुविधा को दूर करे और सभी सिख जत्थेबंदियों को एक निशान साहिब के नीचे लाकर मिलकर कौम की बेहतरी के लिए कार्य करने को कहे। असल में यह काम कौम के धर्म गुरु भाव जत्थेदार साहिबान का रहता है मगर आज ऐसा प्रतीत होता है कि जत्थेदारों की हौंद भी स्वतंत्र नहीं है वह किसी न किसी राजनीति दल या जत्थेबंदी के अधीन रहकर कार्य करते आ रहे हैं जिसके फलस्वरूप वह चाहकर भी समूची कौम को एक करने की मुहिम शुरू नहीं कर सकते। इस सबसे दुखी होकर ही आज सिख कौम का युवा वर्ग सिखी से दूर होता चला जा रहा है, अगर सिख कौम में एकजुटता लानी है तो सबसे पहले कौम के जत्थेदारों, धार्मिक जत्थबंदियों के नुमाईंदों को अपनी सोच में बदलावा लाना होगा तभी कुछ सुधार आ सकता है।

इस साल समूचा सिख पंथ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाने जा रहा है, मगर इसमें भी सिख कौम की धार्मिक जत्थेबंदियों में एकजुट होकर मनाने पर सहमति नहीं बन पाई और आज हर कोई अपनी अलग डफली बजाते हुए अपने हिसाब से पर्व को मनाने की तैयारियों में जुटा है, बेहतर होता अगर सभी एक होकर शहीदी पर्व को मनाते और एकजुटता का सबूत देते जो दिखाई नहीं दे रहा।

तख्त पटना साहिब से पूर्व जत्थेदार की विदायगी बनी मिसाल : तख्त श्री हरिमन्दिर जी पटना साहिब जो कि सिख कौम का दूसरा

तख्त और गुरु गोबिन्द सिंह जी की जन्म स्थली भी है, मगर पिछले कुछ समय से तख्त साहिब की प्रबन्धक कमेटी और पूर्व जत्थेदार के बीच चल रहे विवाद के चलते तख्त साहिब की निरन्तर बदनामी हो रही थी जिसे लेकर केवल सिख धर्म के लोग ही नहीं बल्कि गैर सिख जिनकी तख्त पटना साहिब में आस्था है, वह भी दुखी थे। पिछले दिनों बिहार के एक गैर सिख नेता पप्पू यादव से जब दिल्ली में मिलना हुआ तो उन्होंने भी इस पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए सुझाव दिया। असल में यह विवाद साल 2022 में पंजाब के जालंधर निवासी डा. गुरविन्दर सिंह सामरा द्वारा भेंट किए गए सामान में हेराफेरी के चलते उत्पन्न हुआ था जिसके बाद उस समय के अध्यक्ष स्वर्गवासी जत्थेदार अवतार सिंह हित के द्वारा कमेटी के सभी सदस्यों की सहमति के साथ जत्थेदार रणजीत सिंह गौहर की सेवाओं पर रोक लगाकर ज्ञानी बलदेव सिंह को जत्थेदार के रूप में सेवा सौंप दी थी। उसके बाद रणजीत सिंह गौहर द्वारा हाईकोर्ट में एक केस प्रबन्धक कमेटी के खिलाफ किया, वहीं तख्त पटना साहिब के पांच प्यारे साहिबान के द्वारा उन्हें तनखाईया करार देते हुए पंथ से निष्कासित भी कर दिया। रणजीत सिह ने श्री अकाल तख्त साहिब से गुहार लगाई और जत्थेदार अकाल तख्त कुलदीप सिंह गड़गज के द्वारा उन्हें जुलाई माह में दोष मुक्ति करते हुए पुन: सेवाएं करने की आदेश पारित किया, जिसके बाद यह विवाद और बढ़ गया और यह लड़ाई दो तख्त के बीच होकर देखते ही देखते संसार भर में यह चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी और तख्त पटना साहिब के हाल ही में सदस्य बने गुरविन्दर सिंह बावा के द्वारा पहलकदमी दिखाते हुए इस विवाद को सुलझाने हेतु दोनों तख्तों के बीच सहमति बनवाई और अपने दूत के रूप में जसबीर सिंह धाम को भेजा गया जिन्होंने तख्त पटना साहिब प्रबन्धक कमेटी और पूर्व जत्थेदार रणजीत सिंह गौहर के बीच आपसी सहमति से मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की।

तख्त पटना साहिब प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही सहित समूची कमेटी ने भी दरियादिली दिखाते हुए अनेक मतभेद होने के बावजूद पूर्व जत्थेदार को उनका बकाया देने के साथ ही पूर्ण सम्मान के साथ विदायगी दी जो कि वास्तव में सभी तख्त साहिबान की कमेटियों के लिए मिसाल बन गई कि जत्थेदारों की विदायगी किस प्रकार होनी चाहिए?

यूके चैरिटी कमीशन का 'खालिस्तान' पर निर्णय: एक प्रतिवाद : यूके के एक टीवी चैनल पर "गुरुद्वारा मीरी-पीरी" कार्यक्रम किया गया, जिसमें खालिस्तान शब्द का धार्मिक अथवा राजनीतिक इस्तेमाल किए जाने पर चर्चा की गई। असल में यह विवाद यूके चैरिटी कमीशन की रिपोर्ट के बाद सामने आया था।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने हाल ही में यूके चौरिटी कमीशन के उस निर्णय पर चर्चा की जिसमें स्लाउ स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को 'खालिस्तान' शब्द वाले बोर्ड प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई। सिख कौम का बुद्धिजीवि वर्ग मानता है कि अनुमति इस समझ के साथ दी गई कि खालिस्तान को धार्मिक-आध्यात्मिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए, न कि राजनीतिक राष्ट्र-राज्य के रूप में। कार्यक्रम में

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

याद दिलाया गया कि 2019 में गुरुद्वारा सिंह सभा सवनही के विरुद्ध शिकायत दर्ज हुई थी, जबकि यह बोर्ड 1984 से लगे हुए हैं। इस मामले में कुछ विशेषज्ञों डॉ. जसदेव राय, प्रोफेसर गुर्जीत सिंह (अमेरिका), अमरजीत सिंह भाच्चू आदि ने चौरिटी कमीशन को राय दी थी। चौरिटी कानून के अंतर्गत गुरुद्वारे किसी राष्ट्र-राज्य के लिए सीधे प्रचार या धन इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसे में केवल 'खालिस्तान' नाम से रैनसबाई या धार्मिक कार्यक्रम करना मात्र दिखावा है। खालिस्तान को केवल धार्मिक आदर्श मानना, सिख इतिहास से विरोधाभास रखता है। "राज करेगा खालसा" का नारा सिख परंपरा का हिस्सा है। महाराजा दलीप सिंह की प्रतिमा (1999, प्रिंस चार्ल्स द्वारा उद्घाटन) पर भी यह अंकित है। गुरु गोबिंद सिंह जी का ज़फ़रनामा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की अनुमति देता है।

असल में सवनही गुरुद्वारा पर यह भी आरोप लग रहा है कि उनके द्वारा खालिस्तानी राष्ट्र के नाम पर काफी पौंड एकत्र किए हुए हैं जबकि चैरिटी कानून के तहत गुरुद्वारे किसी राजनीतिक जत्थेबंदी यां राष्ट्र के लिए पैसा एकत्र नहीं कर सकते जिसके चलते अब इसे धार्मिक बताया जा रहा है, मगर यदि खालिस्तान शब्द धार्मिक है तो 2000 में क्यों प्रतिबंधित हुआ और उसके 1.25 लाख पाउंड क्यों जब्त किए गए?

ग्रीन एनर्जी कारिडोर पर भजन लाल ने की मनोहर लाल से चर्चा

जयपुर, (बनवारी कुमावत): मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर भेंट कर राजस्थान में ऊर्जा और आवासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राजस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा निकासी की योजना बनाई है। इस योजना में शामिल परियोजनाओं को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर- थर्ड में शामिल कर केंद्र की तरफ से अधिकतम अनुदान शीघ्र स्वीकृत किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं से ऊर्जा की निकासी हेतु सुदृढ़ पारेषण तंत्र की आवश्यकता है जिसके लिए अधिकतम केंद्रीय सहयोग आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान आग्रह किया कि जयपुर मेट्रो रेल फेज- 2 का संयुक्त उपक्रम (50:50) के तहत निर्माण की विस्तृत कार्य योजना को जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रस्तावित परियोजना के लिए केंद्रीय अंशदान की स्वीकृति से जयपुर वासियों के लिए एक सुदृढ़, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जा सकेगा।

कृषि मंत्री शिवराज से मिले किरोड़ीलाल

जयपुर, (बनवारी कुमावत): कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अमानक खाद, बीज व दवाई के दुष्प्रभाव से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई इन्हें बनाने वा ली कंपनियों से करने का का नू नी प्रा व धा न करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटिया उत्पाद बनाने पर लाइसेंस निरस्त करने का नियम तो है, लेकिन यह प्रावधान नहीं है कि इनके उपयोग से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई भी कंपनियों से ही हो। अमानक उत्पादकों से किसानों का उत्पादन तो कम होता ही है, जमीन की उर्वरता भी प्रभावित होती है। जब तक किसानों के इस दोहरे नुकसान की भरपाई कंपनियां नहीं करेंगी तब तक इस ठगी पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगेगी।

सीएम सुक्खू ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि की अर्पित

शिमला, (विक्रांत सूद): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पाजंलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से राजीव गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने और उनके सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को 'आधुनिक भारत के निर्माता' के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति राजीव गांधी की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिससे आज के युवा लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की सोच को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी ने राज्यसभा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पारित करवाया।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह

77 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

अगर आपका प्रतिद्वंद्वी तुनकमिजाज है, तो उसे चिढ़ने दें। कमजोर होने का दिखावा करें, ताकि वह और अभिमानी हो जाए। -सुन त्जू

चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और रणनीतिक-आर्थिक सहयोग की संभावनाओं के संकेत देता है, लेकिन सीमा पर शांति व विश्वास को कायम करने की चुनौती के मद्देनजर भारत के लिए जरूरी है कि वह सतर्कता के साथ आगे बढ़े।

संबंधों की दिशा

ऐसे समय में जब अमेरिका की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में हलचल मचाई हुई है और दूसरे शीतयुद्ध की आशंकाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय राजनीति खेमों में बंटी दिख रही है, तब ऐसे माहौल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों की दिशा को समझने का अवसर तो देता ही है, साथ ही यह वैश्विक भू-राजनीति के बदलते समीकरणों को भी दर्शाता है। दरअसल, सीमा विवादों, पाकिस्तान की स्थिति और एशिया में सर्वोच्चता को लेकर दोनों देशों में चल रही प्रतिस्पर्धा के बावजूद अमेरिकी टैरिफ ने भारत और चीन, दोनों पर अपने रिश्तों को व्यावहारिक ढंग से पुनर्संयोजित करने के लिए दबाव बनाया है। अगर दोनों देश नजदीक आते हैं, तो चीन को भारत के विशाल बाजार का फायदा उठाने का मौका मिलेगा, वहीं भारत को दुर्लभ खनिजों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिनके लिए फिलहाल वह ज्यादातर आयात पर ही निर्भर है। सीमा विवाद और गलवान की कड़वी स्मृतियों को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन रूस-भारत-चीन त्रिकोण अमेरिका के खिलाफ एक ध्रुव बन सके, इसके लिए जरूरी है कि भारत और चीन के संबंधों में नरमी आए। वर्तमान वैश्विक हालात में यह तय है कि चीन को भी भारत की जरूरत है। इसकी पुष्टि चीनी विदेश मंत्री की भारत की ताजा यात्रा से भी होती है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक बयानों में सख्ती से परहेज किया और सहयोग की भाषा अपनाई। दूसरी ओर, भारत ने सीमा पर शांति बनाए रखने और सीमा विवाद के निष्पक्ष और परस्पर स्वीकार्य समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के रिश्ते दशकों से कुछ पेचीदा ही रहे हैं। हालांकि, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद से रिश्तों में कुछ नरमी आनी शुरू हुई। यह तथ्य है कि चीन भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में है, लेकिन चीन के साथ अब तक का अनुभव बताता है कि उस पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते। यही वजह है कि चीन के विदेश मंत्री की यात्रा का नई दिल्ली ने स्वागत तो किया, लेकिन इसे संबंधों में किसी बड़े मोड़ के रूप में पेश करने से परहेज ही किया। इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में शामिल होने का चीन का आमंत्रण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वीकार किया जाना द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अपनी रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को बीजिंग और वाशिंगटन के बीच संतुलित करने की चुनौती भारत के सामने निश्चित ही होगी।

आखिर चीन पर कितना भरोसा कर सकते हैं

अमेरिका की टैरिफ नीति ने अनजाने में भारत और चीन, दोनों को पुनः जुड़ाव को परखने का अवसर दिया है। यह संबंध स्थिर रूप ले पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष बुनियादी विवाद सुलझाने और उकसावे से बचने की कितनी इच्छाशक्ति रखते हैं।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो
एमपी-आईडीएसए

भारत और चीन, जिनके द्विपक्षीय संबंध 2020 के गलवान टकराव के बाद से तनावपूर्ण बने हुए थे, अब धीरे-धीरे एक सतर्क 'थॉ' यानी पिघलाव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों से पैदा हुई आर्थिक और भू-राजनीतिक उथल-पुथल है।

ट्रंप ने कई देशों के खिलाफ टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान को लुभाने के नए प्रयास किए हैं, जिससे नई दिल्ली और बीजिंग, दोनों की रणनीतिक गणना प्रभावित हुई है। भारत को 27 अगस्त से 50 फीसदी टैरिफ झेलना पड़ सकता है। चीन को भी टैरिफ का सामना करना पड़ा है, लेकिन ट्रंप ने उस पर अपेक्षाकृत नरमी बरती है, क्योंकि चीन ने अमेरिका पर अपनी पकड़ दिखाते हुए दुर्लभ खनिज के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जो अमेरिकी उद्योग के लिए अत्यावश्यक हैं। ट्रंप का चीन को 90 दिन की टैरिफ मोहलत देने का मतलब है कि बीजिंग से लंबे आर्थिक युद्ध के परिणाम अमेरिका के लिए भी भारी पड़ सकते हैं।

इस असामान्य वैश्विक स्थिति में चीन ने भारत के प्रति समर्थन जताने की कोशिश की है, खासकर रूस से तेल आयात करने के भारत के संप्रभु अधिकार पर। चीनी अधिकारियों और मीडिया ने ट्रंप को 'धौंस जमाने वाला' कहकर पेश किया और खुद को भारत की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाला साझेदार बताया। ये कदम चाहे परिस्थितिजन्य हों, लेकिन इन्होंने भारत और चीन को कुछ क्षेत्रों में संवाद पुनः शुरू करने का कूटनीतिक अवसर जरूर दिया है।

दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष उड़ानें सितंबर 2025 तक फिर शुरू होने की संभावना है, जिससे कोविड-19 और गलवान टकराव के बाद रुकी आवाजाही बहाल होगी। भारत ने पांच साल बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा देना फिर शुरू किया है और कैलाश-मानसरोवर यात्रा भी भारतीय श्रद्धालुओं के लिए बहाल हो गई है, जो आपसी विश्वास बहाल करने का प्रतीकात्मक कदम है। व्यापार में भी हलचल दिखने लगी है; जुलाई में भारत से पहली बार डीजल की खेप चीन भेजी गई। ये सारे कदम अक्तूबर 2024 के सीमा समझौते के बाद आए हैं, जिसमें एलएसी पर भारतीय ग्रामीणों को फिर से चराई और गश्त की अनुमति मिली थी।

भारत और चीन, दोनों समझते हैं कि अमेरिकी संरक्षणवाद, खासकर ऐसे राष्ट्रपति के नेतृत्व में जो लेन-देन आधारित कूटनीति अपनाते हैं, उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत के लिए यह संकट तब आया है, जब वह अपनी अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र से विनिर्माण क्षेत्र की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए चीन की मशीनरी, पूंजी और प्रशिक्षित श्रमिकों की जरूरत है। चीन के लिए भारत के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक ढाल का काम कर सकता है और नई दिल्ली को पूरी तरह वाशिंगटन के रणनीतिक घेरे में जाने से रोक सकता है। यह तात्कालिक हितों का मेल है, कोई गहरा रणनीतिक गठबंधन नहीं, लेकिन दोनों पक्षों के लिए तनाव कम करने का कारण जरूर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा, जहां वह इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, सात साल में पहला होगा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पिछले दस महीनों में पहली द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इस तरह की मुलाकात के दृश्यात्मक संदेश निश्चित रूप से ध्यान खींचेंगे, खासकर वाशिंगटन में, जहां ट्रंप प्रशासन ने पहले से ही संकेत दे दिए हैं कि वह संबंधों को संकीर्ण लेन-देन वाले नजरिये से देख रहा है।

इसके बावजूद, मौजूदा 'थॉ' विरोधाभासों से मुक्त नहीं है। चीन पाकिस्तान के साथ अपने गहरे सैन्य और परमाणु सहयोग को बनाए हुए है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा चीनी हथियारों का इस्तेमाल भारत के संज्ञान में है। यारलुंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र) पर चीन का विशाल बांध निर्माण और अक्साई चिन से होकर गुजरने वाली नई रेललाइन भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है। शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर बीजिंग ने जम्मू-कश्मीर में हुए हमलों की निंदा वाले बयानों को रोक दिया, पर बलूचिस्तान हिंसा को प्रमुखता से रखा-इसे पाकिस्तान समर्थक रुख माना गया। इन कदमों से स्पष्ट है कि चीन का मौजूदा रुख सामरिक अवसरवाद पर आधारित है, जिसे भारत-अमेरिका के बीच हालिया तनाव ने बढ़ावा दिया है। द्विपक्षीय विवादों पर इसकी मूलभूत स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत ने भी संतुलित प्रतिक्रिया दी है-रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी दोहराई है, ग्लोबल साउथ के नेताओं से संवाद किया है और अमेरिका तथा चीन, दोनों के साथ बातचीत के लिए खुलापन दिखाया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर चीन को जवाब भी दिया है।

नई दिल्ली के लिए चुनौती यह है कि वह मौजूदा जुड़ाव से ठोस लाभ निकाले, बिना अपने मूल हितों से समझौता किए। उड़ानों, वीजा और यात्राओं की बहाली से माहौल जरूर सुधरता है, लेकिन असली परीक्षा सीमा प्रबंधन, जल संसाधनों की सुरक्षा और व्यापार व निवेश प्रवाह को संतुलित व टिकाऊ बनाए रखने में होगी। भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिए चीन की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल है।

इंडो-पैसिफिक के व्यापक संदर्भ में, भारत और चीन के बीच सीमित पिघलाव भी मौजूदा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप की नीति-जिसमें भारत को टैरिफ नीति में चीन से ज्यादा कठोरता का सामना करना पड़ा-नई दिल्ली को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक साझेदारियां खोजने को प्रेरित कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत रणनीतिक रूप से चीन के साथ खड़ा होगा, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा और कुछ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मुद्दों पर व्यावहारिक सहयोग संभव है। अमेरिका के लिए यह चेतावनी है कि अत्यधिक दबाव डालने वाली आर्थिक नीतियां रणनीतिक संबंधों को कमजोर कर सकती हैं। चीन के लिए यह मौका है कि वह देख सके कि क्या भारत के साथ सीमित सहयोग, विवादों के बावजूद, टिकाऊ रह सकता है।

अंततः, मौजूदा गर्माहट को स्थायी मेल-मिलाप के बजाय सामरिक जरूरत के रूप में देखना चाहिए। दोनों देश बदली परिस्थितियों में सहयोग की सीमाओं को परख रहे हैं। अविश्वास के मूल कारण-सीमा विवाद, चीन-पाकिस्तान संबंध और क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा-यथावत हैं। बदला है, तो सिर्फ रणनीतिक वातावरण, जिसमें अमेरिकी नीति ने अनजाने में भारत और चीन, दोनों को पुनः जुड़ाव को परखने का अवसर दिया है। यह संबंध स्थिर रूप ले पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष बुनियादी विवाद सुलझाने और उकसावे से बचने की कितनी इच्छाशक्ति रखते हैं। तब तक, यह 'थॉ' नाजुक ही रहेगा। edit@amarujala.com

जीवन धारा

दलाई लामा

बीती बातों को भूलने तथा दूसरों का कल्याण चाहने से हमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिलती है और हम नकारात्मक विचारों से ऊपर उठकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।

क्षमा व पश्चाताप से हल्का हो जाता है मन का बोझ

क्षमा करुणापूर्ण व्यवहार का आवश्यक अंग है। लेकिन, इसे समझने में कई बार भूल हो जाती है। क्षमा का अर्थ गलती को भूल जाना नहीं होता। अगर व्यक्ति अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को भूल जाए, तो फिर क्षमा करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहेगा! मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने साथ हुए दुर्व्यवहार से निपटने के लिए कोई ऐसा रास्ता तलाशना चाहिए, जिससे हमें मानसिक शांति मिले। साथ ही हमारे भीतर प्रतिशोध जैसी विध्वंसात्मक प्रवृत्ति विकसित न होने पाए। एक जरूरी बात यह है कि जो हो गया, उसे स्वीकार करना चाहिए। यह व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर, यह मानना बहुत जरूरी है कि बीता हुआ कल हमारे नियंत्रण से परे है। मगर अतीत में हुए दुर्व्यवहार पर हमारी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से हमारे नियंत्रण में होती है।

कर्ता और कर्म के अंतर को ध्यान रखना जरूरी है। कई बार इसमें बहुत कठिनाई होती है। यदि हम या हमारा कोई संबंधी किसी अपराध का शिकार हो जाए, तो ऐसे में अपराधी से घृणा न करना मुश्किल होता है। फिर हम थोड़ा विचार करें, तो पाएंगे कि अपने कर्मों के संदर्भ में हम किसी कुकृत्य और उसके कर्ता के बीच लगभग प्रतिदिन भेद करते हैं। क्रोध या चिड़चिड़ाहट के क्षणों में हम अपने प्रियजनों के साथ रूखा या गुस्से का बर्ताव करते हैं। बाद में हमें पश्चाताप या दुख होता है, लेकिन हम पीछे मुड़कर अपनी उस प्रतिक्रिया पर विचार करते हैं, तो हम आसानी से स्वयं में और अपने किए काम में अंतर देख पाते हैं। हम स्वयं को क्षमा भी कर देते हैं और कई बार वचन देते हैं कि हम गलती को फिर नहीं दोहराएंगे। यदि हम स्वयं को क्षमा कर सकते हैं, तो दूसरों को भी कर सकते हैं। हालांकि, यह सच है कि कई बार व्यक्ति स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाता। यह स्थिति बाधक बन जाती है। ऐसे लोगों को करुणा और अपने प्रति क्षमाशील होने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसी से दूसरों के प्रति करुणा और क्षमाशीलता का आधार तैयार होता है। एक और सच बात जो ध्यान रखने लायक है कि दूसरों को क्षमा कर देने से हमें स्वयं भी बोझ से मुक्ति मिलती है। यदि हम अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर विचार करते हैं, तो हमारे भीतर क्रोध और वैमनस्य का भाव जाग उठता है। लेकिन उन दुखद स्मृतियों और बुरे विचारों को मन में रखने से लाभ नहीं होता और न ही इससे अपराध के निवारण का रास्ता बनता है। इसका हम पर सकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता, बल्कि इससे मानसिक शांति भंग होती है, नींद खराब हो जाती है और आगे चलकर शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी ओर, यदि हम अपराधी के प्रति मन में उठे वैमनस्य को दूर कर दें और उसे क्षमा कर दें, तो निश्चित रूप से हमें तुरंत लाभ प्राप्त होता है। बीती बातों को भूलने तथा दूसरों का कल्याण चाहने से हमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिलती है और हम नकारात्मक विचारों से ऊपर उठकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

करुणा का भाव रखें

सूत्र

जीवन में स्वयं या दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखें। इससे जीवन सुंदर और पहले से बेहतर होने लगेगा। चौबीस घंटों में जीवन की लय एक जैसी नहीं होती, इस बीच कई तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं, हम क्रोध, प्रेम और दुख, सब कुछ महसूस करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमें करुणा का भाव रखना चाहिए।

दूसरा पहलू

जहांगीर ने नूरजहां के नाम पर मध्य प्रदेश के नूराबाद में जो पुल बनवाया था, सैकड़ों साल बाद भी बरकरार है उसकी खूबसूरती।

मोहब्बत की मिसाल बना...आलीशान पुल

क्या किसी पुल की भी कोई कहानी हो सकती है। आगरा-मुंबई हाईवे पर चंबल नदी को पार कर मुरैना के आगे अगर आप बाईं तरफ देखेंगे, तो पाएंगे एक बेहद खूबसूरत पुल, जो अब इस्तेमाल नहीं होता। पुल पर बने बुर्ज व मीनारें बरबस ही ध्यान अपनी ओर खींच लेंगी। मन करेगा गाड़ी से उतरकर यहां कुछ वक्त बिताएं। तब शायद सरगोशियों में खामोशी से बैठकर आप पुल की अनोखी दास्तान सुन सकते हैं।

भूपेंद्र कुमार

आगरा-मुंबई हाईवे पर सांक नदी पर मुगल काल में बने पुल के बुर्ज और मीनारें बरबस ही ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं।

ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टाड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान तथा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में लिखा है, नूराबाद में शानदार स्मारक है।

ग्वालियर से 24 किलोमीटर पहले सांक नदी पर मुगल काल में बने इस पुल की दास्तां जहांगीर और नूरजहां की मोहब्बत से जुड़ी है। पहले इस जगह का नाम सिरोहा था, पर मुगल बादशाह ने अपनी बेगम के नाम पर इसे नूराबाद कर दिया। लगभग चार सौ साल पहले बना यह पुल वास्तुकला की नायाब मिसाल है। इसमें सात मेहराबें हैं। ये मेहराबें छह मीटर ऊंची और पांच मीटर चौड़ी हैं। सातवीं सदी से ही मेहराबों का इस्तेमाल इमारत या पुल के वजन को बराबर बांटने के लिए किया जाता रहा है। साथ ही इस्लामिक वास्तुकला में इसे धर्म से जोड़कर भी देखा जाता है। पुल के दोनों तरफ चौड़ी चहारदीवारी है, दो अष्टकोणीय गुंबदनुमा छतरियां हैं, जो इसे विशिष्ट बनाती हैं। जहांगीर के शासनकाल में यहां सराय का निर्माण भी किया गया था। इस सराय में बुर्ज और दो विशालकाय दरवाजे हैं। हालांकि, अब इसकी हालत काफी खराब है। सराय के दरवाजे पर फारसी में लिखा है कि इसकी मरम्मत 1661 में औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टाड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक *एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान तथा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया* में लिखा है, नूराबाद में तेली का पुल या ऑयलमैन ब्रिज शानदार स्मारक है। नूराबाद पुल को तेली का पुल कहने की वजह शायद यहां से होने वाला व्यापार था। टाड लिखते हैं, भले ही यह पुल मुगलों ने बनवाया पर कारोबार के लिए तेल व्यापारियों के काफिले जब इससे गुजरने लगे तो इसे तेली का पुल नाम दिया गया।

पुल किसने बनवाया, यह स्पष्ट नहीं है। कहीं यह भी है कि जहांगीर की आत्मकथा *इकबालनामा-ए-जहांगीरी* लिखने वाले मुतामद खान ने इसे बनवाया। कुछ इतिहासकार इसे 1605 ईस्वी में जहांगीर द्वारा बनवाया बताते हैं, तो अन्य इसे औरंगजेब के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में बनवाया मानते हैं। फिलहाल वास्तुकला के इस नायाब नमूने की हालत खराब है, सरकार ने इसके बगल में एक और पुल कुछ साल पहले बना दिया था, अब इस पर यातायात बंद है। मेहराबें और मीनारें जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं।

आंकड़े

शिक्षा ऋण एनपीए

वर्ष 2024 में बीते 6 वर्षों की तुलना में शिक्षा ऋण पर बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में करीब दो हजार करोड़ रुपये की कमी आई।

वर्ष	एनपीए
2019	6,323
2020	6,017
2021	5,801
2022	5,741
2024	4,338

आंकड़े शिक्षा ऋण पर वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए के, करोड़ रुपये में | स्रोत : RBI

संत डेढ़राज को कैद करने पर नवाब निजाबत अली की शासन व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। बाद में उसने घुटने टेककर उनके सामने क्षमा याचना की।

भक्ति की शक्ति के आगे झुका नवाब

अंतर्यात्रा
संकलित

नारनौल के धारसू गांव में संत डेढ़राज जी का जन्म हुआ था। गरीबी के कारण करीब चौदह वर्ष की उम्र में उन्हें अपना घर और गांव छोड़ना पड़ा। वह आगरा में रहने लगे। आगरा में माधवराव सिंधिया के दीवान धर्मदास के यहां डेढ़राज जी नौकरी करने लगे। उन्हें काम के दौरान कई हिंदू और मुसलमान साधकों से मिलने का अवसर मिला। इन सब के बीच रहकर डेढ़राज जी भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे।

कठिन तपस्या के बाद अपने भीतर आध्यात्मिक ज्योति को पाकर तैंतीस वर्ष की अवस्था में डेढ़राज जी अध्यात्म के उपदेश देने लगे। उनके विचार उदार और व्यापक थे। वर्षों बाद वह अपनी जन्मभूमि लौटे। लोग उनके उपदेश सुनने के लिए उमड़ने लगे। उस समय नारनौल का शासक झज्जर का नवाब निजाबत अली खान था। संतत डेढ़राज जी की प्रसिद्धि देखकर उसने उन पर धर्मद्रोही का आरोप लगाया और उसने उन्हें कैद कर लिया। जेल में डेढ़राज जी को उसने बहुत कष्ट दिए, लेकिन उनकी भक्ति के प्रभाव से कुछ दिनों में ही निजाबत अली की शासन व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। उस दौरान निजाबत अली पूरी तरह से टूट चुका था और वह घुटनों के बल आ गया और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद वह संत डेढ़राज जी से क्षमा मांगते हुए कहने लगा, 'मुझे भगवान की शक्ति और मेरी गलती समझ आ गई है।'

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 21 अगस्त, 1955

पुर्तगाली बस्तियों की आर्थिक नाकेबंदी

पुर्तगाली बस्तियों की आर्थिक नाकेबंदी
भारत सरकार का एक और कदम

भारत सरकार ने पुर्तगाली बस्तियों गोवा, दमन और दीव की आर्थिक नाकेबंदी करने का निश्चय किया है। यह भारत सरकार का इन बस्तियों के विरुद्ध तीसरा कूटनीतिक कदम है।

स्त्रीवाद के बरक्स ट्रैड वाइफ

अमेरिका में महिलाएं न केवल बच्चे चाहती हैं, बल्कि परंपरागत रूप से घर को भी सजाना-संवारना चाहती हैं। इस बदलाव के निहितार्थ गहरे हैं।

क्षमा शर्मा

समाज

ट्रैडिशनल वाइफ मूवमेंट, जिसे संक्षेप में ट्रैड वाइफ मूवमेंट भी कहा जा रहा है, यह अमेरिका में चल रहा है। यह स्त्रीवाद के विलोम के रूप में आया है। इससे जुड़ी स्त्रियां चाहती हैं कि उन्हें जीवन में निभाने के लिए वही भूमिका मिले, जो 1950 में पारंपरिक स्त्रियां निभाती थीं। वे घर को उसी तरह से चलाना चाहती हैं, जिसमें घर की देखभाल कर सकें। और खुद को होम मेकर्स कह सकें।

वे पुरानी पीढ़ी की स्त्रियों की तरह ही घर की साफ-सफाई, साज-सज्जा करना चाहती हैं। खाना पकाना चाहती हैं। बच्चों की देखभाल करना चाहती हैं। उनका कहना है कि जिस तरह पहले स्त्रियां घरों में रहकर घरेलू जिम्मेदारियां निभाती थीं और पुरुष बाहर जाकर पैसा कमाकर लाते थे, वैसा ही अब उन्हें एक मुकम्मल परिवार चाहिए। इनमें से बहुत-सी स्त्रीवादियों से प्रति प्रश्न भी कर रही हैं कि अगर हम अपने परिवार की देखभाल करना चाहते हैं, बच्चे पालना चाहते हैं, अन्य जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, तो यह हमारी पसंद है। हमारा मजाक उड़ाने वाले आप कौन? वे खुलेआम स्त्रीवादी विचार को खारिज कर रही हैं। उनका मानना है कि प्राथमिक रूप से पुरुष को पैसा कमाना और स्त्री को घर संभालना चाहिए। इस आंदोलन को स्त्रीवाद को अस्वीकार के रूप में भी देखा जा रहा है। और यह अस्वीकार स्त्रियों के द्वारा ही हो रहा है।

सोशल मीडिया के इस दौर में इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक आदि ने इसकी लोकप्रियता बढ़ा दी है। बहुत से यूट्यूब चैनल पर बहुत से इन्फ्लुएंसर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनेक स्त्रियों का कहना है कि वे कॅरिअर में लगातार बढ़ते दबाव से परेशान हैं। अब वे इसे नहीं झेल सकतीं। स्त्रियों को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे नौकरी करना चाहती हैं या घर में रहना। आश्चर्य की बात यह है कि बड़ी संख्या में युवा लड़कियां इसका समर्थन कर रही हैं। स्त्रीवाद के एक वर्ग ने कोख को स्त्री का सबसे बड़ा शत्रु बताया था, लेकिन ट्रैड वाइव्स मां बनना चाहती हैं।

इस सोच का बड़ा कारण यह भी है कि वहां अकेलापन बहुत ज्यादा है। न बच्चों की देखभाल के लिए घर में माता-पिता मौजूद हैं, न ही बुजुर्गों के लिए। परिवार की इकाई, कौटुंबिक रिश्ते लगभग न के बराबर हैं। छुटपन से ही बच्चे तरह-तरह के नशे के शिकार भी होते हैं। वे अपराध की दुनिया में भी चले जाते हैं। इसलिए अरसे से वहां के पुलिस अधिकारी, समाजशास्त्रियों का बड़ा वर्ग, मनोवैज्ञानिक आदि कह रहे हैं कि यदि बच्चों और बुजुर्गों को बचाना है, तो परिवार चाहिए। क्लिंटन काल के उपराष्ट्रपति अल गेर की पत्नी तो 1993 से परिवार की वापसी का आंदोलन चला रही हैं।

हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने भी कहा था कि परिवार चाहिए। उन्होंने स्त्रीवाद पर भी हमला बोला था। संयुक्त राष्ट्र भी परिवार की बात कर रहा है। परिवार दिवस भी मनाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग इस आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित भी हैं। उनका मानना है कि यदि स्त्रियां घर में रहेंगी, तो वे आर्थिक रूप से फिर से पुरुषों पर निर्भर हो जाएंगी। इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्रता बहुत प्रभावित होगी। यही नहीं उन्हें बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा। इससे स्त्री-पुरुष की बराबरी पर भी प्रभाव पड़ेगा। स्त्रियां फिर से एक तरह से पुरुष की गुलाम हो जाएंगी। जहां उनके हर तरह के निर्णय पर पुरुष के आदेश लदे होंगे। अभी जो कुछ बहुत आकर्षक लग रहा है, बाद में वही उनके पांव की बेड़ी भी बन सकता है।

कई बार लगता है कि किसी भी विमर्श की उम्र अस्सी से सौ वर्ष तक ही होती है। चाहे वह समाजवाद का सपना हो या स्त्रीवाद का जोर। फिर कोई नया विमर्श या पुराना विमर्श लौटकर, इस जगह को ले लेता है। लेकिन स्त्रियों को यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पंचतंत्र में कहा गया है कि यदि कंचन पास नहीं, तो कामिनी भी अपनी नहीं। यानी यदि आपके पास पैसे नहीं, तो कोई अपना नहीं।

ट्रैडिशनल वाइफ मूवमेंट में भी बहुत से लोग स्त्रियों को यह सिखा रहे हैं कि शादी किसी अच्छे इन्सान से न करके, किसी बहुत पैसे वाले से करो, जिससे जिंदगी भर ऐश कर सको। तब न नौकरी करने की जरूरत रहेगी, न ही घर के काम करने की। जीवन खूब आराम और मस्ती में कटेगा। यानी कि किसी भी विचार से बड़ा पैसा है, तो फिर पैसे के लिए किसी पर निर्भर क्यों रहा जाए। अपने पांव पर खड़ा होना क्या बुरा है।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

विधेयक पर विवाद

केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने की कानूनी व्यवस्था वाला विधेयक पेश किया है, तो अनेक विपक्षी दल इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। अभी इन उच्च पदों पर बैठे लोगों के जेल जाने की स्थिति में पद छोड़ने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अभी जो कानून हैं, उनके अनुसार, जब तक दोष-सिद्ध नहीं हो जाए, तब तक ये आला मंत्री इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस उदार व्यवस्था का लाभ दिल्ली के एक मुख्यमंत्री और उनके कई मंत्री उठा चुके हैं। यह इतिहास में दर्ज है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहे। तमिलनाडु के एक मंत्री सेंथिल ने भी गिरफ्तार होने के बावजूद पद से इस्तीफा नहीं दिया था। जेल से भी अपना कार्यभार संभालने वालों की यह दलील थी कि संविधान उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहता है। ऐसे में, केंद्र सरकार इस कोशिश में है कि 30 दिन हिरासत में रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को स्वतः ही पदमुक्त मान लिया जाएगा। पहली नजर में तो यह एक सामान्य प्रावधान लगता है, लेकिन इसके गहरे और व्यापक निहितार्थ हो सकते हैं।

बहरहाल, केंद्र सरकार ने तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया है। जेपीसी में अन्य दलों के नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। विपक्ष के नेताओं को अब जेपीसी में अपना पक्ष अकाट्य ढंग से रखना होगा। व्यापक हित-अहित, सदुपयोग-दुरुपयोग देखकर फैसला करना होगा। अगर ये तीनों विधेयक संविधान के विरुद्ध हैं या इनसे अनेक कानूनों पर व्यापक व नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है, तो समाधान का कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। वैसे सरकार को यह पता था कि इन विधेयकों के आने पर हंगामा होगा। अतः वह इन विधेयकों को जेपीसी के पास भेजने के लिए पहले से ही तैयार थी। सरकार की आशंका के अनुरूप ही विपक्षी दलों ने लोकसभा में खूब हंगामा किया।

विपक्ष आशंका जता रहा है कि अगर संविधान में यह 130वां संशोधन हो गया, तो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का पद खतरे में पड़ जाएगा।

चूंकि यह विधेयक आरोप लगने की स्थिति में ही सजा देने के लिए तत्पर हो जा रहा है, इसलिए विपक्षी दलों ने जमकर आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार पर यह गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि वह विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करना चाहती है। विपक्ष यह आशंका जता रहा है कि अगर संविधान में यह 130वां संशोधन हो गया, तो फिर विपक्ष के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का पद खतरे में पड़ जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जेपीसी की बैठकों में इस पर गहराई से विचार करने के बाद अंतिम फैसला लेना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक; केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025; और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025। केंद्र सरकार इन विधेयकों को भ्रष्टाचार विरोधी बता रही है, जबकि विपक्ष इससे सहमत नहीं है। दोनों पक्षों को समन्वय के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान रहे, हमारे संविधान सभा में शामिल नेताओं ने सोचा भी नहीं था कि कभी देश की राजनीति का नैतिक स्तर इतना गिर जाएगा। आज तो कोई दागी नेता पद नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसे में, आज या कल, कुछ कानूनी प्रावधान ऐसे करने ही पड़ेंगे, ताकि दागियों के लिए जगह न रहे। अनेक कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी है- राजनीतिक सहमति। सहमति या व्यापक बहुमत से हुआ सुधार ही ठीक से फलीभूत होता है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले

21 अगस्त, 1950

भारत का विदेशी व्यापार

आजकल व्यापार का क्षेत्र विश्वव्यापी हो गया है। यदि एक देश अपनी आर्थिक जरूरतों को अपनी सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया करे तो इससे बढ़कर आदर्श स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। किन्तु सभी देशों के उत्पादन साधनों में समानता नहीं है। कुछ देश किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन अपनी आवश्यकता से अधिक करते हैं, तो कुछ वस्तुओं के बारे में उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता है। इस कारण दूसरे देशों के साथ व्यापार करना आवश्यक हो जाता है। अपने देश की अतिरिक्त सामग्री विदेशों को निर्यात की जाती है और वांछित सामग्री का विदेशों से आयात किया जाता है। जिस देश की आयात और निर्यात की मात्रा संतुलित रहती है, वह भाग्यशाली समझा जाता है, कारण अर्थशास्त्र का यह सामान्य नियम है कि जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है, वह जल्दी ही दिवालिया हो जाता है।

भारत के विदेशी व्यापार की मौजूदा स्थिति को इसी कसौटी पर परखना होगा। भारत सरकार के व्यापार मंत्री श्री श्रीप्रकाशजी ने आयात सलाहकार कौंसिल के सामने भारत के आयात-निर्यात के जो तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति में सन् 1948-49 की अपेक्षा सन् 1949-50 में काफी सुधार हुआ है। सन् 1949-50 में भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा अभूतपूर्व रही। भारत के कुल आयात-निर्यात का मूल्य 10 अरब तीन करोड़ रुपये था। भारत ने इस वर्ष भी निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक किया, किन्तु दोनों के बीच 49 करोड़ रुपये का ही अंतर रहा, जबकि उससे पहले वर्ष में यह अंतर 175 करोड़ एक लाख रुपये का था। दूसरे शब्दों में भारत ने आयात-निर्यात के बीच की खाई को काफी हद तक पाट दिया। विदेशी व्यापार की प्रतिकूल स्थिति में 126 करोड़ रुपये की कमी हो गई। अपने आयात का मूल्य चुकाने के लिए हमें जो विदेशी विनिमय उपलब्ध है, उसमें वृद्धि होना और भी संतोष का विषय है। हमारी पौण्ड पावने की निधि में इस वर्ष सात करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। हमारे पौंड पावने का मूल्य 1 जुलाई 1949 को 820 करोड़ रुपये था, वह इस वर्ष अर्थात 1 जुलाई 1950 को 827 करोड़ हो गया है। विदेशी व्यापार की स्थिति में यह सुधार होने के बावजूद हमको अभी अपने आयात पर सतर्क दृष्टि रखनी होगी।

रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने की बढ़ी कोशिशें

यहां स्कैन करें

शशांक | पूर्व विदेश सचिव

अभी सिर्फ इस युद्ध को रोकने पर सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है। कब्जे वाले क्षेत्रों के भविष्य और युद्ध-विराम की शर्तों पर कोई बातचीत नहीं हुई है।

अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक खत्म करने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब पत्रकारों के सवाल ले रहे थे, तब उन्होंने यह कहा था कि यदि 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते, तो यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं। इस वक्तव्य से वह दो संदेश देना चाह रहे थे। पहला, वह दृढ़ हैं कि अमेरिका ही यूक्रेन के पीछे था और दूसरा, अगर सहमति बनती है, तो वह शांति के लिए तैयार हैं। इसीलिए, इस बैठक के तीन दिन बाद जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ ओवल ऑफिस में थे, तब यह कयास जोर पकड़ने लगी कि जल्द ही इस युद्ध का अंत होने वाला है।

क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? निस्संदेह, राष्ट्रपति ट्रंप शांति-प्रयासों में जोर-शोर से जुटे हुए हैं। उन्होंने सत्ता संभालते ही 24 घंटे के अंदर इस जंग को रुकवाने का वायदा किया था। इस पर वह बेशक खरे नहीं उतर सके, लेकिन इसमें यूरोप की भूमिका से भी वह गाफिल नहीं हैं। ट्रंप जानते हैं कि 2022 में युद्ध शुरू होते ही महज दो महीने के भीतर तुर्किये के जरिये शांति की पहल शुरू हो गई थी और जेलेंस्की कमोबेश तैयार भी थे। तब तक इस युद्ध का दायरा बहुत सीमित था और माना जा रहा था कि रूस रूसी मूल के यूक्रेनियों को स्वायत्तता मिलने मात्र से मैदान छोड़ देगा। मगर ये यूरोपीय देश थे, जिन्होंने जेलेंस्की को ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने उनको इससे भी बेहतर समझौते का सपना दिखाया। मगर ऐसा हो नहीं सका, जिसका खामियाजा यूक्रेन आज भी भुगत रहा है।

जाहिर है, यूरोपीय देशों ने इस युद्ध में घी डालने का काम किया है। उन्होंने एक तरफ यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए, तो दूसरी तरफ किसी भी समझौते के लिए उसके हाथ बांध दिए थे। उसे नाटो में शामिल करने का भरोसा भी वे देते रहे। मगर आलम यह रहा कि स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का हिस्सा बन गए, पर यूक्रेन खाली हाथ रहा। लगातार युद्ध से उसके संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अमेरिका भी यूक्रेन के प्रति उदासीन रहा। उसने कभी खुलकर उसके बारे में बात नहीं की। यही वजह है कि आज ट्रंप इस युद्ध के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को घेर रहे हैं और क्षेत्र से शांति बहाली पर जोर दे रहे हैं।

दिक्कत यह है कि यूरोपीय देश आज भी मैदान से हटना नहीं चाहते। उनका मत है कि यूक्रेन को हरसंभव मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि रूस अब कमजोर पड़ने लगा है। अमेरिका के भीतर यूरोप को पसंद करने वाले लोग अथवा थिंक-टैंक भी कुछ इसी तरह की राय रखते हैं। हालांकि, ट्रंप और उनके सहयोगियों का मानना है कि यूक्रेन में हथियारों की होड़ में अमेरिका पिछड़ रहा है और रूस अधिक ताकतवर दिखने लगा है।

अमेरिकी सत्ता-सदन में एक सोच यह भी है कि 27 देशों के यूरोपीय संघ से रिश्ते मधुर बनाने में जो मुश्किलें आएंगी, उससे बेहतर है रूस से संबंध सुधारना। इसकी एक बड़ी वजह तो यही है कि दोनों (अमेरिका और सोवियत संघ) दूसरे विश्व युद्ध के विजेता हैं और बड़ी ताकत के रूप में दुनिया में स्थापित हैं। यही कारण है कि ट्रंप युद्ध रोकने का दबाव जेलेंस्की पर बना रहे हैं। ऐसे में, सवाल यह है कि क्या दबाव में किया गया समझौता टिकाऊ होगा? क्या यह स्थायी शांति ला सकेगा?

इन प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए हमें यूरोप की गलियों से गुजरना होगा। दरअसल, उसका इतिहास युद्धों का रहा है। उसे दुनिया भर में खून-खराबा पसंद है। यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ (हालांकि एक पक्ष इंग्लैंड भी था) के बीच याल्टा समझौता हुआ था, तब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भारतीय उपनिवेशवाद को लेकर उदासीन बने रहे और 1947 में हिन्दुस्तान को आजाद किया। फ्रांस ने भी इंडो-चाइना (आधुनिक वियनताम, कंबोडिया और लाओस) पर कब्जा बनाकर रखा और हिंसक संग्राम के बाद उसे आजाद किया। यूक्रेन को लेकर यूरोप की यही नीति है। वह उपनिवेशवाद के बहाने यहां अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसे लग रहा है कि यदि पुतिन और ट्रंप में सहमति बनती है, तो जो समझौता साकार होगा, वह यूरोप को नुकसान पहुंचा सकता है।

यूरोप का आज भी कई विकासशील और विकसित देशों में प्रभाव है। वहां भी यही भावना परवान चढ़ रही है कि यूरोप को यूक्रेन का साथ देना चाहिए और ट्रंप गलत फैसले की ओर बढ़ रहे हैं। उनका यह भी मत है कि भारत पर ज्यादा प्रतिबंध लगने चाहिए, क्योंकि वह सस्ते दाम में रूस से तेल खरीदकर उनको ऊंची कीमतों पर बेच रहा है। देखा जाए, तो एक तरह से यूरोपीय देश, और कुछ हद तक अमेरिका का 'डीप स्टेट' भी, यह मानता है कि 'ब्रिक्स' पर दबाव बनाना सुखद होगा। वे 'जी 2' (दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन का अनौपचारिक समूह) का महत्व समझते हैं, पर उनका यही मत है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूरोप की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी।

साफ है, यह एक अहम मोड़ है और समझौते का टिकाऊ होना कई बातों पर निर्भर करेगा। अभी सिर्फ युद्ध रोकने पर सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है। कब्जे वाले क्षेत्रों के भविष्य और युद्ध-विराम की शर्तों पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सुरक्षा गारंटी पर भी ठोस सहमति नहीं बन सकी है।

हालांकि, एक बात और दिलचस्प है। इस बार सहमति बनाने का प्रयास अलास्का से शुरू हुआ है, जो यूरोप का हिस्सा नहीं है, जबकि पुराने दौर में तमाम समझौतों की शुरुआत यूरोप की धरती से हुई है। क्या ऐसा करके ट्रंप और पुतिन यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार समझौते में यूरोप की भूमिका सीमित होगी? फिलहाल इसका सही-सही जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इन सबमें भारत का कद जरूर बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि अलास्का बैठक से पहले हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रूस गए थे और उन्होंने दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की आपस में बातचीत कराई थी। और जब, ट्रंप से मिलकर पुतिन वापस लौटे, तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। जाहिर है, इस युद्ध के खात्मे में भारत की भूमिका भी तलाशी जा रही है। यह वक्त के करवट बदलने का संकेत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हिमालय के इलाकों में क्यों बार-बार फट रहे बादल

यहां स्कैन करें

पंकज चतुर्वेदी | वरिष्ठ पत्रकार

स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिसौती गांव में बादल फटने की घटना से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मचेल गांव में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। कुल्लू और मंडी में 19 अगस्त को दोबारा बादल फटने से भारी तबाही हुई। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल ही नहीं, हिमालय की गोद में बसा समूचा हिन्दुस्तान चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि के कारण हैरान-परेशान है। खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बादल फटना एक बड़ी विपदा के रूप में उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही इन घटनाओं का पूर्वानुमान भी मुश्किल है।

हिमाचल प्रदेश में बीते एक हफ्ते के दौरान छह जगह बादल फटने से तबाही आई। उत्तराखंड में धराली त्रासदी के लिए फिलहाल भले ही बादल फटने को कारण बताने से इनकार किया जा रहा हो, मगर हकीकत यही है कि उस क्षेत्र में हर्षिल के अलावा कहीं भी मौसम विभाग का वर्षा मापन केंद्र है ही नहीं, और यदि उससे ऊपर कहीं बादल फटा हो, तो उसका कारण महज वर्षा को नहीं बताया जा सकता।

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। अधिक ऊंचाई पर ग्लेशियर झीलों में तेज वाष्पीकरण इसका एक कारण है।

कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं में साल-दर-साल वृद्धि बेहद चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ा है कि वर्ष 2020 में वहां बादल फटने की सात घटनाएं हुईं, तो 2021 में 11 और 2022 में 14 घटनाएं घटीं। इसके अगले साल 2023 में 16 और पिछले साल 2024 में 15 बार बादल फटे। इस साल अब तक बादल फटने की छोटी-बड़ी 12 घटनाएं हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दशक पहले तक हर साल औसतन पांच-छह ऐसी घटनाएं घटती थीं, लेकिन अब इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और ये 15 से 20 तक हो गई हैं। उत्तराखंड में बीते आठ सालों में बादल फटने की 67 बड़ी घटनाओं ने व्यापक तबाही मचाई।

यह कड़वा सच है कि प्रकृति से अधिक यह मानव-जनित त्रासदी है और न सिर्फ इसकी आवृत्ति बढ़ी है, बल्कि समय में भी बदलाव आया है। बादल फटने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक बहुत ऊंचाई वाली हिमनद झीलों में तेज वाष्पीकरण माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी के औसत तापमान में 0.75 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ या घाटी में ग्लेशियरों का तेज क्षरण हुआ है। हिमालय में हिमनद झीलें खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं। ऐसी झीलें अधिक ऊंचाई के कारण बादलों के सीधे संपर्क में आती हैं, जिससे अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बादल फटने की अनुकूल स्थिति पैदा होती है।

मानसून के पूरे देश में फैलने के साथ नमी युक्त पूर्वी हवाएं निचले स्तरों से होकर पश्चिमी हिमालय तक पहुंच रही हैं। ये हवाएं ऊपरी स्तरों पर बहने वाली पश्चिमी हवाओं से टकरा रही हैं। विपरीत दिशाओं से बहने वाली हवाओं का संगम 'क्यूम्यूलोनीम्बस' बादलों, अर्थात तूफानी बादल या गरज-चमक वाले बादल के निर्माण का कारण बनता है। पर्वतीय क्षेत्र में हवाएं तेज गति से नहीं चलतीं और कभी-कभी छोटे से क्षेत्र में अटक जाती हैं, जिससे भारी बारिश और बादल फटने की घटना होती है। इस अनिश्चितता के कारण मौसम वैज्ञानिकों के लिए समय पर अलर्ट जारी करना कठिन हो जाता है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जिसका कारण ऊंचाई पर ग्लेशियर झीलों से तेज वाष्पीकरण होना है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दक्षिण-एशियाई देश विशेष रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि ये दक्षिण में तेजी से गर्म हो रहे हिंद महासागर और उत्तर में तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के निकट हैं। अधिकांश बादल फटने की घटनाएं अप्रत्याशित तीव्र वर्षा से जुड़ी हुई हैं।

हिमालय की स्थलाकृति, इसकी खड़ी और अस्थिर ढलानों की विशेषता बादल फटने की घटनाओं के लिए एक आदर्श सेटिंग प्रदान करती है, जिससे अचानक बाढ़ या भूस्खलन होता है। हालांकि, ऐसी विनाशकारी घटनाओं के सटीक स्थान, आयाम और गंभीरता का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। नीति-निर्माताओं को अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के लिए समय पर जलवायु परिवर्तन के संभावित विनाशकारी परिणामों पर तत्काल ध्यान देकर इसे प्रभावी ढंग से कम करना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

मनसा वाचा कर्मणा

सूफियों की कोरी किताब

सूफी धर्म पूरी तरह से सद्गुरु की अवधारणा पर निर्भर है। बिना सद्गुरु के वहां धर्म है ही नहीं। सूफी धर्म ग्रंथों में विश्वास नहीं करता, वह जीवित सद्गुरु में आस्था रखता है। इसमें किसी को भी एक ऐसे व्यक्ति के पास आना होता है, जिसने स्वयं को जानकर जाना हो। पुस्तकों में भी महान प्रज्ञा हो सकती है, लेकिन उसका गूढ़ार्थ जानने का वहां कोई उपाय नहीं है। यदि तुम उस गूढ़ अर्थ की व्याख्या करते हो, तो तुम अपने मन के अनुसार ही उसकी व्याख्या करोगे। वह व्याख्या उस ग्रंथ को झूठा सिद्ध कर देगी।

इस्लाम को *कुरान शरीफ* के धर्म के रूप में जाना जाता है। हिंदुत्व को वेदों के धर्म के नाम से जाना जाता है और यही स्थिति ईसाइयत के साथ भी है। *बाइबिल* का सामान्य अर्थ ही ईसाई धर्म से है। मगर सूफी धर्म इस बात पर जोर देता है कि कोई भी किताब या ग्रंथ तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। वास्तव में, सूफियों के पास एक किताब है, जिसे वे 'द बुक ऑफ द बुक्स' नाम से पुकारते हैं, लेकिन यह कोरी है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। यहां तक कि एक शब्द भी नहीं! किताबों के बारे में उनका दृष्टिकोण यही है कि यद्यपि उनमें बहुत सी चीजें दर्ज होंगी, लेकिन तुम्हारे लिए वे खाली रहेंगी, क्योंकि तुम उनमें केवल वही पढ़ सकते हो, जो कुछ तुम जानते हो।

जब तुम कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हो, तो तुम्हारा मन ही मालिक बन जाता है और मन ही समस्या है। यह मन एक पुस्तक के साथ ठीक से विद्वान बना रह सकता है। पुस्तक तो मृत है। मन को ही उसकी व्याख्या और आलोचना करना है। उसी को तय करना है कि उसका क्या अर्थ है? इसलिए जब तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, तो तुम अप्रत्यक्ष रूप से अपने मन को ही पढ़ रहे हो। पुस्तक तो एक बहाना है।

जर्मन दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने कहा है, मैंने ऐसी एक भी चीज संसार भर में नहीं पाई, जिसे मैं अलौकिक कह सकूं। सामान्य दृष्टिकोण से वह ठीक कहता है। तुम उस अलौकिक को कहां खोज सकते हो? अलौकिक कहीं भी नहीं दिखाई देता, इसलिए नहीं कि वह दिव्य वहां है नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम नहीं जानते कि उस अलौकिक का अनुभव कैसे किया जाए? तुममें अभी तक अंतर्बोध की वह क्षमता विकसित ही नहीं हुई है, जो उस अलौकिक का अनुभव कर सके। परमात्मा तो बहुत दूर है और संसार बहुत निकट। चारों ओर पदार्थ है और तुमने कभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। इसलिए धर्म एक सिद्धांत बनकर रह जाता है।

इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। एक शब्द भी नहीं! किताबों के बारे में उनका दृष्टिकोण है कि यद्यपि उनमें बहुत सी चीजें होंगी, पर तुम केवल वही पढ़ सकते हो, जो कुछ तुम जानते हो।

सूफी धर्म की मान्यता है कि केवल सद्गुरु द्वारा ही तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो।

ओशो

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ओम बिरला | अध्यक्ष, लोकसभा

संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित कश्मीरी, कोंकणी और संथाली समेत सभी 22 भाषाओं में भाषांतरण की सुविधा हो गई। इससे सदन 'भारत की वाणी' का सजीव प्रतीक बन गया है। अभी तक हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं में यह सुविधा थी।

अनुलोम-विलोम

वांग यी का दौरा

आपसी रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघल रही

भारत और चीन के आपसी संबंधों में सुधार की जो पहल शुरू हुई है, उससे उम्मीद बंधती है। खबरों के मुताबिक, चीन ने भारत की तीन प्रमुख मांगों- रेयर अर्थ्स, उर्वरक और टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति- को मान लिया है। यह संकेत है कि दोनों देश अपने आर्थिक व रणनीतिक रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाने के इच्छुक हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात में वैश्विक हालात, साझा हितों और स्थिरता पर गहन चर्चा हुई। इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित चीन यात्रा और आगामी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से पहले एक अहम कड़ी माना जा रहा है।

आज की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत और चीन के संबंधों में यूं सुधार अमेरिका जैसे देशों को नागवार गुजर सकता है। अमेरिका ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर भारी जुर्माना लगाने का एलान किया है और वह चीन के साथ भी खींचतान में उलझा हुआ है। ऐसे में, एशिया की ये दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आती हैं, तो वैश्विक शक्ति संतुलन को नया रूप मिल सकता है। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत चौथे नंबर पर रहते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि दोनों देश क्षेत्रीय स्तर पर आपसी सहयोग को मजबूत करते हैं, तो अमेरिका का दबदबा निश्चय ही कमजोर पड़ सकता है।

हालांकि, भारत को इस संभावित साझेदारी में अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। चीन का इतिहास बताता है कि वह अक्सर वायदों और वास्तविकताओं में भिन्नता रखता है। हाल के वर्षों में सीमा विवाद और चीन की मनगढ़ंत दलीलों ने भारत की चिंता बढ़ाई है। स्वयं विदेश मंत्रालय को कई बार चीन के भ्रामक बयानों का खंडन करना पड़ा है। इसीलिए, भारत के लिए यह जरूरी है कि वह केवल आर्थिक हितों को देखकर कदम न बढ़ाए, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी पूरी सावधानी बरते। हमारे विदेश मंत्री ने उचित ही कहा कि पहले सीमा विवाद सुलझाइए, फिर आर्थिक संबंध बढ़ाइए। इसका अर्थ है कि हमें हर कदम पर परीक्षण, निगरानी और रणनीतिक संतुलन बनाकर रखना होगा। ताजा प्रयास से भले आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा की अखंडता से कोई समझौता न करने की भारतीय दलील तारीफ के काबिल है। कुल मिलाकर, भारत और चीन के बीच वर्तमान पहल सकारात्मक है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से स्वागतयोग्य भी, लेकिन भारत को चाहिए कि वह इस मित्रता पर आंखें मूंदकर भरोसा न करे और सोच-समझकर आगे कदम बढ़ाए।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

भारत-चीन संबंधों में तनातनी कायम

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बेशक नई दिल्ली का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करते हुए भी चीन अपनी पुरानी तिकड़मबाजी से बाज नहीं आया, जिसके कारण यही कहना सही होगा कि दोनों देशों के संबंधों में तनातनी शायद ही कम हुई है। सबसे पहले तो चीन ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत मानो 'एक चीन नीति' का समर्थन कर रहा है और ताईवान को बीजिंग का हिस्सा मान लिया है। मगर बाद में भारत की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। अलबत्ता, भारत अब भी ताईवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है और अपनी पुरानी नीति पर डटा हुआ है। असल में, ऐसा करके चीन यह दबाव बनाने की कोशिश में था कि अरुणाचल प्रदेश से भी भारत अपना दावा हटा ले। मगर वह भूल रहा है कि यह नया भारत है, जो चीन की किसी चाल में फंसने वाला नहीं।

इसी तरह, चीन आर्थिक संबंधों को सुधारने की दुहाई देता रहा, लेकिन हमारे विदेश मंत्री का स्पष्ट कहना था कि जब तक सीमा पर शांति और स्थिरता नहीं आ जाती, तब तक आर्थिक संबंध को बेहतर बनाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी, यदि द्विपक्षीय व्यापार को देखें, तो आंकड़े चीन के पक्ष में ही झुके हुए हैं, इसलिए भारत ने उचित ही आत्मनिर्भरता की बात कही। यह वाकई एक सही कूटनीति है कि हम तमाम देशों के साथ 'जैसे को तैसा' वाला रिश्ता रखें।

चीन यदि भारत पर दबाव बनाकर अपना हित साधना चाहता है, तो भारत भी ऐसे दबावों को झटककर अपने हितों की रक्षा करना जानता है। नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया कि चीन चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन जब तक वह सीमा पर यथास्थिति नहीं कायम करता, संबंधों में स्थिरता काफी मुश्किल है।

मुझे लगता है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी सिर्फ अपने मतलब के लिए भारत आए। वह शंघाई सहयोग संगठन की सफलता के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए सदस्य देशों में हाथ-पैर मार रहे हैं। वह समझ रहे हैं कि भारत 'ग्लोबल साउथ' की एक प्रमुख आवाज है और इसको नजरंदाज नहीं किया जा सकता। वह आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की बात इसलिए कर रहे हैं, ताकि चीन अपना सरप्लस माल भारत में खपा सके। नई दिल्ली उसकी इस रणनीति से वाकिफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह सरकार अपने पड़ोसी देशों से तभी संबंध सुधारने का प्रयास करती है, जब नेक नीयत के साथ वे ऐसा करने की इच्छा जताते हैं। दुर्भाग्य से, चीन इस मामले में कमजोर साबित हुआ है।

शोभित कुमार, टिप्पणीकार

एक सच कई झूठ बोलने से बचा लेता है

इतना हंगामा क्यों

गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने के प्रविधान वाले विधेयकों पर लोकसभा में विपक्ष का जरूरत से ज्यादा हंगामा समझ नहीं आया। यह अच्छा हुआ कि गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी ओर से इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया। कम से कम अब तो विपक्ष को विरोध के सुर थाम कर इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए, जिससे उच्च पदों पर बैठे लोगों की गंभीर मामलों में गिरफ्तारी अथवा उन्हें हिरासत में लिए जाने पर उनके लिए पद छोड़ना आवश्यक हो जाए? जो पहल की जा रही है, उसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार अथवा केंद्रशासित प्रदेशों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों को तब अपना पद छोड़ना होगा, जब उन्हें किसी संगीन मामले में गिरफ्तार किया जाता है अथवा हिरासत में लिया जाता है। यह रियायत दी गई है कि ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों को 30 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होगा। इस समयसीमा के अंदर इस्तीफा न देने पर उन्हें स्वतः पदमुक्त माना जाएगा। आखिर ऐसी किसी व्यवस्था में समस्या क्या है? क्या इसकी अनदेखी कर दी जाए कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगते हैं और कई बार प्रथमदृष्ट्या वे सही भी दिखते हैं, लेकिन कोई इस्तीफा देने की पहल नहीं करता। एक समय ऐसा ही होता था। इस संदर्भ में गृहमंत्री अमित शाह ने स्वयं अपना उदाहरण दिया कि जब उन्हें गुजरात के मंत्री रहते गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। क्या ऐसा अन्य नेताओं को नहीं करना चाहिए? एक वक्त यही परंपरा थी और इसका निर्वाह कई नेताओं ने किया। बतौर उदाहरण लालकृष्ण आडवाणी ने जैन हवाला कांड में अपना नाम आने पर लोकसभा से त्यागपत्र देने के साथ यह घोषणा भी की थी कि जब तक वे दोषमुक्त नहीं हो जाते, तब तक संसद नहीं लौटेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसे उदाहरण कुछ और नेताओं ने भी प्रस्तुत किए। अब स्थिति यह है कि नेतागण गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने और जेल जाने पर भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं समझते। अब तो वे जेल से ही सरकार चलाने का दम भरते हैं और ऐसा कर भी चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही किया था। जमानत मिलने के बाद वे तब इस्तीफा देने को बाध्य हुए, जब बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए कार्य करना कठिन हो गया। क्या विपक्ष यह चाहता है कि राजनीति में शुचिता और नैतिकता की स्थापना के लिए कुछ भी न किया जाए?

औद्योगिक विकास को गति

राज्य में 17 नए औद्योगिक पार्क बनाने के सरकार के निर्णय से अवश्य ही उद्योगों को गति मिलेगी। प्रदेश का आर्थिक विकास होगा। इस पूरी परियोजना में सबसे खास बात यह है कि ये सभी औद्योगिक पार्क राष्ट्रीय राजमार्गों और इस तरह की सड़कों के किनारे स्थापित होंगे। यह उद्योगों के विकास के लिए सबसे जरूरी आधारभूत संरचना होती है। परिवहन की आसान और अच्छी सुविधा मिलेगी तो उद्योगों के परिचालन में आसानी होगी। कच्ची सामग्री आने के बाद तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है। अभी राज्य के लगभग हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र चल रहे हैं। उनमें से अधिकतर जगहों पर परिवहन की अच्छी सुविधा नहीं है। मुजफ्फरपुर के बेला में ही जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसके चारों ओर बड़ी आबादी तो बसी ही है, साथ ही यहां तक पहुंचने के लिए शहर के अंदर से सड़क है। इस कारण दिन में ट्रकों की आवाजाही पर रोक लग जाती है तो उद्योग चलाने वालों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, समझा जा सकता है। नए औद्योगिक पार्कों के राजमार्गों के किनारे बनने से इस तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। लैंडलाक्ड बिहार के विकास के लिए यह बहुत ही जरूरी है। एक बात और इसके लिए जमीन अधिग्रहण से लेकर अन्य कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्गों और इस तरह की सड़कों के किनारे नए औद्योगिक पार्क बनाने का सरकार का निर्णय सराहनीय

कह के रहेंगे माधव जोशी

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या एशिया कप के लिए श्रेयस अय्यर को टीम में स्थान मिलना चाहिए था?

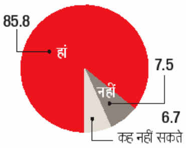

आज का सवाल
क्या दागी नेताओं की सजा से जुड़ा संविधान संशोधन राजनीति में शुचिता स्थापित करने में सहायक होगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

उपराष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण बनाम दक्षिण

राहुल वर्मा

भाजपा जहां वैचारिक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने और दक्षिण को साधने में लगी है, वहीं विपक्ष तेलुगु अस्मिता के नाम पर उसके समर्थन में सेंधमारी की ताक में है

पिछले महीने जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से रिक्त हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को मतदान होना है। सत्तापक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। जहां भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है, वहीं विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाया है। वे आंध्र के हैं, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के। स्पष्ट है कि दक्षिण बनाम दक्षिण का यह मुकाबला कई पैमानों पर रोचक होने जा रहा है। संवैधानिक व्यवस्था और आदर्श लोकतांत्रिक ढांचे में उपराष्ट्रपति से राजनीतिक रूप से निरपेक्ष एवं तटस्थ रहने की अपेक्षा होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदों की शपथ भी इस मायने में कुछ अलग होती है। उसमें संविधान के प्रति निष्ठा जैसे अन्य-पहलुओं के साथ 'संविधान की रक्षा' के बिंदु पर भी जोर होता है। उपराष्ट्रपति केवल एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद ही नहीं, बल्कि उसके पास राज्यसभा के संचालन का दायित्व भी होता है। ऐसे में, राजनीतिक कारणों और विधायी एजेंडे की दृष्टि से सत्ता पक्ष के लिए इस पद की अहमियत और बढ़ जाती है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इस चुनाव का महत्व भी काफी बढ़ गया है।

जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था तब तात्कालिक रूप से यही कारण बताया गया कि स्वास्थ्य के आधार पर वे अपना पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम दर्शाता है कि उनकी एकाएक विदाई के पीछे कुछ और कारण रहे। सार्वजनिक जीवन में धनखड़ की सक्रियता के एकदम सीमित हो जाने से भी इन संदेहों को बल मिला कि बात उतनी सीधी भी नहीं, जितनी बताई गई। कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने धनखड़ द्वारा सार्वजनिक जीवन से एकाएक दूरी बनाए जाने को लेकर सवाल भी उठाए। अब इससे इन्कार करना मुश्किल है कि सत्तापक्ष के साथ असहज हुए राजनीतिक समीकरण ही धनखड़ के इस्तीफे का कारण बने। राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी कि 'वे राजनीतिक खेल नहीं करेंगे', उन्हीं अटकलों को बल देती है कि धनखड़ और सरकार के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई थी कि फिर कभी भर नहीं पाई।

दोनों खेमों के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो प्रत्येक पक्ष ने बहुत संभलकर कदम बढ़ाए हैं। धनखड़ का भाजपा की मूल विचारधारा के साथ बहुत गहरा संबंध नहीं था और वह दूसरे दलों से होते हुई भाजपा में आए और पार्टी ने अपनी परंपरा से इतर उन्हें एक शीर्ष संवैधानिक पद पर बिठाया। उनके साथ हुए अनुभव से सबक लेते हुए भाजपा ने इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रखने वाले अपने खांटी कार्यकर्ता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। भाजपा के लिए अपेक्षाकृत अनुर्वर राजनीतिक भूमि तमिलनाडु से वे पार्टी के सांसद भी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी सक्रियता खासी चर्चित रही। उन्होंने केरल जैसे राज्य में चुनाव प्रभार का जिम्मा भी संभाला। पहले झारखंड और फिर महाराष्ट्र में राज्यपाल भी रहे। उनके माध्यम से भाजपा कई निशाने साधने के प्रयास में है।

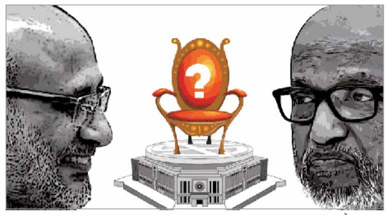

अवधेश राजपूत

तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पार्टी एक राजनीतिक संदेश देने का भी काम करेगी। राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक केंद्र सरकार को लेकर खासी आक्रामक रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नीट परीक्षा, हिंदी भाषा एवं वित्तीय संसाधनों और संभावित लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर राज्य सरकार ने केंद्र और भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। परिसीमन के मुद्दे पर तो दक्षिण के अन्य राज्यों को भी लामबंद करने का प्रयास किया। ऐसे में राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा ऐसे हमलों की धार कुंद करने की कोशिश करेगी।

विपक्षी खेमे ने भी भाजपा की इस रणनीति को भांपते हुए दक्षिण भारत से ही अपना उम्मीदवार बनाया। इसके जरिये उसने दोहरी व्यूह रचना की है। एक तो मुकाबले को दक्षिण बनाम दक्षिण करना और तमिल बनाम तेलुगु अस्मिता के जरिये राजग की सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगु देसम पार्टी के समर्थन में सेंध लगाने की कोशिश। राज्यसभा में अक्सर राजग का समर्थन करने वाली जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के लिए भी इससे दुविधा खड़ी हो सकती है। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू और रेड्डी से विपक्षी खेमे को समर्थन का कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयानों से साफ है कि विपक्ष तेलुगु अस्मिता का मुद्दा खड़ा करने का प्रयास करेगा। हालांकि अगर तेलुगु अस्मिता के नाम पर नायडू और रेड्डी के समक्ष धर्मसंकट खड़ा करने का प्रयास होगा तो द्रमुक के मुखिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी एक तमिल उम्मीदवार का पुरजोर विरोध करने की दुविधा घेरेगी। इस चुनाव के माध्यम से विपक्ष सरकार की उस कमजोर नस को दबाने में लगा है, जो पिछले आम चुनाव के बाद उभरी। यह कमजोरी है संसद में भाजपा का घटा आधार।

पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा में भाजपा के अपने ही 303 सांसद थे, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद यह संख्या सिकुड़कर 240 रह गई है। दो बार पूर्ण बहुमत की सत्ता के बाद भाजपा को गठबंधन के सहयोगियों पर आश्रित होकर सरकार चलानी पड़ रही है। इसलिए रेड्डी के जरिये वह भाजपा के दक्षिणी दांव की काट के साथ ही उसके राजनीतिक समर्थन में भी सेंधमारी की उम्मीद लगाए है। इसके बावजूद राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने की राह में कोई खास कांटे नहीं दिख रहे हैं। सरकार उनके चुनाव को लेकर आश्वस्त है और आंकड़े भी पूरी तरह उसके पक्ष में हैं। हालांकि चुनाव के बाद नए उपराष्ट्रपति को काफी चुनौतियों के साथ जूझना होगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती उच्च सदन में विपक्ष को साथ लेकर चलने की होगी, जो चुनाव आयोग से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आक्रामक है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो हैं)

response@jagran.com

चुनौती का सामना करें एमएसएमई

जयंतीलाल भंडारी

एमएसएमई गुणवत्ता और डिजिटल तकनीक अपनाकर ही वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ा सकते हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रंप की टैरिफ की चुनौती को देखते हुए देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को हरसंभव तरीके से आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि हम जितना ज्यादा स्वदेशी अपनाएंगे, उतना ही देश मजबूत होगा। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सरलीकरण की जो घोषणा की उससे एमएसएमई को बड़ा लाभ होगा। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई की चुनौतियों के समाधान के लिए नई रणनीति पर आगे बढ़ना भी जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का सीधा असर देश के एमएसएमई पर कुछ दिखने लगा है। उद्योग संगठनों के अनुमान के मुताबिक इससे एमएसएमई के 30 अरब डालर मूल्य के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। कपड़ा, रत्न, रसायन और चमड़ा जैसे क्षेत्रों को ऊंचे टैरिफ से अधिक नुकसान की आशंका है। अमेरिकी खरीदार भारत के लिए अपने निर्यात आदेशों को बदल रहे हैं। बढ़े हुए टैरिफ से एमएसएमई की चुनौतियों से तमाम नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं। कई बैंक ऋण देने में संकोच कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल ढांचा, कुशल श्रमिक, बाजार पहुंच, फंडिंग की कमी टेक्नोलाजी, सप्लाई चेन, डाटा सुरक्षा और स्किल डेवलपमेंट में भी उनकी चुनौतियां हैं। आइटी सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स के समक्ष व्यावहारिक मार्गदर्शन, एक्सेस और प्रारंभिक निवेश की चुनौती है। खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्यमों में खराब तकनीक और कमजोर लाजिस्टिक व्यवस्था के कारण गुणवत्ता में कमी की चुनौती है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति और बड़ी कंपनियों से भुगतान में देरी एमएसएमई के विकास में बड़ी बाधा हैं।

एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादन, निर्यात और रोजगार में अहम भूमिका है। एमएसएमई मंत्री ने हाल में संसद में बताया कि देश में इस समय पंजीकृत 6.5 करोड़ एमएसएमई करीब 28 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का योगदान करीब 30.1 प्रतिशत है। एमएसएमई विनिर्माण में 35.4 प्रतिशत और निर्यात में 45.73 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के बजट में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य से बहुआयामी उपायों की जो एक वृहद श्रृंखला प्रस्तुत की गई, उसके क्रियान्वयन पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसके तहत वित्तीय सहायता और खरीद नीतियों से लेकर क्षमता निर्माण और बाजार एकीकरण तक की पहल शामिल हैं।

एमएसएमई की मजबूती से ही आगे बढ़ेगा देश ● फाइल

प्रमुख पहलों में उद्यम पंजीकरण पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना और एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति शामिल हैं। इनका उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, रोजगार बढ़ाना और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है। उद्योगों का विस्तार करने और दक्षता में सुधार करने में मदद करने के लिए, एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ा दी गई है। चालू वित्त वर्ष में एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है। सरकार निर्यातकों को सहारा देने के लिए 2,250 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन को तेजी से लागू करने और बिना रेहन (गिरवी) के कर्ज देने की डगर पर आगे बढ़ रही है। टैरिफ तूफान के बीच एमएसएमई की क्षमताओं को उन्नत करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने तथा निर्यात झटके से निपटने के लिए एमएसएमई को नीतिगत समर्थन का लाभ दिया जाना होगा। एमएसएमई को बढ़ावा देने की नई योजना, कारोबार में सुगमता, वैश्विक बाजार में सरल पहुंच, अनुपालन बोझ में कमी, जीएसटी दरों में सरलता पर ध्यान देना। एमएसएमई को सीधे मदद और प्रक्रियाओं के माध्यम से मदद, दोनों ही दिशा में आगे बढ़ना होगा। सरकार द्वारा एमएसएमई के कारोबार को आसान बनाने और घरेलू खपत को बढ़ाने के तरीकों पर नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। नई सप्लाई चेन और नए बाजारों की तलाश भी करनी होगी। दूसरे देशों में वेयरहाउसिंग की सुविधा और वैश्विक ब्रांडिंग की पहल भी आवश्यक है। इस पर भी ध्यान देना होगा कि बुनियादी ढांचे की मजबूती, अधिक लाजिस्टिक्स सुविधाएं, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने जैसी योजना को फिर से शुरू कर तथा ऋण गारंटी कार्यक्रमों का विस्तार करने जैसे उपायों से एमएसएमई को वित्तीय राहत और स्थिरता प्रदान की जानी चाहिए। एमएसएमई के हित में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना का विस्तार करने से विशेष रूप से निर्यात-उन्मुख एमएसएमई लाभान्वित होंगे। नवाचार की नई लहर एमएसएमई के लिए नया अध्याय लिख सकती है।

हमारे एमएसएमई गुणवत्ता में सुधार के साथ ही नई तकनीक अपनाते हुए ही वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को रणनीतिक रूप से बढ़ा सकते हैं। चूंकि एमएसएमई आर्थिकी के एक मजबूत इंजन की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लगातार सहयोग, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए। इस सबके साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र को नवाचार, प्रतिस्पर्धा, क्षमता में सुधार और शोध की डगर पर आगे बढ़ने की तैयारी करनी होगी। यह आशा की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जीएसटी में सुधार समेत जो अनेक घोषणाएं की गई हैं, वे कारगर तरीके से शीघ्रतापूर्वक आकार लेंगी।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ऊर्जा

साहचर्य की सामर्थ्य

मनुष्य एकाकी रहकर जीवन को सफल नहीं बना सकता। सामाजिक साहचर्य ही उसे आगे बढ़ाता है। मेल-जोल और सद संगति से प्राप्त ऊर्जा ही व्यक्ति के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति-व्यक्ति के चरित्र से मिलकर ही राष्ट्र का चरित्र निर्धारित होता है। राष्ट्रीय चरित्र ही देश की वास्तविक पूंजी होती है। राष्ट्र निर्माण का चिंतन ही व्यक्ति निर्माण से प्रारंभ होता है। सामूहिक शक्ति से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन जो समाज और देश की दशा और दिशा बदलने में सहायक सिद्ध होते हैं। सज्जन शक्तियों के साहचर्य से मानसिक विकृतियां दूर होती हैं। उनकी तपस्या का उजास प्राप्त होने लगता है। सुमार्ग एवं कुमार्ग का ज्ञान होने लगता है। सद्संगति के आलोक में जीवन को गढ़ा जा सकता है। चरित्र को परिष्कृत किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का साहचर्य अत्यंत मायने रखता है। वह जैसे लोगों की संगति में रहता है प्रायः उसकी चारित्रिक छवि भी कुछ वैसी ही होती है।

भगवान श्रीराम ने गिरिवासी, कंदरवासी, वानर और रीछ आदि से साहचर्य रखकर लंका पर विजय प्राप्त की। यह साहचर्य की सामर्थ्य को रेखांकित करता है। जब स्वयं भगवान को साहचर्य की आवश्यकता पड़ी तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं। साहचर्य की शक्ति के माध्यम से बड़े-बड़े आंदोलनों को सफलता की प्राप्ति हुई है। चाहे वह देश की आजादी का आंदोलन ही क्यों न हो। केवल स्वयं को सिद्ध मानकर अकेले चलते रहने से सफलता की चौखट तक पहुंचने में कठिनाई आ सकती है। जबकि सामूहिक साहचर्य की सामर्थ्य से सफलता को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमें साहचर्य की सामर्थ्य को अनुभूत कर अपने व्यवहारिक जीवन को आकार देना चाहिए। इसके लिए अपनी संगति का ध्यान रखना आवश्यक है। संगति ही व्यक्ति को गढ़कर उसकी नियति तय करती है।

ललित शौर्य

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

विकास में बाधक भ्रष्टाचार

'भ्रष्टाचार रुकेगा तो बढ़ेगा भारत' शीर्षक से लिखे लेख में राजीव सचान ने बिल्कुल सही कहा है कि भ्रष्टाचार भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है और नेताओं-नौकरशाहों की मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई के बिना विकसित राष्ट्र का लक्ष्य संभव नहीं। भ्रष्टाचार भारत के विकास पथ में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और लाल किले से की गई घोषणाओं के बावजूद जमीनी हकीकत यही है कि भ्रष्टाचार अब भी हमारे प्रशासनिक ढांचे में गहराई तक जड़ें जमाए हुए है। यह केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी क्षेत्र में भी इसकी पैठ हो चुकी है। सुविधा शुल्क, कमीशनबाजी और दलाली ने जनहित के कार्यों को बाधित कर दिया है। समाधान केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से संभव है। सबसे पहले नेताओं और नौकरशाही की दुरभिसंधि को ध्वस्त करना होगा। इसके लिए पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली मजबूत बनानी होगी ताकि मानव हस्तक्षेप कम हो और रिश्वतखोरी की गुंजाइश घटे। भ्रष्ट अधिकारियों पर त्वरित और कड़ी दंड प्रक्रिया लागू होनी चाहिए, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर हों। साथ ही, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पुरस्कृत करने की संस्कृति विकसित करनी होगी, ताकि ईमानदारी को प्रेरणा मिले। नागरिकों को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभानी होगी और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना होगा। जब तक भय और दंड का संतुलन नहीं बनेगा, तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना मुश्किल है। दृढ़ इच्छाशक्ति, तकनीकी पारदर्शिता और सामाजिक जागरूकता ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

bhubaaman2020@gmail.com

राजनीति में वंशवाद

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एवं लोकतंत्र शासन प्रणाली की सर्वोत्तम व्यवस्था है। राजनीति में वंशवाद कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह सभी पार्टियों में फैल गया। क्षेत्रीय पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कार्य कर रही हैं, जिसमें पार्टी की कमान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रही है। राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद की वजह से योग्य कार्यकर्ता टिकट से वंचित रह जाते हैं, और आम जनता को योग्य जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाते। पूर्व में जन आंदोलन के माध्यम से नेता तैयार होते थे, आज जन आंदोलन समाप्त हो चुका है। परिवारवाद, बाहुबल और धन बल के सहारे लोग राजनीति में आ रहे है। विधानसभा और लोकसभा का क्षेत्र बेहद व्यापक होता है, जिससे आम कार्यकर्ता के लिए चुनाव प्रबंधन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है, इसलिए सभी पटियां राजनीतिक परिवारों एवं धनकुबेरों पर दांव लगाती है। चुनाव में खर्च करने की राशि निर्धारित है, लेकिन वास्तविकता में निर्धारित राशि से कई गुना अधिक खर्च किए जाते हैं।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

मार्गदर्शन की अपेक्षा

'कई हित सधेंगे सीपी राधाकृष्णन से' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय आलेख में उमेश चतुर्वेदी ने राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों को रखा है, किंतु संवैधानिक और तकनीकी दृष्टि से भी इस नियुक्ति के महत्व को समझना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रविधान किया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 यह भी कहता है कि राष्ट्रपति के असमर्थ होने की दशा में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्व निभाते हैं। इस दृष्टि से यह पद केवल औपचारिक न होकर संवैधानिक निरंतरता का आधार है। सीपी राधाकृष्णन का चयन न केवल भाजपा के लिए दक्षिण भारत और ओबीसी समुदाय में नई राजनीतिक जमीन तैयार करेगा, बल्कि संसदीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने की परीक्षा होगी। पिछले वर्षों में संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई, विधेयक बिना गहन चर्चा के पारित हुए और प्रश्नकाल जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर पड़ी। यहां उपराष्ट्रपति की भूमिका मात्र सभापति की न होकर, लोकतंत्र के संवाद को तकनीकी दक्षता और संविधानिक संतुलन से जोड़ने वाले मार्गदर्शक की होनी चाहिए। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि राज्यसभा की कार्यवाही की गुणवत्ता सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति की निष्पक्षता, तकनीकी समझ व अनुशासन पर निर्भर करती है।

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

X पोस्ट

एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान से खेलना चाहिए? पहलगाम में कायराना हमला हुए चार महीने भी तो पूरे नहीं हुए।
अशोक खेमका@AshokKhemka_IAS

एशिया कप में श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल का न होना हैरान करने वाला है। हालांकि सवाल यह भी है कि उन्हें किसकी जगह खिलाया जाए, पर यह अनदेखा न किया जाए कि आइपीएल में श्रेयस ने अद्भुत प्रदर्शन किया था। सुशील दोशी@RealSushilDoshi

दिल्ली की मुख्यमंत्री पर एक कुत्ता प्रेमी ने हमला कर दिया। अब ये कुत्ता प्रेमी नेताओं पर भी हमले करने लग गए। ये कैसे पशु प्रेमी हैं जो इंसानों को निशाना बना रहे हैं।
कुशल मेहरा@kushal_mehra

वर्षों तक बहस चलती रही कि पीएम को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए या नहीं। इधर, एक झटके में तय हो गया कि पीएम हो या सीएम या मंत्री, सबके साथ एक जैसा सुलूक होगा, जिसमें सजा के बाद पद पर नहीं रहा जा सकता। हालांकि सवाल जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर भी उठेगा। अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

ठोकें वो हर जंग में उतर बराबर ताल,
तेवर ताने राखिए गले न चाहे दाल।
गले न चाहे दाल डाल दो मगर खटाई,
लोकतंत्र के नाम दिखे हर जगह लड़ाई!
है स्थिति का भान राह फिर भी वो रोकें,
लिये 'सुदर्शन' हाथ ताल बेमतलब ठोकें!!
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 130

****

कल्पमेधा

चीजों को संभालने में अक्सर लोग सफल होते-होते असफल हो जाते हैं। यदि कोई अंत में उतना ही सजग रहे, जितना वह आरंभ में था, तो कोई असफल हो ही नहीं सकता।

- लाओत्से

सुरक्षा पर सवाल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला गंभीर और चिंताजनक घटना है। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में समूची सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर मुख्यमंत्री के कड़े सुरक्षा घेरे की परवाह किए बगैर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत कर सकता है, तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि, कहा जा रहा है कि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। मगर, सवाल यह है कि वह मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे पहुंच गया? सुरक्षाकर्मी उसके नापाक इरादों को पहले क्यों नहीं भांप पाए? यह कोई साजिश थी या फिर कुछ और, इसका पता तो जांच-पड़ताल के बाद ही चल पाएगा, लेकिन इस घटना को सुरक्षा में चूक की नजर से देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री पर हमला बुधवार सुबह उस समय हुआ, जब वे सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुन रही थीं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मुख्यमंत्री को पहले कुछ कागजात दिए और फिर अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। सुरक्षा के इतने मजबूत घेरे के बावजूद आरोपी मुख्यमंत्री के इतने करीब पहुंच गया कि हमला कर सके। आरोपी गुजरात के राजकोट का निवासी है और पुलिस का दावा है कि उस पर पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चाकू से हमले के दो और आबकारी अधिनियम के तहत तीन मामले शामिल हैं। यही नहीं, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी दो दिन पहले दिल्ली आया था और उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में रुका था। उसने हमले से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर की रेकी भी थी। सीसीटीवी फुटेज में इसके प्रमाण मिले हैं। यानी पुलिस का खुफिया तंत्र भी आरोपी की इन गतिविधियों का समय रहते पता लगाने में विफल रहा। इसे सुरक्षा में लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा।

इस घटना को दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में ले जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से भी जोड़ा जा रहा है। आरोपी की मां का दावा है कि उनका बेटा पशु प्रेमी है और वह कुत्तों से बहुत प्यार करता है। कुत्तों को आश्रय स्थलों में भेजने की प्रक्रिया से वह आहत था और अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली आया था। अब सवाल यह है कि कानूनी दायरे में रह कर विरोध जताने के कई तरीके हैं, फिर उसने मुख्यमंत्री पर हमले की वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई सोची-समझी साजिश थी, पुलिस इस पहलू से भी छानबीन कर रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जिस तरह हमला किया गया, वह जानलेवा भी हो सकता था। इससे इस घटना की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे में यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि आखिर राजधानी में सुरक्षा इंतजामों में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं रहा। उनके हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? जब तक इसकी जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद धुंधली ही रहेगी।

अनुचित दबाव

भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका कुछ समय से पाबंदियां लगा रहा है। इसके पक्ष में वह जिस तरह के तर्क गढ़ता है, उसका कोई ठोस आधार नहीं। अब अमेरिका का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए भारत पर शुल्क लगाया गया है। दरअसल, हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर पच्चीस फीसद शुल्क लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर पच्चीस फीसद अतिरिक्त शुल्क लगाने का एलान कर दिया। सवाल है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की कोई उपस्थिति न होते हुए भी उस पर नाहक दबाव क्यों बनाया जा रहा है? कायदे से इस युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका को भारत की बजाय रूस और यूक्रेन के बीच सीधी मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें दोराय नहीं कि भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगा। बुधवार को रूसी मिशन के उपप्रमुख रोमन बाबुश्किन ने भी कहा कि कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत पर किसी तरह का दबाव बनाना पूरी तरह अनुचित है।

दरअसल, भारत पर लगातार दबाव बनाने और शुल्क थोपने के पीछे अमेरिका की अपनी रणनीति है। वह चाहता है कि भारत अपना कृषि और डेयरी बाजार उसके लिए खोले। इसीलिए वह कच्चे तेल की खरीद से लेकर रूस से रक्षा और ऊर्जा संबंधों को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पर दबाव बनाना समझ में आता है, मगर इसकी आड़ में भारत पर शुल्क लगाने का क्या औचित्य है? भारत ने इस समय संतुलित रुख अपनाया है और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है। हालांकि, क्रेडिट रेटिंग एजंसी 'क्रिसिल' का अनुमान है कि अमेरिकी शुल्क का कपड़ा, आभूषण और रसायन क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम पर असर पड़ सकता है। मगर, भारत ने अब अपने घरेलू बाजार को मजबूत करना शुरू कर दिया है और साथ ही अन्य विदेशी बाजारों की तलाश भी जा रही है। उम्मीद है कि ये प्रयास अमेरिकी शुल्क की चुनौती से पार पाने में कारगर साबित होंगे।

प्राकृतिक आपदाएं बड़े खतरे का संकेत

पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं प्रकृति से खिलवाड़ को लेकर एक गंभीर चेतावनी है। इन आपदाओं ने एक बार फिर सचेत किया है कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ, तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

रवि शंकर

उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले और जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई त्रासदी प्रकृति से खिलवाड़ करने को लेकर एक गंभीर चेतावनी है। इन आपदाओं ने एक बार फिर सचेत किया है कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बाढ़ और भूस्खलन इस बात का प्रमाण है कि अगर मनुष्य समय रहते नहीं संभला, तो प्रकृति को रौद्र रूप धारण करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बीच, विकास की मौजूदा नीतियों और तौर-तरीकों पर एक बार फिर बहस ने तूल पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि भूस्खलन, भूकम्प और सुनामी जैसी आपदाएं प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिस तेजी से हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। मगर विडंबना यह है कि अब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। एक ओर, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, दूसरी ओर अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे निर्माण कार्यों और बढ़ते प्रदूषण की वजह से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है।

यह सच है कि आपदा जब आती है, तो किसी को बता कर नहीं आती। सहसा आती है और जान-माल का नुकसान करती है। आपदाओं के कारण मानवीय, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति होती है। इससे उबरना आसान नहीं होता। इसलिए सरकार अमले के साथ हम सभी को पहले से पूरी तरह तैयार और मुस्तैद रहना चाहिए। यह सही है कि किसी भी आपदा को रोकना आसान काम नहीं होता है, लेकिन इनका प्रबंधन जरूर किया जा सकता है। क्योंकि, आपदा से जान-माल के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान पर संयुक्त राष्ट्र की एक रपट के अनुसार, कुदरती हादसों की वजह से भारत को हर वर्ष लगभग ९.८ अरब डालर का नुकसान उठाना पड़ता है।

बीते दो दशक में मौसम चक्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे हिमनद पिघलने लगे हैं और नदियों के जल स्तर में कमी दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ के कारण पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपनी पहचान खोने लगा है। बिगड़ते पर्यावरण के कारण पहाड़ों की जड़ी-बूटियां लुप्त होने के कगार पर हैं। फसलों और फलों के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। विकास की अंधी दौड़ में अंधाधुंध निर्माण किए जा रहे हैं। वनों को लगातार नष्ट किया जा रहा है। ऐसे में यदि किसी एक कारण को रेखांकित करने का प्रयास किया जाए, तो वह है- जलवायु परिवर्तन। गौर करने वाली बात यह है कि पेरिस जलवायु समझौते में जिन बातों पर सहमति बनी थी, उन्हें लागू करने से दुनिया अभी भी बहुत दूर है। बेशक छोटे देशों पर इसके लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है और कई

विकासशील देश इस दिशा में ठोस कार्य नीति के साथ आगे भी आ रहे हैं, लेकिन बड़े और विकसित देश खुद इसको लेकर गंभीर नहीं है। सवाल यह भी अहम है कि इस दिशा में भारत ने कितना काम किया है। ऐसे में, क्या यह सही समय है कि पेरिस समझौते को लागू

> **दुनिया तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही है। इस क्रम में प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि, शहरों के विकसित होने के साथ-साथ दुनिया भर में हरियाली का दायरा सिकुड़ रहा है और कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन तथा मौसम चक्र में आ रहे बदलाव के कारण पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों के अस्तित्व पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जबकि पर्यावरण का संबंध मानवीय जीवन में महत्त्वपूर्ण है, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ऐसा लगता है कि विकास के आगे पर्यावरण को हमने हाशिये पर धकेल दिया है।**

करने के लिए वैश्विक दबाव बढ़ाने के साथ ही हम प्रकृति के प्रति अपने व्यवहार की समीक्षा करें। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के स्थान पर उन विकल्पों पर भी विचार करें, जो समूची मानवता को लोभ, स्वार्थ और बड़े होने के दंभ से दूर खुशहाल जीवन का आश्वासन दें। भारत में बरसात आते ही नदियों में बाढ़ आना आम बात है। इसी के साथ भूकम्प, तेज बारिश, ओलावृष्टि, तूफान, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, बिजली गिरने और वनों में आग लगने जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं। ये हर साल भारी तबाही मचाती हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। इन आपदाओं से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में केवल चिंतन तक ही सीमित न रह कर धरातल पर कार्य किए जाएं।

गौर करने वाली बात यह भी है कि प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में दुनिया भर में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। इक्कीसवीं सदी की शुरुआत से भारत में ऐसी अनेक आपदाएं आईं, जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वर्ष 2013 में केदारनाथ में मची भारी तबाही के बाद से राज्य में लगातार ऐसी छोटी-बड़ी घटनाएं होती रही हैं। इसके अलावा वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी, वर्ष 2001 में गुजरात के कच्छ में आया भूकम्प और वर्ष 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ जैसी आपदाएं ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जानें गईं और अभी तक इन जगहों का आपदा से पहले का स्वरूप बहाल नहीं हो सका है। ऐसा लगता है कि हमने इन तमाम आपदाओं से अब तक कोई सबक नहीं लिया। जबकि ऐसी आपदाएं हमें यह सबक देती हैं कि भले ही हम कुदरत की मार न रोक सकें, लेकिन जन-धन की हानि को कम करने के प्रयास जरूर किए जा सकते हैं।

दुनिया तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही है। इस क्रम में प्रकृति के साथ कहीं ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। अगर अभी से हम नहीं चेते, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि, शहरों के विकसित होने के साथ-साथ दुनिया भर में हरियाली का दायरा सिकुड़ रहा है और कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन और मौसम चक्र में आते बदलाव के कारण पेड़-पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों के अस्तित्व पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जबकि पर्यावरण का संबंध मानवीय जीवन में महत्त्वपूर्ण है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ऐसा लगता है कि विकास के आगे पर्यावरण को हमने हाशिये पर धकेल दिया है।

मौजूदा दौर में मानवीय सोच में इतना बदलाव आ गया है कि भविष्य की चिंता सिर्फ कागजों और वक्तव्यों में ही सिमट कर रह गई है। इसमें दोराय नहीं कि अपने कृत्यों के कारण आज मनुष्य प्रकृति को रिक्त करता चला जा रहा है। अगर हम अब भी नहीं संभले और प्रकृति से खिलवाड़ बंद नहीं किया, तो इसके खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पर्यावरणीय असंतुलन के बढ़ते खतरों के मद्देनजर हमें सोचना होगा कि हम अपने स्तर पर प्रकृति संरक्षण के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। सरकार को भी चाहिए कि नियम-कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर जन-चेतना पैदा की जाए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

दुनिया मेरे आगे

आत्मविश्वास का बल

मुनीष भाटिया

एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के भीतर यह जिज्ञासा होती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किस स्थिति में हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और उसका हिस्सा हैं। मगर यही जिज्ञासा जब दूसरों की सतही झलक देखकर उनकी तुलना करने या आलोचना करने में बदल जाती है, तब हमारे विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार अपने पड़ोसी की नई कार, दोस्त की पदोन्नति या किसी रिश्तेदार के आलीशान घर को देखकर खुद को कमतर समझने लगे, तो उसका ध्यान अपने प्रयासों, अपनी प्रगति से हटकर निराशा और ईर्ष्या की ओर चला जाता है। यह वैसा ही है, जैसे कोई धावक अपनी दौड़ छोड़कर दूसरों की रफ्तार देखने लगे। इसके बाद न वह आगे बढ़ पाएगा, न ही मंजिल तक पहुंच पाएगा।

अक्सर हम दूसरों के जीवन में झांकने, उनके चरित्र पर टिप्पणियां करने और उनकी दिनचर्या की समीक्षा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारी असली जिम्मेदारी हमारे अपने जीवन की दिशा तय करना है। एक विद्यार्थी अगर यही सोचता रहे कि उसके सहपाठी कितने नंबर लाए, किसने कौन-सी किताब पढ़ी, लेकिन खुद पढ़ाई में ध्यान न दे, तो क्या वह परीक्षा में सफल हो पाएगा? इसी तरह, जीवन की परीक्षा में सफलता पाने के लिए हमें खुद के अंदर झांकना होगा। आत्मविश्लेषण ही आत्मोन्नति की पहली सीढ़ी है। खुद से सवाल करना चाहिए कि मैं कौन हूं... मेरा उद्देश्य क्या है... मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूं..! जब तक हम अपने चरित्र की गहराई, अपनी आदतों और कमजोरियों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक दूसरों की आलोचना करना केवल एक भ्रम होगा। जैसे धूल लगे आईने में हम दूसरे को साफ नहीं देख सकते, वैसे ही अपनी आत्मा को पहचाने बिना हम दूसरों को सुधारने की बात नहीं कर सकते।

> **जब हम यह मान लेते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत अपने भीतर से होनी चाहिए और समाज से पहले खुद को बदलने का प्रयास करते हैं, तब जीवन में संतुलन और शांति आना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे एक दीपक खुद जलता है, तभी दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही आत्म परिवर्तन ही समाज में स्थायी बदलाव की नींव है।**

आज का युग सोशल मीडिया का है। एक 'क्लिक' पर हम किसी की जिंदगी की सबसे चमकदार झलक देख लेते हैं- नई नौकरी, विदेश यात्रा, शादी, प्रचार, लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कि उसके पीछे कितनी मेहनत, संघर्ष या त्याग छिपा है। यह वैसा ही है, जैसे कोई तस्वीर देखकर किसी फिल्म का पूरा कथानक समझने की कोशिश करे। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, जिसे बिना जाने हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तुलनात्मक जीवन जीना आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। एक कर्मचारी जो रोज समय पर आता है, ईमानदारी से काम करता है, अगर वह सिर्फ इस बात से हताश हो जाए कि किसी दूसरे को प्रचार या प्रोत्साहन मिल गया, तो वह अपने प्रयासों को ही बेकार मानने लगेगा। लेकिन अगर वह यह समझे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और उसकी मेहनत का फल भी उसे उचित समय पर मिलेगा, तो वह अधिक शांत और आत्मनिर्भर रहेगा।

सच्चाई यह है कि हर जीवन की किताब अलग होती है। कोई पहला अध्याय संघर्ष से शुरू करता है, कोई सौभाग्य से, लेकिन किसी की किताब पढ़कर अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करना केवल भ्रम को जन्म देता है। जो अपनी किताब के पन्नों पर ध्यान देता है, वही सच्ची कहानी लिख पाता है। जो व्यक्ति अपनी दौड़ पर ध्यान देता है, आखिर वही सफल होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने दूसरों की आलोचना करने में नहीं, बल्कि खुद को सुधारने में समय लगाया। बदलाव की शुरुआत हमेशा आत्मनिरीक्षण से होती है।

दूसरों को गिराने की प्रवृत्ति आखिरकार खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसी होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कोई किसी और को अंधेरे में धकेलने की कोशिश करे, लेकिन खुद अपनी दृष्टि खो बैठे। इसके विपरीत, जब हम सहयोग और करुणा की भावना से आगे बढ़ते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे जीवन को भी रोशन करती है। मान लिया जाए कि कोई दुकानदार अगर अपने प्रतिस्पर्धी की बुराई करके ग्राहकों को खींचने की कोशिश करता है। इससे वह थोड़े समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन स्थायी भरोसा उसे नहीं मिल पाएगा। वहीं, दूसरा दुकानदार अगर अच्छे व्यवहार, गुणवत्ता और सेवा के जरिए ग्राहकों का दिल जीते, तो समय के साथ उसकी प्रतिष्ठा और व्यापार दोनों बढ़ेंगे। यह आत्म-सुधार का प्रभाव है।

जब हम यह मान लेते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत अपने भीतर से होनी चाहिए और समाज से पहले खुद को बदलने का प्रयास करते हैं, तब जीवन में संतुलन और शांति आना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे एक दीपक खुद जलता है, तभी दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही आत्म परिवर्तन ही समाज में स्थायी परिवर्तन की नींव है। दूसरों को दोष देने, आलोचना करने या व्यंग्य करने के बजाय अगर हम उनकी राह आसान करें, मदद करें, तो वह सहारा हमारे लिए भी आत्मिक संतोष लेकर आता है। जो किसान सिर्फ अपनी फसल की चिंता नहीं करता, बल्कि साथ के खेतों में भी पानी देने की सोचता है, वही असल में समाज का नेतृत्व करता है।

जीवन का सार यही है कि तुलना से नहीं, आत्म-सुधार और सहयोग से ही सच्चा विकास संभव है। यह विकास केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक, आत्मिक और सामाजिक स्तर पर भी होता है। इसलिए दूसरों की रफ्तार देखने के बजाय अपनी चाल को बेहतर बनाना चाहिए। आलोचना की जगह आत्मनिरीक्षण और प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को प्राथमिकता देना जरूरी है। यही उस शिखर पर ले जाएगा जहां आत्मसंतोष, आत्मविश्वास और सच्ची सफलता का स्वागत करते हैं।

चौपाल

रचनात्मकता की राह

शिक्षा में सुधार के नाम पर कई बार ऐसी नीतियां लागू की जाती हैं, जो सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जमीनी स्तर पर उतनी प्रभावी नहीं होतीं। हालांकि, खुली किताब परीक्षा का विचार अलग है। अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को रचनात्मक और व्यावहारिक दिशा दे सकती है। खुली किताब परीक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों को रटने से मुक्ति दिलाना और उनकी समझ, विश्लेषण और तर्क करने की क्षमता को बढ़ाना है। इस प्रणाली में विद्यार्थी किताबों या नोट्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परीक्षा आसान है। असली उद्देश्य यह है कि वे किताबों का उपयोग नकल के लिए नहीं, बल्कि सोच-विचार और समस्या समाधान के लिए करें। खुली किताब परीक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा को आसान बनाना नहीं, बल्कि शिक्षा को रचनात्मक और उपयोगी बनाना है। इसके लिए प्रश्न ऐसे होने चाहिए, जो किताब से नकल करने के बजाय सोचने और तर्क करने की मांग करें। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे।

- मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

उम्मीदों की उड़ान

उम्मीद छोटा सा शब्द है, मगर इसकी महत्ता क्या है, इसका अनुमान हर कोई नहीं लगा सकता है। इस शब्द का अगर अर्थ या महत्त्व पता करने निकलें, तो शायद आज के समय में उन युवाओं से मालूम किया जा सकता है, जो अपने घरों की दहलीज से निकल कर किसी शहर में अपने सपने साकार करना चाहते हैं। वे अपना सब कुछ उन उम्मीदों को पूरा करने में लगा देते हैं, जो घर से निकलते समय वे अपने परिवार की आंखों में देख कर आते हैं। पिता की उम्मीद जो अपना सब कुछ उन पर लगा देता हैं, उस माता की उम्मीद जो अपनी ममता से उस पर कभी कोई आंच नहीं आने देती। उन भाई-बहनों की उम्मीदें जो हमेशा उसके साथ हिम्मत बन कर खड़ी रहती हैं। इन सब उम्मीदों के इस मोती को वे अपने विश्वास के धागों से माला बनाकर पहन लेते हैं। इसी से वे कामयाबी की नई उड़ान भरने की कोशिश में जुट जाते हैं।

- अभिषेक सैनी, लखनऊ

ऊर्जा के स्रोत

वाराणसी स्थित रेल कारखाने में पहली बार रेल पटरियों के बीच सौर पैनल लगाए गए हैं। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बने इन पैनलों से प्रतिदिन लगभग 67 यूनिट बिजली उत्पादन संभव है। यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। मगर रेलगाड़ियां चलाने के लिए निरंतर और स्थिर बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस प्रयोग की सफलता पर संदेह बना रहेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा का उत्पादन मौसम और धूप पर निर्भर है। अगर रेलवे स्टेशनों की छतों पर सौर पैनल लगाए जाएं, तो इससे अधिक व्यावहारिक और स्थायी लाभ मिल सकता है। सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्रतिदिन बिजली की भारी खपत होती है। यदि इन छतों का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाए, इससे न केवल बिजली की भारी बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान मिलेगा। रेलवे प्रशासन को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

- अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

निष्पक्षता का तकाजा

पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ने संवाददाता सम्मेलन में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कई मसलों पर बात की, मगर यह नहीं बताया कि केवल विपक्ष के नेता से ही हलफनामे की मांग क्यों की गई? सत्तारूढ़ दल की ओर से भी फर्जी वोट का आरोप लगाया गया था। फिर उनसे हलफनामे की मांग क्यों नहीं की गई? चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव करना है। हमारे देश ने टीएन शेषन, जेएम लिंग्दोह और एसवाई कुरैशी जैसे कई समर्थ और सुयोग्य चुनाव आयुक्तों को भी देखा है, जिन्होंने देश की इस संवैधानिक संस्था का नाम रौशन किया। मगर, अब इस संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को चाहिए कि अगर उसकी कार्यप्रणाली को लेकर कोई शिकायत आती है, तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, बुधवार 20 अगस्त 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

उपराष्ट्रपति पद और विचारधारा का चुनाव

मोदी सरकार की किसी भी मामले में मनमानी अब विपक्ष चलने नहीं देगा, इसका एक और उदाहरण सामने आ चुका है। 9 सितम्बर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गैर राजनैतिक पृष्ठभूमि से आने वाले श्री रेड्डी का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। जो इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उससे पहले दो बार सांसद रह चुके हैं। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष पद को भी संभाल चुके हैं। सी पी राधाकृष्णन के सुदीर्घ राजनैतिक अनुभव और भाजपा के लिए एकनिष्ठता को देखते हुए ही नरेन्द्र मोदी ने उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अगले साल होने वाले तमिलनाडु चुनाव में भाजपा सी पी राधाकृष्णन के नाम को भुनाना चाहती है। तमिलनाडु में भाजपा का जनाधार है ही नहीं और एआईएडीएमके के कारण जो थोड़ी बहुत पैठ थी, वो भाषायी विवाद से प्रभावित हो चुकी है। डीएमके की मजबूती भाजपा की तमिलनाडु में उम्मीदों को पूरा नहीं होने दे रही है। ऐसे में तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली थी।

भाजपा को खुशफहमी थी कि विपक्ष थोड़ी बहुत ना नुकुर के बाद सी पी राधाकृष्णन के नाम पर हामी भर देगा। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं से विचार विमर्श के बाद मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की। खरगे ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। इंडिया ब्लॉक की बैठक में श्री रेड्डी के नाम पर मुहर लगी थी। इसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने एक जरूरी बात कही कि यह विचारधारा की लड़ाई है। संदेश स्पष्ट है कि अब विचारधारा की लड़ाई को किसी भी तरीके विपक्ष छोड़ेगा नहीं, फिर चाहे वह संवैधानिक पद ही क्यों न हो।

दरअसल इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह संविधान, न्यायपालिका और पारदर्शिता के पक्षधर चेहरे को आगे रख रहा है। विपक्ष का मानना है कि श्री रेड्डी की साफ-सुथरी छवि और न्यायिक अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद बी सुदर्शन रेड्डी को गोवा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने ईमानदार और सख्त छवि वाले अधिकारी के रूप में काम किया। भ्रष्टाचार के मामलों में उन्होंने बिना दबाव के जांच की और पारदर्शिता की पैरवी की। इसलिए उनसे उम्मीद बंधी है कि अगर वे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो फिर बिना भेदभाव के कार्य करेंगे। जबकि सी पी राधाकृष्णन ने उम्मीदवारी घोषित होने के बाद जो आभार जताया है, उसमें नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, जे पी नड्डा सबके लिए बार-बार सम्मानित और प्रिय लिख कर बता दिया कि अगर वे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो भाजपा की तरफ झुकने से खुद को बचाना उनके लिए कठिन होगा।

बहरहाल, देश में अब बिहार चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला होगा। वैसे भारत के संसदीय इतिहास में उपराष्ट्रपति पद के लिए राजनैतिक दांव-पेंच बहुत कम देखने मिले। अमूमन सत्ता और विपक्ष की सहमति से एक ऐसा नाम तय कर लिया जाता था, जिसे संविधान का ज्ञान हो, संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल हो और उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो कार्य कर सके। मोदी सरकार के आने के बाद यह परंपरा टूटने लगी। पिछले बार जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच चुनाव हुआ था, जिसमें श्री धनखड़ जीत गए थे। लेकिन उनके कार्यकाल में कई किस्म के विवाद खड़े हुए। नौबत तो ऐसी आ गई थी कि पिछले साल दिसंबर में श्री धनखड़ पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तक दे दिया था। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन इससे यह तो जाहिर हो ही गया कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठे जगदीप धनखड़ नीर-क्षीर विवेक की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं।

उनके कार्यकाल में राज्यसभा में अपवाद स्वरूप ही ऐसे दिन रहे होंगे, जब विपक्ष और उनके बीच बहस न हुई हो। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी सत्रों में और तीसरे कार्यकाल में भी विपक्ष के साथ सभापति के तनाव का सिलसिला तेज हुआ। लेकिन इस बार मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही पहले दिन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। यह अब तक रहस्य ही है कि जगदीप धनखड़ कहां हैं, किस हाल में हैं, क्या वाकई उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसे कारण बताकर ही उन्होंने पद छोड़ा, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनका इलाज किस अस्पताल में चल रहा है, घर पर चल रहा है तो उसका कोई अपडेट क्यों नहीं है, क्यों इस्तीफे के दिन से अब तक किसी भी भाजपा नेता के साथ न उनका कोई संवाद सामने आया, न मुलाकात की तस्वीरें दिखीं। नरेन्द्र मोदी ने रुखा सा ट्वीट कर उनके कार्यकाल का जिक्र किया था, स्वास्थ्य लाभ की बात कही थी, लेकिन उसका भी जवाब धनखड़जी ने नहीं दिया।

79 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब देश में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को यूं लापता होना पड़े। यह पूरा प्रकरण मोदी सरकार के कामकाज के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाता है। लेकिन सुर्खियों का प्रबंधन मीडिया से कैसे करवाना है, यह भाजपा को खूब आता है। लिहाजा पूर्व उपराष्ट्रपति की गुमशुदगी खबर ही नहीं बनी, जबकि कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे। देश में दूसरे मुद्दों की चर्चा होती रही। इस बीच सी पी राधाकृष्णन का नाम भाजपा ने तय कर लिया और फिर विपक्ष को इसकी खबर दी। इसके बाद नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न दलों, खासकर विपक्ष से राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका सर्वसम्मति से चुनाव हो।

अगर नाम घोषित करने से पहले भाजपा ने सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की होती तो समझ आता, लेकिन पहले नाम तय कर लिया और फिर विपक्ष से साथ मांगा तो अब विपक्ष ने भी अपना जवाब दे दिया है। खास बात यह है कि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर समूचा विपक्ष एक साथ है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। राज्यसभा में संख्याबल इस समय एनडीए के पास है, लेकिन विपक्ष की चुनौती फिर भी भाजपा को परेशान कर रही है।

भयावह संकट खड़ा कर चुका है केन्द्रीय चुनाव आयोग

पिछले सात-आठ सालों के दौरान वैसे तो देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं की साख और विश्वसनीयता पर बट्टा लग चुका है, लेकिन चुनाव आयोग की साख तो सिरे से ही चौपट हो गई है। हैरानी की बात यह है कि अपने काम-काज और फैसलों पर लगातार उठते सवालों के बावजूद चुनाव आयोग ऐसा कुछ करता हुआ नहीं दिखता, जिससे लगे कि वह अपनी मटियामेट हो चुकी साख को लेकर जरा भी चिंतित है। उसकी कार्यशैली पर उठने वाले सवालों पर जिस तरह सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता उसका बचाव करते हैं, उसे देखते हुए कोई उसे 'चुनाव मंत्रालय' कहता है, तो कोई सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन का सदस्य। सोशल मीडिया में तो उसे 'केंचुआ' तक कहा जाने लगा है। हकीकत यह है कि जो भी नया मुख्य चुनाव आयुक्त आता है, वह अपने पूर्ववर्ती की तुलना में खुद को सरकार का बड़ा खिदमतगार साबित करने में जुट जाता है और ऐसा करने में वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज करने में कोई संकोच नहीं करता है।

चूंकि चुनाव आयोग अपने मान-अपमान की चिंता से मुक्त है और उसके पास अपनी कारगुजारियों के पक्ष में तार्किक दलीलें भी नहीं होतीं, लिहाजा वह अपनी आलोचना का जवाब देने के लिए सामने आने से अमूमन बचता है। अलबत्ता उसकी ओर से खुद प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के नेता जरूर जवाब देते हैं। वे चुनाव आयोग को नेकचलनी का प्रमाणपत्र देते हुए कहते हैं कि विपक्षी दल चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं।

इस समय भी यही हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के सवाल पर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच जंग छिड़ी हुई है। उनकी इस जंग का अभी तक का चरम बीते रविवार को दिखा, जब बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन ने चुनाव आयोग को निशाने पर रखते हुए 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की और दूसरी ओर नई दिल्ली में वह चुनाव आयोग भी प्रेस कांफ्रेंस के जरिये मैदान में आ गया, जिसकी ओर से अभी तक सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था; या जो अपनी बात को किन्हीं सूत्रों के हवाले से मीडिया में प्रचारित करवा रहा था।

विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। इस सिलसिले में बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक शुरू किया गया मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तो मुद्दा है ही, इसी के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों एक प्रेस कांफ्रेंस में पेश किए गए कई सबूत भी हैं, जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी ने इसमें बताया था कि बेंगलूर सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख दो सौ पचास फर्जी मतदाताओं के जरिये किस तरह चुनाव को भाजपा के पक्ष में प्रभावित किया गया था।

राहुल गांधी ने यह आरोप 7 अगस्त को लगाए थे। उसके ठीक एक हफ्ते बाद 14 अगस्त को भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिये हूबहू वैसे ही आरोप राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर लगाए। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में लाखों की संख्या में फर्जी और संदिग्ध वोटरों के नाम मतदाता सूची में शामिल करवा कर चुनाव जीता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन संदिग्ध लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराए गए वे ज्यादातर विदेशी घुसपैठिये हैं।

अनिल जैन

> राहुल ने अपने आरोपों के साथ सबूत के तौर पर महज एक विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हजारों पन्नों के दस्तावेज भी पेश किए थे, जिनका विश्लेषण करने में उनकी टीम को छह महीने का समय लगा था, लेकिन अनुराग ठाकुर ने महज 7 दिन में ही पांच लोकसभा और एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता दिया कि वहां की मतदाता सूचियों में लाखों लोग फर्जी और संदिग्ध हैं।

राहुल ने अपने आरोपों के साथ सबूत के तौर पर महज एक विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हजारों पन्नों के दस्तावेज भी पेश किए थे, जिनका विश्लेषण करने में उनकी टीम को छह महीने का समय लगा था, लेकिन अनुराग ठाकुर ने महज 7 दिन में ही पांच लोकसभा और एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता दिया कि वहां की मतदाता सूचियों में लाखों लोग फर्जी और संदिग्ध हैं। हालांकि अपने आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए। फिर भी उनके आरोपों से राहुल के इस आरोप की ही पुष्टि हुई कि चुनाव प्रक्रिया में और चुनाव आयोग के कामकाज में भारी गड़बड़ है।

बहरहाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने जब पेश हुए तो लगा था कि वे इन सारे आरोपों पर कोई संतोषजनक सफाई पेश करेंगे, जिससे आयोग की साख पर मंडरा रहे संदेह के बादल छंटेंगे, परन्तु मुख्य चुनाव आयुक्त पेश हुए पूरी तरह से एक राजनेता की तरह। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरह धमकी भरे अंदाज में कहा, 'राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर सौ करोड़ मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। उन्हें सात दिन के अंदर अपने आरोपों के समर्थन में आयोग के समक्ष हलफनामा देना होगा अन्यथा, देश से माफी मांगना होगी। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है।'

सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को हलफनामा देने या माफी मांगने के लिए तो कह दिया लेकिन यही बात उन्होंने अनुराग ठाकुर के लिए क्यों नहीं कही? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुराग ठाकुर से चुनाव आयोग खुद माफी मांगेगा? राहुल ने मतदाता सूचियों में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी और हेरा-फेरी के जो आरोप लगाए हैं, वैसे ही आरोप कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लगा चुके हैं। उनका भी कहना रहा है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में करीब तीन लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं। ऐसा ही आरोप मध्य प्रदेश के रीवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी हाल ही में लगाया है। यानी राहुल के आरोप से औपचारिक तौर पर भाजपा भले ही सहमत न हो लेकिन उसके सांसद तो सहमत हैं ही और वे भी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।

राहुल गांधी ने मांग की है कि मतदान केन्द्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए ताकि यह साफ हो सके कि पिछले कुछ चुनावों में शाम पांच बजे के बाद मतदान प्रतिशत में अचानक 7 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी कैसे हुई। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो दलील पेश की है वह बेहद फूहड़ और शर्मनाक है। उन्होंने बड़े मासूम अंदाज में कहा कि 'क्या हमें अपनी मां-बहनों और बहू-बेटियों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने चाहिए?' मुख्य चुनाव आयुक्त की इस दलील के आधार पर तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस आदि खेलने वाली या कुश्ती या तैराकी की महिला खिलाड़ियों के मुकाबलों का टीवी प्रसारण भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए।

चुनाव आयोग के मुखिया इस सवाल का भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि बिहार में बाढ़ और बारिश के चलते इतनी हड़बड़ी में, इतने कम समय में एसआईआर करने की क्यों जरूरत महसूस हुई? चुनाव आयोग ने ऐसा ही एसआईआर आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली और अन्य राज्यों में चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? उनके पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों के आरोपों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने 18 हजार हलफनामे चुनाव आयोग को दिए थे, उनका क्या हुआ?

कुल मिलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस काफ्रेंस में जो-जो दलीलें पेश कीं और विपक्षी नेताओं को जिस अंदाज में धमकाया है, उससे यही साबित हुआ है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था के रूप में काम करने के बजाय केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के गठबंधन की एक सहयोगी पार्टी के रूप में काम कर रहा है। यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और डरावनी है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच सियासी तलवारें खिंचना एक स्वाभाविक घटनाक्रम है। लेकिन किसी एक राजनीतिक पक्ष के निशाने पर कोई संवैधानिक संस्था आ जाए और वह संवैधानिक संस्था भी राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करने लगे तो उसे व्यवस्था के गहराते संकट के रूप में ही देखा जाएगा।

यह संकट अभी और गहराने वाला है क्योंकि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने अपने अभियान के दूसरे दिन चुनाव आयोग को चेतावनी देने के अंदाज में कहा कि, 'कुछ दिन इंतजार कीजिए, देश के हर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता चुनाव आयोग से हलफनामा मांगेंगे।' यानी मतदाता सूची में बडे पैमाने पर हेराफेरी के जो सबूत राहुल ने अभी सिर्फ कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र के दिए हैं, वैसे मामले अभी अन्य क्षेत्रों के भी सामने आएंगे, जो चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करेंगे। चुनाव आयोग के पास अभी भी समय है। वह चाहे तो अपनी वास्तविक भूमिका में आकर विपक्ष के साथ संवाद शुरू कर सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

राहुल गांधी के प्रति आक्रामक रुख से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर

■ कल्याणी शंकर

मतदाताओं के साथ हेरफेर और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष, सत्तारूढ़ भाजपा और भारत के चुनाव आयोग के बीच एक गंभीर टकराव तेज़ी से बढ़ रहा है। बिहार में मतदाता सूची में संशोधन के उद्देश्य से एसआईआर पहल की घोषणा के बाद यह मुद्दा और गहरा गया है, जिससे और बहस छिड़ गई है।

राहुल गांधी, जो प्रमुख चुनावी चिंताओं को संबोधित करने के लिए जाने जाते हैं, मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाकर चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर 2024 के चुनावों के दौरान धोखाधड़ी करने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है और उन्हें 'वोट चोर' करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि आयोग ने 300 गैर-भाजपा सांसदों से मिलने से इनकार कर दिया और एक स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूची की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 70 सीटें 50,000 से भी कम वोटों से हारी है और वह इन नतीजों की वैधता की जांच कर रही है।

> पहले राजनीतिक दल चुनाव आयोग का सम्मान करते थे, लेकिन अब वे इसके विपरीत हैं। अब जबकि राहुल गांधी ने एक प्रमुख चुनावी मुद्दे को उजागर किया है, विपक्ष को एकजुट करने के बाद, उन्हें एकजुट रखने की चुनौती उनके सामने है। लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत, 'एक व्यक्ति, एक वोट' अभियान, अत्यंत आवश्यक है।

चुनाव आयोग ने इन आरोपों को 'भ्रामक' बताते हुए खारिज कर दिया है। गांधी, जिन्होंने पहले अंबानी-अडानी विवाद जैसे बड़े मुद्दों पर बात की है, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटा रहे हैं। उन्होंने चुनाव में धांधली के दावों को उजागर किया, जिसमें एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) का उपयोग करके कई पंजीकरण और एक ही पते पर पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग की बिहार सम्बंधी रिपोर्टों में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने का संकेत दिया गया है, जिनमें 22 लाख मृत व्यक्ति और 7,00,000 से ज़्यादा डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं।

यह मुद्दा जल्द ही सुलझने वाला नहीं है। अगर विपक्ष अपनी चिंताओं को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाता है, तो इसका भाजपा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

विपक्ष के नेता (एलओपी) ने कहा कि एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता एक स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूची की मांग करता है। गांधी ने बाद में एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया, 'और, हम इस अधिकार को हर कीमत पर हासिल करेंगे।'

साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण एक और विवादास्पद मुद्दा है। मानसून सत्र के दौरान, विपक्षी दलों ने मतदाता हेरफेर के मुद्दे पर चुनाव आयोग से भिड़ने के लिए राहुल गांधी के आंदोलन का समर्थन किया। विपक्षी सांसदों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की घटना ने उनकी सामूहिक कार्रवाई की ताकत को और भी उजागर किया।

नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों से ठीक पहले, बिहार में महीने भर चले महत्वपूर्ण मतदाता पंजीकरण अद्यतन अभियान के दौरान राहुल गांधी ने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पांच प्रकार की कथित चुनावी धोखाधड़ी की पहचान की जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके साक्ष्य दर्शाते हैं कि चुनाव आयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने में विफल रहा और उसने चुनावी पहचान पत्रों का दुरुपयोग किया। गांधी ने दावा किया कि कुछ मतदाताओं का पंजीकरण एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) संख्या का उपयोग करके विभिन्न राज्यों में कई बार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कई मतदाताओं का पता एक ही है। गांधी का मानना है कि इन मुद्दों, जिन्हें चुनाव आयोग ने नज़रअंदाज़ किया है, ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत भाजपा को देश भर में अधिक सीटें जीतने में मदद की।

बिहार के राजनेता और राष्ट्रीय दल अद्यतन मतदाता सूची को लेकर चिंतित हैं। चुनाव आयोग ने 22 लाख मृत व्यक्तियों, 7 लाख से ज़्यादा लोगों का एक से ज़्यादा बार पंजीकरण और 36 लाख लोगों का नाम सूची से हटा दिया है जो राज्य से बाहर चले गए हैं। 12 अगस्त को, गांधी ने ट्वीट किया, 'ज़िंदगी में कई दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन मुझे कभी 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए, चुनाव आयोग का शुक्रिया!' उन्होंने वोटों में हेराफेरी को लेकर चिंता जताई और दावा किया कि यह हेराफेरी पूरे देश में व्यवस्थित रूप से हो रही है। चुनाव आयोग ने गांधी के दावों को 'तथ्यात्मक रूप से ग़लत' बताया।

हालांकि कांग्रेस के सुबूतों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग की आक्रामक प्रतिक्रिया की आलोचना हुई है। गांधी ने आरोप लगाया कि डुप्लीकेट मतदाताओं के अलावा, बल्कि वोटर भी थे। उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा में एक कमरे वाले मकान में 80 मतदाता एक ही पते पर रह रहे थे। उन्होंने एक ही वोट में कई ग़लतियों की ओर भी इशारा किया, जैसे कि मकान नंबर 0 दर्ज होना, जो असामान्य है। चुनाव आयोग ने जवाब में दावा किया कि 'प्रवासन और अन्य मुद्दों के कारण कई मतदाता पहचान पत्र हैं।'

राहुल गांधी के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की गई आक्रामक टिप्पणियों की पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी आलोचना की है। ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और विपक्ष के बीच टकराव का माहौल है। 'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि विपक्ष जनता को इस समस्या को स्वीकार करने के लिए प्रभावी ढंग से राजी कर लेता है, तो भाजपा को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जो इस मुद्दे के संभावित प्रभाव को रेखांकित करता है। स्थिति की गंभीरता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

चुनाव आयोग को गहन जांच के बाद सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। पहले राजनीतिक दल चुनाव आयोग का सम्मान करते थे, लेकिन अब वे इसके विपरीत हैं।

अब जबकि राहुल गांधी ने एक प्रमुख चुनावी मुद्दे को उजागर किया है, विपक्ष को एकजुट करने के बाद, उन्हें एकजुट रखने की चुनौती उनके सामने है। लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत, 'एक व्यक्ति, एक वोट' अभियान, अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दो सप्ताह लंबी 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू की है। बिहार चुनाव से पहले ऐसी कई और यात्राएं होंगी।

हालांकि, चुनाव आयोग की छवि धूमिल हुई है और लोग इस संस्था पर संदेह करने लगे हैं। इसकी छवि सुधारने अभी देर नहीं हुई है और इसे अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी होगी।

आपके पत्र

साझेदारी और बराबरी से ही टिकेगा आधुनिक विवाह

आधुनिक जीवनशैली ने जहां रिश्तों में नए अवसर खोले हैं, वहीं कई नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। शिक्षा, रोजगार और तकनीक ने महिलाओं को पहले से अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया है। आज की महिला घर के दायरे से निकलकर नौकरी, व्यवसाय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक सक्रिय रूप से पहुंच रही है। लेकिन विडंबना यह है कि घर की दहलीज़ के भीतर उसकी स्थिति उतनी नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए थी। अधिकांश परिवारों में अभी भी घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह से महिलाओं पर ही डाल दी जाती है।

इस समस्या का एक नया और चिंताजनक रूप सामने आया है-पति द्वारा घरेलू कामों में जानबूझ कर अयोग्यता दिखाना। इसे पश्चिमी समाज में वेपनाइज्ड इनकंपिटेंस कहा जाता है, जिसका सीधा अर्थ है कि पति जानबूझ कर घरेलू काम बिगाड़कर यह जताता है कि वह इन कार्यों में सक्षम ही नहीं है। नतीजतन पत्नी को ही दोबारा सब कुछ करना पड़ता है और धीरे-धीरे घर का पूरा बोझ उसी के कंधों पर आ जाता है। आधुनिक जीवनशैली ने जहां रिश्तों में नए अवसर खोले हैं, वहीं कई नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। शिक्षा, रोजगार और तकनीक ने महिलाओं को पहले से अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया है। आज की महिला घर के दायरे से निकलकर नौकरी, व्यवसाय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक सक्रिय रूप से पहुंच रही है। लेकिन विडंबना यह है कि घर की दहलीज़ के भीतर उसकी स्थिति उतनी नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए थी। अधिकांश परिवारों में अभी भी घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह से महिलाओं पर ही डाल दी जाती है।

इस समस्या का एक नया और चिंताजनक रूप सामने आया है-पति द्वारा घरेलू कामों में जानबूझ कर अयोग्यता दिखाना। इसे पश्चिमी समाज में वेपनाइज्ड इनकंपिटेंस कहा जाता है, जिसका सीधा अर्थ है कि पति जानबूझ कर घरेलू काम बिगाड़कर यह जताता है कि वह इन कार्यों में सक्षम ही नहीं है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान यह स्थिति और स्पष्ट होकर सामने आई। जब दफ्तर घरों में सिमट गए, बच्चे पूरे समय घर में रहने लगे और बाहर से सहायक मिलना बंद हो गया, तब लाखों परिवारों में यह देखा गया कि महिलाओं पर काम का बोझ कई गुना बढ़ गया। वे दिनभर ऑनलाइन मीटिंग्स में भी थीं और साथ ही तीन वक्त का खाना बनाने, बच्चों को पढ़ाने, सफाई करने और बुज़ुर्गों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी निभा रही थीं। पति जहां तक संभव हुआ, इन जिम्मेदारियों से बचते रहे और बहाना यही रहा कि वे घर के कामों में उतने माहिर नहीं हैं। इस परिस्थिति ने कई रिश्तों में तनाव को जन्म दिया और कई परिवारों में तलाक और अलगाव की घटनाएं बढ़ीं।

महिलाएं अब पहले जैसी स्थिति में चुपचाप समझौता नहीं कर रही हैं। शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के कारण वे बराबरी की मांग कर रही हैं। उनके लिए विवाह अब केवल परंपरा निभाने का नाम नहीं है, बल्कि एक साझेदारी है। इस साझेदारी का अर्थ है कि दोनों साथी मिलकर घर की जिम्मेदारियां बांटें। जब पति जानबूझ कर अयोग्यता दिखाता है तो यह सीधे-सीधे पत्नी के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर चोट करता है। कई बार यह स्थिति डिप्रेशन, चिंता और थकान का कारण बन जाती है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह प्रवृत्ति रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें बराबरी और विश्वास का भाव हो। यदि एक पक्ष बार-बार जिम्मेदारी से भागे और दूसरा पक्ष मजबूरी में सब कुछ ढोता रहे तो धीरे-धीरे नाराज़गी, कड़वाहट और दूरी बढ़ जाती है। पत्नी को लगता है कि उसकी मेहनत को महत्व नहीं दिया जा रहा और पति को लगता है कि वह अपनी सुविधा से बच निकला है। यह असंतुलन लंबे समय तक नहीं चल सकता।

-प्रियंका सौरभ

ललित सुरजन की कलम से

''उसमें प्राण जगाओ साथी'' - 1

'अगर मुझे ठीक याद है तो गोंदिया में 1955 में मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। शायद बाबूजी भी उसमें गए होंगे। गोंदिया से लौटकर पटना जाते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी जबलपुर आए। हमारे घर पर उनके सम्मान में प्रतिभोज रखा गया। मुझे इतना स्मरण है कि हॉलनुमा बड़े से कमरे में खूब सारे लेखक पाटे पर बैठकर भोजन कर रहे हैं और साहित्य चर्चा चल रही है। इसके आस-पास ही सोवियत संघ से हिन्दी के परम विद्वान व रामचरित मानस के अनुवाद प्रोफेसर प्यौत्र वारान्निकोव जबलपुर आए। रामेश्वर गुरू के घर उनके लिए भोज का आयोजन हुआ। बाबूजी मुझे वहां ले गए। प्रोफेसर वारान्निकोव ने बघारी हुई दाल में जीरा देखकर पूछा-क्या इसी को दाल में काला कहते हैं? अगले दिन नवभारत में पहले पन्ने पर बाक्स में यह रोचक टिप्पणी छप गई। ऐसे अनुभवों ने मुझे रचनाकार और रचनाशीलता का सम्मान करना सिखाया।'

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

(25 अक्टूबर 2009 को देशबन्धु में प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2012/04/blog-post.html

पावन प्रसंग

पर्युषण अंतर्मन और आत्मा को निर्मल बनाने का पर्व

आज से महापर्व पर्युषण का मंगल प्रारम्भ होने जा रहा है। इस महापर्व के आगमन के साथ ही जन-जन के मन में अपूर्व उल्लास उमड़ आया है। छोटे-छोटे बच्चों के मन में भी आज धर्म-साधना में संलग्न होने की एक होड़-सी दिखाई दे रही है। हर पर्व का उसका अपना एक इतिहास है। लौकिक पर्वों में खाने-पीने की, घूमने-फिरने की, नाचने-कूदने की, ऐशोआराम की दृष्टि होती है, पर इस लोकोत्तर पर्व में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकोत्तर पर्व का सम्बन्ध आध्यात्मिकता से है। आत्मा से है। पर्युषण पर्व भौतिकता को पुष्ट करने वाला पर्व नहीं है। यह पर्व आत्म-जागरण का पर्व है। अपने आप पर अनुशासन का पर्व है। विभाव से स्वभाव की ओर बढ़ने का पर्व है। अपने आपको बाहर से समेटकर भीतर से संलग्न करने का पर्व है। पर्युषण पर्व समग्र कषायों से विरति का संकल्प लेते हुए क्षमा-विनय-सरलता, समता, संतोष और सद्भाव-सौहार्द की अभिवृद्धि करने का पर्व है। सर्वथा विशुद्ध, इस आध्यात्मिक पर्व में आत्म-निरीक्षण, आत्म-चिंतन, आत्म-रमण और स्वभाव-रमण की विशुद्ध क्रियाएं निहित हैं। जीवन के प्रति विशिष्ट चिंतन जगाने वाले इस पर्व की आराधना पूर्ण सजगता के साथ की जानी चाहिए। पर्युषण एक दिवसीय हो, भले ही आठ दिवसीय हो, इसका जो उद्देश्य है, वह उदात्त है और इसी उदात्त उद्देश्य को संपुष्ट करने का दृष्टिकोण हम सभी का रहना चाहिए। विषमता मूलक साम्प्रदायिक संकीर्णताओं से भरे उपक्रमों का कोई महत्व नहीं है। समता का विकास ही हमारा ध्येय होना चाहिए। समता के बिना जीवन का प्रत्येक क्षेत्र अधूरा है।

पर्युषण के साथ किसी भी प्रकार की विषमता का सम्बन्ध नहीं है। इसके मूल में आध्यात्मिक अभ्युदय का ही लक्ष्य है। पर्युषण में हमें पूरी जागरूकता के साथ साधना में स्वयं की प्रयुक्ति करनी चाहिए। कषायों की उपशांतता के बगैर कितनी ही बाह्यक्रियाओं की सम्पन्नता क्यों न कर ली जाए, इनका कोई महत्व नहीं है।

जीवन जागरूकता से उत्कृष्टता का वरण करता है। हम अपने मन में अधिकाधिक पवित्र भावों का समावेश करें। वाणी के द्वारा किसी को कटुवचन न कहें। किसी की निन्दा और आलोचना में रूचि-रस न लें। सेवा आदि के किसी भी महत्वपूर्ण अवसर को गँवाने की भूल न करें। धन का अर्जन-ही-अर्जन न करते रहें, अपितु सत्प्रवृत्तियों को संचालित करने के लिए उसका विसर्जन करना भी सीखें, दूसरों के न्यायाधीश कभी भी न बनें। ऐसी कोई भी अनावश्यक बात न सुनें, जिसे सुनकर भीतर में विषमता के भावों का जन्म हो। अभिप्राय यही है कि पर्वराज पर्युषण आंतरिक जागरूकता का पर्व है। जितनी जागरूकता रखी जाएगी, हमारा अपना जीवन उतना ही गरिमामय बनेगा। पर्युषण पर्व का आगमन प्रत्येक श्रावक-श्राविकाओं के लिए वरदान रूप सिद्ध हो।

आत्मा का कल्याण करने के लिए क्या किया जाये ? हम यह जानते हैं कि आत्मा आज से नहीं, अपित अनन्त काल से संसार में घूमती चली आयी है। अपने आप में यह एक आशा और विश्वास को संजोये हुए है। वह यह कि संसार के भानव-भव पाकर के मैं मुक्ति प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूंगा। आत्मा यही चाहती है। मानव-भव भी मिल जाता है,

-कांतिलाल मांडोत

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करना ही चाहिए

ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना जरूरी है। यह तेजी से बढ़ता बाजार है। भारत में करीब 45 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। वर्ष 2024 में भारतीय गेमिंग बाजार का आकार 31,938 करोड़ रुपये था। इसमें रीयल मनी गेमिंग की हिस्सेदारी लगभग 85.7% है। रियल मनी गेम्स में प्लेयर्स असली पैसे लगाकर गेम खेलते हैं और जीतने पर उन्हें प्राइज मिलता है, हारने पर पैसा डूबता है। प्रति वर्ष ऑनलाइन गेम खेलने वाले करीब 20 हजार करोड़ रुपये गंवा देते हैं। अभी नियामक ढांचा नहीं होने से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बेलगाम है। सबसे ज्यादा जरूरी गेमिंग के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण है। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को विनियमित (रेगुलेट) करना जरूरी है। इसी मंशा के साथ सरकार एक कानून लेकर आ रही है। इसके लिए उसने ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया है, जिसे सदन ने पारित कर दिया है। यूं तो अभी यह विधेयक राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, तब कानून बनेगा, लेकिन यह कदम ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गेमिंग इंडस्ट्री के असर को समझने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था, टास्क फोर्स ने वर्ष 2022 में अपनी सिफरिशें सरकार को सौंपी थीं, जिसमें एक नया कानून बनाने का सुझाव दिया था। इसके बाद से कानून के प्रारूप पर कार्य जारी था, जो अब एक विधेयक के रूप में सामने आया है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और शैक्षणिक व सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। दरअसल, 'ऑनलाइन मनी गेम' आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है तथा जिदंगी भर की बचत (ऑनलाइन) गेम में उड़ा देते हैं। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिद्म ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। अस्पष्ट एल्गोरिद्म होते हैं। हार निश्चित होती है। वित्तीय नुकसान होते हैं। कई आत्महत्याएं भी हुई हैं। कर्नाटक की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 31 महीनों में 32 आत्महत्याएं इस तरह के मामलों में हुई हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिये मनी लांड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का भी खतरा बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) ने अपनी एक रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग को एक 'डिसऑर्डर' घोषित किया है। 'ई-स्पोर्ट्स' और 'ऑनलाइन सोशल गेमिंग' को बढ़ावा देना चाहती है, इनके लिए एक प्राधिकरण बनाए जाएंगे। विधेयक में ऑनलाइन 'मनी गेमिंग' या उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने और इन्हें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों के प्रावधान हैं। यह विधेयक सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। विधेयक में किसी कम्प्यूटर, मोबाइल उपकरण या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन 'मनी गेम' के प्रस्ताव, संचालन, सरलीकरण, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी को निषिद्ध किया गया है, विशेषकर जहां ऐसे क्रियाकलाप राज्य की सीमाओं के पार या विदेश से संचालित होते हैं। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपये से अधिक टैक्स का योगदान देता है। करीब 25 हजार करोड़ का एफडीआई इस उद्योग में आता है। प्रतिबंध के बाद सरकार को 20 हजार करोड़ का सालाना टैक्स घाटा हो सकता है। देश में 1100 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हैं, जिसमें 400 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। ऐसे में गेमिंग उद्योग का विनियमन होना ही चाहिए।

कूटनीति
विकेश कुमार बडोला

चीन से रिश्ते सुधारें पर सचेत भी रहें

भारत-अमेरिका के मध्य व्यापारिक अनुबंध पर अंतिम समझौता न होने तथा प्रतिकार में अमेरिका की ओर से व्यापार-शुल्क को पचास प्रतिशत तक करने की चेतावनी के परिदृश्य में चीन अत्यंत सक्रिय है। उसकी ओर से भारत पर अमेरिकी शुल्क वृद्धि को अनेक पदाधिकारिक स्तर पर अनुचित ठहराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। चीन के साथ पारस्परिक संबंधों को सुलझाने के साथ भारत को उसके प्रति अपनी कूटनीतिक एवं रणनीतिक दृष्टि को भी जागरूक व सचेत रखने की अत्यंत आवश्यकता है।

भारत-अमेरिका के मध्य व्यापारिक अनुबंध पर अंतिम समझौता न होने तथा प्रतिकार में अमेरिका की ओर से व्यापार-शुल्क को पचास प्रतिशत तक करने की चेतावनी के परिदृश्य में चीन अत्यंत सक्रिय है। उसकी ओर से भारत पर अमेरिकी शुल्क वृद्धि को अनेक पदाधिकारिक स्तर पर अनुचित ठहराया गया है। उसके विदेश मंत्री, व्यापार मंत्री तथा भारत में स्थित राजदूत द्वारा भारत पर अमेरिकी शुल्क अत्याचार का प्रत्यक्ष विरोध किया गया। ऐसी परिस्थितियों में संभावना के अनुरूप भारत ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होंगे।

इस घोषणा से पहले भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिकी शुल्क के विरोध में रूस व चीन के साथ मिलकर शुल्क प्रतिरोधी तंत्र बनाने के उद्देश्य से इन दोनों देशों की आपात यात्रा कर चुके हैं। उधर रूस-यूक्रेन के मध्य तीन वर्षों से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करने की योजना से पश्चिमी अमेरिकी क्षेत्र अलास्का में पुतिन के साथ ट्रंप की भेंट में भी रूसी राष्ट्रपति की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति को संकेतों में समझा दिया गया है कि भारत के विरुद्ध उनका व्यापारिक दृष्टिकोण आवश्यकता से अधिक कठोर है। इसी विषय क्रम में 19 अगस्त को नई दिल्ली में अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ दोनों देशों की सीमाओं के प्रकरण पर गठित विशेष प्रतिनिधियों के समूह की 24वें चरण की बैठक में सीमा विवाद के साथ-साथ पारस्परिक व्यापार संबंधों को पुनः सामान्य स्तर तक क्रियान्वित करने के परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श किया। बैठक में डोभाल ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा विवाद की समाप्ति के बाद दोनों देशों के मध्य सीमाओं पर शांति व स्थिरता बनी हुई है। उनके अनुसार विगत नौ माह में हमारे पारस्परिक संबंधों में भी सुधार हुआ है, द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ़ हुए हैं और अक्टूबर 2024 में कजान में मोदी व शी जिनपिंग की भेंट से परस्पर संबंध अप्रत्याशित ढंग से स्वस्थ हुए हैं, जिस कारण विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर सहयोग व सहायता की संधियों की दिशादृष्टि परिलक्षित हुई है।

इस आलोक में चीन ने भारत को दुर्लभ भूमि खनिजों, उर्वरकों एवं सुरंग निर्माणन मशीनों की आपूर्ति के संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। वांग यी ने अपने समकक्ष एस. जयशंकर को इस संबंध में आधिकारिक रूप में आश्वस्त किया है। ऐसे खनिज उच्च-स्तरीय तकनीक से संबद्ध उत्पादों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), ड्रोन व बैटरी स्टोरेज हेतु अति महत्वपूर्ण हैं। चीन ऐसे खनिजों की 70 प्रतिशत वैश्विक आपूर्ति करता है। भारत के लिए यह खनिज सामरिक, डिजिटल एवं यांत्रिक नवोन्नति के लिए अत्यावश्यक हैं। भारत 2023 से चीन से उर्वरकों का अधि मात्रा में आयात कर रहा था, किंतु 2024 में चीन ने विश्व के अनेक देशों को इनकी आपूर्ति रोक दी। अपने भारत प्रवास की समयावधि में वांग यी ने प्रधानमंत्री से भी भेंटवार्ता की। प्रत्यक्ष रूप में तो यह भारत और चीन के संबंधों के लिए एक अनुकूल समय प्रतीत हो रहा है, परंतु आगे व्यावहारिकता के स्तर पर क्या-क्या घटित होगा यह तो

भविष्य में ही पता चलेगा। आधुनिक युग में विभिन्न देशों के मध्य कूटनीतिक संबंध स्थायी एवं दीर्घकालिक आधार पर संतुलित नहीं रह सकते। ऐसा मानने का सिद्ध कारण भारत और अमेरिका के मध्य गत फरवरी से असहज होते पारस्परिक संबंध हैं।

रिपब्लिकन राजनीतिक दल के जिस राष्ट्रपति ट्रंप को राजनीति की विचारधारा के स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के समान ही माना गया था तथा अपने प्रथम कार्यकाल में उन्होंने ऐसी समानता को भारत के साथ सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपन्न उत्तरदायित्व से पूर्ण अपने निर्णयों-कार्यों से सिद्ध भी किया था, अपने द्वितीय कार्यकाल में वे विश्व व विशेषकर भारत के लिए इतने जटिल सिद्ध हो जायेंगे, इसकी उसके समर्थकों ने कल्पना भी नहीं की थी। विगत एक दशक में दक्षिण एशिया क्षेत्र एवं दक्षिणी समुद्र में चीन के अवैध व अतिक्रामक प्रभाव को नियंत्रित करने के ध्येय के साथ अमेरिका ने द्विपक्षीय रूप में भारत के संग तथा बहुपक्षीय रूप में भारत, आस्ट्रेलिया एवं जापान की सहभागिता से साकार क्वॉड में भी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया था। तब प्रतीत हुआ था कि दक्षिण एशिया में विद्यमान दुनिया के द्वितीय शक्तिशाली देश चीन के चहुंदिश अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु क्वॉड समूह भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगा तथा इसमें भारत की कार्यकारी भूमिका अग्रणी होगी। सन् 2019 से लेकर 2022 तक कोरोना की उत्पत्ति के लिए अमेरिकी नेतृत्व में चीन पर ही प्रामाणिक दोषारोपण किया गया था। तत्समय कोरोना उत्सर्जन एवं प्रसारण के दोषी के रूप में चीन पूरे विश्व में अति संदिग्ध देश बन गया था।

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक परिव्याप्त हिमालयी भूक्षेत्र की अनेक सीमाओं पर भारत के साथ भूमि विवाद के कारण भी चीन अतिक्रमणकारी देश बना हुआ था। दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत न्यून क्षेत्रफल एवं जनसंख्या वाले देशों की सीमावर्ती भूमि पर व समुद्र में भी चीन की अनुचित गतिविधियां निरंतर होती रही थीं। चीन की ऐसी गतिविधियों के क्रम में भारत के साथ गलवान घाटी की सीमा पर हुई दोनों देशों के सेनाकर्मियों की झड़प के बाद तो गत चार वर्ष से चीन के साथ भारत के संबंध हर क्षेत्र में अत्यंत सीमित हो गये थे। गलवान संघर्ष के प्रतिरोध में भारतीय शासन और लोग दोनों सक्रिय हुए।

शासन ने चीन के साथ सामान्य व्यापार अवरुद्ध कर दिया तो लोगों ने चीन द्वारा निर्मित उत्पादों का बहिष्कार आरंभ कर दिया। विगत चार वर्षों से चीन के साथ भारत के संबंध कठोरता की सीमा तक विकृत हो गये थे। पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान पर भारत के प्रहार की समयावधि में चीन ने तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान की सामरिक सहायता की थी। इस कारण भी भारत व चीन के संबंधों में अलगाव बढ़ गया था। किंतु अब वातावरण परिवर्तित हुआ है। अमेरिका के साथ अस्वस्थ चल रहे भारत के संबंध और इस स्थिति में दृष्टिगोचर भारत की राजनयिक तटस्थता, अडिगता एवं निर्भयता को भांपकर चीन ने भारत के साथ ठहरे, निष्क्रिय व उलझे हुए अपने संबंधों को स्वस्थ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। अब आगे यही आशा की जाये कि विविध क्षेत्रों में भारत और चीन के पारस्परिक संबंध विश्वास एवं निष्ठा के आधार पर दीर्घकाल तक सशक्त बने रहें। दोनों देशों और देशों के लोगों के सुख, शांति व संतुष्टि के लिए न केवल भारत व चीन, अपितु दुनिया के सभी देशों के मध्य स्वस्थ एवं संतुलित संबंध ही स्थापित रहने चाहिए। चीन के साथ पारस्परिक संबंधों को सुलझाने के साथ-साथ भारत को उसके प्रति अपनी कूटनीतिक एवं रणनीतिक दृष्टि को भी जागरूक व सचेत रखने की अत्यंत आवश्यकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

विमर्श
अखिलेश आर्येन्दु

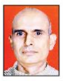

न्याय सबको, समय पर और बिना भेदभाव मिलना चुनौती

दुनिया में नर संहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध को रोकना मानवतावादियों के लिए चुनौती रही है। इन्हें रोकने की तमाम कवायदें चलती रहने के बावजूद इन्हें रोकना संभव नहीं हो पाया है। इन्हें रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई। 17 जुलाई 1998 को 120 देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि नामक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए। तब से स्थापना को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रूप में जाने जाना लगा, जो 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ। पिछले 22 वर्षों में दुनिया में न्याय के क्षेत्र में तमाम बदलाव आए हैं। नरसंहार मानवीय मूल्य के हनन, मानवता के खिलाफ दुनिया में चलाए जा रहे तमाम षड्यंत्रों को विफल करने में इस संस्था की भूमिका अत्यंत्र महत्वपूर्ण हो गयी है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना के पीछे नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ किये जा रहे अपराधों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के निर्णयों का समर्थन करना भी है। विश्व अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में एक वैश्विक प्रयास के रूप में देखा और समझा जाता है। 2010 में राज्य दलों की सभा ने संविधि की समीक्षा सम्मेलन में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निश्चय किया। तब से लगातार 17 जुलाई को हर साल इसे मनाया जा रहा है। दुनिया में न्याय के समर्थकों को एकजुट करना और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना इस दिवस के मनाने के पीछे की खास वजह रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों, संगठनों और व्यक्तियों से एक से ज्यादा न्यायपूर्ण और समतापूर्ण विश्व के लिए मिलकर काम करने और दुनिया में शांति, सुरक्षा और सर्वहित के खतरा बनें अपराधियों के खिलाफ मानवतावादियों की एकजुटता का यह पहल कई नजरिए से खास कही जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज की जरूरत आज विश्व समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। एक सर्व सहमति से समझ बनाने की जरूरत है जो आतंक, नर संहार और गैर इंसानी गतिविधियों के शिकार हो हलाकानी झेलने के लिए अभिश्रप्त हैं। विश्व समाज आज जिस डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर है, वह कई दुश्वारियां को झेलने के लिए भी मजबूर है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोशिशों की भूमिका खास मायने रखती है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें हर साल अधिक न्यायपूर्ण, अधिक समतापूर्ण समाज बनाने की जरूरत को याद दिलाता है। समाज को समर्थ बनाने की दिशा में इस दिवस की महत्ता खास है, साथ ही समाज से असमानता, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार होना भी है। आज जरूरी है कि विश्व समाज में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और कानूनी न्याय बगैर किसी भेदभाव, देरी और निष्पक्ष सभी को न्याय मिले। मौजूदा दौर में दुनिया के ज्यादातर देशों में सामाजिक, आर्थिक और कानूनी न्याय समय और बगैर किसी भेदभाव के मिलना दूभर हो गया है। जातिगत, वर्गगत और क्षेत्रगत जैसे भेदभाव को मिटाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया में जिन गैर इंसानी कवायदों से सामाजिक जिंदगी में तनाव और दुश्वारियां बढ़ी हैं उनमें अन्याय प्रमुख है। न्यायालयों से मिलने वाला न्याय ज्यादातर इतनी देर से मिलता है कि वह अन्याय से ज्यादा परेशान करने वाला होता है। इसलिए वक्त और अधिकार की सीमा में न्याय सबको मिले, यह सुनिश्चित किया जा सकता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले हों या भेदभावों की वजह से जुल्मोसितम सह रहा व्यक्ति हो, पुलिस के जुल्म का मामला हो या परिवार में हिंसा का मामला हो, न्याय सहज रूप से प्रताड़ित को बगैर किसी देरी के मिले, यह भी न्याय दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। विकासशील देशों में ही अन्याय के मामले ज्यादा नहीं हैं बल्कि विकसित देशों में अन्याय से पीड़ित लाखों की तादाद में लोग हैं। भारत में करोड़ों की तादाद में न्यायालयों में मुकदमें लम्बित हैं। करोड़ों मुकदमों का फैसला तब आता है जब वादी या प्रतिवादी इस दुनिया से ही रुख्सत हो चुके होते हैं। न्याय दिवस अन्य दिवसों की तरह आए और चला जाए, ऐसा इस दिवस के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि बगैर किसी भेदभाव के न्याय दिलवाने और समय से दिलवाने के लिए विश्व स्तर पर सामूहिक प्रयास तो होने ही चाहिए। संविधि में शामिल सभी देशों को एक मत से इस बात पर गौर करना चाहिए की सभी देशों में न्याय बगैर किसी भेदभाव और समय के अंदर मिले। इससे इस दिवस की प्रासंगिकता और महत्व बढ़ भी जाएगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

योग के सभी सूत्र सुदृढ़ मानव जीवन की आधारशिला

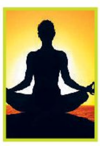

संकलित
दर्शन

योग प्राचीन काल से भारतीय आध्यात्मिक संचेतना का केंद्र रहा है। इसके आदिम सूत्रधार परमयोगी भगवान शिव हैं। योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता रहा है। समाधि अर्थ में इसका प्रयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए किया जाता है, जब साधक अपनी साधना की चरमावस्था में परमात्मा से एकाकार होकर उसका साक्षात्कार कर लेता है। अग्निपुराण में भी मन एवं आत्मा तथा आत्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा गया। सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष का भेद होने पर भी पुरुष का आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना योग कहलाता है। कठोपनिषद् के अनुसार, जब इंद्रियां मन के साथ और मन अविचल बुद्धि के साथ स्थिर हो जाता है तो यह अवस्था योग की होती है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने 'योगः कर्मसु कौशलम्' कहकर योग का जो स्वरूप अजरुन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह सामान्य जन के सर्वाधिक निकट है। कोई भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए योग को सिद्ध कर सकता है। योगसूत्र के प्रणोता महर्षि पतंजलि संयमन अर्थ में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उनके अनुसार यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा आदि आठ अंगों से संपन्न प्राणायाम की विविध क्रियाएं योग कहलाती हैं। इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। बुद्धि में स्थिरता आती है। चिंतन उत्कृष्ट होता है। मन में सद्विचारों का उदय होता है। नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। परिणामतः आत्मिक और शारीरिक शक्तियों में वृद्धि होती है।

बिना चिंतन के कीर्तन का कोई लाभ नहीं

संकलित
प्रेरणा

राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भागवत की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जायगा। राजा ने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी भागवत सुनाने के लिये तैयार हो गये। निश्चित समय पर भागवत-कथा आरम्भ हुई। सात दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पण्डितजी को बुलाया और कहा: पण्डित जी ! न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, न मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बात क्या है? पण्डित जी ने कहा- महाराज! इसका उत्तर तो मेरे गुरु जी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा- आप अपने गुरुजी को आदरपूर्वक मेरे यहां ले आयें, हम उनसे पूछेंगे। राजा ने अपनी शंका गुरु जी के सामने रखी कि, भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? गुरूजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिये मुझे अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरु जी ने आदेश दिया कि राजा और पण्डित जी दोनों को बाँध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरूजी ने पण्डित जी से कहा कि, तुम राजा को खोल दो। और राजा से कहा: तुम पण्डित जी को खोल दो। दोनों ने उत्तर दिया की हम बंधे है कैसे एक दूसरे को खोल सकते हैं। गुरु जी ने कहा- महाराज! मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया! राजा ने कहा- मैं समझा नहीं! गुरुजी बोले- जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को बन्धन-मुक्त नहीं कर सकता है, वैसे ही स्वयं ज्ञान को अपने अनुभव में उतारे बिना कोई दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है?

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

अंतर्मन

आज की पाती

छोटे डंक, घातक बीमारियां

मच्छर पूरी दुनिया में बीमारियों के सबसे बड़े वाहक होते हैं, जिनके काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका वायरस इत्यादि जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू और मलेरिया इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, जो कई मामलों में जानलेवा साबित होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में मच्छरों के काटने के कारण अफ्रीका में सर्वाधिक मौतें हुई थी। दुनिया के कई हिस्सों में मच्छरों के काटने से होने वाली मौतें आज भी गंभीर चिंता का कारण हैं। इसीलिए मच्छरों से होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और बचाव के उपायों के बारे में बताने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 20 अगस्त को एक खास विषय के साथ विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। *- राकेश दुबे, बलौदा बाजार*

ट्रेंड

राधाकृष्णन का स्वागत

उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करते समय थिरु सी.पी. राधाकृष्णन के साथ मंत्रियों, पार्टी सहयोगियों और एनडीए नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। एनडीए परिवार को विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कांग्रेस को मिर्ची लगी

जेल से सरकार चलाने वाले नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार ने शिकंजा कसने के लिए सदन में विधेयक रखा। इसके अंतर्गत 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उनका पद चला जाएगा। यह विधेयक सदन में आते ही जाने क्यों कांग्रेस को मिर्ची लग गई।

- डॉ. मेधा कुलकर्णी, सांसद राज्यसभा

राष्ट्र सेविका समिति

आज मेरे आवास पर 'राष्ट्र सेविका समिति' महिला शाखा का आयोजन हुआ। हम सब मिलकर सनातन मूल्यों, हिन्दू संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को और प्रखर बनाएंगे। महिलाओं की जागरूकता और सहभागिता ही राष्ट्र को सशक्त बनाती है।

- कंगना रनौत, सांसद, भाजपा

शपथपत्रों का जवाब

उप्र में 2022 के विधानसभा चुनावों में नाम काटने को लेकर हमने जो 18000 शपथपत्र दिये थे, भाजपा सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से देना नहीं चाहती है। जिलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता।

- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

आस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया होगा बैन

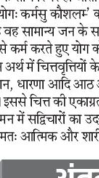

आगामी चार महीनों में ऑस्ट्रेलिया में लागू होने जा रहे एक कानून के तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर), रेडिट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंच का उपयोग करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। संघीय सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को 10 दिसंबर तक इन नाबालिग उपयोगकर्ताओं के सोशल मीडिया खातों को हटाने और आयु सत्यापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन्हें नए खाते बनाने से रोकने के लिए "उचित कदम" उठाने होंगे। इस कानून के तहत माता-पिता की अनुमति से भी बच्चों को इन सोशल मीडिया मंचों तक पहुंच नहीं दी जा सकेगी। विवाद जारी, लेकिन प्रतिबंध तय इस फैसले को लेकर संभावित लाभ और नुकसान को लेकर देशभर में तीखी बहस हो रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवा स्वयं को व्यक्त करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं और सामाजिक जुड़ाव महसूस करते हैं। एक ऐसे समाज में, जहां हर पांच में से दो बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं, यह जुड़ाव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, सोशल मीडिया की लत और इसका आनंद उठा पाने से वंचित रह जाने का अंदेशा बच्चों को इन सोशल मीडिया मंचों पर अत्यधिक समय बिताने के लिए प्रेरित करता है।

ऑफ बीट

सिर्फ कैलोरी पर नजर रखना जरूरी नहीं

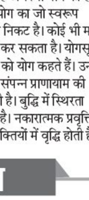

वजन-समावेशी स्वास्थ्य देखभाल का अर्थ है बेहतर स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें वजन घटाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कैलोरी की संख्या के बजाय समग्र कल्याण के लिए भोजन करने जैसी प्रथाएं शामिल हैं। इसमें तनाव कम करने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता देना, धूम्रपान से बचना, कम शराब पीना और आनंददायक तरीकों से शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का प्रयास करना भी शामिल हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति वजन-समावेशी दृष्टिकोण वजन बढ़ने से होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास करता है। अधिक वजन वाले लोग अक्सर दूसरों से - जिनमें उनके अपने डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता भी शामिल हैं - भेदभाव, पूर्वाग्रह, नकारात्मक रूढ़िवादिता और अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करते हैं विभिन्न आकारों के 40% से अधिक अमेरिकी वयस्कों ने अपने दैनिक जीवन में वजन संबंधी अपमान का अनुभव किया है। अमेरिका में लोग वजन कम करने के लिए जिस हद तक जाते हैं, उसके पीछे संभवत: इस अपमान से बचना एक प्रमुख कारण है। बाजार के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकियों ने 2021 में वजन घटाने के उत्पादों और कार्यक्रमों पर लगभग 72.6 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए।

21 hindi nd-06_page 02.qxd 8/20/2025 7:02 PM Page 1

बारिश से तबाही

जान-माल का नुकसान

वही पुरानी कहानी। हर साल मानसून का बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है, खेतों की सिंचाई के लिए पानी, पेयजल आपूर्ति की पूर्ति, गर्मी से राहत और भूजल स्तर को फिर से ऊपर उठाना, लेकिन जब यह आता है तो अपने साथ दुख और कठिनाइयां भी लाता है, भारी बारिश बाढ़ का कारण बनती है जिससे जान-माल का नुकसान होता है, लोग बेघर होते हैं और बीमारियां होती हैं। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है, मानसून अनिश्चित, अप्रत्याशित और ज्यादा घातक होता जा रहा है। इस साल यह काफी कठोर रहा है। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बादल फटने से सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और कई राज्य प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने कस्बों और गांवों, खासकर मंडी और कुल्लू में, को तबाह कर दिया है, जहां 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सड़कें, पुल और घर बह गए हैं, और राज्य का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कटा हुआ है, जिससे बचाव दल को बचे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी में, यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे निचली बस्तियों में पानी भर गया है और परिवारों को अस्थायी आश्रय स्थलों में धकेल दिया गया है, जबकि अधिकारी बढ़ते पानी को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है, जिसमें कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 200 लोग लापता हैं, जिनके फंसे होने या बह जाने की आशंका है। महाराष्ट्र में भी व्यापक तबाही देखी गई है, नांदेड़ में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे घर नष्ट हो गए और कई लोग घायल हो गए।

मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि सबसे बुरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरे उत्तर और मध्य भारत में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। गंगा और यमुना बेसिन की नदियाँ खतरनाक रूप से उफान पर हैं, जबकि पहाड़ी राज्य आगे भी भूस्खलन और बादल फटने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बने हुए हैं। निचले और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए, निकासी जीवन रक्षा का प्रश्न बन गई है, और अधिकारी लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया अभियान चलाया है, सेना की टुकड़ियां और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं। भोजन के पैकेट, अस्थायी आश्रय और चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की गई है, साथ ही पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मानसून का प्रकोप कोई दुर्लभ घटना नहीं, बल्कि बार-बार होने वाली घटना है, फिर भी एक राष्ट्र के रूप में हमने इससे निपटने के लिए बहुत कम प्रयास किए हैं। यह सच है कि इसे पूरी तरह से रोकना संभव नहीं हो सकता है, फिर भी इसके प्रभाव को कम करना पूरी तरह संभव है। पिछले कुछ वर्षों में हुए विनाश के पैमाने ने मजबूत आपदा तैयारियों की आवश्यकता को उजागर किया है।

यद्यपि चरम मौसम की घटनाएं उपमहाद्वीप के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हैं, उनकी बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे, टिकाऊ शहरी नियोजन और सामुदायिक स्तर की तैयारियों की तात्कालिकता को उजागर करती है। मानसून प्रकृति का उपहार हो सकता है, लेकिन यह प्रकृति की असीम शक्ति की एक मजबूत याद दिलाता है - और हमें समझदारी से अनुकूलन करने की आवश्यकता है।

भुला दिये गए युद्ध और अपूर्ण स्मारक

जबकि कोलंबो में आईपीकेएफ स्थल जैसे स्मारक विदेशों में भारतीय सैनिकों के बलिदान को संरक्षित करते हैं, घर पर इसी तरह की मान्यता का अभाव इस विरोधाभास को दर्शाता है कि भारत किस तरह क्षेत्रीय नेतृत्व की वेदी पर बहादुरों के बलिदान का सम्मान करता है।

अशोक के मेहता
लेखक, सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं।

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने के दौरान भारत की सामरिक संप्रभुता (स्वायत्तता) का ज़िक्र किया और साथ ही, एक गैर-संपर्क अघोषित युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर का सम्मान किया। ब्रिटेन ने नेपाल और थाईलैंड को छोड़कर, जो उपनिवेश नहीं थे, पूरे दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया पर शासन किया था।

दोनों ही वंशानुगत राज्य थे। भारत को स्वतंत्रता के बाद दक्षिण एशिया पर प्रभाव डालने के लिए बौद्धिक और सैन्य साधनों के बिना ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के आडंबर विरासत में मिले, हालांकि यह माना जाता था कि व्युत्पन्न अधिकार बरकरार है और उसका सम्मान किया जाएगा। तिब्बत पहला हताहत हुआ, भले ही ब्रिटिश जनरलों ने उस पर कब्जा करने की सिफारिश की थी, जिसे अव्यावहारिक बताया गया था, जिसकी भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी।

इसी तरह, चीन के साथ 1962 का युद्ध शक्ति के भ्रम और दुश्मन को पहचानने में विफलता के कारण हुआ था। दूसरी ओर, भारत हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर सहित 565 रियासतों को सफलतापूर्वक एकीकृत करने में सक्षम रहा, जिसके लिए अभियान बलों की आवश्यकता पड़ी। पुर्तगाली और डच उपनिवेशों को भी इसी तरह बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। कुल मिलाकर, रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा, हालाँकि सैन्य संसाधन कम हो गए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गए थे।

भारत की कूटनीति का पहला परीक्षण हिमालयी राज्यों नेपाल, सिक्किम और भूटान में हुआ, जहां 1949 और 1950 के बीच ब्रिटेन के साथ पूर्व समझौतों के आधार पर शांति और मैत्री संधियों पर फिर से बातचीत हुई। प्रत्येक राज्य की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के स्तर अलग-अलग थे।

भारत के प्रभाव का एक प्रारंभिक परीक्षण नेपाल में हुआ, जहां दिल्ली 1951 में राजशाही बहाल करने में सफल रही, और एक दशक बाद, भारत द्वारा प्रेरित लोकतंत्र के साथ काठमांडू का प्रयास विफल हो गया।

इन दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाओं में भारतीय सैनिक शामिल थे। 1990 के दशक की शुरूआत में, नेपाल ने काठमांडू में हवाई दुर्घटनाओं के पीड़ितों का पता लगाने में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का अनुरोध किया। माओवादी गृहयुद्ध के दशक के दौरान भारत पहला प्रतिक्रियादाता था, जिसने लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित की और माओवादियों को मुख्यधारा में लाया। आज, भारत सूर्य किरण श्रृंखला में बटालियन स्तर पर संयुक्त अभ्यास करता है, जो किसी भी देश के साथ प्रशिक्षण का उच्चतम स्तर है।

1970-71 में, भारत को पूर्वी पाकिस्तान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि एक नए देश, बांग्लादेश, का निर्माण हो सके, जिसे अपने मूल देश पाकिस्तान से इस्लामी कट्टरवाद और समय-समय पर सैन्य शासन की विशेषताएँ विरासत में मिलीं। अपनी तीसरी क्रांति के बाद, ढाका एक और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसकी रूपरेखा अभी भी अनिश्चित है। लोकतंत्र की बहाली के लिए 3,483 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो अंततः राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि लाने में विफल रही। 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत को भारत ने राजनीतिक रूप से विफल कर दिया, जिससे यह दिल्ली की जीत बन गई।

फिर भी, शेख हसीना सरकार ब्राह्मणबाड़ी के आशुगंज में एक स्मारक बनाने में सफल रही, जिसकी आधारशिला मार्च 2021 में रखी गई। प्रधान मंत्री हसीना और मोदी को 2025 की शुरूआत में इसका उद्घाटन करना था, लेकिन घटनाक्रम कुछ और ही था।

मालदीव में भारत के ऑपरेशन कैक्टस लिली ने 1988 में तमिल विद्रोहियों द्वारा सत्ता परिवर्तन को रोका। माले में इस घटना की स्मृति में कोई प्रतीकात्मक संरचना नहीं है। दूसरी ओर, भारत-मालदीव संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन श्रीलंका के पड़ोसी कोलंबो में, भारत ऑपरेशन पवन के दौरान अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा है, जिसमें आईपीकेएफ द्वीप के उत्तर-पूर्व में लिट्टे को काफी कमजोर करने में कामयाब रहा। राष्ट्रपति, प्रांतीय (पहली बार) और संसदीय चुनाव कराने में मदद करके, आईपीकेएफ ने उत्तर-पूर्व में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की।

कोलंबो में आईपीकेएफ स्मारक के निर्माण की कहानी अज्ञात है, और जो थोड़ी-बहुत जानकारी है वह अनुमान पर आधारित है। आईपीकेएफ स्मारक मुख्यतः राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने लिट्टे से लड़ने के बदले में भारत से मिग-29 विमान की अपेक्षा की थी। स्मारक का राजनीतिक विरोध बौद्ध धर्मगुरुओं और दोनों मुख्यधारा के राजनीतिक दलों, एसएलएफपी और यूएनपी के सदस्यों द्वारा किया गया था।

स्मारक के लिए आधारभूत कार्य पूर्व सीडीएस और नौसेना कमांडर एडमिरल रवि विजेगुणरत्ने ने किया था, जब वे दिल्ली में रक्षा सलाहकार थे। 2001 में, लेफ्टिनेंट जनरल लियोनेल बल्लागले ने दिल्ली का दौरा किया, जहां बैटल ऑनर्स मेस में उन्होंने घोषणा की कि श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में भारतीय सेना द्वारा किए गए बलिदानों को संजोने के लिए आईपीकेएफ स्मारक बनाने का निर्णय लिया है, जबकि मुक्ति संग्राम के बाद ढाका में ऐसा कोई विचार कभी नहीं उठाया गया था।

लेकिन स्मारक के बारे में चर्चा 1990 के दशक में शुरू हो गई थी, हालांकि राजनीतिक विरोध पर काबू पाना और उपयुक्त भूमि का पता लगाना मुख्य बाधाएं थीं। पहले एक स्थान पर विचार किया गया था जो कोलंबो के मध्य में, द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक के पास था, जिसे कभी मंजूरी नहीं मिली।

एडमिरल और मैंने देखा कि टर्फ का यह टुकड़ा काफी ऊंची घास से घिरा हुआ था। कोलंबो में भारतीय रक्षा सलाहकार के सहयोग और समन्वय में श्रीलंकाई नौसेना के वास्तुकारों और नौसेना के इंजीनियरों को काम सौंपा गया था। इसमें कई जोड़ और घटाव किए गए, और स्मारक वर्ष 2008 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन 15 अगस्त, 2010 को भारतीय उच्चायुक्त अशोक कंठ ने किया।

तब से, कई लोगों ने 1,169 शहीदों को श्रद्धांजलि दी है जिनके नाम स्मारक पर अंकित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलंबो में आईपीकेएफ स्मारक पर दो बार पुष्पांजलि अर्पित कीः 13 मार्च 2015 और 5 अप्रैल, 2025। 2015 में, उन्होंने कहा थाः ₹आईपीकेएफ प्रेरणा और साहस का स्रोत है।₹ लेकिन दिल्ली में, यह एक अलग कहानी है। आईपीकेएफ के दिग्गजों को 24 मार्च को केवल एक मौन और समय-विशिष्ट स्मरणोत्सव की अनुमति है, जबकि ऑपरेशन विजय (कारगिल), जिसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक झड़प के रूप में वर्णित किया गया है, पूरे औपचारिक सम्मान के साथ मनाया जाता है।

अंतिम, पांचवां, मौन और निजी स्मरणोत्सव को मान्यता नहीं मिली। आईपीकेएफ का ऑपरेशन पवन स्मारक केवल कोलंबो में स्थित है (जाफना के पल्लाली में एक और छोटा स्मारक मौजूद है), हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे प्रेरणा और साहस का स्रोत बताया है। यह आश्चर्यजनक है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर इसका आधिकारिक रूप से स्मरण नहीं किया जाता।

नए उप-सेनानायक, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने ऑपरेशन पवन में 4 पैरा (विशेष बल) के साथ वीरतापूर्ण लड़ाइयों में भाग लेकर अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की, जिसमें वे घायल भी हुए। आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के आईपीकेएफ के पूर्व सैनिकों के अभियान का समर्थन करने के लिए वे सही व्यक्ति होंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

प्रतिरोधक स्वास्थ्यरक्षा का अर्थशास्त्र

निवारक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, हमें ऐसी सरकारी नीतियों की आवश्यकता है जो रोकथाम को प्रोत्साहित करें और जन जागरूकता फैलाएं, ऐसे कॉर्पोरेट कार्यक्रम जो रोकथाम में निवेश करें।

हिमा बिंदू कोटा
लेखिका, स्वास्थ्य तकनीक उद्यमी हैं।

इलाज से बेहतर रोकथाम है, इस कहावत से हर कोई वाकिफ है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से, बल्कि जेब के लिए भी फायदेमंद होता है। हालांकि, दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और समग्र आर्थिक उत्पादन में सुधार के संदर्भ में निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता, फिर भी हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में इसे उपेक्षित और अनदेखा किया जाता है।

हम भारतीय, स्वास्थ्य सेवा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत खर्च करते हैं। यह मामूली आवंटन भी केवल बीमारी आने पर ही देखभाल पर खर्च किया जाता है। यह हमारे समाज की एक पहचान बन गई है कि बीमारी को आने से रोकने के बजाय उसका सिर्फ प्रबंधन ही किया जाता है। यानी व्याधि के कारकों पर बल देने के बजाए व्यधिग्रस्त होने वालों की बीमारी को केवल नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जड़ से समाप्त करने का नहीं। बेहतर तो यही है कि बीमारी को आने ही न दिया जाए। हालांकि, बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत और गैर-संचारी रोगों की बढ़ती संख्या के साथ, निवारक स्वास्थ्य सेवा को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अब समय आ गया है कि भारत अपना ध्यान उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा से निवारक स्वास्थ्य प्रबंधन पर केंद्रित करे। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महंगी है और घरेलू बचत को नष्ट करती है, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता को कम करती है और पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य सेवा ढाँचे पर और अधिक बोझ डालती है।

गैर-संचारी रोग जंगली आग की तरह फैल रहे हैं, जहाँ देश में होने वाली सभी मौतों में से 63 प्रतिशत मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कैंसर जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों के कारण होती हैं। भारत में मधुमेह रोगियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। मधुमेह के प्रबंधन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत प्रति वर्ष 1.5 लाख करोड़ से अधिक है।

इसी प्रकार, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, जो हर साल 75,000 से अधिक भारतीय महिलाओं की जान लेता है, पूरी तरह से रोके जा सकने वाली बीमारी का एक और उदाहरण है। निवारक स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा की समग्र लागत की तुलना करने पर आँकड़े स्वयं ही अपनी बात कहते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परामर्श आईएमआरए के अनुसार, भारत में 10 करोड़ मधुमेह रोगी हैं। यदि एक औसत भारतीय मधुमेह के प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष लगभग 10,000 खर्च करता है, तो यह भारत द्वारा मधुमेह पर प्रत्यक्ष खर्च में 1 ट्रिलियन की भारी राशि के बराबर है। हालाँकि, इसमें रोगियों और देखभाल करने वालों के कार्य दिवसों के नुकसान और संभवतः समय से पहले सेवानिवृत्ति के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान शामिल नहीं हैं।

जहाँ उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा महंगी है, वहीं दूसरी ओर, निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (हल्ड) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत जैसे विकासशील देशों में, निवारक स्वास्थ्य सेवा में निवेश किया गया प्रत्येक 1 डॉलर 7 डॉलर का आर्थिक लाभ दे सकता है।

ये लाभ दवाओं की कम लागत और कम बीमार दिनों के कारण अस्पताल जाने से बचने से उत्पादकता में सुधार के कारण आते हैं। आइए केरल के हृदय रोग निवारण अभियान, विशेष रूप से के-डीपीपी का उदाहरण लें, जिसने हृदय रोगों के बोझ को काफी कम किया और उल्लेखनीय आर्थिक लाभ दिखाए। इसके परिणामस्वरूप 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रतिभागियों में 10 वर्षों के हृदय रोग के जोखिम में 32 प्रतिशत की कमी आई। यदि निवारक स्वास्थ्य सेवा समग्र समाज के लिए लाभदायक है, तो इसे अभी भी उपेक्षित क्यों किया जाता है? इसका उत्तर व्यवहारिक अर्थशास्त्र में निहित है।

निवारक स्वास्थ्य सेवा को वर्तमान पूर्वाग्रह की प्रवृत्ति के कारण नजरअंदाज किया जाता है। लोग तात्कालिक लाभों (अभी पैसे की बचत) को ज्यादा महत्व देते हैं और दीर्घकालिक लाभों (शीघ्र पहचान, भविष्य के स्वास्थ्य खर्चों या बीमारी की रोकथाम) को कम महत्व देते हैं। हालाँकि जाँच से भविष्य में चिकित्सा उपचारों की ऊँची लागत और संभावित जटिलताओं से बचा जा सकता है, लेकिन आज खर्च करने का दर्द ज्यादा गंभीर लगता है। कहानी का एक और पहलू स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के दृष्टिकोण से है।

उनके लिए रोकथाम अल्पावधि में लाभदायक नहीं है। किसी अस्पताल का राजस्व सर्जरी, लैब टेस्ट, अस्पताल में रहने, दवाइयों और अनुवर्ती मुलाकातों जैसे उपचारों से आता है, न कि रोकथाम से। परामर्श और जीवनशैली कोचिंग जैसी निवारक देखभाल का बिल कम होता है। इसके अलावा, किसी ऐसी चीज को, जो मूर्त नहीं है, जैसे दिल का दौरा पड़ने से रोकना, एक सफल बाईपास सर्जरी जैसे दृश्यमान, मापनीय परिणाम की तुलना में अधिक महत्व देना मुश्किल है। इसलिए, पूरा तंत्र रोकथाम के बजाय उपचार की ओर ज्यादा झुका हुआ है।

निवारक स्वास्थ्य सेवा का अर्थशास्त्र विशिष्ट और स्पष्ट हैः लोगों को बीमार पड़ने पर उनका इलाज करने की तुलना में उन्हें स्वस्थ रखना सस्ता है। हालाँकि, सस्ता होने के बावजूद इसका कम उपयोग होता है क्योंकि लोग भविष्य के लाभों की तुलना में तत्काल बचत को प्राथमिकता देते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां बीमारी की रोकथाम की तुलना में उसके इलाज से अधिक लाभ कमाती हैं, और रोकथाम में न तो तात्कालिकता होती है और न ही स्पष्ट परिणाम दिखाई देते हैं। कम जागरूकता, व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह और कमजोर प्रोत्साहन, रोकथाम को रोगियों और प्रदाताओं दोनों के लिए मुश्किल बना देते हैं।

निवारक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, हमें ऐसी सरकारी नीतियों की आवश्यकता है जो रोकथाम को प्रोत्साहित करें और जन जागरूकता फैलाएं, ऐसे कॉर्पोरेट कार्यक्रम जो रोकथाम में निवेश करें, और जाँच के लिए बीमा कवरेज। समाज को स्वास्थ्य प्रबंधन में सक्रिय रूप से मदद करना न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत फायदेमंद है। आखिरकार, अगर हम अपने लोगों को महत्व देते हैं, तो हमें उनके बीमार पड़ने से पहले ही उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, बाद में नहीं।

आप की बात

सायबर ठगी से बचें

आज जब सरकार लगातार दिशा-निर्देश, अलर्ट और जागरूकता अभियान चला रही है, तब भी आम नागरिक साइबर अपराधियों के जाल में फंस रहा है। इसका मूल कारण है, आम जन के स्तर पर आवश्यक जानकारी और सतर्कता का अभाव। यदि कोई व्यक्ति बैंक, बीमा कंपनी, पार्सल सेवा या खुद को सरकारी अधिकारी बताकर डराने-धमकाने की कोशिश करे, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। यह आज के दौर में चल रही साइबर ठगों की एक आम रणनीति है। कभी भी साझा न करेंः -अपना आधार नंबर , पैन नंबर, बैंक खाते का विवरण,ओटीपी डेबिट/क्रेडिट कार्ड की जानकारी। यदि कोई किसी समय धोखाधड़ी का शिकार हो भी जाएं या संदेह हो, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। अब इस नंबर पर कॉल करने से ई-एफआईआर भी ऑनलाइन दर्ज हो जाती है, जिससे कार्रवाई में तेजी आती है। लालच, डर या जल्दबाजी से बचें। गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करना भी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कई बार फर्जी नंबर ऊपर दिख जाते हैं। सही तरीका संबंधित कंपनी का आधिकारिक ऐप या वेबसाइट ही सबसे सुरक्षित माध्यम है। वहीं से सहायता लें, वहीं से संपर्क करें।

\- **भगवानदास छारिया**, सोमानी नगर, इंदौर

सुधार का कानून

केंद्र सरकार प्रस्तावित १३०वें संविधान संशोधन के जरिये नियम लागू करने जा रही है कि यदि ३० दिन जेल काटी तो फिर पीएम हो या सीएम अथवा कोई भी मनिस्टर तो उनका ३१वें दिन पद-मुक्त होना निश्चित है। सरकार का मानना है कि इससे राजनीति में अपराधों पर रोक लगेगी व उसमें सुचिता भी आएगी। जब कि विपक्ष का कहना है कि यह कानून सत्ता द्वारा विपक्षियों को निशाना बनाने का हथियार होगा, जिसका उपयोग मुख्यमंत्री-मंत्री आदि को जेल भेजने के लिए होगा और उन्हें पदों से हटाने में सत्ता को सरलता भी होगी। देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस हकीकत को मान गए थे कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। तब यदि सरकार बढ़ते राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए एक सशक्त बिल लाना चाह रही है तब विपक्ष को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए. जो अपराध करेगा फिर चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या उच्चपदेन सबके लिए कानून तो समान है ना. आम तौर पर भी माना जा रहा है कि देश में राजनीतिक, रसूखदारी के चलते भी आर्थिक, सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं. अगर राजनीति में या उसके अनावश्यक प्रभाव से होने वाले सामाजिक व आर्थिक अपराध कम होते हैं और देश में इस नए कानून से सुशासन स्थापित होने में मदद मिलती है तो इससे बेहतर राष्ट्रहित और क्या हो सकता है? ऐसे कानून का तो सभी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं को तहेदिल से स्वागत करना चाहिए।

\- **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर

सोना मानव सभ्यता के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। आभूषणों से लेकर उद्योगों तक, इसकी मांग लगातार बढ़ती रही है। लेकिन सोना निकालने की परंपरागत विधियां पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। सायनाइड और पारा जैसे जहरीले रसायनों का प्रयोग न केवल जल और मिट्टी को प्रदूषित करता है, बल्कि खनन क्षेत्रों के लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल देता है। भारी मशीनों और अंधाधुंध खनन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना एक अलग समस्या है। ऐसे में सवाल उठता है—क्या सोना निकालने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है, जो पर्यावरण और इंसान दोनों के लिए सुरक्षित हो? इसका जवाब हाल ही में सामने आया है। प्रतिष्ठित जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का शोध बताता है कि अब यह संभव है। उन्होंने एक ऐसी पर्यावरण-अनुकूल तकनीक विकसित की है, जिससे अयस्क और ई-कचरे से उच्च शुद्धता वाला सोना निकाला जा सकता है, वह भी बिना जहरीले रसायनों और बिना प्रदूषण के। इस विधि की खासियत यह है कि इसमें पानी में इस्तेमाल होने वाला सुरक्षित कीटाणुनाशक और साधारण सूरज की रोशनी का उपयोग किया जाता है। यानी न तो सायनाइड, न पारा और न ही भारी-भरकम मशीनों की जरूरत। इससे लागत भी कम आती है और प्रक्रिया कहीं अधिक टिकाऊ हो जाती है।

\- **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

चीन का नया रुख

चीन की नीति और नियत को लेकर भारत सहित अनेक देशों में संदेह और सतर्कता का भाव हमेशा बना रहा है। चीन प्रायः मित्रवत संबंधों और आर्थिक सहयोग की बात करता है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर उसकी नीतियों में विस्तारवाद और दबाव की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से झलकती आई है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिमालयी सीमा तक उसकी रणनीति यही रही है कि शक्ति और प्रभुत्व के दम पर दूसरों को झुकाया जाए। यही कारण है कि भारत-चीन संबंध बार-बार तनावग्रस्त होते रहे हैं। भारत ने साफ संकेत दिया है कि जब तक सीमा विवाद और घुसपैठ जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक आपसी सहयोग की राह कठिन बनी रहेगी। चीन का रवैया अक्सर ऐसा दिखता है कि वह आर्थिक साझेदारी का लाभ तो लेना चाहता है लेकिन सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर लचीलापन नहीं दिखाता। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत सावधानीपूर्वक अपने हितों की रक्षा कर रहा है और यह संदेश भी स्पष्ट कर रहा है कि चीन जैसी ताकतें किसी देश पर अपनी नीतियां थोप नहीं सकतीं। ऐसे में चीन की नीति और नियत पर विश्वास करना आसान नहीं बल्कि गहरी सतर्कता और रणनीतिक तैयारी की मांग करता है।

\- **अमृतलाल मारू रवि**, इन्दौर

दैनिक जागरण
एक सच कई झूठ बोलने से बचा लेता है

इतना हंगामा क्यों

गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने के प्रविधान वाले विधेयकों पर लोकसभा में विपक्ष का जरूरत से ज्यादा हंगामा समझ नहीं आया। यह अच्छा हुआ कि गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी ओर से इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया। कम से कम अब तो विपक्ष को विरोध के सुर थाम कर इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए, जिससे उच्च पदों पर बैठे लोगों की गंभीर मामलों में गिरफ्तारी अथवा उन्हें हिरासत में लिए जाने पर उनके लिए पद छोड़ना आवश्यक हो जाए? जो पहल की जा रही है, उसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार अथवा केंद्रशासित प्रदेशों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों को तब अपना पद छोड़ना होगा, जब उन्हें किसी संगीन मामले में गिरफ्तार किया जाता है अथवा हिरासत में लिया जाता है। यह रियायत दी गई है कि ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों को 30 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होगा। इस समयसीमा के अंदर इस्तीफा न देने पर उन्हें स्वतः पदमुक्त माना जाएगा। आखिर ऐसी किसी व्यवस्था में समस्या क्या है?

क्या इसकी अनदेखी कर दी जाए कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगते हैं और कई बार प्रथमदृष्ट्या वे सही भी दिखते हैं, लेकिन कोई इस्तीफा देने की पहल नहीं करता। एक समय ऐसा ही होता था। इस संदर्भ में गृहमंत्री अमित शाह ने स्वयं अपना उदाहरण दिया कि जब उन्हें गुजरात के मंत्री रहते गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। क्या ऐसा अन्य नेताओं को नहीं करना चाहिए? एक वक्त यही परंपरा थी और इसका निर्वाह कई नेताओं ने किया। बतौर उदाहरण लालकृष्ण आडवाणी ने जैन हवाला कांड में अपना नाम आने पर लोकसभा से त्यागपत्र देने के साथ यह घोषणा भी की थी कि जब तक वे दोषमुक्त नहीं हो जाते, तब तक संसद नहीं लौटेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसे उदाहरण कुछ और नेताओं ने भी प्रस्तुत किए। अब स्थिति यह है कि नेतागण गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने और जेल जाने पर भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं समझते। अब तो वे जेल से ही सरकार चलाने का दम भरते हैं और ऐसा कर भी चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही किया था। जमानत मिलने के बाद वे तब इस्तीफा देने को बाध्य हुए, जब बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए कार्य करना कठिन हो गया। क्या विपक्ष यह चाहता है कि राजनीति में शुचिता और नैतिकता की स्थापना के लिए कुछ भी न किया जाए?

अनुसंधान को धार

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए मोबाइल फारेंसिक वैन की उपलब्धता अपराध अनुसंधान में मील का पत्थर साबित होगी। उल्लेखनीय है कि समय के साथ अपराध के तौर तरीके बदले हैं। अदालतों में अपराधी के खिलाफ पैरवी में वैज्ञानिक साक्ष्य कारगर होते हैं। ऐसे में प्रदेश के हर जिले में दो फारेंसिक वैन हो जाने से अब वारदात के तुरंत बाद ही साक्ष्य संकलन में और आसानी होगी। रक्त, फिंगर प्रिंट आदि के नमूने तत्काल लिए जा सकेंगे। यौन जनित अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सीमेन आदि का भी संकलन तत्काल संभव हो सकेगा।

साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान तकनीक के माध्यम से ही संभव है, इस दिशा में और आगे बढ़ना जरूरी है

वैसे भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 176 (3) के अनुसार अब सात वर्ष या उससे अधिक की सजा के प्रविधान वाले सभी अपराधों में फारेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल का निरीक्षण अनिवार्य है। ज्ञान-विज्ञान के उपयोग से अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश की सभी 18 रेंज में निकट भविष्य में फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं खुल जाएंगी। उत्तर प्रदेश के 1587 थानों में साइबर हेल्प डेस्क इस समय क्रियाशील हैं। उत्तर प्रदेश ने स्वयं को इस स्तर तक तैयार किया है, यह महत्वपूर्ण है। अब इसके सकारात्मक परिणाम भी आने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने साइबर सुरक्षा मुख्यालय बनाने की भी घोषणा की है। आपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि अब युद्ध की तकनीक कैसे साइबर समर्थित हो गई है। देश के साथ आम जन के लिए भी साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अन्य राज्यों की सरकारें भी इससे सीख लेते हुए इस दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण बनाम दक्षिण

राहुल वर्मा

भाजपा जहां वैचारिक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने और दक्षिण को साधने में लगी है, वहीं विपक्ष तेलुगु अस्मिता के नाम पर उसके समर्थन में सेंधमारी की ताक में है

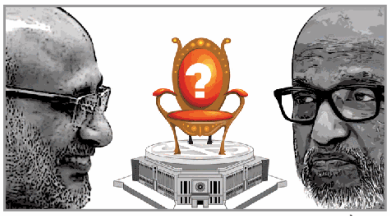

अवधेश राजपूत

पिछले महीने जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से रिक्त हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को मतदान होना है। सत्तापक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। जहां भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है, वहीं विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाया है। वे आंध्र के हैं, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के। स्पष्ट है कि दक्षिण बनाम दक्षिण का यह मुकाबला कई पैमानों पर रोचक होने जा रहा है। संवैधानिक व्यवस्था और आदर्श लोकतांत्रिक ढांचे में उपराष्ट्रपति से राजनीतिक रूप से निरपेक्ष एवं तटस्थ रहने की अपेक्षा होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदों की शपथ भी इस मायने में कुछ अलग होती है। उसमें संविधान के प्रति निष्ठा जैसे अन्य-पहलुओं के साथ 'संविधान की रक्षा' के बिंदु पर भी जोर होता है। उपराष्ट्रपति केवल एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद ही नहीं, बल्कि उसके पास राज्यसभा के संचालन का दायित्व भी होता है। ऐसे में, राजनीतिक कारणों और विधायी एजेंडे की दृष्टि से सत्ता पक्ष के लिए इस पद की अहमियत और बढ़ जाती है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इस चुनाव का महत्व भी काफी बढ़ गया है।

जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था तब तात्कालिक रूप से यही कारण बताया गया कि स्वास्थ्य के आधार पर वे अपना पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम दर्शाता है कि उनकी एकाएक विदाई के पीछे कुछ और कारण रहे। सार्वजनिक जीवन में धनखड़ की सक्रियता के एकदम सीमित हो जाने से भी इन संदेहों को बल मिला कि बात उतनी सीधी भी नहीं, जितनी बताई गई। कई विपक्षी दलों ने धनखड़ द्वारा सार्वजनिक जीवन से एकाएक दूरी बनाए जाने को लेकर सवाल भी उठाए। इससे इन्कार करना मुश्किल है कि सत्तापक्ष के साथ असहज हुए राजनीतिक समीकरण ही धनखड़ के इस्तीफे का कारण बने। राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के स्वागत समारोह में पीएम मोदी की यह टिप्पणी कि 'वे राजनीतिक खेल नहीं करेंगे', उन्हीं अटकलों को बल देती है कि धनखड़ और सरकार के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई थी कि फिर कभी भर नहीं पाई।

दोनों खेमों के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो प्रत्येक पक्ष ने बहुत संभलकर कदम बढ़ाए हैं। धनखड़ का भाजपा की मूल विचारधारा के साथ बहुत गहरा संबंध नहीं था और वह दूसरे दलों से होते हुई भाजपा में आए और पार्टी ने अपनी परंपरा से इतर उन्हें एक शीर्ष संवैधानिक पद पर बिठाया। उनके साथ हुए अनुभव से सबक लेते हुए भाजपा ने इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रखने वाले अपने खांटी कार्यकर्ता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। भाजपा के लिए अपेक्षाकृत अनुर्वर राजनीतिक भूमि तमिलनाडु से वे पार्टी के सांसद भी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी सक्रियता खासी चर्चित रही। उन्होंने केरल जैसे राज्य में चुनाव प्रभार का जिम्मा भी संभाला। पहले झारखंड और फिर महाराष्ट्र में राज्यपाल भी रहे। उनके माध्यम से भाजपा कई निशाने साधने के प्रयास में है।

तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पार्टी एक राजनीतिक संदेश देने का भी काम करेगी। राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक केंद्र सरकार को लेकर खासी आक्रामक रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नीट परीक्षा, हिंदी भाषा एवं वित्तीय संसाधनों और संभावित लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर राज्य सरकार ने केंद्र और भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। परिसीमन के मुद्दे पर तो दक्षिण के अन्य राज्यों को भी लामबंद करने का प्रयास किया। ऐसे में राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा ऐसे हमलों की धार कुंद करने की कोशिश करेगी।

विपक्षी खेमे ने भी भाजपा की इस रणनीति को भांपते हुए दक्षिण भारत से ही अपना उम्मीदवार बनाया। इसके जरिये उसने दोहरी व्यूह रचना की है। एक तो मुकाबले को दक्षिण बनाम दक्षिण करना और तमिल बनाम तेलुगु अस्मिता के जरिये राजग की सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगु देसम पार्टी के समर्थन में सेंध लगाने की कोशिश। राज्यसभा में अक्सर राजग का समर्थन करने वाली जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के लिए भी इससे दुविधा खड़ी हो सकती है। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू और रेड्डी से विपक्षी खेमे को समर्थन का कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयानों से साफ है कि विपक्ष तेलुगु अस्मिता का मुद्दा खड़ा करने का प्रयास करेगा। हालांकि अगर तेलुगु अस्मिता के नाम पर नायडू और रेड्डी के समक्ष धर्मसंकट खड़ा करने का प्रयास होगा तो द्रमुक के मुखिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी एक तमिल उम्मीदवार का पुरजोर विरोध करने की दुविधा घेरेगी। इस चुनाव के माध्यम से विपक्ष सरकार की उस कमजोर नस को दबाने में लगा है, जो पिछले आम चुनाव के बाद उभरी। यह कमजोरी है संसद में भाजपा का घटा आधार।

पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा में भाजपा के अपने ही 303 सांसद थे, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद यह संख्या सिकुड़कर 240 रह गई है। दो बार पूर्ण बहुमत की सत्ता के बाद भाजपा को गठबंधन के सहयोगियों पर आश्रित होकर सरकार चलानी पड़ रही है। इसलिए रेड्डी के जरिये वह भाजपा के दक्षिणी दांव की काट के साथ ही उसके राजनीतिक समर्थन में भी सेंधमारी की उम्मीद लगाए है। इसके बावजूद राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने की राह में कोई खास कांटे नहीं दिख रहे हैं। सरकार उनके चुनाव को लेकर आश्वस्त है और आंकड़े भी पूरी तरह उसके पक्ष में हैं। हालांकि चुनाव के बाद नए उपराष्ट्रपति को चुनौतियों के साथ जूझना होगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती उच्च सदन में विपक्ष को साथ लेकर चलने की होगी, जो चुनाव आयोग से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आक्रामक है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो हैं)
response@jagran.com

चुनौती का सामना करें एमएसएमई

जयंतीलाल भंडारी

एमएसएमई गुणवत्ता और डिजिटल तकनीक अपनाकर ही वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ा सकते हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रंप की टैरिफ की चुनौती को देखते हुए देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को हरसंभव तरीके से आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि हम जितना ज्यादा स्वदेशी अपनाएंगे, उतना ही देश मजबूत होगा। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सरलीकरण की जो घोषणा की उससे एमएसएमई को बड़ा लाभ होगा। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई की चुनौतियों के समाधान के लिए नई रणनीति पर आगे बढ़ना भी जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का सीधा असर देश के एमएसएमई पर कुछ दिखने लगा है। उद्योग संगठनों के अनुमान के मुताबिक इससे एमएसएमई के 30 अरब डालर मूल्य के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। कपड़ा, रत्न, रसायन और चमड़ा जैसे क्षेत्रों को ऊंचे टैरिफ से अधिक नुकसान की आशंका है। अमेरिकी खरीदार भारत के लिए अपने निर्यात आदेशों को बदल रहे हैं। बढ़े हुए टैरिफ से एमएसएमई की चुनौतियों से तमाम नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं। कई बैंक ऋण देने में संकोच कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल ढांचा, कुशल श्रमिक, बाजार पहुंच, फंडिंग की कमी टेक्नोलाजी, सप्लाई चेन, डाटा सुरक्षा और स्किल डेवलपमेंट में भी उनकी चुनौतियां हैं। आइटी सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स के समक्ष व्यावहारिक मार्गदर्शन, एक्सेस और प्रारंभिक निवेश की चुनौती है। खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्यमों में खराब तकनीक और कमजोर लाजिस्टिक व्यवस्था के कारण गुणवत्ता में कमी की चुनौती है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति और बड़ी कंपनियों से भुगतान में देरी एमएसएमई के विकास में बड़ी बाधा हैं।

एमएसएमई की मजबूती से ही आगे बढ़ेगा देश। फाइल

एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादन, निर्यात और रोजगार में अहम भूमिका है। एमएसएमई मंत्री ने हाल में संसद में बताया कि देश में इस समय पंजीकृत 6.5 करोड़ एमएसएमई करीब 28 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का योगदान करीब 30.1 प्रतिशत है। एमएसएमई विनिर्माण में 35.4 प्रतिशत और निर्यात में 45.73 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के बजट में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य से बहुआयामी उपायों की जो एक वृहद श्रृंखला प्रस्तुत की गई, उसके क्रियान्वयन पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसके तहत वित्तीय सहायता और खरीद नीतियों से लेकर क्षमता निर्माण और बाजार एकीकरण तक की पहल शामिल हैं।

प्रमुख पहलों में उद्यम पंजीकरण पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना और एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति शामिल हैं। इनका उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, रोजगार बढ़ाना और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है। उद्योगों का विस्तार करने और दक्षता में सुधार करने में मदद करने के लिए, एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ा दी गई है। चालू वित्त वर्ष में एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है। सरकार निर्यातकों को सहारा देने के लिए 2,250 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन को तेजी से लागू करने और बिना रेहन (गिरवी) के कर्ज देने की डगर पर आगे बढ़ रही है। टैरिफ तूफान के बीच एमएसएमई की क्षमताओं को उन्नत करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने तथा निर्यात झटके से निपटने के लिए एमएसएमई को नीतिगत समर्थन का लाभ दिया जाना होगा। एमएसएमई को बढ़ावा देने की नई योजना, कारोबार में सुगमता, वैश्विक बाजार में सरल पहुंच, अनुपालन बोझ में कमी, जीएसटी दरों में सरलता पर ध्यान देना। एमएसएमई को सीधे मदद और प्रक्रियाओं के माध्यम से मदद, दोनों ही दिशा में आगे बढ़ना होगा। सरकार द्वारा एमएसएमई के कारोबार को आसान बनाने और घरेलू खपत को बढ़ाने के तरीकों पर नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। नई सप्लाई चेन और नए बाजारों की तलाश भी करनी होगी। दूसरे देशों में वेयरहाउसिंग की सुविधा और वैश्विक ब्रांडिंग की पहल भी आवश्यक है। इस पर भी ध्यान देना होगा कि बुनियादी ढांचे की मजबूती, अधिक लाजिस्टिक्स सुविधाएं, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने जैसी योजना को फिर से शुरू कर तथा ऋण गारंटी कार्यक्रमों का विस्तार करने जैसे उपायों से एमएसएमई को वित्तीय राहत और स्थिरता प्रदान की जानी चाहिए। एमएसएमई के हित में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का विस्तार करने से विशेष रूप से निर्यात-उन्मुख एमएसएमई लाभान्वित होंगे। नवाचार की नई लहर एमएसएमई के लिए नया अध्याय लिख सकती है।

हमारे एमएसएमई गुणवत्ता में सुधार के साथ ही नई तकनीक अपनाते हुए ही वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को रणनीतिक रूप से बढ़ा सकते हैं। चूंकि एमएसएमई आर्थिकी के एक मजबूत इंजन की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लगातार सहयोग, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए। इस सबके साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र को नवाचार, प्रतिस्पर्धा, क्षमता में सुधार और शोध की डगर पर आगे बढ़ने की तैयारी करनी होगी। यह आशा की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जीएसटी में सुधार समेत जो अनेक घोषणाएं की गई हैं, वे कारगर तरीके से शीघ्रतापूर्वक आकार लेंगी।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ऊर्जा

साहचर्य की सामर्थ्य

मनुष्य एकाकी रहकर जीवन को सफल नहीं बना सकता। सामाजिक साहचर्य ही उसे आगे बढ़ाता है। मेल-जोल और सद संगति से प्राप्त ऊर्जा ही व्यक्ति के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति-व्यक्ति के चरित्र से मिलकर ही राष्ट्र का चरित्र निर्धारित होता है। राष्ट्रीय चरित्र ही देश की वास्तविक पूंजी होती है। राष्ट्र निर्माण का चिंतन ही व्यक्ति निर्माण से प्रारंभ होता है। सामूहिक शक्ति से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन जो समाज और देश की दशा और दिशा बदलने में सहायक सिद्ध होते हैं। सज्जन शक्तियों के साहचर्य से मानसिक विकृतियां दूर होती हैं। उनकी तपस्या का उजास प्राप्त होने लगता है। सुमार्ग एवं कुमार्ग का ज्ञान होने लगता है। सद्संगति के आलोक में जीवन को गढ़ा जा सकता है। चरित्र को परिष्कृत किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का साहचर्य अत्यंत मायने रखता है। वह जैसे लोगों की संगति में रहता है प्रायः उसकी चारित्रिक छवि भी कुछ वैसी ही होती है।

भगवान श्रीराम ने गिरिवासी, कंदरवासी, वानर और रीछ आदि से साहचर्य रखकर लंका पर विजय प्राप्त की। यह साहचर्य की सामर्थ्य को रेखांकित करता है। जब स्वयं भगवान को साहचर्य की आवश्यकता पड़ी तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं। साहचर्य की शक्ति के माध्यम से बड़े-बड़े आंदोलनों को सफलता की प्राप्ति हुई है। चाहे वह देश की आजादी का आंदोलन ही क्यों न हो। केवल स्वयं को सिद्ध मानकर अकेले चलते रहने से सफलता की चौखट तक पहुंचने में कठिनाई आ सकती है। जबकि सामूहिक साहचर्य की सामर्थ्य से सफलता को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमें साहचर्य की सामर्थ्य को अनुभूत कर व्यावहारिक जीवन को आकार देना चाहिए। इसके लिए अपनी संगति का ध्यान रखना आवश्यक है। संगति ही व्यक्ति को गढ़कर नियति तय करती है।

ललित शौर्य

जनसुरक्षा बनाम पशु अधिकार

सोनम लववंशी

कुत्तों से जुड़ी समस्याओं के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समग्रता में समझा जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। अदालत का यह कदम केवल प्रशासनिक हस्तक्षेप भर नहीं है, बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आवारा कुत्तों का संकट अब महज पशु संरक्षण का विषय नहीं रहा, बल्कि नागरिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। भारत में आवारा कुत्तों की वास्तविक संख्या पर कोई आधिकारिक जनगणना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2019 की पशुधन गणना में इनकी संख्या लगभग डेढ़ करोड़ दर्ज की गई थी, किंतु विभिन्न स्वतंत्र आकलनों और हालिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान में यह संख्या पांच से छह करोड़ के बीच मानी जाती है। अकेले दिल्ली में लगभग दस लाख आवारा कुत्ते हैं। यही कारण है कि डाग बाइट के मामले राजधानी में बढ़ गए हैं। यह परिदृश्य केवल दिल्ली का ही नहीं है। संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में देश में लगभग 37 लाख लोग कुत्तों के काटने से प्रभावित हुए। इनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार जैसे राज्य सबसे आगे रहे। यानी यह समस्या अब स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकट बन चुकी है।

इधर समाज इस आदेश पर बंट गया है। एक ओर पशु-प्रेमी वर्ग है, जो मानता है कि कुत्तों को इंसानों की तरह जीने का अधिकार है और उन्हें सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में डालना अमानवीय है। उनका कहना है कि नसबंदी और टीकाकरण ही स्थायी समाधान है। दूसरी ओर आम नागरिक हैं, जिनके लिए हर गली मोहल्ले में फैला कुत्तों का आतंक असहनीय हो चुका है और शेल्टर ही तत्काल व्यावहारिक उपाय है। असली सवाल यही है कि नागरिकों की सुरक्षा कब और कैसे सुनिश्चित होगी। कुत्तों के हमले से होने वाली चोटें तो उपचार योग्य हैं, लेकिन असली खतरा है रेबीज। यह बीमारी एक बार लगने पर असाध्य है और मृत्यु दर लगभग शत प्रतिशत है। ऐसे में इसके समाधान के स्तर पर जरूरत है संतुलन की। न तो केवल संवेदना से समस्या हल होगी और न ही केवल कठोरता से। शेल्टर होम का निर्माण करना आवश्यक है, ताकि कुत्तों को सड़कों से हटाकर व्यवस्थित और सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके। जिम्मेदार एजेंसियों पर कानूनी जवाबदेही तय करनी होगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में कोई ढिलाई न हो। यह स्पष्ट है कि कुत्तों को मारना या उन पर अत्याचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, परंतु उन्हें पूरी तरह अनियंत्रित छोड़ देना भी आत्मघाती है। नागरिकों के जीवन की रक्षा सर्वोपरि है, और पशु अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी संतुलन की ओर संकेत करता है। अब सरकार, स्थानीय निकाय और समाज को मिलकर ऐसा रास्ता तलाशना होगा, जिससे मनुष्य और पशु दोनों की सुरक्षा और गरिमा बनी रहे। यही इस बहस का वास्तविक और स्थायी समाधान है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विकास में बाधक भ्रष्टाचार

'भ्रष्टाचार रुकेगा तो बढ़ेगा भारत' शीर्षक से लिखे लेख में राजीव सचान ने बिल्कुल सही कहा है कि भ्रष्टाचार भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है और नेताओं-नौकरशाहों की मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई के बिना विकसित राष्ट्र का लक्ष्य संभव नहीं। भ्रष्टाचार भारत के विकास पथ में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और लाल किले से की गई घोषणाओं के बावजूद जमीनी हकीकत यही है कि भ्रष्टाचार अब भी हमारे प्रशासनिक ढांचे में गहराई तक जड़ें जमाए हुए है। यह केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी क्षेत्र में भी इसकी पैठ हो चुकी है। सुविधा शुल्क, कमीशनबाजी और दलाली ने जनहित के कार्यों को बाधित कर दिया है। समाधान केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से संभव है। सबसे पहले नेताओं और नौकरशाही की दुरभिसंधि को ध्वस्त करना होगा। इसके लिए पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली मजबूत बनानी होगी। भ्रष्ट अधिकारियों पर त्वरित और कड़ी दंड प्रक्रिया लागू होनी चाहिए, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर हों। इसके साथ ही, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पुरस्कृत करने की संस्कृति विकसित करनी होगी, ताकि ईमानदारी को प्रेरणा मिले। यह समझना होगा कि जब तक भय और दंड का संतुलन नहीं बनेगा, तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना मुश्किल है। दृढ़ इच्छाशक्ति, तकनीकी पारदर्शिता और सामाजिक जागरूकता ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

bhubaaman2020@gmail.com

मेलबाक्स

आखिर क्यों मजबूर हुई कांग्रेस

मंगलवार को प्रकाशित 'शिक्षा में इतिहास या राजनीति' शीर्षक से युक्त लेख में राजीव शुक्ला ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस को भले ही उत्तरदायी न माना हो, लेकिन उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया ही है कि मुस्लिम लीग की आक्रामकता और जिन्ना की धमकी भरी जिद से मजबूर होकर तत्कालीन कांग्रेस को देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। देश के विभाजन की यदि यही ऐतिहासिक सच्चाई मान ली जाए तो आज के भारतीय जनमानस के लिए यह विचारणीय हो जाता है कि उस समय भारत में मुस्लिम लीग अधिक ताकतवर थी या ब्रिटिश हुकूमत से टकराने वाली तत्कालीन कांग्रेस? जहां तक लेखक के इस तर्क की बात है कि यदि तत्कालीन कांग्रेस देश का विभाजन स्वीकार नहीं करती तो देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते जिसमें भीषण रक्तपात होता। लेकिन देश विभाजन के बाद भी हिंसक सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें लाखों लोग मारे गए। फिर जिन्ना की जिद के आगे समर्पण क्यों किया गया, तत्कालीन कांग्रेसी नेतृत्व आखिर किस आशंका से ग्रस्त था? कांग्रेस भले इस सत्य से मुंह मोड़ ले कि देश विभाजन में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग के समक्ष कमजोर पड़ने वाली तत्कालीन कांग्रेस की इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि व्यक्ति विशेष की सत्ता लोलुपता ने उसे कमजोर बना दिया था।

डा. वी. पी. पाण्डेय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

विपक्ष की ओर से सत्तापक्ष को चुनौती

भारतीय लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति पद केवल औपचारिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति की गरिमा और निष्पक्षता का भी प्रतीक होता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए ने तमिलनाडु से सी. पी. राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जबकि विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। यह साफ दिखता है कि यह चुनाव आंकड़ों से अधिक प्रतीकात्मक और राजनीतिक संदेश देने वाला है। वैसे सत्ता पक्ष के पास आंकड़ों का मजबूत आधार है। परिणाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने यह जानते हुए भी कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, एक मजबूत चेहरा उतारकर यह जताने की कोशिश की है कि वह सरकार को हर स्तर पर चुनौती देने के लिए तैयार है।

मधु सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मध्य प्रदेश

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****